रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1996 (आश्विन 6, 1918)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1996 (ASVINA 6, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

### [सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

### [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 सितम्बर 1996

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 1-सी.ए.(7)/47/96—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है।

### 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 47वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद को 1 अप्रैल, 1995 से लेकर 31 मार्च, 1996 तक की अवधि की अपनी 47वीं वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में परिषद और उसकी विभिन्न समितियों के महत्वपूर्ण कार्यकलापों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट में आयोजित किए गए सेमिनारों और सम्मेलनों, संचालित किए गए प्रशिक्षण-कार्यक्रमों तथा सदस्यों एवं छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों और संस्थान के वर्ष 1995-96 के लेखाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तथापि, अगस्त 1996 के अंत तक संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

1. परिषद

1.1. परिषद तथा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य

सौलहवीं परिषद का गठन जिसमें 24 निर्वाचित सदस्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 6 सदस्य सम्मिलित हैं, 18 जनवरी, 1995 को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए किया गया था। 31 मार्च, 1996 को यथाविद्यमान सौलहवीं परिषद की संरचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में दी गई है।

1.2 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

श्री वाई. एम. काले, एफ.सी.ए. तथा श्री टी. एस. विश्वनाथ, एफ.सी.ए., 17 जनवरी, 1996 तक संस्थान के क्रमश: अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। परिषद दोनों ही व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई उनकी मूल्यवान सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा हार्दिक आभार प्रकट करती है।

परिषद ने 16, 17 तथा 18 जनवरी, 1996 को आयोजित अपने 179वें बैठक में 18 जनवरी 1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए संस्थान के अध्यक्ष के रूप में श्री टी. एस. विश्वनाथ, एफ.सी.ए., को तथा उपाध्यक्ष के रूप में श्री एम. एम. चितले, एफ.सी.ए., को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है।

1.3 सचिव

श्री ए. के. मजुमदार संस्थान के सचिव के रूप में बने रहे।

1.4 परिषद की समितियां

परिषद ने 16, 17 तथा 18 जनवरी, 1996 को आयोजित अपने 179वें अधिवेशन में व्यवसाय से संबंधित अनेकानेक विषयों से निपटने के लिए तीन स्थायी समितियों और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों का गठन किया था। इन स्थायी तथा गैर-स्थायी समितियों की संरचना सहित उनकी एक सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 में दी गई है।

1.5 परिषद के अधिवेशन

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान परिषद ने 7 (सात) अधिवेशनों का आयोजन किया।

1.6 लेखा-परीक्षक (आडिटर)

वर्ष 1995-96 के लिए श्री के. एस. वी. एस. मणियन, एफ.सी.ए., तथा श्री एस. आर. खुराना, एफ.सी.ए., संयुक्त लेखापरीक्षक थे। परिषद उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है।

2. अनुसंधान तथा व्यावसायिक विकास

परिषद ने अपनी विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के माध्यम से अनुसंधान, व्यावसायिक विकास, सदस्यों की सतत व्यावसायिक शिक्षा तथा छात्रों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर अत्यधिक जोर दिया है। जहां अनेक अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप किए गए, वहीं संस्थान द्वारा प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान अपनी विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के माध्यम से लेखाविधि मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स), लेखा-परीक्षा मानक (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स), विशेष सलाह (एक्सपर्ट ओपीनियंस) जैसे सेमिनारों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग हेतु आधार-सामग्री पर अनेकानेक प्रकाशन निकाले गये हैं। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—

(क) लेखाविधि मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स)

साधारण विश्वव्यापी मान्य व्यावसायिक निकायों के लेखाविधि मानकों तथा विशिष्टत: भारत में जारी किए गए लेखाविधि मानकों पर रखे गए निरन्तर बढ़ते हुए भरोसे को महसूस करते हुए, संस्थान इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि उसके द्वारा जारी किए गए लेखाविधि मानक सुसंगत, व्यावहारिक लाभप्रद बने हुए हैं, प्रमुख लेखाविधि निकाय के रूप में अपनी भूमिका निबाहता रहा है। संस्थान, लेखाविधि मानक बोर्ड (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड) के माध्यम से, लेखाविधि पद्धति की विषमताओं को कम करने तथा भारत में उद्यमों द्वारा लेखाकरण तथा प्रकटीकरण (एकाउंटिंग एण्ड डिसक्लोजर) में सर्वांगीण सुधार के लिए अपने प्रयास जारी रखे है। इन क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(क) एक्सपोजर ड्राफ्ट आन "कैश फ्लो स्टेटमेंट्स" एण्ड एम एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड को उपरोक्त एक्सपोजर प्रारूप के संबंध में सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुई टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना,

(ख) सदस्यों तथा संबंधित अन्य व्यक्तियों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए "नेट प्राफिट और लास फार दि पीरियड एण्ड चेंजेज इन एकाउंटिंग पालिसीज" पर पुनरीक्षित एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 5 का एक्सपोजर प्रारूप निकाला जाना,

(ग) गाइडेंस नोट आन "अर्निंग्स पर शेयर" का तैयार किया जाना,

(घ) एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 2 आन "वैल्युएशन आफ इन्वेंट-रीज" तथा एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 7 आन "एकाउंटिंग फार कांस्ट्रक्शन कान्ट्रेक्ट्स" का पुनर्विलोकन।

लेखाविधि मानक बोर्ड द्वारा "फ्रेमवर्क फार दि प्रेपरेशन एण्ड प्रेजेण्टेशन आफ फाइनेनशियल स्टेटमेंट्स" तैयार किए जाने का कार्य निर्माणाधीन है। लेखाविधि मानक बोर्ड इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या "एकाउंटिंग फार लीजेज" विषय पर जिस पर पूर्व में एक गाइडेंस नोट निकाला जा चुका है, एक "एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड" (लेखाविधि मानक) प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है। लेखाविधि मानक बोर्ड द्वारा गठित अध्ययन-दल, एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड आन "फाइनेनशियल इंस्ट्रू-मेंट्स" (वित्तीय लिखत), "बारोइंग कास्ट्स" तथा "एकाउं-टिंग एण्ड डिसक्लोजर आफ करेण्ट असेट्स एण्ड करेण्ट लाइबिलीटी" (चालू आस्तियों तथा चालू दायित्वों का लेखाकरण एवं प्रकटीकरण) के प्रारम्भिक प्रारूप बनाने के काम में लगे हुए हैं। लेखाविधि मानकों का बदलते हुए सामाजिक वातावरण के लिए सुसंगत बने रहने हेतु उनका समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। लेखाविधि मानक बोर्ड ने हाल ही विगत समय में अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानकों में व्यापक परि-वर्तनों पर विचार किया है तथा हमारे लेखाविधि मानकों का पुनर्विलोकन करते समय ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल रख सकें।

(ख) लेखा-परीक्षा मानक (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स)

पूर्व की भांति, संस्थान ने लेखाविधि मानकों को विकसित करने और उन्हें उत्तम रखने के काम को तथा सदस्यों को उनके संबद्ध कृत्यों का अधिकाधिक प्रभावी रूप से निर्वहन करने में उनकी सहायता करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान की है। इस उद्देश्य के लिए संस्थान ने, अपनी लेखा-परीक्षा पद्धति समिति के माध्यम से "स्टेटमेंट्स आफ स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज" (एस. ए. पी.) निकाले, जिनमें देश की विद्यमान लेखापरीक्षा पद्धतियों का संहिताकरण करने की इच्छा

की गई हैं तथा जहां आवश्यक हो उन्हें बदले हुए परिवेश के संदर्भ में सुधारने का कार्य हाथ में लिया है । इस कार्यवाही के भाग-स्वरूप, समिति ने एक अन्य एस.ए.पी. अर्थात्, एस.ए.पी. (11) (ग्यारह) आन ''रिप्रेजेण्टेशन बाइ मैनेजमेंट'' निकाला है। समिति ''आडिट मेटीरियलिटी'' (लेखापरीक्षा सारता) तथा ''रिस्पांसीबिलीटी आफ ज्वाइंट आडिटर्स (संयुक्त लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व) के बारे में दो और एस.ए.पी. निकालने के काम में लगी हुई है । कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के सत्यापन के काम में लगे कानूनी लेखापरीक्षकों की सहायता करने की दृष्टि से जिसका सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, समिति ने अनुसंसित ''फारमेट आफ आडिटर्स रिपोर्ट'' प्रकाशित किया है । समिति ने तीन और गाइडेंस नोट भी निकाले हैं, अर्थात् ''आडिट आफ कैश एण्ड बैंक बलेंसेज'' ''आडिट आफ मिस्लेनियस एक्सपेंडीचर शोन इन बैलेंसशीट'' तथा ''आडिट आफ लाइबीलीटीज'' । सदस्यों तथा संबंधित अन्य व्यक्तियों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक प्रपोज्ड गाइडेंस नोट आन ''आडिट आफ रेवेन्यू'' का एक्सपोजर ड्राफ्ट भी निकाला गया है ।

जबकि स्टजी आन ''आडिटिंग इन एन ई. डी. पी. एन-वायरनमेन्ट'' निर्माणाधीन है, समिति ''रिस्क असेसमेन्ट एण्ड इन्टरनल कन्ट्रोल'', ''सब्सीक्वेन्ट इविन्ट्स'', ''आडिट आफ एकाउन्टिंग एस्टीमेट्स'', ''आडिट सेम्पलिंग'', ''गोइन्ग कन्सर्न'' तथा ''एनालिटिकल प्रोसीजर्स'' पर एस. ए. पी. के प्रारूप तैयार करने के काम में सक्रिय रूप से लगी हुई है । समिति ''आडिट आफ एक्सपेन्सेज'' तथा ''आडिट आफ कैपीटल एण्ड रिजर्व्स'' पर प्रपोज्ड गाइडेंस नोट के प्रारम्भिक प्रारूप तैयार करने के काम में भी लगी हुई है ।

(ग) अन्य अनुसंधान अध्ययन

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि किसी व्यवसाय का विकास मुख्यतया इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज की चुनौतियों का कितने प्रभावी तरीके से सामना करता है और वह तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ तथा अनुसंधान आधारित अधिकृत घोषणाओं के अनुरूप साबित होता है, संस्थान अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से, लेखाविधि (एकाउंटिंग), लेखापरीक्षण (आडिटिंग), कारपोरेट लाज, फिस्कल लाज तथा सहबद्ध क्षेत्रों के संकल्पनात्मक ज्ञान में योगदान करते हुए अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाने में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं । प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान अनुसंधान समिति ने ''कम्पेंडियम आफ स्टेटमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन एकाउंटिंग'' तथा ''कम्पेंडियम आफ स्टेटमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन आडिटिंग'' के पुनरीक्षित संस्करण निकाले हैं । ''आडिटर्स रिपोर्ट/सर्टिफिकेट आन फाइनेनशियल इन्फोरमेशन इन आफर डाक्यूमेन्ट्स'' पर एक गाइडेंस नोट को भी ''डिस्क्लोजर एण्ड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन'' पर दिशा निर्देशों की बाबत सेबी द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा । जिन अन्य प्रकाशनों के शीघ्र ही निकाले जाने की संभावना है उनमें ''मैनेजमेन्ट कन्ट्रोल सिस्टम्स इन नान-प्रोफिट ओर्गेनाइजेशन्स विथ स्पेशल रेफरेन्स टू हास्पिटल्स'', गाइडलाइन्स आन इन्टरनल आडिट आन एन्टरप्राइजेज केरिंग आन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिसिटी बिजनेस'', ''गाइडलाइन्स आन इन्टरनल आडिट-टायर इण्डस्ट्रीज'' तथा ''इन्टरिम फाइनेनशियल रिपोर्टिंग : ए कम्पेरेटिव स्टडी आफ यू. एस. ए., यू. के., फ्रांस एण्ड इण्डिया'' सम्मिलित हैं । उपरोक्त के अलावा, सात प्रकाशन अंतिम रूप दिए जाने के क्रम पर हैं और अन्य सात प्रकाशन सक्रिय विचाराधीन हैं । विविध विषयों पर लगभग पचास अनुसंधान परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरण में हैं । शील्ड-पैनल—जो कि अनुसंधान समिति की एक उप-समिति है—वर्ष 1994-95 के लिए वार्षिक सर्वोत्तम प्रस्तुत लेखा प्रतियोगिता के संबंध में विभिन्न प्रवर्ग-कम्पनियां/निगमों, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि, के लिए पुरस्कारों को अंतिम रूप दिए जाने के कार्य में लगा हुआ है ।

निगमित विधि के क्षेत्र में, विभिन्न विनियामक निकायों/एजेंसियों/प्राधिकरणों, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर. बी. आई.), भारत का नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) इत्यादि, से निर्देश किए जाने पर टिप्पणियां/विचार/सुझाव देने तथा विचार-विमर्श (परिचर्चा) आयोजित करते हुए अनेक तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अलावा, संस्थान अपनी निगमित विधि समिति के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची में नए पुरःस्थापित भाग में उपान्तरणों से संबंधित मामलों तथा कम्पनी विधेयक, 1993 की अनुसूची 12 को पुनः तैयार करने के बारे में कम्पनी कार्य विभाग के साथ निरन्तर सम्पर्क रखे हुए है । माननीय वित्त तथा कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के प्रति तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कम्पनी विधि के निर्दिष्ट खण्डों से संबंधित तकनीकी मुद्दों की विशेष रूप से जांच करने के लिए पांच प्रावेशित दल गठित किए गए हैं । एक उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित करना प्रस्तावित किया गया है जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रावेशित दलों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार की गई समेकित रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और तत्पश्चात् ठोस सुझाव माननीय मंत्री जी के पास भेजे जाएंगे ।

कराधान के क्षेत्र में, संस्थान अपनी राजवित्तीय विधि समिति (फिस्कल लाज कमेटी) के माध्यम से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ निकट रूप से संपर्क बनाए हुए है । बजट-पूर्व तथा उत्तर-बजट ज्ञापन में संस्थान के दृष्टिकोण को प्राधिकारियों का सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है तथा संस्थान द्वारा व्यक्त किए गए अनेक विचारों/सुझावों को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया गया है । केन्द्रीय बजट 1996 पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सुप्रसिद्ध व्यवसायियों तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी. टी. डी. टी.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सी. बी. ई. सी.) तथा आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । कर विषयक विधियों और उनके प्रशासन के सरलीकरण पर रचनात्मक और वास्तविक सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करने तथा राजकोष की हानि को यथासंभव कम करते हुए उसे करदाताओं के लिए अधिकाधिक अनुकूल बनाने की दृष्टि से प्रमुख महानगरों तथा कानपुर में पांच अर्ध-दिवसीय सेमिनार आयोजित किए गए । राजवित्तीय विधि समिति अपने चार प्रकाशनों का संशोधित संस्करण तैयार करने के काम में सक्रिय रूप से लगी है ।

(घ) विशेषज्ञ सलाह (एक्सपार्ट ओपिनियन्स)

पूर्व की भांति, विभिन्न विषयों पर सदस्यों से प्राप्त हुई अनेक शंकाओं पर विचार किया गया और उन पर संस्थान की विशेषज्ञ सलाह समिति द्वारा सलाह दी गई । ''कम्पेंडियम आफ ओपिनियन्स-जिल्द'' को, जिसमें जनवरी 1995 और जनवरी, 1996 के बीच दी गई सलाह सम्मिलित है, प्रकाशित कर दिया गया है ।

(ङ) सतत व्यावसायिक शिक्षा (कन्टीन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन)

संस्थान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अन्ततोगत्वा सदस्यों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का स्तर और गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए । संस्थान की भूमिका उन्हें उनका काम सरल बनाने के लिए सहायता तथा साधन उपलब्ध कराने की होती है । मानकों का संरक्षण प्रदान करके तथा वृद्धि करके संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि उसके सदस्यों में वे सब कौशल तथा गुण हैं जो उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों का प्रभावी रूप से निवहन करने के लिए आवश्यक हैं । इस तथ्य को महसूस करते हुए संस्थान अपनी सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति के माध्यम से, समसामयिक सुसंगत तथा महत्व के विषयों/क्षेत्रों में सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने का अपना प्रयास जारी रखे हैं । उपलब्ध कराई गई एक सी आधार सामग्री के आधार पर सम्पूर्ण देश में बैंक आडिट, एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग स्टैंडर्डस, आचार-संहिता तथा अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय विक्रय कर, टैक्सेशन आफ डीम्स सेल ट्रांजेक्शन्स तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) पर सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए गए ।

फैरा, फोरन कोलाबोरेशन तथा ज्वाइन्टवैन्चर्स पर बंगलोर में एक सेमिनार आयोजित किया गया । "आस्पैक्ट्स आफ मैनेजमेन्ट एकाउन्टिंग" पर इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के सहयोग से तथा "कारपोरेट फानान्स एण्ड ला" पर इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया के सहयोग से संयुक्त सेमिनार क्रमशः पूर्ण तथा चण्डीगढ़ में आयोजित किए गए । प्रत्यक्ष कर, इन्टरनल आडिट, रवैन्यू आडिट एण्ड कन्करेन्ट आडिट तथा प्रोजेक्ट प्रूफ फाइनान्स के क्षेत्रों पर शीघ्र ही सम्पूर्ण देश में सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । इसी प्रकार, ई. डी. पी. आडिट एण्ड कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के क्षेत्र में भी शीघ्र ही सेमिनार आयोजित किए जाएंगे ।

संस्थान सदस्यों के लिए शिक्षणेतर-परीक्षाएं (पोस्ट-क्वालीफिकेशन एक्जामिनेसन्स आयोजित करता रहा है । इस पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय किए गए हैं । संस्थान के सभी कम्प्यूटर केन्द्र अपने विशेष रूप से तैयार किए पाठ्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करते रहे ।

(च) व्यावसायिक विकास (प्रोफेशनल डवलपमेन्ट)

संस्थान, आर्थक ढांचे के विभिन्न खण्डों और विशिष्टतः कराधान से संबंधित विधियों, कम्पनियों और समान विषयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निबाहता रहा है । संस्थान ने, व्यापार नीति खण्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के डब्ल्यू. टी. ओ. के अधीन गठित वर्किंग पार्टी आन एकाउन्टेंसी सैक्टर के साथ आयोजित की जाने वाली बातचीत/परिचर्चा में और अधिक प्रभावी तरीके से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए आवश्यक निवेश उपलब्ध कराने में भी अपनी भूमिका निभाही है। संस्थान आर. बी. आई. (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया), सेबी, सी. एण्ड ए. जी. (नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक) और ऐसे ही अन्य विनियामक निकायों के साथ, जिनसे उसे तकनीकी सलाह हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, निकट सम्पर्क कायम रखे हैं ।

इन्श्योरेंस रेगुलेटरी अथारिटी ने मैंजरमेन्ट, डिसक्लोजर तथा प्रेजेन्टेशन पहलुओं की बाबत अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए लाइफ तथा नान-लाइफ दोनों सैक्टरों में बीमा कम्पनियों के लेखाओं का रूप विधान (फारमेट) पुनः तैयार करने के मामले में कार्यवाही करने के लिए संस्थान को आमंत्रित किया है ।

संस्थान ने, अपनी व्यावसायिक विकास समिति के माध्यम से, बैंकों के कानूनी केन्द्रीय लेखापरीक्षकों का पैनल बनाने के लिए मानदण्डों का पुनर्विलोकन किया है तथा उस आधार पर मानदण्डों में कुछ ऐसे उपान्तरण सुझाव हैं जो बैंक आडिट की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए आशयित हैं तथा उन्हें आर. बी. आई. द्वारा साधारणतः स्वीकार कर लिया गया है । समिति ने इस व्यवसाय के सदस्यों के बीच कार्य का अधिकाधिक सुव्यवस्थित तथा साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पब्लिक सैक्टर की बैंकों की कानूनी शाखा लेखापरीक्षा के आवंटन के लिए कसौटी के बारे में कतिपय सुझाव भी दिए हैं । पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के कानूनी लेखापरीक्षकों के पैनल बनाने के लिए मानदण्डों के बारे में सी. एण्ड ए. जी. को भी सुझाव दिए गए हैं । संस्थान के प्रतिनिधियों तथा सी. एण्ड ए. जी. से मिल कर बने संयुक्त दल ने आर्थिक परिदृश्य में नवीनतम परिवर्तनों तथा पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में बल-परिवर्तन की परिणामी आवश्यकता के सन्दर्भ में सी. एण्ड ए. जी. द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पुनर्विलोकन किया है । इस दल द्वारा दिए गए सुझाव स्वीकार कर लिए गए तथा पुनरीक्षित निदेश जारी किए गए हैं । इसी प्रकार, संस्थान के प्रतिनिधियों, सी. एण्ड ए. जी. तथा साधारण बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने एक अन्य संयुक्त दल ने साधारण बीमा कम्पनियों की बाबत सी. एण्ड ए. जी. द्वारा जारी किए गए निदेशों में परिवर्तनों के लिए सुझाव दिए हैं । इन सुझावों को सम्मिलित कर लिया गया है तथा पुनरीक्षित निदेश जारी कर दिए गए हैं । कानकरेंट आडिट से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए संस्थान के प्रतिनिधियों तथा इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आई. बी. ए.) के प्रतिनिधियों से मिल कर बने एक संयुक्त दल का गठन किया गया है ।

(छ) गैर-स्थायी समितियों द्वारा चलाए जा रहे क्रियाकलाप

कतिपय गैर-स्थायी समितियों, जिनमें पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित समितियां भी सम्मिलित हैं, द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-3 में दिए गए हैं ।

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संस्थान, व्यावसायिक लेखापालों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है । संस्थान की भूमिका और ऐसे निकायों के साथ उसके संबंधों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-4 में दी गई है ।

### 4. चलाए जा रहे अन्य क्रियाकलाप

#### 4.1 विदेशी फर्मों तथा पारस्परिकता से संबंधित मुद्दे

"स्टेज टी आन इश्यूज रिलेटिंग टू फारेन बाडीज/फर्म्स" नामक विशेष समिति ने, जिसका गठन पिछले वर्ष किया गया था, अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट चार अध्यायों में विभाजित की गई है। जिन विवादकों के संबंध में इस अध्ययन दल में विचार किया गया है और उसके द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं वे विदेशी एकाउंटिंग फर्मों के व्यापारिक (ट्रेड)/फर्म नाम, प्रयास/क्रियाकलापों के अनुमोदन तथा एक दूसरे की अर्हताओं एवं व्यवसाय करने संबंधी अधिकारों को मान्यता देने के लिए विदेशी व्यावसायिक लेखाकरण निकायों (ओवरसीज प्रोफेशनल एकाउंटिंग बाडीज) के साथ पारस्परिकता को शासित करने वाले, विनियमों के संबंध में हैं। जबकि रिपोर्ट के अध्याय, 1, 2 और 3 पर पहले ही विचार किया जा चुका है तथा अध्ययन दल की सभी सिफारिशें परिषद ने स्वीकार कर ली हैं, तथापि पारस्परिकता (रेसीप्रोसिटी) पर शेष अध्याय परिषद के सक्रिय विचाराधीन है। उसे सौंपे गए निर्देशों के विशेष निबंधनों के अलावा, इस अध्ययन दल को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) के अन्य सदस्य-निकायों के साथ "जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज" (जी. ए. टी. एस.) के अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार की चल रही बातचीत (आन-गोइंग नेगोसिएशंस) के क्रम में व्यापार नीति खंड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से संस्थान को प्राप्त हुए विभिन्न दस्तावेजों पर अपने विचार/प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम भी सौंपा गया है। अध्ययन-दल के विचारों/प्रतिक्रिया पर विचार किया गया और परिषद के अनुमोदन के पश्चात्, ऊपर उल्लिखित की गई बातचीत में सरकार द्वारा उपयोग किए जाने के लिए संस्थान के निवेश (इनपुट) दिए गए।

#### 4.2 शिक्षा तथा प्रशिक्षण का पुनर्निरीक्षण

पिछले वर्ष गठित कमेटी फार रिव्यू आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग (सी. आई. ई. टी.) की संरचना में उपाध्यक्ष श्री एम. एम. चितले को सह-सभापति के रूप में सम्मिलित किए जाने तथा सहयोजन (को-आप्शन) में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तन किया गया है। अब यथा विद्यमान इस समिति की संरचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-2 में दी गई है।

समाज के व्यापक भाग से सुसंगत जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से समिति ने (1) सी. ए. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, (2) व्यवसाय के सदस्यों, (3) व्यवसाय के सदस्यों को सेवाओं का लाभ उठाने वालों, तथा (4), संस्थान से सहयुक्त शिक्षाविदों, को चार पृथक-पृथक प्रश्नावलियां जारी की हैं। उपरोक्त सभी प्रवर्गों को लगभग 16,000 प्रश्नावलियां भेजी गई हैं।

ये प्रश्नावलियां संस्थान की प्रादेशिक परिषदों तथा उनकी शाखाओं के पास भी भेजी गई हैं। सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेत प्रश्नावलियों के साथ एक घोषणा भी जर्नल की जुलाई, 1996 वाले अंक में प्रकाशित की गई है।

समिति ने अपने निदेशक के निबन्धों के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर, उदाहरणार्थ, "थियारिटिकल एजुकेशन", "सी. ए. पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस तथा परीक्षा", "औद्योगिक प्रशिक्षण सहित व्यावहारिक (प्रैक्टीकल) प्रशिक्षण" तथा "पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्सेज" पर "कंसेप्ट पेपर" तैयार करने के लिए चार प्रादेशिक अध्ययन-दलों का गठन किया है। इन अध्ययन-दलों के द्वारा तैयार किए गए "कंसेप्ट पेपर" पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति ने अपने विचार विनिश्चित करने तथा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर चुने हुए व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध करने का भी प्रस्ताव रखा है।

#### 4.3 14वां अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट सम्मेलन

14वां अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट सम्मेलन, जो मूलतः दिसम्बर, 1995 में जयपुर में आयोजित किया जाना निश्चित हुआ था, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया। अब उक्त सम्मेलन 26, 27 तथा 28 दिसम्बर, 1996 को "बी. एम. बिड़ला आडिटोरियम", जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय है, "प्रोफेशनल इथीज इन दि न्यू मील्यू"। व्यवसाय के सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों से सामयिक विषयों पर बारह पपरों (लेखों) पर चार तकनीकी सत्रों में विचार किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत तथा विदेश के भिन्न-भिन्न निकायों से प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इस व्यवसाय के अनेकानेक सदस्यों द्वारा भाग लिए जाने की आशा की जाती है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन-समिति में श्री एम. एम. चितले, उपाध्यक्ष को सह-सभापति के रूप में तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित किए जाने के कारण परिवर्तन हुआ है। अब यथाविद्यमान इस सम्मेलन-समिति की संरचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 2 में दी गई है।

#### 4.4 प्लेसमेंट फेसिलिटेशन

प्लेसमेंट फेसिलिटेशन (नियुक्ति सरलीकरण), जो सामान्यतया "कैम्पसस्टर इंटरव्यू" (कैम्पस साक्षात्कार) के नाम से ज्ञात थी, की सुविधा नियोजन देने वाले संगठनों तथा साथ ही युवा व्यवसायियों, दोनों को इस उद्योग में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने की संभावना ढूंढने तथा उनका सामना करने के लिए एक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वप्रथम सितम्बर, 1995 में आरम्भ की गई थी। प्राप्त हुई प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, विभिन्न शहरों/नगरों में मौजूद युवा सदस्यों की अधिक संख्या के आधार पर चरणबद्ध रीति में इन कैम्पस साक्षात्कार केन्द्रों की संख्या बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। इस स्कीम (योजना) पर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 3 के पैरा 5.1 पर अलग से चर्चा की गई है।

### 5. अन्य मामले

#### 5.1 संस्थान का वार्षिक समारोह

संस्थान का 46वां वार्षिक समारोह दिनांक 16 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। माननीय एच. आर. भारद्वाज, केन्द्रीय राज्यमंत्री, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य

मंत्रालय, इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । उन्होंने शील्ड और प्लाक उन कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुत लेखाओं के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे तथा उन्होंने संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्श करने वाले क्षेत्रों को पुरस्कार तथा पदक भी बांटे माननीय मुख्य अतिथि ने संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट लेखों के लिए भी पुरस्कार बांटे तथा संस्थान की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रमाणपत्र भी प्रदान किए । इस समारोह में सदस्यों, विद्यार्थियों तथा संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द सहित अनेक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

### 5.2 चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट विनियम 1988 में संशोधन

#### क. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में संशोधन

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में प्रतिवेदन किया गया है, संस्थान की परिषद् ने बदलती हुई आवश्यकताओं तथा केन्द्रीय सरकार की उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम 1949 में संशोधनों के लिए एक समेकित प्रस्ताव भेजा है । ये संशोधन सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

#### ख. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 में संशोधन

सरकार ने सदस्यता तथा सदस्यों द्वारा संदेय सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस फीस से संबंधित विनियम 6 में के संशोधनों का मार्च, 1996 में अनुमोदन कर दिया । सदस्यों द्वारा संदेय फीस की पुनरीक्षित दरें तारीख 1 अप्रैल, 1996 से लागू कर दी गई हैं । जैसा कि पिछली रिपोर्ट में वर्णित किया गया है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियमों के उपबन्धों को सरल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने के लिए संस्थान ने सदस्यों, परीक्षाओं, आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्कों, निर्वाचन तथा उनसे संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 में अनेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं । ये संशोधन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ।

### 5.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय सदस्यों तथा विद्यार्थियों को पुस्तकों, जर्नलों और समाचार पत्रों की सुविधाएं प्रदान करता है । पुस्तकालय विभिन्न जर्नलों (पत्रिकाओं) और समाचारपत्रों से एकत्रित किए गए लेखों की सुविधा भी प्रदान करता है । इनकी सूची संस्थान के जर्नल में "प्रोफेशनल न्यूज एण्ड व्यूज पब्लिश्ड एल्सव्हेयर" (अन्यत्र प्रकाशित व्यावसायिक समाचार तथा विचार) शीर्षक के अन्तर्गत समय-समय पर प्रकाशित की जाती है । शोधकर्ताओं और फाउण्डेशन कोर्स के विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा के रूप में एक निर्देशक-सेवा (रिफरेन्स-सर्विस) भी प्रदान की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय की सुविधाएं सम्पूर्ण देश के प्रादेशिक केन्द्रों तथा शाखाओं पर भी प्रदान की गई हैं । पुस्तकालयों के विकास के लिए संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा स्टडी-सर्किलों को अनुदान प्रदान किए गए हैं ।

### 5.4 जर्नल (पत्रिका)

संस्थान के मासिक जर्नल "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" को प्रतिवेदनाधीन अवधि भर लोकप्रियता प्राप्त होती रही और उसने अपना उच्च व्यावसायिक स्तर बनाए रखा जिसके परिचालन का आंकड़ा 1,00,000 तक के अंक को भी पार कर गया । चूंकि यह जर्नल ही हमारी प्रतिनिधि है इसलिए इस जर्नल को विभिन्न प्रकार के अभिन्यास (ले-आउट), छपाई (विजुअल्स) आदि के साथ और अधिक पठनीय बनाने के लिए पुनः समीक्षित किया गया है ।

पूर्व की भांति, जुलाई, 1995 से जून, 1996 की अवधि के दौरान जर्नल में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट लेखों के लेखकों को संस्थान के वार्षिक समारोहों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

### 5.5 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स बेनीवोलेन्ट फण्ड (हितकारी निधि)

दिसम्बर, 1962 में स्थापित "चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बेनीवोलेन्ट फण्ड" जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो कि संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं, तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है । यह सहायता आश्रितों के भरणपोषण, उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और चिकित्सा व्यय की पूर्ति करने, आदि के लिए प्रदान की जाती है । इस निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 31-8-1995 को 11,162 से बढ़ कर 31-8-1996 को 12,564 हो गई है । योग्य और सुपात्र व्यक्तियों को 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 5,20,550 रुपये की धनराशि बांटी गई थी । इस निधि में 31-3-1995 को अतिशेष 79,48,853 रुपये की तुलना में 31-3-1996 को 90,02,883 रुपये का था ।

### 5.6 एस. वेंकटराम अय्यर मेमोरियल फण्ड

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को 100/- रुपये प्रति मास की 45 छात्रवृत्तियां दी गई थीं । इस निधि की सदस्यता 31 अगस्त, 1996 को 210 थी । इस निधि में अतिशेष 31-3-1995 को 1,32,902 रुपये के मुकाबले 31-3-1996 को 1,39,183 रुपये का था ।

### 5.7 सी. ए. कोर्स को मान्यता

यह संस्थान, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स की पीएच. डी. प्रोग्राम (डाक्टर आफ फिलासोफी कार्यक्रम) के लिए मान्यता दिलाए जाने के लिए विश्वविद्यालयों से सम्पर्क बनाए हुए है । प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान एक और विश्वविद्यालय अर्थात् बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल ने भी पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए सी. ए. कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है । वर्तमान में, एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट (अहमदाबाद तथा कलकत्ता) के अतिरिक्त 42 विश्वविद्यालयों ने सी. ए. पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. हेतु पंजीकरण के लिए एम. काम. के समकक्ष मान्यता प्रदान की हुई है । जिन संघ/संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने इस प्रयोजनार्थ सी. ए. पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है, उनकी सूची इस रिपोर्ट को परिशिष्ट-3 के पैरा 11.6 में दी गई है ।

## 6. सदस्य

### 6.1 सदस्यता

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान में 4326 नए सदस्यों का पंजीयन किया गया जिससे 1-4-1996 की कुल सदस्यता 74352 हो गई ।

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष में 2843 अंक की तुलना में फैलो (अध्येताओं) के रूप में 2700 एसोसिएट्स को प्रविष्ट किया गया ।

1-4-1996 को यथाविद्यमान सदस्यों की संख्या

| सदस्यों का प्रवर्ग | फैलो (1) | एसोसिएट्स (2) | कालम (1) व (2) का योग |
|---|---|---|---|
| पूर्णकालिक व्यवसाय में | 29137 | 16085 | 45,222 |
| अंशकालिक व्यवसाय में | 2402 | 5083 | 7,485 |
| व्यवसाय में नहीं | 3432 | 18213 | 21,645 |
| सम्पूर्ण योग | 34,971 | 39,381 | 74,352 |

**6.2 मृत सदस्य**

परिषद्, परिषद् के पूर्व सदस्य श्री पी. आर. मेहरा तथा श्री डी. रंगास्वामी के दुखद निधन पर गहरा शोक करती है। परिषद् अनेक दूसरे सदस्यों के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती है। उन सदस्यों के नाम, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण, 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, सदस्य-रजिस्टर से नाम काट दिए गए, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-5 में दिए गए हैं।

**6.3 अनुशासनिक समिति (डिसिप्लीनरी कमेटी)**

1-4-1995 से लेकर 31-3-1996 तक की अवधि के दौरान परिषद् तथा अनुशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

1. (क) परिषद् द्वारा धारा 21 के अधीन अपनी इस प्रथमदृष्टया सलाह के लिए निर्धारित मामलों की संख्या कि उन मामलों विचारितमामलों की संख्या कि उन मामलों को अनुशासनिक समिति को विनिर्दिष्ट किया जाए या नहीं — 75

   (ख) उपरोक्त मामलों की संख्या में से जांच के लिए अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट किए गए मामलों की संख्या — 31

2. उपरोक्त अवधि के दौरान (जांच के लिए समिति के पास लंबित कुल मामलों में से) अनुशासनिक समिति द्वारा सुनवाई किए गए मामलों की संख्या — 11

3. अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर परिषद् द्वारा विचार किए गए मामलों की संख्या (जिनमें पूर्व वर्ष के दौरान सुने गए मामलों की रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं) — 50

4. उपरोक्त संख्या में से :

   (क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को प्रथम अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया, जिन्हें धारा 21 (4) के अधीन पारित किए जाने के लिए परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है। — 18

   (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को अनुसूची के अधीन और/या अन्य अवचार के आधार पर दोषी पाया गया, जिन्हें धारा 21 (5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है। — 05

   (ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची/अन्य अवचार के अधीन दोषी पाया गया। — 03

   (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जो अतिरिक्त जांच के लिए अनुशासनिक समिति को वापस भेजे गए। — 02

   (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी भी अवचार का दोषी नहीं पाया गया।

5. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को प्रथम अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया, जिनकी धारा 21 (4) के अधीन सुनवाई की गई। — 03

6. ऐसे मामलों की संख्या, जिनका धारा 21(6) के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा निपटारा किया गया। — 01

**7. विद्यार्थी**

7.1 अध्ययन-बोर्ड (बोर्ड आफ स्टडीज), व्यवसाय-पूर्व फाउण्डेशन कोर्स के विद्यार्थियों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंसी (इंटरमीडिएट व फाइनल) के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग-सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध कराने के अपने क्रिया-कलाप जारी रखे हुए है। 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान फाउण्डेशन, इंटरमीडिएट तथा फाइनल कोर्स के लिए अध्ययन सामग्री को जहां आवश्यक था, अद्यतन तथा पुनरीक्षित किया गया और प्रकाशित किया गया।

7.2 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फाउण्डेशन कोर्स के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 29015 थी। इस क्षेत्रवार संख्या इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-6 में दी गई है।

7.3 31 मार्च, 1995 को तथा 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इंटरमीडिएट तथा फाइनल कोर्सों (पाठ्यक्रमों) के लिए रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

| कोर्स | 1995-96 | 1994-95 |
|---|---|---|
| इंटरमीडिएट | 19288 | 18531 |
| फाइनल | 8675 | 5770 |

7.4 बोर्ड आफ स्टडीज (अध्ययन बोर्ड) की नामावली में 31 मार्च, 1996 को यथाविद्यमान विद्यार्थियों की कुल संख्या (उन विद्यार्थियों को अपवर्जित करते हुए जिन्हें फाउण्डेशन कोर्स के लिए पंजीकृत किया गया है) 1,34,876 थी जबकि 31 मार्च, 1995 को विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,20,756 थी। इसके ब्यौरे इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-7 में दिए गए हैं।

7.5 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, 29 संस्थाओं को फाउण्डेशन कोर्स के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं चलाने के लिए मान्यता (एक्रीडिटेशन) प्रदान की गई। 31 मार्च, 1996 को यथाविद्यमान फाउण्डेशन कोर्स के लिए मान्य संस्थाओं की संख्या 248 थी। मान्यता दी गई संस्थाओं के कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के आधार पर 36 संस्थाओं के नाम इस सूची से काट दिए गए क्योंकि वे 2(दो) वर्ष की निरन्तर अवधि तक कक्षाएं नहीं चला रहे थे। नवम्बर, 1995 और मई, 1996 बैच के विद्यार्थियों के फायदे के लिए क्रमशः 50 मान्य संस्थाओं द्वारा (जिनमें 2 प्रादेशिक परिषद् और 8 शाखाएं सम्मिलित हैं) तथा 98 मान्य संस्थाओं द्वारा (जिनमें 1 परिषद और 8 शाखाएं सम्मिलित हैं) कक्षाएं आयोजित की गईं।

7.6 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, मान्यता योजना का लाभ इंटरमीडिएट कोर्स के विद्यार्थियों के फायदे के लिए कक्षाएं चलाने वाली 12 संस्थाओं को भी प्रदान किया गया। इस प्रकार 31 मार्च, 1996 को इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कुल 42 मान्य संस्थाएं थीं (35 कालिज, 6 प्रादेशिक परिषदों की शाखाएं और 1 प्रादेशिक परिषद) 1 नवम्बर, 1995 तथा मई, 1996 बैच के इंटरमीडिएट कोर्स के विद्यार्थियों के फायदे के लिए 6 मान्य संस्थाओं द्वारा जिनमें 1 प्रादेशिक परिषद की शाखा सम्मिलित है) कक्षाएं आयोजित की गईं।

7.7 मान्य संस्थाओं के कार्यप्रदर्शन का मॉनिटर करने के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थापित प्रादेशिक मॉनिटर समितियों द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए की गई प्रार्थनाओं और अन्य विषयों पर विचार करने के लिए नियमित रूप से बैठकें किया करती हैं। इस मान्यता-योजना के पुनर्विलोकन के भागस्वरूप सभी मान्य संस्थाओं को कक्षाओं और अन्य संबंधित विषयों के बारे में फीड बैक प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली भेजी गई।

7.8 जर्नल में प्रकाशित "क्विज कंटेस्ट फार स्टूडेंट्स" नाम मासिक फीचर को, जिसके अन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेंसी पाठ्य-विवरण के भिन्न-भिन्न विषय सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती रही है। तीन सबसे अधिक अंक पाने वालों को तीन पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार 500/- रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 400/- रुपये का और तृतीय पुरस्कार 300/- रुपये का प्रदान किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इन 8 क्विज प्रतियोगिताओं में 285 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

7.9 बोर्ड ने विद्यार्थियों में बेहतर सम्प्रेषण कौशल पैदा करने के लिए शाखा स्तर, प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वाक-प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत एस. आई. आर. सी. की 14 शाखाओं औरों साथ ही एस. आई. आर. सी. (मद्रास) द्वारा, डब्ल्यू. आई. आर. सी. की 4 शाखाओं, डब्ल्यू. आई. आर. सी. (मुम्बई), सी. आई. आर. सी. (कानपुर) तथा एन. आई. आर. सी. (नई दिल्ली) द्वारा वाक्-प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रादेशिक स्तर पर अंतिम प्रतियोगिताएं मद्रास, मुम्बई तथा कानपुर में भी आयोजित की गईं।

अखिल भारतीय अंतिम वाक्-प्रतियोगिता तारीख 16 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रादेशिक स्तर से 21 विजेताओं को इस अंतिम प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया जिसमें से 12 प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जैसी कि आरंभ में घोषणा की गई थी, सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को प्रदान किए गए 3 पुरस्कारों के अतिरिक्त 2 सान्त्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

7.10 एस. आई. आर. सी. की एर्नाकुलम, मदुराई, कलीकट, हुबली तथा बेंगलोर शाखाओं तथा सी. आई. आर. सी. की लखनऊ शाखा द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किए गए।

7.11 बोर्ड ने वर्ष 1996 के दौरान भी विद्यार्थियों के लिए वाक्-प्रतियोगिता तथा एक-दिवसीय सेमिनारों की योजना को चलाए रखने का निर्णय किया है। फाइनल कोर्स के विद्यार्थियों के फायदे के लिए प्रादेशिक तथा शाखा-स्तर पर इनडाइरेक्ट टैक्सेज (अप्रत्यक्ष कर) विषय पर कक्षाएं आयोजित करने की एक विशेष योजना भी शुरु की है।

7. 12 10वां अखिल भारतीय सी. ए. विद्यार्थी सम्मेलन तारीख 5 और 6 जनवरी, 1996 को कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था "एकाउन्टेंसी इन दि न्यू मिलेनियम"। इसमें 480 प्रतिनिधियों ने (जिसमें 221 बाहर के प्रतिनिधि थे) भाग लिया। श्री के. पी. सिंह, उपाध्यक्ष, आयकर, कलकत्ता, द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन-सत्र में माननीय श्री सरल देवे, प्रभारी मंत्री, सहकारिता पश्चिमी बंगाल सरकार तथा श्री टी. एस. विश्वनाथ, तत्कालीन उपाध्यक्ष, ने भाषण दिया था।

7.13 पश्चिमी भारत चार्टर्ड एकाउन्टेंट छात्र संघ की अहमदाबाद शाखा ने 19 और 20 अगस्त, 1995 को अहमदाबाद में एक प्रादेशिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट छात्र सम्मेलन आयोजित किया। पश्चिमी भारत से 197 विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

7.14 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान की निधि से 239 विद्यार्थियों को (जिनमें से आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां 190, आंशिक फ्रीशिप 5, मेरिट आधारित छात्रवृत्तियां 24 तथा मेरिट व आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां 20 थीं। तथा इस प्रयोजनार्थ सृष्ट किए गए विन्यासों की आय से 32 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

7.15 इंटरमीडिएट कोर्स के लिए "कास्टिंग" विषय में तथा फाइनल कोर्स के लिए "क्वांटिटेटिव टैक्नीक्स" विषय में प्रश्न और उत्तरों के संग्रह (कंपाइलेशन) प्रकाशित कर दिए गए।

7.16 मई, 1995 तथा नवम्बर, 1995 में आयोजित फाउण्डेशन, इंटरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं के लिए सजेस्टेड आंसर्स वोल्यूम तथा फाउण्डेशन कोर्स के लिए हिन्दी सजेस्टेड आंसर्स वोल्यूम भी प्रकाशित किए गए हैं।

8. परीक्षाएं

8.1 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फाइनल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं मई, 1995 तथा नवम्बर, 1995 में 50 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। फाउण्डेशन परीक्षाएं मई, 1995 तथा नवम्बर, 1995 में 48 केन्द्रों पर आयोजित की गई।

8.2 मई, 1995 में आयोजित फाइनल, इंटरमीडिएट तथा फाउण्डेशन परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या क्रमश: 15967, 34219 तथा 12972 तथा नवम्बर, 1995 में आयोजित परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या क्रमश: 16177, 38168 तथा 10774 थी। इन परीक्षाओं के परिणामों का सारांश जिसमें उन अभ्यर्थियों की संख्या जो उक्त परीक्षाओं में बैठे हैं तथा उन अभ्यर्थियों की संख्या दर्शित की है जिन्हें सफल (उत्तीर्ण) घोषित किया गया है, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-8 में दिया गया है।

8.3 जिन अभ्यर्थियों (छात्रों) को मई/नवम्बर, 1995 में आयोजित परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं, उनके नाम रिपोर्ट के परिशिष्ट-9 में दिए गए हैं।

9. प्रादेशिक परिषद तथा प्रादेशिक परिषदों की शाखाएं

9.1 प्रादेशिक परिषद और उनकी शाखाएं

संस्थान पांच प्रादेशिक परिषद हैं, अर्थात्—वैस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सैन्ट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल तथा नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जिसके मुख्यालय क्रमश: मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। सम्पूर्ण देश में प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 81 है। इन शाखाओं की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-10 में दी गई है।

9.2 भवन

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, कतिपय प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को स्वयं अपने भवन रखने में रुचि बनी रही। जबकि सिलीगुड़ी शाखा ने अपने भवन की परियोजना (प्रोजेक्ट) पूरी कर ली, वहीं अहमदाबाद, पालघाट, मदुरई, गाजियाबाद और रायपुर शाखाओं के परिसर निर्माणाधीन पूरे होने वाले हैं।

9.3 सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद तथा प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा के लिए आवर्ती शील्ड (रोटेटिंग शील्ड)

सन् 1986-87 से ही संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद को आवर्ती शील्ड प्रदान करता रहा है। यह पुरस्कार प्रादेशिक परिषद् के सम्पूर्ण कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार, प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को भी आवर्ती शील्ड प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 1996 के लिए इन शील्डों को वार्षिक समारोह में प्रदान किया जाएगा।

10. वित्त तथा लेखा

परिषद द्वारा यथा अनुमोदित 31 मार्च, 1996 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र (बैलेंस शीट) और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष का आय-व्यय लेखा संलग्न किया जाता है।

11. आभार

11.1 परिषद, संस्थान के उन सभी सदस्यों, जिन्होंने संस्थान की समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया है तथा उन गैर-सदस्यों के प्रति जिन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी एवं अन्य कार्यकलापों में और उनकी परीक्षाओं में परिषद की सहायता की है, अपना आभार प्रकट करती है।

11.2 परिषद, सरकार और परिषद, में अपने मनोनीत सदस्यों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान निरन्तर दी गई सहायता और समर्थन के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

11.3 परिषद, संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए उनके ईमानदार और समर्पित प्रयासों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

वार्षिक रिपोर्ट की परिशिष्टियां

परिशिष्ट-1

(रिपोर्ट के पैरा 1.1 के संदर्भ में)

सोलहवीं परिषद् के सदस्य

(31 मार्च 1996 को)

| | |
|---|---|
| श्री अग्रवाल, आर० के० | कलकत्ता |
| श्रीमती अम्मासी, प्रिया | कोयम्बतोर |
| श्री बूपथी, आर० | मद्रास |
| श्री चक्रवर्ती, ए० के० | कलकत्ता |
| श्री चन्दक, ए० के० | नागपुर |
| श्री छाजेद, एस० पी० | मुम्बई |
| श्री चितले, एम० एम० | मुम्बई |
| *श्री दरक, बी० सी० | मुम्बई |
| श्री दोशी, जी० बी० | मुम्बई |
| श्री गोयल, सुनील | जयपुर |
| *श्री गुप्ता के० डी० (20-7-95 से) | नई दिल्ली |
| श्री गुप्ता, एन० डी० | नई दिल्ली |
| श्री गुप्ता, एन० के० | कानपुर |
| श्री अय्यर, एन० बी० | मुम्बई |
| *डा० जैन, बी० सी० | कानपुर |
| *श्री जोशी, आर० डी० | नई दिल्ली |
| श्री काले, वाई० एम० | मुम्बई |
| श्री खन्ना, एम० ए० | नई दिल्ली |
| *श्री माथुर, बी० पी० (15-1-96 से) | नई दिल्ली |
| श्री मेहता, के० एस० | नई दिल्ली |
| श्री मोटिवाला, एच० एन० | मुम्बई |
| श्री नित्यानन्द, एन० | बंगलौर |
| श्री राव, एस० एस० आर० कोटेश्वरा | हैदराबाद |
| श्री राय, राहुल | कलकत्ता |

| | | |
|---|---|---|
| श्री शाह, ए० सी० | | अहमदाबाद |
| श्री सिंह, अश्वजीत | | नई दिल्ली |
| श्री सिथारामन, जी० | | मद्रास |
| श्री उपाध्याय, पी० पी० गुरूराजा | | मद्रास |
| *श्री वासुदेवा, एम० सी० | | नई दिल्ली |
| श्री विश्वनाथ, टी० एस० | | नई दिल्ली |

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य।

परिशिष्ट —2

(रिपोर्ट के पैरा 1.4 के सन्दर्भ में)

वर्ष 1996-97 के लिये स्थाई एवं गैर स्थाई समितियों की संरचना

अ—अस्थाई समितियां

कार्यकारिणी समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष | | मुम्बई |
| श्री एस० एस० आर० कोटेश्वरा, राव | | हैदराबाद |
| श्री राहुल राय | | कलकत्ता |
| श्री ए० सी० शाह | | अहमदाबाद |

परीक्षा समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष | | मुम्बई |
| श्री आर० के० अग्रवाल, | | कलकत्ता |
| श्री एन० डी० गुप्ता | | नई दिल्ली |
| श्री एन० नित्यानन्द | | बंगलौर |

अनुशासनात्मक समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष | | मुम्बई |
| श्री एस० पी० छाजेड | | मुम्बई |
| श्री आर० डी० जोशी | | नई दिल्ली |
| श्री जी० सीथारमन | | मद्रास |

ब—गैर स्थाई समितियां

लेखा विधि मानक बोर्ड (एकाउन्टिंग स्टैन्डर्ड बोर्ड)

| | | |
|---|---|---|
| श्री एम० एम० खन्ना, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एन० बी० अय्यर, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | मुम्बई |
| श्री आर० के० अग्रवाल | | कलकत्ता |
| श्री आर० भूपथी | | मद्रास |
| श्री के० डी० गुप्ता | | नई दिल्ली |
| श्री आर० डी० जोशी | | नई दिल्ली |
| श्री बी० पी० माथुर | | नई दिल्ली |
| श्री जी० नारायणन | सहयोजित | हैदराबाद |
| श्री वाई० एच० मलेगम | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री अमिताभ कोठारी | सहयोजित | कलकत्ता |
| श्री आदित्य बी० लोढ़ा | सहयोजित | कलकत्ता |
| श्री कुनाल बनर्जी | सहयोजित | कलकत्ता |

लेखा परीक्षा पद्धतियां समिति (आडिटिंग प्रैक्टिसेज कमेटी)

| | | |
|---|---|---|
| श्री एन० बी० अय्यर सभापति | | मुम्बई |
| श्री ए० सी० शाह, उप सभापति | | अहमदाबाद |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष, (भूतपूर्व पदेन) | | मुम्बई |
| श्री आर० के० अग्रवाल | | कलकत्ता |
| श्री बी० पी० माथुर | | नई दिल्ली |
| श्री एन० नित्यानन्द | | बंगलौर |
| श्री बी० आर० वैथीस्वरण | सहयोजित | मद्रास |
| श्री पी० आर० रमेश | सहयोजित | कलकत्ता |
| श्री त्रिदिबेस मसु | सहयोजित | नई दिल्ली |

सतत व्यवसायिक शिक्षा समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री सुनील गोयल, सभापति | | जयपुर |
| श्री के० एम० मेहता, उप सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष, (पूर्व पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (पूर्व पदेन) | | मुम्बई |
| श्री ए० के० चन्दक | | नागपुर |
| श्री एस० एम० आर० कोटेश्वरा राव | | हैदराबाद |
| श्रीमती प्रिया भन्साली | | कोयम्बटूर |
| श्री विजयकान्त जैन | सहयोजित | जयपुर |
| श्री के० एन० गुप्ता | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्रीमती भावना दोशी | सहयोजित | मुम्बई |

उद्योग के सदस्यों के लिये समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री ए० के० चन्दक, सभापति | | नागपुर |
| श्री राहुल राय, उप सभापति | | कलकत्ता |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | मुम्बई |
| श्री बी० जी० दरक | | मुम्बई |
| श्री एन० डी० गुप्ता | | नई दिल्ली |
| श्री एन० नित्यानन्द | | बंगलौर |
| श्री रमेश डी० चन्दक | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री राकेश खन्ना | सहयोजित | लुधियाना |
| श्री आर० बाला कृष्णन | सहयोजित | मद्रास |

राजवित्तीय विधि समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री आर० भूपति, सभापति | | मद्रास |
| श्री जी० सीथारमन, उप सभापति | | मद्रास |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री जी० डी० दोशी | | मुम्बई |
| श्री के० डी० गुप्ता | | नई दिल्ली |
| श्री सुनील गोयल | | जयपुर |
| श्री एस० सी० वासुदेवा | | नई दिल्ली |
| श्री टी० एन० मनोहरन | सहयोजित | मद्रास |
| श्री विनय ठोठो | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री निर्मल कुमार पोद्दार | सहयोजित | कलकत्ता |

नियमित विधि समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री एम० सी० वासुदेवा, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री ए० के० चक्रवर्ती, उप सभापति | | कलकत्ता |
| श्री एन० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | मुम्बई |
| श्री एन० के० गुप्ता | | कानपुर |
| श्री आर० डी० जोशी | | नई दिल्ली |
| श्री एस० एस० आर० कोटेश्वरा राव | | हैदराबाद |
| श्री के० एम० मेहता | | नई दिल्ली |
| श्री आर० एन० बंसल | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री अनिल भल्ला | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री उदय माधव चितले | सहयोजित | मुम्बई |

नैतिक मानदण्ड तथा लेखा परीक्षाओं का अनुचित रूप से निकाला जाना

विषयक समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री एन० के० गुप्ता, सभापति | | कानपुर |
| श्री जी० बी० दोशी, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भूतपूर्व पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री ए० के० चन्दक | | नागपुर |
| श्री एस० पी० छाजेड | | मुम्बई |
| श्री पी० पी० गुरूराजा, उपाध्याय | | मद्रास |
| श्री पी० एन० शाह | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री डी० सीतारमइया | सहयोजित | हैदराबाद |
| श्री प्रदीप सेठ | सहयोजित | कानपुर |

विशेषज्ञ सलाहकार समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री पी० पी० गुरूराजा, उपाध्याय, सभापति | | मद्रास |
| श्री एन० नित्यानन्द, उप सभापति | | बंगलौर |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | मुम्बई |
| श्री अश्वजीत सिंह | | नई दिल्ली |
| श्री एन० डी० गुप्ता, | | नई दिल्ली |
| डा० बी० सी० जैन | | कानपुर |
| श्री वाई० एम० काले | | मुम्बई |
| श्री वेनुगोपाल सी० गोविन्द | सहयोजित | अरनाकुलम |
| श्री बी० रत्नम | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री एस० के० गांगुली | सहयोजित | |

अध्ययन बोर्ड

| | | |
|---|---|---|
| श्री जी० बी० दोशी, सभापति | | मुम्बई |
| श्री एन० के० गुप्ता, उप सभापति | | कानपुर |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | मुम्बई |
| श्री आर० भूपति | | मद्रास |
| श्री पी० पी० गुरूराजा उपाध्याय | | मद्रास |
| श्री एस० सी० वासुदेव | | नई दिल्ली |
| श्री सुधाकर नारायनन कुलकर्णी | सहयोजित | नासिक |
| श्री प्रदीप सेवन्ती लाल शाह | सहयोजित | मुम्बई.. |
| श्री सुवमा घोष | सहयोजित | कलकत्ता |

विश्वविद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड सम्पर्क समिति.

| | | |
|---|---|---|
| श्री एच० एन० मोतिवाला, सभापति | | मुम्बई |
| डा० बी० सी० जैन, उप सभापति | | कानपुर |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | मुम्बई |
| श्रीमती प्रिया भन्साली | | कोयम्बटोर |
| श्री के० एस० मेहता | | नई दिल्ली |
| श्री ए० सी० शाह | | अहमदाबाद |
| श्री सुनील गोयल | | जयपुर |
| श्री पंकज चमनलाल चवियानी | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री ओ० बी० गवग | सहयोजित | हुगली |
| श्री कन्हैयालाल आर० अग्रवाल | सहयोजित | इंदौर |

व्यवसायिक विकास समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री ए० के० चक्रवर्ती, सभापति | | कलकत्ता |
| श्री एन० डी० गुप्ता, | | नई दिल्ली |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | मुम्बई |
| श्री बी० सी० दरक | | मुम्बई |
| श्री एन० के० गुप्ता | | कानपुर |
| श्री एच० एन० मोतिवाला | | मुम्बई |
| श्री आई० सी० जैन | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री पी० के० चौधरी | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री कुल भूषण कपूर | सहयोजित | नई दिल्ली |

जन सम्पर्क समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती प्रिया भन्साली, सभापति | | कोयम्बटूर |
| श्री आर० के० अग्रवाल, उपसभापति | | कलकत्ता |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उपाध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | मुम्बई |
| श्री अश्वजीत सिंह | | नई दिल्ली |
| श्री आर० भूपति | | मद्रास |
| श्री आर० के० कुमार | सहयोजित | मद्रास |
| श्री कमल फारुखी | सहयोजित | नई दिल्ली, |
| श्री अनिल शंकरराव वाती | सहयोजित | नागपुर |

अनुसन्धान समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री के० एस० मेहता, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० खन्ना, उप सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री जी० बी० दोषी | | मुम्बई |
| डा० बी० सी० जैन | | कानपुर |
| श्री वाई० एम० काले | | मुम्बई |
| श्री जी० सीतारमन | | मद्रास |
| श्री केतन अरविन्द दलाल | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री बी० राजारमण | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री दीपांकर चटर्जी | सहयोजित | कलकत्ता |
| डा० एस० एम० डुगर | | नई दिल्ली |

अंतर्राष्ट्रीय कार्यसमिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री ए० के० चक्रवर्ती | | कलकत्ता |
| श्री एन० बी० अय्यर | | मुम्बई |
| श्री एम० एम० खन्ना | | नई दिल्ली |
| श्री जी० सीतारमण | | मद्रास |
| श्री अमल गांगुली | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री एन० सी० सुन्दरराजन | सहयोजित | मद्रास |
| श्री के० एम० अग्रवाल | सहयोजित | नई दिल्ली |

आई० सी० ए० आई०—आई० सी० डब्ल्यू० ए० आई०—आई० सी० एस० आई० समन्वय समिति

| | |
|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, नेता (लीडर) | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उप नेता (डिप्टी लीडर) | मुम्बई |
| श्री एस० पी० छाजेड | मुम्बई |
| श्री बी० सी० दरक | मुम्बई |
| श्री वाई० एम० काले | मुम्बई |

सम्पादकीय मण्डल

| | |
|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, मुख्य सम्पादक | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, सह-सम्पादक | मुम्बई |
| श्री अश्वजीत सिंह | नई दिल्ली |
| श्री बी० सी० दरक | मुम्बई |

| | | |
|---|---|---|
| श्री एच० एन० मोतिवाला | | मुम्बई |
| श्री राहुल राय | | कलकत्ता |
| श्री सुनील गोयल | | जयपुर |
| श्री हरीश गम्भीर | सहयोजित | नई दिल्ली |
| श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा | सहयोजित | हैदराबाद |
| श्री एस० के० बंसल | सहयोजित | नई दिल्ली |

साधारण प्रयोजन समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथन, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री एस० एस० आर० कोटेश्वरा राव | | हैदराबाद |
| श्री राहुल राय | | कलकत्ता |
| श्री ए० सी० शाह | | अहमदाबाद |

पूंजी बाजार एवं नियोजक संरक्षण समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री अश्वजीत सिंह, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एस० पी० छाजेड, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष (भू० पू० पदेन) | | नई दिल्ली |
| श्री ए० के० चन्दक | | नागपुर |
| श्रीमती प्रिया भन्साली | | कोइम्बटोर |
| श्री एस० सी० वासुदेव | | नई दिल्ली |
| श्री सतविन्दर जीत सिंह लोथी | | नई दिल्ली |
| श्री शाश्कर बनर्जी | | कलकत्ता |
| श्री आनन्द किशोर राठी | सहयोजित | मुम्बई |
| श्री धनन्जय नरेन्द्र मुरसू | | मुम्बई |

राष्ट्रीय अकादमी समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी० एस० विश्वनाथन, सभापति | | नई दिल्ली |
| श्री एम० एम० चितले, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री ए० के० चक्रवर्ती | | कलकत्ता |
| श्री पी० पी० गुरुराजा उपाध्याय | | मद्रास |
| श्री एन० वी० अय्यर | | मुम्बई |
| डा० पी० सी० जैन | | कानपुर |
| श्री वाई० एम० काले | | मुम्बई |
| श्री एम० एम० खन्ना | | नई दिल्ली |
| श्री एच० एन० मोटिवाला | | मुम्बई |
| श्री एन० वी० शिवांगी | | बेलगांव |
| श्री चारूदत्त राजारामपन्त सप्देव | सहयोजित | नागपुर |
| श्री प्रकाश चन्द्र | सहयोजित | उदयपुर |
| श्री सुनील कुमार गुलाटी | सहयोजित | नई दिल्ली |

सी० अन्य समितियां

शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर पुनरविचार हेतु समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री वाई० एम० काले, सभापति | | मुम्बई |
| श्री एम० एम० चितले, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष | | नई दिल्ली |
| श्री आर० के० अग्रवाल | | कलकत्ता |
| श्री आर० भूपति | | मद्रास |
| श्री बी० सी० दरक | | मुम्बई |
| श्री जी० बी० दोशी | | मुम्बई |
| श्री सुनील गोयल | | जयपुर |
| श्री के० एस० मेहता | | नई दिल्ली |
| श्री एन० नित्यानन्द | | बंगलौर |
| श्री एन० रंगाचारी | | नई दिल्ली |
| श्री एस० सुन्दरराजन | | बंगलौर |
| श्री के० जी० सीमानी | | नई दिल्ली |
| श्री जी० नारायणा स्वामी | सहयोजित | मद्रास |
| श्री विजय राज टाटेर | | मुम्बई |
| श्री पी० एस० बिल्लीमोरिया | | नई दिल्ली |

चौदहवीं समस्त भारत अधिवेशन समिति

| | | |
|---|---|---|
| श्री वाई० एम० काले, सभापति | | मुम्बई |
| श्री एम० एम० चितले, उप सभापति | | मुम्बई |
| श्री टी० एस० विश्वनाथ, अध्यक्ष | | नई दिल्ली |
| श्री एन० डी० गुप्ता | | नई दिल्ली |
| श्री एन० के० गुप्ता | | कानपुर |
| श्री सुनील गोयल | | जयपुर |
| डॉ० बी० सी० जैन | | कानपुर |
| श्री एस० एस० आर० कोटेश्वरा राव | | हैदराबाद |
| श्री राहुल राय | | कलकत्ता |
| श्री ए० सी० शाह | | अहमदाबाद |
| श्री एस० एल० गगवाल | | जयपुर |
| श्री मनोज फडनिस | | इन्दौर |
| श्री अक्षय गुप्ता | | कानपुर |
| श्री एस० सी० अपना | | जयपुर |
| श्री एस० के० भागव | | लखनऊ |
| श्री प्रदीप जैन | सहयोजित | जयपुर |
| श्री अनिल कुमार गुप्ता | | जयपुर |
| श्री जी० आर० गहलौत | | जयपुर |
| श्री राजेश मंगल | | जयपुर |

परिशिष्ट--3

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा-2)

परिषद की कुछ गैर-स्थायी समिति के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

1. लेखा-विधि मानक बोर्ड (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड)

लेखाविधि मानक बोर्ड, लेखाविधि पद्धति में असमानता को कम करने तथा भारत में उद्यमों द्वारा लेखाकरण और प्रकटीकरण में व्यापक सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखे हैं ।

1. विनिधान संबंधी निर्णय की प्रक्रिया में निवेश के रूप में प्रति शेयर उपार्जनों से संबंधित जानकारी के महत्व को महसूस करते हुए तथा साथ ही इस जानकारी (सूचना) के प्रकटीकरण की नवीनतम अपेक्षा पर विचार करते हुए भी, जिन्हें कम्पनी अधिनियम,

1956 की अनुसूची-6 में पुरःस्थापित किया गया है, बोर्ड ने इस विषय पर एक गाइडेंस नोट तैयार करने का भार उठाया है।

2. कार्य मूल्यांकन तथा निर्णय लेने के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कैश फ्लो विवरण के बढ़ते हुए महत्व को समझते हुए बोर्ड ने पूर्व में इस विषय पर एक परिचर्चा लेख (डिस्कशन पेपर) प्रकाशित किया था। इस परिचर्चा-लेख की प्रतिक्रिया के आधार पर बोर्ड ने एक एक्सपोजर प्रारूप निकाला था जिसे अब विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई टिप्पणियों की दृष्टि में एक एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड (लेखाकरण मानक) के रूप में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3. लेखाकरण मानक के कालिक पुनर्विलोकन की अपनी नीति के भागस्वरूप, बोर्ड ने पुनरीक्षित एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 5 का एक्सपोजर प्रारूप लोक-टीका के लिए प्रकाशित किया था।

4. बोर्ड ए. एस. 2, वेल्युएशन आफ इवेन्टरीज तथा ए.एस. 2, एकाउंटिंग फार कंस्ट्रक्शन कांट्रेक्ट्स का पुनर्विलोकन कर रहा है।

5. बोर्ड एक फ्रेमवर्क फार दि प्रेपरेशन एण्ड प्रेजेण्टेशन आफ फाइनेंशियल स्टेटमेण्ट्स तैयार कर रहा है।

6. चूंकि वर्तमान में, संस्थान द्वारा जारी किया गया एक गाइडेंस नोट पट्टों के लेखाकरण (एकउंटिंग फार लीजेज) से सम्बंधित मुद्दों के ही बारे में है इसलिए बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस विषय पर एक एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है।

7. बोर्ड ने वित्तीय लिखतों (फाइनांशियल इंस्ट्रूमेंट्स), बारोइंग कास्ट्स तथा एकाउंटिंग एण्ड डिस्क्लोजर आफ करन्ट असेट्स एण्ड करन्ट लाइबिलिटीज के बारे में एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने के लिए स्टाडी ग्रुपों का गठन किया गया है।

2. लेखा परीक्षण पद्धति समिति (आडिटिंग प्रेक्टिसेज कमेटी)

1. समिति ने स्टेटमेंट्स आन स्टेण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज निकालने का जिसमें भारत में प्रचलित लेखा-परीक्षण पद्धतियों को संहिताबद्ध किया जाएगा तथा बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उन्हें यथावश्यक अद्यतन बनाने का भार उठाया है। इस प्रक्रिया के भागस्वरूप समिति ने एक अन्य स्टेटमेंट आन स्टेण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज (एस.ए.पी.), अर्थात् एस.ए.पी. 2, रेप्रेजेण्टेशंस बाई मैनेजमण्ट, प्रकाशित किया है। समिति शीघ्र ही, आडिट मेटीरियलिटी एण्ड रेस्पांसिबिलिटी आफ ज्वाइंट आडिटर्स के बारे में दो अन्य स्टेटमेंट्स आन स्टेण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज (एस.ए.पी.), अर्थात् एस. ए. पी. 11, रेप्रेजेण्टेशंस बाई मैनेजमेण्ट, प्रकाशित किया है। समिति शीघ्र ही, आडिट मेटीरियलिटी एण्ड रेस्पांसिबिलिटी आफ ज्वाइंट आडिटर्स के बारे में दो अन्य स्टेटमेंट्स आन स्टेण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज प्रकाशित करेगी।

2. समिति ने तीन गाइडेंस नोट्स निकाले हैं, अर्थात् आडिट आफ कैश एण्ड बैंक बेलेंसेज, आडिट आफ मिस्लेनियस एक्सपेण्डीचर शोन इन बैलेंस शीट तथा आडिट आफ लाइबिलिटीज।

3. समिति द्वारा प्रोपोज्ड गाइडेंस नोट आन आडिट आफ रेवेन्यू पर एक एक्सपोजर प्रारूप टिप्पणियों के लिए निकाला गया है।

4. सूचीबद्ध कम्पनियों से हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भागस्वरूप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रकाशित करने की अपेक्षा की गई है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का कम्पनी के कानूनी लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बंध में एकरूपता लाने की दृष्टि से समिति ने इस अपेक्षा के अनुसरण में निकाले जाने वाली लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का एक अनुशंसित प्रारूप प्रकाशित किया है।

5. समिति रिस्क असेसमेंट एण्ड इन्टर्नल कंट्रोल, सब्सीक्वेंट ईविंट्स, आडिट आफ एकाउंटिंग एस्टीमेट्स, आडिट सेम्पलिंग, गोइंग कसर्न एण्ड एनालिटीकल प्रोसीजर्स पर एस.ए.पी. के प्रारूप तैयार कर रही है। इसी प्रकार, प्रोपोज्ड गाइडेंस नोट्स आन आडिट आफ एक्सपेंसेज एण्ड आडिट आफ केपिटल एण्ड रिजर्व्स के प्रारम्भिक प्रारूप भी तैयार किए जा रहे हैं। एक स्टडी आन आडिटिंग इन एन ई.डी.पी. एनवायरनमेंट भी विचाराधीन है।

3. अनुसंधान समिति (रिसर्च कमेटी)

क. कम्पेंडियम आफ स्टेटमेंट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स "एकाउंटिंग तथा कम्पेंडियम आफ स्टेटमेंट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आडिटिंग पर प्रकाशन निकाले गए हैं।"

ख. प्रोपोज्ड गाइडेंस नोट आन आडिटर्स रिपोर्ट/सर्टिफिकेट आन फाइनेंसियल इनफार्मेशन कंटेन्ड इन अदर डाक्यूमेंट्स

सेबी द्वारा निकाले गए स्पष्टीकरण 13 तथा 14 की अपेक्षाओं के अनुसरण में, उपरोक्त विषय पर गाइडेंस नोट को अंतिम रूप दिया जा चुका है जिसे शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

ग. प्रकाशन, जो मुद्रण हेतु तैयार किए जा रहे हैं :—

(1) मनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स इन नान-प्राफिट आर्गेनाइजेशंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू हास्पिटल (रिसर्च फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत, जिसे भारत की स्वतंत्रता की 40वीं जयन्ती के अवसर पर स्वीकृति दी गई थी)।

(2) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट — टायर इण्डस्ट्री।

(3) स्टडी आन एण्टी-डम्पिंग ला एण्ड प्रोसीजर।

(4) इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग : एकम्पेरेटिव स्टडी आफ इण्डिया एण्ड फ्रांस — पी. जी. भागवत रिसर्च फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत।

(5) एकाउंटेण्ट्स गाइड टू ला आफ सेंट्रल एक्साइजेज-पुनरीक्षित संस्करण।

(6) कम्प्यूटर बेस्ड ऑडिटिंग सिस्टम।

(7) गाइडलाइंस आन इंटर्नल आडिट आफ एंटरप्राइजेज फोरिंग आन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिसिटी बिजनस।

घ. संबंधित विशेषज्ञों द्वारा समिति के निदेशों के अनुसार अंतिम रूप दिए जा रहे प्रकाशन :

(1) एकाउंटिंग फार चिट फण्ड्स

(2) रिवीजन आफ दि ट्रेण्ड्स इन पब्लिश्ड एकाउन्ट्स

(3) एकाउंटिंग फार फारेस्ट्रीज

(4) रिवाइज्ड गाइडेंस नोट आन आडिट आफ एकाउंट्स आफ मेम्बर्स आफ स्टाक एक्सचेंजेज ।

ड. समिति के विचाराधीन रिसर्च स्टडीज/गाइडेंस नोट्स/टेक्नीकल गाइड्स :

(1) इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर इन बैंक्स

(2) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग टेक्निकल गाइड आन आटोमोबाइल इण्डस्ट्री

(3) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट इन आर्गनाइजेशंस कैरिंग आन फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज

(4) एकाउंटिंग इन फिल्म इण्डस्ट्री

(5) इंस्पेक्शन आडिट इन बैंक्स

(6) एकाउंटिंग फार फेक्टर्ड डेब्ट्स

(7) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग इन नान-गवर्नमेंट आर्गनाइजेशंस/प्राइवेट डेवलपमेंट एजेन्सीज

च. वर्तमान प्रकाशन, जो पुनरीक्षणाधीन हैं :

(1) टेक्नीकल गाइड फार आडिट आफ को-आपरेटिव सोसाइटीज

छ. निर्माणाधीन परियोजनाएं :

(1) संस्थान के वर्तमान और नए आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकाशनों पर प्रबंध मंडल/आपरेशंस लेखा-परीक्षा बल ।

(क) रिवीजन आफ जनरल गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट (विथ स्पेशल एम्फेसिस आन मैनेजमेंट आडिट)

(ख) रिवीजन आफ गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-जूट इण्डस्ट्री

(ग) रिवीजन आफ गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-टी इण्डस्ट्री

(घ) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-टेक्सटाइल इण्डस्ट्री

(ङ) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्री

(च) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-फर्टिलाइजर इण्डस्ट्री

(छ) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-स्टील इण्डस्ट्री

(ज) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-एल्यूमीनियम इण्डस्ट्री

(झ) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-एक्साइज इण्डस्ट्री

(ञ) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-कोल माइनिंग इण्डस्ट्री

(ट) गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट-शुगर इण्डस्ट्री

(2) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग फार इंफ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्री

(क) एकाउंटिंग इन टेलीकम्यूनिकेशंस इण्डस्ट्री

(ख) एकाउंटिंग फार पोर्ट्स आपरेशंस

(ग) स्टडी आन एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग इन पावर सेक्टर (बोथ जेनरेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन)

(घ) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग फार कंस्ट्रक्शन आफ रोड्स एण्ड आपरेशन आफ टोल रोड्स

(3) फाइनेंशियल सर्विसेज एरिया

(क) स्टडी आन यूरो-इश्यूज

(ख) इश्यूज इवाल्वड इन ड्राफ्टिंग ए प्रास्पेक्टस

(ग) स्टडी आन ज्वाइंट वेंचर्स एब्राड

(घ) फारेन करंसी एक्सपोजर रिस्क मैनेजमेंट

(ङ) ग्लोसरी आफ इमर्जिंग टर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर

(च) चेकलिस्ट फार मेकिंग ए पब्लिक इश्यू आफ शेयर्स

(छ) स्टडी आन फ्यूचर्स एण्ड आपशंस

(ज) फंडामेंटल एण्ड टेक्नीकल एनालिसिस

(झ) मर्चेन्ट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एज एडवाइजर्स टू दि इश्यूज (यथा मर्चेन्ट बैंकर्स, प्रवर्ग 4)

(4) अन्य क्षेत्र

(क) एकाउंटिंग फार आइल एण्ड गैस प्रोड्यूसिंग एंटरप्राईजेज

(ख) एकाउंटिंग फार साफ्टवेयर-(प्रोड्यूसर्स एण्ड यूजर्स)

(ग) एकाउंटिंग फार वैल्यू एडेड टैक्स (प्रोपोजड)

(घ) एकाउंटिंग फार आफ-बैलेंस शीट आइटम्स

(ङ) वर्किंग केपीटल मैनेजमेंट एण्ड कास्ट आफ केपीटल

(च) फाइनेंशियल स्ट्रेटिजीज : लांग टर्म फण्ड्स मैनेजमेंट

(छ) स्टडी आन वाइंडिंग-अप

(ज) टेक्नीकल गाइड टू एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग इन सिविल एविएशन इण्डस्ट्री

(झ) स्टडी आन आडिट आफ एनटिटीज कैरिंग आन न्यूज-पेपर पब्लिशिंग एक्टिविटी

(ञ) स्टडी आन कानकरेन्ट आडिट

(ट) स्टडी आन कम्प्यूटर एण्ड आडिटर

(ठ) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग टेक्नीकल गाइड-होटल इण्डस्ट्री

(ड) एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग टेक्निकल गाइड-ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स इण्डस्ट्री

(ढ) रिसर्च प्रोजेक्ट आन दि एकाउंटेबिलिटी आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एण्ड सिमिलर नान-प्राफिट इंस्टीट्यूशंस

(ण) एकाउंटिंग एण्ड आडिट आफ प्राविडेंट फण्ड्स

(त) इंट्रोडक्शन आफ कामर्शियल एकाउंटिंग इन म्यूनिसिपल कारपोरेशंस

(ध) स्टडी आन रिपोर्टिंग सेगमेण्ट-वाइज इनफार्मेशन

(द) टेक्निकल गाइड आन एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग आफ एनटिटीज फेसिंग आन एकुआकल्चर/पिस्सीकल्चर/मेरीन कल्चर

(5) नई परियोजनाएं-जिन्हें हाल ही में आरंभ किया गया

(क) गाइडेंस नोट आन एकाउंटिंग फार सीक्यूरिटाइजेशन

(ख) स्टडी आन केपिटल रिस्ट्रक्चरिंग

(ग) स्टडी आन आडिट आफ इनकम्पलीट रिकार्ड्स

(घ) स्टडी आन बिजनस रिस्ट्रक्चरिंग

(ङ) स्टडी आन ब्रांड वैल्यूएशन

4. व्यावसायिक विकास समिति (प्रोफेशनल डेवेलपमेंट कमेटी)

1. पूर्व की भांति, समिति ने वर्ष 1995-96 के लिए पब्लिक सेक्टर की बैंकों के कानूनी शाखा लेखा परीक्षकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कानूनी केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए सदस्यों/फर्मों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर एक पैनल बनाया गया और प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना आसान हो सके। समिति ने वर्ष 1996-97 के लिए पैनल बनाने के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

2. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आदेश पर समिति ने बैंकों के कानूनी केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए मानदण्डों का पुनर्विलोकन किया। इस पुनर्विलोकन के आधार पर समिति ने इन मानदण्डों में कतिपय रूपान्तरण सुझाए। इन रूपान्तरणों को, जो बैंक लेखा परीक्षकों की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए आशयित हैं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा साधारणतया स्वीकार कर लिया गया तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित मानदण्ड प्रकाशित कर दिए गए। समिति ने सदस्यों के बीच काम का अधिकाधिक युक्तिसंगत तथा न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की बैंकों की कानूनी शाखा लेखा परीक्षा के आवंटन के लिए कसौटी के बारे में कतिपय सुझाव भी दिए हैं।

3. समिति ने पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कानूनी लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए मानदण्डों के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) को कतिपय सुझाव दिए हैं। ये सुझाव नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के विचाराधीन हैं।

4. रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ समय पूर्व समवर्ती लेखा परीक्षा की पद्धति आरम्भ करने का निर्णय लिया था। समिति के सुझावों के आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने के लिए भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों तथा संस्थान के प्रतिनिधियों से मिल कर बने एक संयुक्त दल का गठन किया गया है।

5. संस्थान के प्रतिनिधियों तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) से मिलकर बने संयुक्त दल ने आर्थिक परिदृश्य में नवीनतम परिवर्तनों तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रम की लेखा परीक्षा में तत्-परिवर्तन की परिणामिक आवश्यकता के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों का पुनर्विलोकन किया। विचार-विमर्श के आधार पर इन निदेशों में परिवर्तनों के लिए कतिपय सुझाव दिए गए। इन सुझावों को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित निदेशों को जारी कर दिया गया। इसी प्रकार, संस्थान के प्रतिनिधियों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर बने संयुक्त दल ने साधारण बीमा कम्पनियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निदेशों में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित निदेशों में सम्मिलित कर लिया गया है।

5. उद्योग के सदस्यों की समिति (कमेटी फार मेम्बर्स इन इण्डस्ट्री)

1. उद्योग के सदस्यों की भूमिका को बढ़ाने के अपने प्रयास में समिति द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए। भावी नियोजकों तथा युवा सदस्यों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करने और विभिन्न संगठनों में नियोजक स्वीकार करने की संभावना खोजने के लिए नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कैम्पस साक्षात्कार की एक स्कीम शुरू की गई। 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लिए गए दो साक्षात्कारों को नियोजकों और साथ ही युवा सदस्य दोनों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुल मिला कर 97 नियोजकों की टीम ने लगभग 1800 युवा सदस्यों के बायोडेटा पर विचार किया है। इस संकल्पना की सफलता से उत्साहित होकर इस स्कीम को आगामी वर्ष में और अधिक केन्द्रों में विस्तार करने का निर्णय किया गया है।

2. भारतीय तेल निगम के पदाधिकारियों (एक्जीक्यूटिव्ज) के लिए लेखाकरण मानकों (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) पर 20–22 सितम्बर, 1995 को इंडियन आयल इंस्टीच्यूट आफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, गुड़गांव (हरियाणा) में एक तीन दिवसीय आवासी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 40 वित्त तथा लेखा पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स फार सेल एक्जीक्यूटिव्ज पर 5–7 फरवरी, 1996 को मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, सेल, रांची में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेल के अपने विभिन्न संयंत्रों तथा कार्यालयों से आए 40 एक्जीक्यूटिव्ज ने कार्यक्रम में भाग लिया।

4. हास्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म इण्डस्ट्री (फाइनेंशियल एण्ड टेक्सेशन आस्पेक्ट्स) पर पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद ने सहयोग से 25–27 जुलाई, 1996 को होटल रिटीट, मुम्बई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन समिति द्वारा भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए आयोजित विशेष सम्मेलनों के क्रम में प्रथम था। निर्माण, बीमा, कोयला तथा आई. टी. उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार के सम्मेलनों की योजना बनाई जा रही है।

5. समिति, उद्योग के सदस्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

6. निगमित विधि समिति (कारपोरेट लाज कमेटी)

1. समिति, कम्पनी कार्य विभाग के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है तथा कम्पनी कार्य विभाग से निर्देश होने पर अनेक तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 तथा 4 ग, जिसे नए रूप से पुनः स्थापित किया गया है, उपान्तरणों की बाबत विभाग के पास एक विस्तृत टिप्पण भेजा गया था। तत्पश्चात् इसी संबंध में प्राधिकारियों के साथ परिचर्चाएं आयोजित की गईं। हाल के विकासों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी विधेयक, 1993 की अनुसूची-12 के पुनरीक्षित पाठ के संबंध में भी प्राधिकारियों के साथ परिचर्चाएं आयोजित की गईं।

2. माननीय वित्त तथा कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा की गई इस नई घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि नए कम्पनी विधेयक का प्रारूपण करने के लिए विस्तृत प्रयास विचाराधीन हैं, समिति ने कम्पनी विधि के विभिन्न खण्डों से संबंधित विभिन्न तकनीकी मुद्दों की विनिर्दिष्ट रूप से जांच करने के लिए पांच दलों (प्रत्येक क्षेत्र में एक) का गठन किया है ताकि एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सके और तत्पश्चात् सरकार को ठोस सुझाव दिए जा सकें।

3. समिति ने विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, सेबी आदि को अपने विचार भेजे हैं।

4. पब्लिक सैक्टर उपक्रमों की निम्न लेखापरीक्षा फीस के मुद्दे पर समिति का ध्यान आकर्षित हुआ है तथा इस विषय पर प्राधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस विषय पर एक अध्ययन आयोजित किया गया तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर प्राधिकारियों को कतिपय सुझाव दिए गए।

7. राजवित्तीय विधि समिति (फिस्कल लाज कमेटी)

क. केन्द्रीय बजट

संस्थान का बजट-पूर्व ज्ञापन—1996 केन्द्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, सी. बी. डी. टी. और अन्य सुसंगत प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। संस्थान का उत्तर-बजट ज्ञापन, जिसमें वित्त विधेयक, 1996 पर टिप्पणियां और सुझाव सम्मिलित थे, भी उपरोक्त प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। बजट-पूर्व ज्ञापन और उत्तर-बजट ज्ञापन के संबंध में सी. बी. डी. टी. और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनेक अधिवेशनों में विचार-विमर्श किया गया। संस्थान ने केन्द्रीय बजट-1996 पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की जिसमें सम्पूर्ण देश के प्रतिष्ठित व्यवसायियों तथा सी. बी. ई. सी., सी. बी. डी. टी., आयकर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

ख. सरकार को अभ्यावेदन

कराधान विधि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सी. बी. डी. टी. के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ अनेकानेक अधिवेशन आयोजित किए गए। विशिष्टतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 के अन्तर्गत सी. बी. डी. टी. द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्थापित एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स पर विस्तृत चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के पश्चात्, सी. बी. डी. टी. ने दो एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स को अंतिम रूप दिया और उन्हें उपरोक्त धारा के अंतर्गत जारी किया। एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड का एक अन्य प्रारूप चर्चाधीन है। कर विषयक विधियों से संबंधित अन्य मुद्दों की बाबत अनेक अभ्यावेदन किए गए। सैटिलमेंट कमीशन (आई टी/डब्ल्यू टी) के कार्यकरण की परीक्षा के लिए पुनर्विलोकन ग्रुप के विचारार्थ सुझाव सहित एक विस्तृत लेख भी प्रस्तुत किया गया।

ग. कर प्रक्रिया का सरलीकरण

वर्ष के दौरान समिति द्वारा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में पांच अर्ध-दिवसीय सेमिनार आयोजित किए गए। इन सेमिनारों का मुख्य उद्देश्य कर विषयक विधियों और उनके प्रशासन के सरलीकरण के लिए रचनात्मक और वास्तविक सुझाव देने के लिए एक फोरम (मंच) प्रदान करना तथा राजकोष की हानि को यथासंभव कम करते हुए उसे करदाताओं के लिए अधिकाधिक अनुकूल बनाना था। प्रत्येक सेमिनार में व्यवसाय से दो विशेषज्ञों ने विनिर्दिष्ट विषयों पर सुव्यवस्थीकरण के लिए और साथ ही हमारे सदस्यों तथा सी. बी. डी. टी. के बीच समुचित अन्योन्यक्रिया के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए।

घ. प्रकाशन

निम्नलिखित प्रकाशन पुनरीक्षणाधीन हैं :

(1) टैक्स आडिट अंडर सैक्शन 44 एबी आफ द इन्कम टैक्स एक्ट, 1961

(2) टैक्सेशन आफ नान-रेजिडेंट्स

(3) गाइड टू आडिट आफ पब्लिक ट्रस्ट्स अंडर द इन्कम टैक्स एक्ट

(4) टैक्सेशन आफ चैरिटेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट्स एण्ड इंस्टीट्यूशंस

8. सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति (कंटीन्यूइंग एजूकेशन कमेटी)

संस्थान, सामयिक, सुसंगत तथा अत्यधिक महत्व के विषयों पर सदस्यों को अपने सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के जरिये शिक्षा देने के अपने प्रयास बनाए रखे हुए है। संस्थान ने निरन्तर शिक्षा पर अधिक जोर दिया है। सतत व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान और अधिक मजबूत बनाया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान बैंक लेखा-परीक्षा, एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स तथा आचार-संहिता (कोड आफ कंडक्ट) तथा अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय विक्रय कर, वर्क्स संविदा संव्यवहारों का कराधान, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) पर सम्पूर्ण देश में सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 1995-96 के दौरान उपरोक्त सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित पृष्ठभूमिक सामग्री प्रकाशित की गई :—

— एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स एण्ड कोड आफ कंडक्ट 1995 संस्करण

— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

— टैक्सेशन आफ वर्क्स सेल ट्रांजेक्शंस

— केन्द्रीय विक्रय कर

— बैंक आडिट, 1996 संस्करण

— एकाउंटिंग एण्ड आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स एण्ड कोड आफ कंडक्ट 1996 संस्करण

डाइरेक्ट टैक्सेज, इंटरनल आडिट, रेवेन्यू आडिट एण्ड कनकरेंट आडिट एण्ड प्रोजेक्ट फाइनांस इन सब्जेक्ट-क्वार्टर के क्षेत्र में सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बंगलौर में फेरा, फारेन कोलेबरेशन तथा ज्वाइंट वेंचर्स पर सेमिनार आयोजित किए गए। निदेशालय ई.डी.पी. आडिट, कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के क्षेत्र में सेमिनार आयोजित करने की योजना बना रहा है।

"आस्पेक्ट्स आफ मैनेजमेंट एकाउंटिंग" विषय पर पूर्ण में आई.सी.ए.आई. आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. का संयुक्त सेमिनार आयोजित किया गया। "कारपोरेट फाइनांस एण्ड ला" विषय पर भी चण्डीगढ़ में आई.सी.ए.आई. तथा आई.सी.एस.आई. का संयुक्त सेमिनार आयोजित किया गया।

सदस्यों के बीच विचार-विनिमय तथा अनुभवों में सहभागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान अनेकानेक दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

"फाइनांशियल मैनेजमेंट एण्ड टैक्सेस" पर सरकार तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधिकारियों तथा प्रबंधकों के लिए दो विशेष कार्यक्रम संचालित किए गए।

समिति सदस्यों के लिए शिक्षणोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षाएं आयोजित करती रही। इन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए समन्वित उपाय किए गए। संस्थान के सभी कम्प्यूटर केन्द्र विशेषज्ञता से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों तथा विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करते रहे। दिल्ली कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ने भी स्टाफ के फायदे के लिए "कम्प्यूटर एप्लीकेशंस" पर दो इन-हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए।

9. विशेषज्ञ सलाहकार समिति (एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी)

विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने विभिन्न विषयों पर संस्थान के सदस्यों से प्राप्त अनेक शंकाओं पर विचार किया और उन पर राय जारी की, समाधान किया। "कम्पेंडियम आफ ओपीनियंस, जिल्द-15" को जिसमें जनवरी, 1995 तथा जनवरी 1996 के बीच जारी की गई समिति की राय समाविष्ट है, को संकलित तथा प्रकाशित कर दिया गया।

10. नैतिक आचरण तथा लेखा परीक्षकों का अनधिकृत रूप से निकाला जाना विषयक समिति

पूर्व की भांति, समिति ने सदस्यों के व्यावसायिक आचरण तथा परिषद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर लेखा परीक्षकों को अनधिकृत रूप से निकाले जाने के अभिकथनों से संबंधित अनेकानेक शंकाओं की जांच की और उनका समाधान किया।

समिति ने रजिस्ट्रेशन फीस/रिफंडेबल सीक्यूरिटी डिपाजिट का भुगतान करके चार्टर्ड एकाउंटेंटों का पैनल बनाने के लिए राज्य सरकार ने उपक्रम की आवश्यकता की जांच की। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यद्यपि पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु आवेदन करना आचार-संहिता में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार है तथापि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के खण्ड (6) के अंतर्गत किसी भी सदस्य के लिए व्यावसायिक कार्य लेने के लिए रजिस्ट्रेशन या अन्य शुल्क तथा/या सीक्यूरिटी डिपाजिट, जो कि लौटाए जाने योग्य हो या नहीं, का भुगतान करना अनुमेय नहीं होगा। इस सम्बंध में एक घोषणा जर्नल में भी प्रकाशित की गई है।



समिति के सभापति श्री एन. के. गुप्ता ने मार्च, 1996 में पेरिस में आयोजित आई. एफ. ए. सी. ईथिक्स फोरम मीट में संस्थान की ओर से भाग लिया। इस सभा में, इंडिपेंडेंस-प्राविजन आफ अदर सर्विसेज टू एन आडिट क्लाइंट, मैकाड एण्ड अदर ओपीनियंस (ओपीनियन शापिंग), प्रोफेशनल फीस, एप्लीकेबिलिटी आफ कोड टू एम्प्लायड एकाउंटेंट्स एण्ड रिपोर्टिंग आन फ्राड एण्ड अदर सिमिलर एक्ट्स से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

"कोड आफ कंडक्ट" (आचार-संहिता) तथा "प्रोफेशनल ईथिक्स" को अद्यतन बनाने का कार्य भी प्रक्रियाधीन है तथा वर्ष 1996 के अंत तक इस कार्य में सराहनीय प्रगति की आशा है।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, परिषद के निम्नलिखित विषयों पर अपने निर्णयों को अंतिम रूप दिया है :—

(1) इस बात पर जोर दिया जाता कि सदस्यों द्वारा प्रचार करने और एकत्रकारी ग्राहकों अथवा व्यावसायिक कार्य की याचना करने की दृष्टि से अपने व्यावसायिक व्यवसाय का विज्ञापन करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों के अपनाए जाने से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के खण्ड (6), (6) और (7) के उपबंधों का उल्लंघन हो सकता है और परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(2) व्यवसायरत सदस्यों को निदेशक, प्रबंध निदेशक प्रमोटर/प्रमोटर-निदेशक आदि बनने के लिए अनुज्ञा तथा अन्य सम्बंधित मामले।

(3) व्यवसायरत सदस्यों/चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्मों द्वारा अपने लेटर-हेड विजिटिंग कार्ड आदि पर लोगों का उपयोग।

(4) बैंकों द्वारा एकबार लगाए जाने वाले लेखा परीक्षक को उस लेखा परीक्षक से बदला जाए जिसकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है, उसकी नियुक्ति किए जाने की बाबत सदस्य द्वारा उचित सावधानी बरती जाना।

उपर्युक्त सभी विषयों पर विस्तृत विवरण जर्नल के अक्तूबर, 1995 वाले अंक में पृष्ठ संख्या 64, 65, 66 तथा 67 पर प्रकाशित किया गया है।

11. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक बोर्ड सम्पर्क समिति

1. विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त सेमिनार

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के साथ संस्थान के सम्बन्धों को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में समिति ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित किए :—

(1) "एकाउंटिंग एजुकेशन इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" विषय पर मद्रास में 21 सितम्बर 1995 को मद्रास विश्वविद्यालय के साथ।

(2) "इमर्जिंग ट्रेण्ड्स इन एकाउंटिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च" विषय पर कोयम्बटूर में 26 जुलाई, 1996 को भरतियार विश्वविद्यालय के साथ ।

(3) "इमर्जिंग ट्रेण्ड्स इन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स इन इंडिया" विषय पर इंदौर में 31 जुलाई, 1996 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के साथ ।

(4) आगामी वर्ष में कुछ और सेमिनार-प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक आयोजित किए जाने की संभावना है ।

2. सी. ए. पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

"कैरियर एज ए चार्टर्ड एकाउंटेंट" नामक विवरणिका की प्रतियों को प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों के पास भेजा गया ताकि उनका अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ विद्यालयों/कालेजों में जाकर विद्यार्थियों को आवश्यक जीविका सम्बंधी परामर्श प्रदान करने के लिए कालेजों तथा विद्यालयों में वितरण किया जा सके । इस विवरणिका की प्रतियां तारीख 3-2-96 से लेकर 11-2-96 तक प्रगति मैदान में आयोजित "वर्ल्ड बुक फेयर" में संस्थान के स्टाल पर भी वितरण किया गया था । समिति ने यह निर्णय किया है कि सी. ए. पाठ्यक्रम के बारे में विज्ञापन प्रति माह समाचार-पत्रों में विशेषकर प्रादेशिक समाचार-पत्र में दिया जाए ।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (य. जी. सी.) की चेयरपर्सन तथा एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (ए. आई. य. ) के सचिव के साथ अधिवेशन :

समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ए. आई. यू. के साथ निम्नलिखित के लिए प्रयास कर रही है :—

(1) हमारे सदस्यों के शिक्षण व्यवसाय में नियुक्त होने की दशा में संस्थान के सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को रिफ्रेशर कोर्स/सल्यर इंस्टीट्यूट के तुल्य मान्यता दी जाना ।

(2) संस्थान के शिक्षणस्तर पाठ्यक्रम (पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स) को पी. एच. डी. के तुल्य मान्यता दी जाना ।

(3) संस्थान के प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालयों के सीनेट/बोर्ड आफ स्टडीज आफ कामर्स एण्ड एकाउंटिंग फैकल्टीज में सम्मिलित किया जाना ।

4. भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

समिति, चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स के विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन के लिए विभिन्न मेरिट स्कालरशिप स्कीम के फायदे दिए जाने के लिए प्रयास कर रही है ।

5. विश्वविद्यालयों द्वारा आई. सी. ए. आई. पुरस्कार/स्वर्णपदक दिया जाना

संस्थान ने सी. काम परीक्षा में एकाउंटेंसी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आई. सी. ए. आई. स्वर्ण पदक/पुरस्कार देने के लिए 25 विश्वविद्यालयों में विन्यास बनाए है । संस्थान से विन्यास रखने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :—

| क्रमांक | विश्वविद्यालय का नाम | पुरस्कार की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इलाहाबाद विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 2. | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 3. | बंगलौर विश्वविद्यालय | स्वर्ण पदक |
| 4. | मुंबई विश्वविद्यालय | स्वर्ण पदक |
| 5. | कलकत्ता विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 6. | कालीकट विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 7. | दिल्ली विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 8. | गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | पुरस्कार |
| 9. | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर | पुरस्कार |
| 10. | जम्मू विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 11. | जोधपुर विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 12. | कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 13. | लखनऊ विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 14. | मद्रास विश्वविद्यालय | स्वर्ण पदक |
| 15. | महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक | पुरस्कार |
| 16. | मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद | पुरस्कार |
| 17. | मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जयपुर | पुरस्कार |
| 18. | नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुण्टूर | स्वर्ण पदक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर दार्जिलिंग) | पुरस्कार |
| 20. | उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद | स्वर्ण पदक |
| 21. | पूना विश्वविद्यालय | पुरस्कार |
| 22. | पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ | पुरस्कार |
| 23. | रविशंकर विद्यालय, रायपुर | पुरस्कार |
| 24. | शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर | पुरस्कार |
| 25. | विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन | पुरस्कार |

6. सी.ए. पाठ्यक्रम को मान्यता – संघ संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची

एसे संघ/संस्थान/विश्वविद्यालयों की सूची, जिन्होंने सी.ए. पाठ्यक्रम को पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लिए मान्यता दी है, नीचे दी गई है :—

1. संघ

1. एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली ।

2. संस्थान

1. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ।
2. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता ।

3. विश्वविद्यालय

1. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।
2. अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पानगर, करईक्कुडी ।
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
5. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर ।
6. भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचिरापल्ली ।
7. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई ।
8. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।
9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ।
10. गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम ।
11. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ।
13. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
14. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
15. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।
16. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम ।
17. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र ।
18. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
19. एम. एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा ।
20. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक ।
21. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर ।
22. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
23. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ।
24. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
25. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
26. नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, राजा राममोहनपुर । (दार्जिलिंग) ।
27. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
28. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी ।
29. पूना विश्वविद्यालय, पुणे ।
30. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।
31. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।
32. रांची विश्वविद्यालय, रांची ।
33. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विधानगर ।
34. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ।
35. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
36. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति ।
37. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
38. काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
39. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।
40. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
41. उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव ।
42. बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल ।

12. पूंजी बाजार एवं नियोजक संरक्षण समिति

समिति, पूंजी बाजार के क्षेत्र में सदस्यों/सर्वसाधारण को शिक्षित करने तथा सेबी और अन्य समुचित प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के अपने दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है ताकि चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए इस क्षेत्र में नए आयाम खोजे जा सकें और पूंजी बाजार से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जा सकें। इस उद्देश्य के लिए, पूंजी बाजार के व्यापक विषय पर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इंदौर, नागपुर और चण्डीगढ़ में सेमिनार आयोजित किए गए है । विनियामक प्राधिकारियों के विचारार्थ विनिर्दिष्ट विषयों पर गहन अध्ययन करने तथा सिफारिशें देने के लिए अध्ययन-दलों का गठन किया गया । पूंजी बाजार के क्षेत्र में विनियामक तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ सीधा तथा सक्रिय सम्पर्क स्थापित करने तथा समिति को व्यापक-आधारित बनाने के लिए सेबी, मुंबई स्टाक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज में समिति में विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है । संस्थान की कुछ शाखाओं ने सामान्य सदस्यों के लाभ के लिए पूंजी बाजार के क्षेत्र में कार्यशालाएं भी आयोजित की । पूंजी बाजार पर निकट भविष्य में मद्रास, कोयम्बटूर और कानपुर में सेमीनार आयोजित किए जाने की संभावना है ।

## परिशिष्ट–4

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा-3)

### अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (इंटरनेशनल रिलेशंस)

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई. सी. ए. आई.) ने व्यावसायिक लेखापालों के विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष स्थानों (मंचों) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में उन निकायों का उल्लेख किया जा सकता है जिनका यह संस्थान संबंधित निकायों के आरम्भ से ही सदस्य है, उदाहरणार्थ :—अन्तर्राष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ (आई. एफ. ए. सी.) का वर्ष 1977 से एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापाल परिसंघ (सी. ए. पी. ए.) का वर्ष 1976 से तथा दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ (एस. ए. एफ. ए.) का वर्ष 1984 से। भारत वर्ष 1973 में गठित अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक समिति (आई. ए. एस. सी) का एक एसोशिएट सदस्य था तथा वर्तमान में वह आई. ए. एस. सी. का एक पूर्णकालिक सदस्य है।

**(1) अन्तर्राष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ (आई. एफ. ए. सी.)**

श्री बी. पी. राव, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की परिषद में संस्थान के प्रतिनिधि बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की परिषद की बैठक 6–10 नवम्बर, 1995 के बीच नई दिल्ली में हुई। भारत में आई. एफ. ए. सी. के अधिवेशनों को समकालिक बनाने के लिए आई. सी. ए. आई. तथा आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. ने 7 नवम्बर, 1995 को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की संयुक्त रूप से मेजबानी की। इस सेमिनार में श्री जुआन आर. हरेरा, अध्यक्ष, आई. एफ. ए. सी. तथा आई. एफ. ए. सी. के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। आई. एफ. ए. सी. की परिषद का एक अन्य अधिवेशन मई, 1996 में टोरंटो में आयोजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा पद्धति समिति (इंटरनेशनल आडिटिंग प्रेक्टिसेज कमेटी) का नई दिल्ली में 29 अक्तूबर तथा 3 नवम्बर, 1995 के बीच अधिवेशन श्री राबर्ट एस. रोसे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हमारे संस्थान की आडिटिंग प्रैक्टिसेज कमेटी के सभापति तथा उप-सभापति ने आई. ए. पी. सी. प्लानिंग सब-कमेटी के साथ एक अनौपचारिक अधिवेशन आयोजित किया।

**(2) अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक समिति बोर्ड (आई. ए. एस. सी.)**

संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री वाई. एम. काले अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक समिति बोर्ड में संस्थान के प्रतिनिधि बने रहे। आई. ए. एस. सी. बोर्ड के तीन अधिवेशन सिडनी, ब्रूसेल्स तथा स्टाकहोम में क्रमशः नवम्बर, 1995, मार्च, 1996 तथा जून, 1996 में आयोजित किए गए।

**(3) एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों का महासंघ (सी. ए. पी. ए.)**

बैंकाक, थाईलैण्ड में 21–25 अप्रैल, 1995 को आयोजित सी. ए. पी. ए. एक्सकाम के 43वें अधिवेशन में श्री सून क्वाई चोंग को अप्रैल, 1995 से लेकर अक्तूबर, 1996 तक की अवधि के लिए सी. ए. पी. ए. के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। सी. ए. पी. ए. एक्सकाम का 44वां अधिवेशन 3–4 नवम्बर, 1995 को ताइपे, ताइवान में आयोजित किया गया। सी. ए. पी. ए. एक्सकाम का 45वां अधिवेशन 26-27 अप्रैल, 1996 को मुरवान, पाकिस्तान में आयोजित किया गया।

**(4) दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ (एस. ए. एफ. ए.)**

एस. ए. एफ. ए. का स्थायी सचिवालय, नई दिल्ली में ही बना रहा। 26वां दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ सभा अधिवेशन तथा "एकाउंटेन्सी प्रोफेशन इन दि सार्क रीजन टुवर्ड्स ए न्यू फ्रंटियर" विषय पर एस. ए. एफ. ए. प्रादेशिक सेमिनार 4 तथा 5 जुलाई, 1995 को कोलम्बो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। श्रीलंका के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा इस सेमिनार की मेजबानी की गई। संस्थान के परिषद सदस्य श्री ए. के. चक्रवर्ती ने सेमिनार में "इमर्जिंग ट्रेण्ड्स इन फाइनान्शियल रिपोर्टिंग" विषय पर एक पेपर (लेख) प्रस्तुत किया। श्री ए. के. मजूमदार, स्थायी सचिव, साफा ने सभा के अधिवेशन तथा सेमिनार में भाग लिया।

27वां दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ सभा अधिवेशन तारीख 20 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली स्थित संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया। सभा अधिवेशन के तुरन्त पश्चात् डब्ल्यू. टी. ओ. पर एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा सदस्य-निकायों द्वारा चर्चा-लेख प्रस्तुत किए गए। श्री ए. के. चक्रवर्ती, परिषद-सदस्य ने रेसिप्रोसिटी (पारस्परिकता) पर एक पेपर (लेख) प्रस्तुत किया। श्री वाई. एम. काले—तत्कालीन अध्यक्ष, श्री टी. एस. विश्वनाथ—तत्कालीन उपाध्यक्ष, श्री ए. के. चक्रवर्ती तथा श्री ए. के. मजूमदार—सचिव ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया।

28वां दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ सभा अधिवेशन 10 जनवरी, 1996 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सभा अधिवेशन में आई. सी. डब्ल्यू. ए. इण्डिया के श्री के. आर. एस. शास्त्री को वर्ष 1996 के लिए साफा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। आई. सी. एम. ए. पाकिस्तान के डा. ख्वाजा अमजद सईद को वर्ष 1996 के लिए साफा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। बंगलादेश (आई. सी. ए. बी.) के श्री जमाल उद्दीन अहमद, आसन्न पूर्व अध्यक्ष, को वर्ष 1996 के लिए साफा के सलाहकार के रूप में निर्वाचित किया गया। श्री ए. के. चक्रवर्ती, श्री जी. सीतारामन तथा श्री एस. एस. आर. कोटेश्वर राव—केन्द्रीय परिषद् के सदस्यगणों ने अधिवेशन में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

29वां दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ सभा अधिवेशन तथा साफा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तारीख 25 अप्रैल, 1996 को मुरवान पाकिस्थान में आयोजित किया गया। संस्थान का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष श्री टी. एस. विश्वनाथ, उपाध्यक्ष श्री एम. एस. चितले तथा सचिव श्री ए. के. मजूमदार द्वारा किया गया। श्री वंशी एस. मेहता, पूर्व अध्यक्ष ने साफा के सेमिनार में "इम्पैक्ट आफ डब्ल्यू. टी. ओ. आन एकाउंटिंग एण्ड फाइनांशियल सर्विसेज इन डेवलप्ड एण्ड डेवलपिंग कण्ट्रीज" विषय पर भाषण दिया। इस भाषण की अत्यधिक सराहना की गई।

11वां, दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ का सम्मेलन 3-4 जून, 1996 को कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था "दि स्ट्रेटिजीज फार इकोनोमिक ग्रोथ इन सार्क रीजन—पाथ अहेड।" श्री राहुल राय, परिषद सदस्य ने "एकाउंटिंग प्रोफेशन इन दि इमर्जिंग सीनरियो"

विषय पर एक लेख (पेपर) प्रस्तुत किया तथा उसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई। इस सम्मेलन का आई. सी. ए. आई. तथा आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। अध्यक्ष श्री टी. एस. विश्वनाथ ने "लिबरलाइज्ड इकोनोमी इन सार्क कन्ट्रीज—एप्रेजल एण्ड विजन" विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। साफा सम्मेलन से पहले 30वीं दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ सभा का अधिवेशन भी आयोजित किया गया जिसमें श्री टी. एस. विश्वनाथ, अध्यक्ष, श्री एम. एम. चितले, उपाध्यक्ष तथा श्री ए. के. चक्रवर्ती, परिषद् सदस्य ने भाग लिया। संस्थान के सचिव श्री ए. के. मजूमदार तथा दक्षिण एशियाई लेखापाल परिसंघ (साफा) के स्थायी सचिव भी उपस्थित थे।

## परिशिष्ट—5

(रिपोर्ट के पैरा 6.2 के संदर्भ में)

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मृत्यु के कारण सदस्य के रजिस्टर से हटाए गए नामों की सूची :—

| क्रम संख्या, | सदस्यता संख्या और नाम |
|---|---|
| 1. | 15—पी. आर. मेहरा |
| 2. | 216—एस. एल. खिन्दारिया |
| 3. | 433—के. वेंकटारमण |
| 4. | 736—आर. सी. दास |
| 5. | 918—सी. पी. मुखर्जी |
| 6. | 1882—एस. एन. हमरांशा |
| 7. | 1594—आर. एस. दानी |
| 8. | 1668—पी. सी. मदान |
| 9. | 1716—के. एन. बनर्जी |
| 10. | 1854—ए. के. भट्ट |
| 11. | 1863—डी. रंगास्वामी |
| 12. | 1934—के. बी. सुब्बा राव |
| 13. | 2348—दुर्गादास साहा |
| 14. | 2381—एम. आर. गर्ग |
| 15. | 2447—के. बी. सुब्बा राय |
| 16. | 2945—एम. कुप्पूस्वामी |
| 17. | 2978—अशोक संघल |
| 18. | 2993—ए. मुरूगन |
| 19. | 3098—एस. आर. कपूर |
| 20. | 3385—बी. के. सोम |
| 21. | 3667—एच. डी. पटेल |
| 22. | 4234—एच. एस. पुजारी |
| 23. | 4322—बी. के. भट्टाचार्या |
| 24. | 4453—एस. राजनारायण |
| 25. | 4731—एम. पी. अग्रवाल |
| 26. | 4779—सी. एस. कृष्णामूर्ति |
| 27. | 5016—सी. एच. सिशाद्री नाथन |
| 28. | 5051—सी. वी. शिवाजी राव |
| 29. | 5453—डी राम मोहन राव |

| क्रम संख्या, | सदस्यता संख्या और नाम |
|---|---|
| 30. | 5689—शिवनाथ महन्ती |
| 31. | 5798—डी. एच. हुकेरी |
| 32. | 5838—एम. एन. सुब्रमण्या |
| 33. | 5949—सी. के. फिलीपोज |
| 34. | 6561—एच. वेंकटेश्वरन |
| 35. | 6734—के. वेंकटाकृष्णा |
| 36. | 6894—टी. टी. कृष्णास्वामी |
| 37. | 7121—एच. टी. पारेख |
| 38. | 7223—सयद फारूख अली |
| 39. | 7485—वाई. एस. आप्टे |
| 40. | 7863—एच. बी. शाह |
| 41. | 8662—वी. सी. श्रीनिवासा रंगन |
| 42. | 8859—आर. पी. गुप्ता |
| 43. | 9378—एम. सी. पाल |
| 44. | 11101—पी. जी. मेनन कुट्टी |
| 45. | 11577—आर. एल. मेहता |
| 46. | 11807—महनसरिया शशि कान्त |
| 47. | 11912—ए. के. बनर्जी |
| 48. | 12396—बी. के. घोष |
| 49. | 13423—टी. आर. श्रीरामन |
| 50. | 13448—एस. पी. घोष |
| 51. | 14342—डी. भद्राजी |
| 52. | 15192—के. वी. सुब्रमणियन |
| 53. | 17761—एस. के. जैन |
| 54. | 18605—आर. हृदयाराज |
| 55. | 19349—निष्काला के. रामानन्दा स्वामी |
| 56. | 19720—एम. एस. गोपालकृष्णन |
| 57. | 19892—ए. वेनुगोपालन |
| 58. | 21631—एस. पी. प्रभु |
| 59. | 22003—टी. के. एम. नायर |
| 60. | 22250—डी. एस. लोढ़ा |
| 61. | 22619—वी. लक्ष्मीनारायन |
| 62. | 23929—जे. रामादुराय |
| 63. | 25338—के. रामा |
| 64. | 32089—बी. नागार्जन |
| 65. | 32773—के. वी. उषा. एस. मूर्ति |
| 66. | 38201—एम. डी. कुलकर्णी |
| 67. | 39481—ए. बी. अजमेरा |
| 68. | 40192—ए. अनन्थाकृष्णन |
| 69. | 42354—एम. पी. कन्ट्रैक्टर |
| 70. | 70014—अशोक सचदेवा |
| 71. | 71056—एस. बी. शर्मा |
| 72. | 72145—पी. के. अग्रवाल |
| 73. | 75383—आलोक सिंघल |
| 74. | 81410—प्रसाद राव मथी सम्पूल |
| 75. | 84768—आर. के. अरोड़ा |
| 76. | 203075—श्रीमती वंदना सूर्यनारायण |

परिशिष्ट–6

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.2)

वर्ष 1995–96 में फाउण्डेशन कोर्स (प्राथमिक पाठ्यक्रम) के लिए रजिस्टर में दर्ज छात्रों की क्षेत्रवार संख्या

| | |
|---|---|
| पश्चिमी भारत क्षेत्र | 8700 |
| दक्षिणी भारत क्षेत्र | 4028 |
| पूर्वी भारत क्षेत्र | 5633 |
| मध्य भारत क्षेत्र | 5283 |
| उत्तरी भारत क्षेत्र | 5371 |
| योग : | 29015 |

परिशिष्ट–7

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.4)

इंटरमीडिएट तथा फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या

| | इंटर | फाइनल | योग |
|---|---|---|---|
| 1–4–1995 को रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या | 98667 | 22089 | 1,20,756 |
| जोड़ | | | |
| वर्ष 1995–96 में प्रविष्ट किए गए छात्रों की संख्या | 19288 | 8675 | 27,963 |
| | 1,17,955 | 30,764 | 1,48,719 |
| घटा | | | |
| वर्ष (मई, 1995 तथा नवम्बर, 1995) में इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | 9,175 | 4,668 | 13,843 |
| | 1,08,780 | 26,096 | 1,34,876 |

परिशिष्ट–8

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 8.2)

1995 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में बैठे, उत्तीर्ण छात्रों के आंकड़े

इंटरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षा–1995

| ग्रुप/यूनिट | इंटरमीडिएट | | फाइनल | |
|---|---|---|---|---|
| | मई | नवम्बर | मई | नवम्बर |
| ग्रुप–1 | | | | |
| परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या | 21866 | 26376 | 10017 | 9265 |
| उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या | 3639 | 6008 | 4784 | 2256 |
| ग्रुप–2 | | | | |
| परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या | 14616 | 19348 | 10531 | 11128 |
| उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या | 2750 | 3726 | 2723 | 1789 |
| दोनों ग्रुप | | | | |
| परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या | 9644 | 12412 | 4581 | 4216 |
| उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या | 1223 | 1891 | 922 | 269 |
| यूनिट | | | | |
| परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या | 7381 | 4856 | — | — |
| उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या | 2247 | 1017 | — | — |

फाउण्डेशन परीक्षा—1995

| परीक्षा का मास और वर्ष | परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या |
|---|---|---|
| मई 1995 | 12972 | 2683 |
| नवम्बर, 1995 | 10774 | 2527 |

परिशिष्ट—9

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 8.3)

मई और नवम्बर, 1995 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम

फाइनल परीक्षा : मई, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए :—

| | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 6221 | संदीप गुप्ता (800 में से प्राप्तांक 592) |
| 2 | 3318 | तारापोर फारूक फीरोज (800 में से प्राप्तांक 566) |
| 3 | 5489 | तिबरेवाला संजय कुमार ओम प्रकाश (800 में से प्राप्तांक 565) |

1. जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है, संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 को दिया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जे. एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 को दिया जाएगा ।

3. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 को दिया जाएगा।

4. जयन्तीलाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार, जो कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है, तारापोर फारूक फीरोज, अनुक्रमांक 3318 को दिया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी को दिया जाने वाला आर. शिवभोगम पुरस्कार आरती बागड़ी, अनुक्रमांक 10801 तथा सुजाता गणपतिरामन, अनुक्रमांक 146922 जिन्होंने 800 अंकों में से कुल अंक 541 प्राप्त किए हैं) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

6. ग्रुप-1 सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला केरल वर्मा पुरस्कार, संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 (जिसने 400 अंकों में से 308 अंक अर्जित किए) को दिया जाएगा ।

7. ग्रुप-2 में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार तिबरेवाला संजयकुमार ओम-प्रकाश, अनुक्रमांक 5489 (जिसने 400 में से 291 अंक प्राप्त किए) को दिया जाएगा ।

8. एकाउंटिंग (पेपर 1 और 2) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सर शापूर जी बिलिमोरिया पुरस्कार सुनील पुरी, अनुक्रमांक-15604 (जिसने 200 अंकों में से 177 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

9. एडवांस एकाउंटिंग (पेपर 1) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार तारापोर फारूक फीरोज, अनुक्रमांक-3318 (जिसने 100 अंक में से 94 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

10. मैनेजमेंट एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जे. के. दोशी पुरस्कार, संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 (जिसने 100 में से 92 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

11. लेखा परीक्षा (आडिटिंग) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला ए. एफ. फर्ग्यूसन पुरस्कार और आर. वेंकटेसन स्मारक पुरस्कार संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 (जिसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

12. लेखा परीक्षा (आडिटिंग) पेपर में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला सुखनंदन कपूरी देवी पुरस्कार कु. मांदी मुक्ति अरविंद, अनुक्रमांक 5546 (जिसने 100 में से 79 अंक अर्जित किए) को दिया जाएगा ।

13. कम्पनी विधि में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए यू. सी. मजुमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार गिरीश एमन बनवारी, अनुक्रमांक 3438 (जिसने 100 में से 78 अंक अर्जित किए) को प्रदान किया जाएगा ।

14. प्रत्यक्ष कर विधि में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए एन. एम. शाह पुरस्कार सूरी स्मारक पुरस्कार और ए. जे. शाह-अमिता स्मारक पुरस्कार जिगनेश रमेश शाह, अनुक्रमांक 3948 (जिसने 100 में से 74 अंक अर्जित किए) को प्रदान किया जाएगा ।

15. आपरेशंस—रिसर्च एण्ड स्टेटिस्टीकल एनालिसिस में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला मनीष गुप्ता स्मारक पुरस्कार दर्शमान जैन, अनुक्रमांक 8117 (जिसने 100 में से 90 अंक अर्जित किए) को प्रदान किया जाएगा ।

16. सिस्टम्स एनालिसिस एण्ड डाटा प्रोसेसिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए टी. आर. चड्ढा पुरस्कार जैन समीर प्रेमपाल, अनुक्रमांक-3326 (जिसने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

17. कास्ट सिस्टम्स एण्ड कास्ट कंट्रोल में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला आर. बी. के. उमरजी पुरस्कार खरे शैलेश नरहर, अनुक्रमांक 14682 (जिसने 100 में से 83 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

18. मैनेजेरियल एकानामिक्स एण्ड नेशनल एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए वेंकटाचलम् पुरस्कार कु. बी. लक्ष्मी कुमारणा, अनुक्रमांक 2996 (जिसने 100 में से 51 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

इंटरमीडिएट परीक्षा—मई, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

| रैंक | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 11638 | के० बी० कुमार (600 में से प्राप्तांक 426) |
| 2 | 26315 | तुषार सुरेन्द्र कुमार देसाई (600 में से प्राप्तांक 419) |
| 3 | 28275 | कन्हैया लाल बी० अग्रवाल (600 में से प्राप्तांक 418) |

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार के. बी. कुमार, अनुक्रमांक 11638 को प्रदान किया जाएगा ।

2. जी. एस. लोढा स्वर्ण पदक, जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाता है, के. बी. कुमार, अनुक्रमांक 11638, को प्रदान किया जाएगा ।

3. शैलेश कपाड़िया पुरस्कार, जो कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाता है, तुषार सुरेन्द्रकुमार देसाई, अनुक्रमांक 26315 को प्रदान किया जाएगा ।

4. एडवांस्ड एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार, राजेश बसंतराय शाह, अनुक्रमांक-26941 तथा कनोडिया मोहित कृष्ण कुमार, अनुक्रमांक 27028 (जिन्होंने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा ।

5. आयकर तथा केन्द्रीय बिक्री कर में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला य. के. भार्गव पुरस्कार, अरविंद गुप्ता, अनुक्रमांक 11874 (जिसने 100 में से 88 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

6. आडिटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला दिनेश हिम्मतलाल शाह पुरस्कार और के. सी. खन्ना पुरस्कार बालवल्ली समिथ नन्दन, अनुक्रमांक 25481 (जिसने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा ।

7. निगमित (कारपोरेट) तथा अन्य विधि पर सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला नरेश सी. माथुर पुरस्कार आर. बालवल्ली समिथ नन्दन, अनुक्रमांक 25481 (जिसने 100 में प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा ।

8. सर्वश्रेष्ठ महिला विद्यार्थी को दिया जाने वाला सुदर्शन कुमार बनसारिया स्मारक पुरस्कार, कु. अनिता लाढा, अनुक्रमांक 3109 (जिसने 600 में से कुल 416 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा ।

फाउन्डेशन परीक्षा—मई, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे :—

| रैंक | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 6896 | नवीन किल्ला (400 में से कुल अंक 333) |
| 2 | 9352 | विवेक गुप्ता (400 में से कुल अंक 329) |
| 3 | 1818 | कु० शालिग्राम चित्रा प्रभाकर (400 में से कुल अंक 325) |

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला सुलतान चंद स्मारक पुरस्कार, नवीन किल्ला, अनुक्रमांक 6896 को प्रदान किया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला एस. आर. बाटलीबोई पुरस्कार, नवीन किल्ला, अनुक्रमांक 6896 को प्रदान किया जाएगा ।

3. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला श्री सुलतान चंद स्मारक पुरस्कार विवेक गुप्ता, अनुक्रमांक 9352 को प्रदान किया जाएगा ।

4. तृतीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला चंदूलाल कपूरी देवी पूर्व न्यास पुरस्कार, कु. शालिग्राम चित्रा प्रभाकर, अनुक्रमांक-1818 को प्रदान किया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी को दिया जाने वाला पी. एन. शाह पुरस्कार, कु. शालिग्राम चित्रा प्रभाकर, अनुक्रमांक 1818 (जिसने 400 में से कुल अंक 325 प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

6. गणित (मैथमैटिक्स) (पेपर 3 सेक्शन "ए") में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला के. वी. चन्द्रमौलि स्मारक पुरस्कार के. हरिकिशन, अनुक्रमांक 632 : कु. फर्नांडिस जीन मार्विस, अनुक्रमांक 2544 : संजय चौधरी, अनुक्रमांक 5080 : आदर्श अग्रवाल, अनुक्रमांक 5119 : दीपक चौधरी, अनुक्रमांक 5168 : कौशिक कुमार नाथ, अनुक्रमांक 5263 : भारतेन्दु अग्रवाल, अनुक्रमांक 6406 : सुभाष कुमार कोटरीवाला, अनुक्रमांक 6652 : सौरभ सिवरेवाल, अनुक्रमांक 6959 : आनंद जालान, अनुक्रमांक 6961 : रवि अग्रवाल, अनुक्रमांक 6972 : विवेक अग्रवाल, अनुक्रमांक 7808 : जतिन मोहन, अनुक्रमांक 8132 : सुधीर गर्ग, अनुक्रमांक 8393, विवेक गुप्ता, अनुक्रमांक 9352 : कु. ऋचा मित्तल, अनुक्रमांक 9639 : कु. तेजल जी. शुक्ला, अनुक्रमांक 9728 : भरत कुमार अनुक्रमांक 10309 : जी. निरंजन, अनुक्रमांक 10359 : कु. दीपाली गुप्ता, अनुक्रमांक 10800 : बी. श्रवण प्रसाद, अनुक्रमांक 11651, वी. जे. शिवरामन, अनुक्रमांक 11702 : कौशिक प्रकाश महासेठ, अनुक्रमांक 12588 : कु. देशपाण्डे भवानी अनिल, अनुक्रमांक 12790 : कु. गौरी देवीदास भिड़े, अनुक्रमांक 12913 : धनंजय शेखर गुप्ते, अनुक्रमांक 12959 : कु. मैत्री मीनल शिवप्रसाद, अनुक्रमांक 13018 : कु. थट्टे सैली विजय, अनुक्रमांक 13222 : श्री राम नागेन्द्र, अनुक्रमांक 13703 तथा निशिन अग्रवाल, अनुक्रमांक 13857 को (जिन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए) संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

7. स्टेटिसटिक्स (सांख्यिकी) (पेपर 3 सेक्शन "बी") में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए दिया जाने वाला गणेशमल पाटनी स्मारक पुरस्कार, पारिख राहुल हर्षद, अनुक्रमांक 802 तथा नीलेश कथूरिया, अनुक्रमांक 8151 (जिन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

फाइनल परीक्षा—नवम्बर, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे :—

| रैंक | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 163 8 | गुरचरन ग्रोवर (800 में से कुल अंक 533) |
| 2 | 4204 | दीपक जालान (800 में से कुल अंक 527) |
| 3 | 4394 | अनूप कुमार अग्रवाल (800 में से कुल अंक 516) |

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाड़िया प्रथम स्वर्ण पदक, गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 को दिया जाएगा।

2. जे. एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाता है, गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 को प्रदान किया जाएगा।

3. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला रामचंद सिंधी पुरस्कार गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 को प्रदान किया जाएगा।

4. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला सरस्वती विश्वेश्वरैया पुरस्कार गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 को प्रदान किया जाएगा।

5. वर्ष 1995 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का जी. बस प्रतिष्ठान पुरस्कार संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 को मई, 1995 की परीक्षा में (800 में से 592 अंक प्राप्त किए) प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाएगा।

6. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला आर. शिवभोगम् पुरस्कार कु. कल्पना स्वामीनाथन, अनुक्रमांक 2917 (जिसने 800 में से 473 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

. वर्ष 1995 की सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला एम. विश्वनाथन स्मारक पुरस्कार कु. गायत्री बागड़ी, अनुक्रमांक 10801 तथा कु. सुजाता गणपतिरामन, अनुक्रमांक 14692 को मई, 1995 की परीक्षा (जिन्होंने 800 में से कुल अंक 541 प्राप्त किए हैं) में प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

8. द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किए जाने के लिए दिया जाने वाला जयन्ती लाल के ठक्कर स्मारक पुरस्कार दीपक जालान, अनुक्रमांक 4204 को प्रदान किया जाएगा।

9. वर्ष 1995 के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला शैलेश कपाड़िया पुरस्कार लागपोर फारूक फीरोज अनुक्रमांक 3318 को मई, 1995 में आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (800 में से कुल प्राप्तांक 566) के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

10. ग्रुप-1 में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए केरल वर्मा स्मारक पुरस्कार गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 (जिसने 400 में से 272 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

11. ग्रुप-1 में वर्ष 1995 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए एन. एन. दास पुरस्कार संदीप गुप्ता, अनुक्रमांक 6221 को मई, 1995 में आयोजित परीक्षा में इनके प्रदर्शन (400 में से 308) अंक के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

12. ग्रुप-2 में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार तलाथी नीलेश प्रकाश, अनुक्रमांक 1593 (जिसने 400 में से 269 अंक प्रदान किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

13. ग्रुप-2 में वर्ष 1995 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला बालचन्द्र स्मारक पुरस्कार बिरेवाला संजय कुमार ओम प्रकाश, अनुक्रमांक 5489 को मई, 1995 में आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (400 में से कुल अंक 291) के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

14. एडवांस्ड एकाउंटिंग (पेपर 1) के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार, प्रमोद राज गड़िया ने अनुक्रमांक 5165 (जिसने 100 में से 86 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

15. एकाउंटेंसी (पेपर 1 और 2) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सर शापुर जी बिलिमोरिया पुरस्कार कु. सलोनी सिन्हा, अनुक्रमांक 14734 (जिसने 200 में से 149 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा।

16. मैनेजमेंट एकाउंटिंग (पेपर 2) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जे. के. दोशी पुरस्कार दीपक जालान, अनुक्रमांक 4204 (जिसने 100 में से 85 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

17. ऑडिटिंग (पेपर 3) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले ए. एफ. फर्ग्यूसन पुरस्कार और आर. वेंकटेसन स्मारक पुरस्कार क्लीमेंट आर्ज पाल पिंटो, अनुक्रमांक 2019 (जिसने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किए जाएंगे।

18. ऑडिटिंग (पेपर 3) में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला श्रमजीवन संस्था कपर्दी [illegible] पुरस्कार कु. अखिला सम्पथन, अनुक्रमांक 2160 (जिसने 100 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

19. कम्पनी विधि (पेपर 4) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किए जाने वाले यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एम. एम. शाह पुरस्कार गुरचरन, अनुक्रमांक 16378 (जिसने 100 में से 69 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

20. प्रत्यक्ष कर विधि (पेपर 5) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले एन. एम. शाह पुरस्कार, सूरी स्मारक पुरस्कार और ए. जे. शाह-अमिता पुरस्कार गुरचरन ग्रोवर, अनुक्रमांक 16378 (जिसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किए जाएंगे।

21. ऑपरेशंस रिसर्च एण्ड स्टैटिस्टीकल एनालिसिस (पेपर 6) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सतीश गुप्ता स्मारक पुरस्कार शाह रावल विनोद भाई, अनुक्रमांक 1543 (जिसने 100 में से 84 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

22. सिस्टम्स एनालिसिस एण्ड डाटा प्रोसेसिंग (पेपर 7) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला टी. आर. चड्ढा पुरस्कार सुधीर कुमार कोडिया, अनुक्रमांक 3549 (जिसने 100 में से 85 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

23. कास्ट एकाउंटिंग (पेपर 8) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला आर. बी. के. शमरजी पुरस्कार विनेश यशवंत सपेकर, अनुक्रमांक 2138 : अरविन्द चौलनी, अनुक्रमांक 4425 तथा उज्जीजी योगेश रत्नाकर, अनुक्रमांक 2738 (जिन्होंने 100 में से 71 अंक प्राप्त किए हैं) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

24. मैनेजेरियल एकानोमिक्स एण्ड नेशनल एकाउंटिंग में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार मंगला बैंग, अनुक्रमांक 6563 (जिसने 100 में से 56 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

इण्टरमीडिएट परीक्षा—नवम्बर, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे :—

| रैंक | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1. | 9921 | हिरेन एच सांघवी (600 में से 436 अंक) |
| 2. | 8228 | कृष्णन बी. वी. (600 में से 431 अंक) |
| 2. | 10622 | पटेल प्रणव प्रकाश (600 में से 431 अंक) |
| 2. | 31927 | मालविका गोयल (600 में से 431 अंक) |
| 3. | 11452 | हलयालकर हरीश मोहन (600 में से 427 अंक) |

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार हिरेन एच. सांघवी, अनुक्रमांक 9921 को प्रदान किया जाएगा।

2. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जे. एस. लोढा स्वर्ण पदक हिरेन एच. सांघवी, अनुक्रमांक 9921 को प्रदान किया जाएगा।

3. वर्ष 1995 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए सूरी स्मारक पुरस्कार, हिरेन एच. सांघवी, अनुक्रमांक 9921 को प्रदान किया जाएगा।

4. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला लीलेश कपाडिया पुरस्कार कृष्णन बी. वी., अनुक्रमांक 8228 : पटेल प्रणव प्रकाश, अनुक्रमांक 10622 तथा कु. मालविका गोयल, अनुक्रमांक 31927 को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

5. एडवांस्ड एकाउंटिंग में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार कु. जी. सुजाता, अनुक्रमांक 8351 (जिसने 100 में से 88 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

6. आयकर तथा केन्द्रीय विक्रय कर में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला यू. के. भार्गव पुरस्कार, कु. आर. सकन्या, अनुक्रमांक 8313 (जिसने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

7. आडिटिंग में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए विनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार तथा के. सी. खन्ना पुरस्कार मृणाल अग्रवाल, अनुक्रमांक 30052 (जिसने 100 में से 84 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

8. कारपोरेट तथा अन्य विधि में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए सुरेश सी. माथुर पुरस्कार, अरोड़ा अमरजीत सिंह जी. एस. अनुक्रमांक 11611 (जिसने 100 में से 82 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

9. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला सुदर्शन कुमार बलसारिया पुरस्कार कु. मालविका गोयल, अनुक्रमांक 31927 (जिसने 600 में से 431 अंक प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

फाउण्डेशन परीक्षा—नवम्बर, 1995

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे :—

| रैंक | अनुक्रमांक | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 12784 | विजय गुप्ता (400 में से कुल अंक 315) |
| 2 | 09872 | आनन्द कुमार कालड़ा (400 में से कुल 306) |
| 3 | 12910 | संजय कुमार अग्रवाल (400 में से कुल अंक 304) |

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाली श्री सुलतान चन्द स्मारक पुरस्कार विजय गुप्ता, अनुक्रमांक 12784 को दिया जाएगा।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला एस. आर. बाटलीबोई पुरस्कार, विजय गुप्ता, अनुक्रमांक 12784 को दिया जाएगा।

3. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला श्री सुलतान चन्द स्मारक पुरस्कार, आनन्द कुमार कालड़ा, अनुक्रमांक 9872 को दिया जाएगा।

4. तृतीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला चंदूलाल कपूरचंदेयी पूर्त न्यास पुरस्कार संजय कुमार अग्रवाल, अनुक्रमांक 12910 को दिया जाएगा।

5. वर्ष 1995 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला महावीरराज भण्डारी पुरस्कार नवीन किल्ला, अनुक्रमांक 6896 (जिसने मई, 1995 की परीक्षा में 400 में से कुल अंक 333 प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

6. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला पी. एन शाह पुरस्कार, कु. सुरभि सेन जिन्दल, अनुक्रमांक 9514 (जिसने 400 में से कुल अंक 302 प्राप्त किए हैं) को प्रदान किया जाएगा।

7. मैथमेटिक्स (गणित) (पेपर 3, सेक्शन "ए") में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला के. बी. चन्द्र मौलि स्मारक पुरस्कार प्रनीत जैन, अनुक्रमांक 1178 : प्रताप कांति घोष, अनुक्रमांक 5142 तथा सुमित गोयल, अनुक्रमांक 10234 (जिन्होंने 50 में से कुल अंक 50 प्राप्त किए हैं) को संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

8. स्टेटिसटिक्स (पेपर 3-सेक्शन "बी") में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए दिया जाने वाला गणेशमल पाटनी स्मारक पुरस्कार कु. शाह सोनाली रविन्द्र, अनुक्रमांक 4168 तथा कु. संस्कृति गुप्ता, अनुक्रमांक 8562 (जिन्होंने 50 में से कुल अंक 50 प्राप्त किए हैं) को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

परिशिष्ट—10

(रिपोर्ट के पैरा 9.1 के संदर्भ में)

क्षेत्रीय परिषदों के शाखाओं की सूची

पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद

1. अहमदाबाद
2. आनन्द
3. औरंगाबाद
4. बड़ौदा
5. गोवा
6. जल गांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नासिक
10. पूना
11. राजकोट
12. सांगली
13. शोलापुर
14. सूरत

दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद

1. अल्लेप्पी
2. बंगलौर
3. बेलगाम
4. कालीकट
5. कोइम्बटोर
6. अरूणाकुलम
7. ईरोड
8. गंटूर
9. हुबली
10. हैदराबाद

11. कोट्टयम
12. कुम्बकोनम
13. मदुरै
14. मंगलौर
15. मैसूर
16. पालघाट
17. पाण्डिचेरी
18. क्वीलौन
19. सलेम
20. तिरुचिरापल्ली
21. तरुनेलवेली
22. तिरूपुर
23. त्रिचूर
24. त्रिवेन्द्रम
25. तुटिकोरिन
26. वैलोर
27. विजयवाडा
28. विशाखापट्नम

पूर्व भारत क्षेत्रीय परिषद

1. आसनसोल
2. भुवनेश्वर
3. कटक
4. दुर्गापुर
5. गुवाहटी
6. सिलीगुरी

मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद

1. आगरा
2. अजमेर
3. इलाहाबाद
4. अलवर
5. बरेली
6. भीलवाड़ा
7. भोपाल
8. देहरादून
9. धनबाद
10. गाजियाबाद
11. ग्वालियर
12. इन्दौर
13. जयपुर
14. जमशेदपुर
15. जोधपुर
16. कोटा
17. लखनऊ
18. मेरठ
19. नोएडा
20. पटना
21. रायपुर
22. रांची
23. उदयपुर
24. वाराणसी

उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद

1. अमृतसर
2. चण्डीगढ़
3. फरीदाबाद
4. हिमाचल प्रदेश (शिमला)
5. हिसार
6. जालन्धर
7. जम्मू एण्ड कश्मीर (जम्मू)
8. लुधियाना
9. यमुनानगर

एस. आर. खुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फ्लैट-43 कनाट सर्कस
नई दिल्ली-110001

के. एस. वी. एस. मनियन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
बी-9 मीजानी फ्लोर
रणजीत नगर
कामर्शियल काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110008

---

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

आडिटर (लेखा परीक्षक) की रिपोर्ट

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1996

हमने अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के 31 मार्च, 1996 को यथाविद्यमान तुलनपत्र (बैलेंस शीट) की और साथ ही उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के उपाबद्ध आय और व्यय लेखा की भी, जिसमें संस्थान के कार्यालय, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखा समाविष्ट हैं, लेखा-परीक्षा (आडिट) की है तथा यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा किए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे :

2. तुलनपत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिनके बारे में प्रतिवेदन किया गया है, लेखा-बहियों (बुक आफ एकाउण्ट्स) के अनुसार हैं :

3. हमारे मतानुसार, लेखाओं को चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप रखा गया है :

4. हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों और उनके साथ पठित एकाउंटिंग पालिसी तथा टिप्पण सहित यह विवरण निम्नलिखित का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :—

(1) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, 1996 को यथाविद्यमान कार्यकलापों की स्थिति का; तथा

(2) आय और व्यय लेखा की दशा में उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष का ।

एस. आर. खुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट

के. एस. वी. स. मनियन
चार्टर्ड एकाउंटेंट

नई दिल्ली :
तारीख : 4 सितम्बर, 1996

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-क

एकाउंटिंग विषयक नीतियां

1. लेखाओं को ऐतिहासिक लागत (हिस्टोरिकल कास्ट) के आधार पर तैयार किया गया है ।

2. फैलो मेम्बरों (अध्येताओं) से प्रवेश शुल्क तथा एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क के 2/3 (दो तिहाई) भाग को पूंजीकृत किया गया है । छात्रों के क्रियाकलापों से होने वाले अधिशेष के एक युक्तियुक्त भाग को शिक्षा निधि में अंतरित किया गया है और इस सीमा तक इस निधि का पूंजी आरक्षिती में अंतरित की गई पूर्ववर्ती वर्ष की स्थिर आस्तियों के संबंध में उपयोग किया गया है ।

3. पेपर तथा प्रकाशनों की सूचियों का मूल्य निम्नतर लागत के अनुसार या उसका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य रखा गया है तथा अध्ययन-सामग्रियों (स्टडी-मेटीरियल) का मूल्य, लागत के अनुसार रखा गया है । इस प्रयोजन के मूल्य, प्रत्यक्ष लागत पद्धति (डाइरेक्ट कास्ट मेथड) के आधार पर अभिनिश्चित किया गया है ।

(4) के अधीन छूट के लिए हकदारी को ध्यान में

5. स्थिर आस्तियां तथा मूल्य-घटाना (डिप्रीसिएशन) : स्थिर आस्तियां ऐतिहासिक लागत आधार के अनुसार दिखाई गई है तथा उनका अवलिखित मूल्य पद्धति (रिटिन डाउन वैल्यू मेथड) के आधार पर मूल्य घटाया गया है । पुस्तकालय की पुस्तकों का यथास्थिति पद्धति (स्ट्रेटलाइन मेथड) के आधार पर मूल्य घटाया गया है । प्रयुक्त घटी हुई दरें वे हैं जो युक्तियुक्त माना गया है । परिवर्धनों पर मूल्यह्रास (डिप्रीसिएशन) पूरे वर्ष भर का वसूल किया गया है ।

6. छात्र संघ तथा उनकी शाखाओं को संदत्त अनुदानों तथा शुल्क को राजस्व व्यय माना गया है तथा उनकी लेखाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अनुसूची-ख

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (4) के अधीन छूट के लिए हकदारी को ध्यान में रखते हुए कराधान के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है । ऐसी छूट निर्धारण वर्ष 1992-93 तक के लिए ही मंजूर की गई है तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में उन्हें लागू किया जाना प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

2. कतिपय अग्रिम/लेनदारों के लेखाओं के संबंध में समाधान विवरण (रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट)/अतिशेष पुष्टीकरण प्राप्त नहीं किए जा सके हैं ।

3. पूर्व वर्ष के अंकों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः वर्गीकृत तथा/या पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

4. कोष्ठकों में दिखाए गए अंक कटौतियों को दर्शित करते हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1996 को यथा विद्यमान तुलनपत्र

| | अनुसूची | रुपये | 31-3-96 रुपये | रुपये | 31-3-95 रुपये |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| निधि के स्रोत : | | | | | |
| पूंजी आरक्षितियां | ग | | 82,786,689 | | 69,298,017 |
| अन्य आरक्षितियां | घ | | 78,846,168 | | 83,915,843 |
| सुरक्षित निधि | ङ | | 67,315,916 | | 53,337,601 |
| योग : | | | 228,948,773 | | 206,551,461 |
| निधि का अनुप्रयोग | | | | | |
| स्थिर आस्तियां | | | | | |
| सकल खंड | | 108,905,336 | | 94,163,153 | |
| घटा : अवमूल्यन | | (43,379,087) | | (37,244,450) | |
| शुद्ध खण्ड | | | 65,526,249 | | 56,918,703 |
| निर्माणाधीन पूंजी संकर्म | | | 16,830,284 | | 18,256,667 |
| सुरक्षित विनिधान | | | 67,315,916 | | 53,337,601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य विनिधान : | | | | | |
| (क) बैंकों में सावधि निक्षेप | | 27,788,404 | | 24,869,864 | |
| (ख) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बांड | | 1,438,850 | | 3,316,649 | |
| (ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के बांड | | 45,048,126 | | 45,048,126 | |
| | | | 74,275,380 | | 73,234,639 |
| चालू आस्तियां, उधार तथा अग्रिम | | 83,063,831 | | 62,258,322 | |
| घटा : चालू दायित्व तथा प्रावधान | | (14,002,087) | | (14,027,691) | |
| शुद्ध चालू आस्तियां | | 69,061,744 | | 48,230,631 | |
| घटा : अग्रिम में प्राप्त फीस/आय | | (64,060,800) | 5,000,944 | (43,426,780) | 4,803,851 |
| | योग : | | 228,948,773 | | 206,551,461 |

एच० घोष — सहायक निदेशक, अध्ययन
ए० के० मजुमदार — सचिव
एम० एम० पिल्लै — उपाध्यक्ष
टी० एस० विश्वनाथ — अध्यक्ष

अनुसूची "क" से लेकर "ग" तक लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एस० आर० खुराना
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
नई दिल्ली
दिनांक : 4 सितम्बर, 1996

के० एस० बी० एस० मनियन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

## 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष का आय-व्यय लेखा

| | अनुसूची | 1995-96 रुपये | 1994-95 रुपये |
|---|---|---|---|
| आय | | | |
| (क) सदस्य | झ | 65,022,624 | 71,301,705 |
| (ख) छात्र | | 114,556,884 | 103,883,931 |
| योग :— | | 179,579,508 | 175,185,636 |
| व्यय | | | |
| (क) सदस्य | ञ | 79,924,377 | 70,630,381 |
| (ख) छात्र | | 96,162,636 | 72,539,715 |
| योग :— | | 176,087,013 | 143,170,096 |
| वर्ष का अधिशेष | | 3,492,495 | 32,015,540 |
| आवंटन/विनियोजन | | | |
| (1) साधारण निधि में अंतरित | ट | 5,704,630 | (16,343,432) |
| (2) शिक्षा निधि में अंतरित | ठ | 9,197,125 | (15,672,108) |

एच० घोष — सहायक निदेशक, अध्ययन
ए० के० मजुमदार — सचिव
एम० एम० चितले — उपाध्यक्ष
टी० एस० विश्वनाथ — अध्यक्ष

अनुसूची "क" से लेकर "ञ" तक लेखाओं के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार ।

एस० आर० खुराना
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
नई दिल्ली :
दिनांक : 4 सितम्बर, 1996

के० एस० बी० एस० मनियन
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

अनुसूची "ग"—पूंजी आरक्षित

(रकम रुपयों में)

| विवरण | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|
| (क) साधारण : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 44,770,323 | | 40,520,854 |
| धन : दाखिला फीस तथा आबंटित प्रवेश शुल्क | 1,413,100 | | 1,132,400 | |
| धन : भवन के लिए दान | 7,573,613 | | 3,117,069 | |
| धन : साधारण निधि से अंतरित | 10,000 | | | |
| | | 3,996,713 | | 4,249,469 |
| योग (क) | | 48,767,036 | | 44,770,323 |
| (ख) शिक्षा : | | | | |
| अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 24,527,694 | | 21,508,043 |
| धन : शिक्षा निधि से अंतरित | | 9,491,959 | | 3,019,651 |
| योग (ख) | | 34,019,653 | | 24,527,694 |
| कुल योग (क)+(ख) | | 82,786,689 | | 69,298,017 |

अनुसूची "घ"—अन्य आरक्षितियां

| विवरण | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|
| (क) साधारण आरक्षित : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 79,937,227 | | 63,900,983 |
| घटा : आय/व्यय लेखा से कमी/अतिशेष | | (5,704,630) | | 16,343,432 |
| घटा : आय आरक्षिति में से/अंतरित रकम | (35,435) | | 21,012 | |
| घटा : पूंजी आरक्षिति में से/अंतरित रकम | (10,000) | | | |
| घटा : सुरक्षित निधि में अंतरित रकम | (31,866) | (77,301) | (328,200) | (307,188) |
| योग (क) | | 74,155,296 | | 79,937,227 |
| (ख) अन्य (केवल प्रादेशिक परिषदों एवं शाखाओं के लिए) | | | | |
| अंतिम लेखा अनुसार अतिशेष | | 3,978,616 | | 3,254,365 |
| धन : वर्ष के दौरान शुद्ध अनुवृद्धि/समायोजन | 676,821 | | 668,906 | |
| धन : सुरक्षित निधि से अंतरित रकम | — | | 76,357 | |
| धन : साधारण आरक्षिति में से/अंतरित रकम | 35,435 | | (26,012) | |
| | | 712,256 | | 724,251 |
| योग (ख) | | 4,690,872 | | 3,978,616 |
| कुल योग (क)+(ख) | | 78,846,168 | | 83,915,843 |

अनुसूची "छ"—सुरक्षित निधि

(रकम रुपयों में)

| विवरण | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) शिक्षा निधि : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 31,955,106 | | 17,547,863 |
| आय व्यय लेखा से अंतरित | 9,197,125 | | 15,672,108 | |
| वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज | 3,834,613 | | 6,754,786 | |
| पुराने राइट आफ़ के मद्दे उधार खातावृत्ति का आयन | 200 | | — | |
| | | 13,031,938 | | 17,426,894 |
| छटा : पूंजी आरक्षित में अंतरित | | (9,491,959) | | (3,019,651) |
| योग (क) | | 35,495,085 | | 31,955,106 |
| (2) अनुसंधान निधि : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 6,674,230 | | 1,641,618 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 4,174,920 | | 4,962,451 | |
| वर्ष के दौरान उपार्जित आय | 81,811 | | 70,161 | |
| | | 4,256,731 | | 5,032,612 |
| | | 10,930,961 | | 6,674 230 |
| (3) मेडल तथा पुरस्कार निधि । | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 6,437,756 | | 1,189,797 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 309,560 | | 231,619 | |
| धन : वर्ष के दौरान उपार्जित आय | 177,146 | | 142,557 | |
| | | 481,706 | | 374,176 |
| घटा : प्रदान किए गए मेडल तथा पुरस्कारों की लागत | | (126,253) | | (126,217) |
| | | 1,793,209 | | 1,437,756 |
| (4) पेंशन निधि : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 9,510,073 | | 7,500,000 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 5,000,000 | | 2,000,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ : वर्ष के दौरान उपार्जित आय | 1,140,000 | | 950,000 | |
| वर्ष के दौरान व्यय | ——— | 6,140,000 | ——— | (939,927) |
| | | 14,590,582 | | 9,510,073 |
| (5) अन्य निधि : | | | | |
| अंतिम लेखा के अनुसार अतिशेष | | 3,760,436 | | 2,776,418 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 864,713 | | 747,331 | |
| जोड़ : साधारण निधि से अंतरित | 36,8166 | | 328,200 | |
| जोड़ : वर्ष के दौरान उपार्जित आय | 349,421 | | 268,282 | |
| | | 1,241,000 | | 1,343,813 |
| घटा : अन्य आरक्षिति में अंतरित | —— | | (76,357) | |
| घटा : समायोजन | (260,396) | | (130,742) | |
| घटा : वर्ष के दौरान व्यय | (230,961) | 500,357 | (152,[illegible]) | ([illegible]9,795) |
| | | 4,501,079 | | 3,760,436 |
| जोड़ (ख) | | [illegible] | | 21,382,495 |
| कुल जोड़ (क) + (ख) | | [illegible] | | 53,337,601 |

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची "क"—स्थिर आस्तियां

(रकम)

| आस्तियां | सकल ब्लाक | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1.4.95 को यथा विद्यमान लागत | समायोजन/ अन्तरण/वि० | वर्ष के दौरान परिवर्धन | 31.3.96 को यथा विद्यमान लागत |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. भूमि (जिसमें 1259839 रुपये लीज होल्ड के सम्मिलित हैं) | 6055104 | (32043) | 578134 | 6601195 |
| 2. भवन | 40936161 | 1892796 | 6520988 | 49349945 |
| 3. विद्युत इंस्टालेशन तथा फिटिंग्स | 4769090 | 2168 | 727594 | 5498852 |
| 4. एयर कंडीशनर | 3523858 | (50905) | 1436030 | 4908983 |
| 5. फर्नीचर तथा फ़िक्सचर | 11495947 | (3617) | 1571279 | 13063609 |
| 6. लिफ्ट | 309911 | | | 309911 |
| 7. कार्यालय उपस्कर | 6059322 | 10308 | 491470 | 6561100 |
| 8. यान (गाड़ियां) | 851401 | | 2630 | 854031 |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें | 8476407 | (25047) | 913310 | 9364670 |
| 10. कंप्यूटर | 11685952 | | 707088 | 12393040 |
| योग : | 94163153 | 1793660 | 12948523 | 108905336 |
| पूर्व वर्ष | 75179234 | (149409) | 19133328 | 94163153 |

टिप्पणी : 1) पूंजीगत प्रतिबद्धता की प्राक्कलित रकम जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम) 16,36,592 रुपये ।

2) 2,62,061/– रुपये मूल्य की हुबली स्थित भूमि की बाबत एच० ए० यू० डी० ए० (होडा) द्वारा संस्थान के पक्ष में किए गए आबंटन के संबंध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय स्टे आर्डर दिया जा चुका है तथा रांची स्थित 1,60,289/– रुपये मूल्य की भूमि की बाबत हक "विलेख" अभी निष्पादित किया जाना है ।

अनुसूची "ख"—सुरक्षित विनिधान

(रुपयों में)

| सुरक्षित निधि | बैंकों में सावधि निक्षेप/बांड/यूनिट | |
|---|---|---|
| विनिधान | 31.3.1996 | 31.3.1995 |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. शिक्षा निधि | 30,490,085 | 31,955,106 |
| योग : (क) | 30,495,085 | 31,955,106 |
| 2. अनुसंधान निधि | 10 609 413 | 6,434,493 |
| 3. मेडल तथा पुरस्कार निधि | 1,565,753 | 1,248,090 |
| 4. पेंशन निधि | 14,500,000 | 9,500,000 |
| 5. अन्य निधि | 3,640,764 | 3,193,990 |
| योग (ख) : | 30,315,930 | 20,376,573 |
| योग (क)+(ख) : | 65,811,015 | 52,331,679 |

| अवमूल्यन/अवक्षयण | | | | | शुद्ध ब्लाक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.95 को यथा विद्यमान | समायोजन/ अन्तरण | वर्ष के दौरान | 31.3.96 को यथा विद्यमान | 31.3.96 को यथा विद्यमान अपलिखित मूल्य | 31.2.95 को यथा विद्यमान अप० मूल्य |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 6601195 | 6055104 |
| 9266003 | 357200 | 1986431 | 11,609,634 | 37740311 | 31670158 |
| 2480074 | (506) | 293308 | 2,772,876 | 2725976 | 2289016 |
| 2509302 | (33147) | 364077 | 02,849,232 | 2068751 | 1014556 |
| 5517308 | 3725 | 705135 | 6,226.168 | 6837441 | 5978639 |
| 252655 | | 5726 | 258381 | 51530 | 57256 |
| 3400540 | 1729 | 463100 | 3865369 | 2695731 | 2658782 |
| 382794 | | 93894 | 476688 | 377343 | 468607 |
| 7019463 | (17754) | 716373 | 7718082 | 1646588 | 1456944 |
| 6416311 | | 1195346 | 7611657 | 4781383 | 5269641 |
| 37244450 | 311247 | 5823390 | 43379097 | 65526249 | 56918703 |
| 31934805 | (61422) | 5371067 | 37244450 | 56918703 | |

(रकम रुपयों में)

| प्रोद्भूत ब्याज | | बैंक खातों में अतिशेष | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.3.96 | 31.3.95 | 31.3.96 | 31.3.95 | 31.3.96 | 31.3.95 |
| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | 35,495,085 | 31,955,106 |
| — | — | 0 | 0 | 35,495,085 | 31,955,106 |
| 15,405 | 12,579 | 306,143 | 227,158 | 10,930,961 | 6,674,230 |
| 148,671 | 66,027 | 78,785 | 123,639 | 1,793,209 | 1,437,756 |
| | | 95,582 | 10,073 | 14,595,582 | 9,510,073 |
| 498,389 | 119,437 | 361,926 | 447,009 | 4,501,079 | 3,760,436 |
| 662,465 | 198,043 | 842,436 | 807,879 | 31,820,831 | 21,382,495 |
| 662,465 | 198,043 | 842,436 | 807,879 | 67,315,916 | 53,337,601 |

अनुसूची "ज"—शुद्ध चालू आस्तियां

(रकम रुपयों में)

| विवरण | 31-3-96 | | 31-3-95 | |
|---|---|---|---|---|
| **चालू आस्तियां :** | | | | |
| (क) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री तथा पेपर का स्टाक (इसमें मुद्रकों के पास 23.80 लाख रुपयों का पेपर स्टोक (पूर्व वर्ष के 17.14 लाख रुपये) भी सम्मिलित हैं) (प्रबंध मंडल द्वारा यथा प्रमाणित) | 13,336,781 | | 10,932,418 | |
| घटा : अप्रयुक्त स्टाक के लिए प्रावधान | (2,500,000) | | — | |
| | | 10,836,781 | | 10,932,418 |
| (ख) प्राप्त रकम : | | | | |
| (1) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज | 10,583,857 | | 8,452,565 | |
| (2) आवास तथा यान उधारों पर ब्याज | 3,017,237 | | 2,653,956 | |
| (3) प्रतिभूति निक्षेप | 446,219 | | 431,219 | |
| (4) अन्य प्राप्त (इसमें 6.98 लाख रुपये पूर्व वर्ष के 2.95 लाख रुपये) संदेहपूर्ण माने गए तथा उसके लिए प्रावधान किया गया) | 4,177,270 | 18,224,583 | 3,015,195 | 14,552,935 |
| (ग) उधार तथा अग्रिम : | | | | |
| (1) कर्मचारी वृन्द (स्टाफ) को अग्रिम (आवास, यान तथा अन्य उधार) | 8,479,145 | | 9,517,397 | |
| (2) [illegible] भवनों के लिए [illegible] उधार | 400,000 | | 100,000 | |
| (3) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान | 4,887,336 | | 3,797,331 | |
| | | 13,766,481 | | 13,414,728 |
| (घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष | | 40,230,986 | | 23,358,241 |
| योग | | 88,063,831 | | 62,258,322 |
| घटा : चालू दायित्व तथा प्रावधान : | | | | |
| (क) व्यय के लेनदार | | 8,155,919 | | 8,816,222 |
| (ख) अन्य दायित्व | | 5,846,168 | | 5,216,469 |
| योग | | 14,002,087 | | 14,027,691 |
| शुद्ध चालू आस्तियां | | 60,666,744 | | 48,230,631 |

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची "ख"

(रकम रुपयों में)

| आय | योग | | सदस्य | | | | छात्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधिवत | | व्यावसायिक विकास तथा अनुसंधान | | | |
| | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 |
| 1. प्रवेश शुल्क (आबंटित) | 421,000 | 284,300 | 421,400 | 284,300 | | | | |
| 2. सदस्यता शुल्क | 41,213,841 | 39445767 | 41,213,841 | 39,445,767 | | | | |
| 3. छात्र रजिस्ट्रीकरण शुल्क | 2,215,410 | 2082720 | | | | | 2,215,410 | 2,082,720 |
| 4. छात्र संघ शुल्क | 482,200 | 452400 | | | | | 482,200 | 452,400 |
| 5. कोचिंग शुल्क | 49,198,878 | 46866265 | | | | | 49,198,878 | 46,866,265 |
| 6. परीक्षा शुल्क | 39,917,891 | 35564728 | | | | | 39,917,891 | 35,564,728 |
| 7. जरनल तथा न्यूज लैटर | 4,072,208 | 3642348 | | | 1,555,810 | 1,543,250 | 2,516,398 | 2,099,098 |
| 8. प्रकाशनों का विक्रय | 15,020,090 | 12161945 | | | 3,470,733 | 3,971,800 | 11,549,357 | 8,190,145 |
| 9. कंप्यूटर केन्द्रों से आय | 1,986,505 | 2149849 | | | 1,489,879 | 1,612,387 | 496,626 | 537,462 |
| 10. सेमिनारों से आय | 10,841,980 | 17638746 | | | 10,841,980 | 17,638,747 | | |
| 11. अन्य आय | 4,205,838 | 2912584 | 354,386 | 149,214 | 1,583,724 | 1,200,212 | 2,267,728 | 1,563,158 |
| अग्र योग | 169,576,241 | 163201652 | 41,989,627 | 39,879,281 | 18,942,126 | 25,966,395 | 108,644,488 | 97,355,976 |
| 12. विनिधानों पर ब्याज | 9,981,343 | 11456702 | 2,906,677 | 4,551,022 | 1,173,232 | 872,929 | 5,901,434 | 6,032,751 |
| अग्र योग | 179,557,584 | 174658354 | 44,896304 | 44,430,303 | 20,115,358 | 26,839,324 | 114,545,922 | 103,388,727 |
| 13. पूर्व कालावधि की आय | 21,924 | 527282 | | 1,863 | 10,962 | 30,215 | 10,962 | 495,204 |
| योग : | 179,579,508 | 175185636 | 44,896,304 | 44,432,166 | 20,126,320 | 26,869,539 | 114,556,884 | 103,883,931 |

## 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची "ञ"
(रकम रुपयों में)

| व्यय | योग | | सदस्य — विधिवत | | सदस्य — व्यावसायिक विकास तथा अनुसंधान | | छात्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 | 31-3-96 | 31-3-95 |
| 1. वेतन तथा स्टाफ व्यय | 51,115,336 | 42,478,893 | 15,630,293 | 12,575,676 | 7,648,069 | 6425,060 | 27,836,974 | 23,478,157 |
| 2. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 4,455,268 | 3,187,991 | 1,773,608 | 1,269,961 | 799,760 | 583,075 | 1,881,900 | 1,334,955 |
| 3. प्रकाशन | 5,665,735 | 3,218,763 | 876,320 | 636,586 | 1,418,116 | 499,321 | 3,371,299 | 2,082,856 |
| 4. जरनल तथा न्यूज लैटर | 20,459,960 | 11,114,738 | | | 16,367,958 | 8,891,790 | 4,091,992 | 2,222,948 |
| 5. कोचिंग व्यय | 17,125,482 | 11,891,538 | | | | | 17,125,482 | 11,891,538 |
| 6. परीक्षा व्यय | 23,189,649 | 18,606,499 | | | | | 23,189,649 | 18,606,499 |
| 7. डाक व्यय, टेलीफोन तथा टेलीग्राम | 5,162,688 | 5,036,027 | 2,065,075 | 2,014,411 | 516,269 | 503,602 | 2,581,344 | 2,518,014 |
| 8. किराया उपकर तथा कर | 5,375,030 | 4,880,863 | 1,250,012 | 1,952,345 | 537,503 | 488,086 | 2,687,515 | 2,440,432 |
| 9. मरम्मत तथा अनुरक्षण | 2,520,433 | 2,067,257 | 1,009,174 | 826,903 | 252,042 | 206,725 | 1,260,217 | 1,033,629 |
| 10. यात्रा और भत्ता | | | | | | | | |
| (क) परिषद के सदस्य | 5,712,697 | 4,431,674 | 1,336,233 | 1,271,916 | 2,709,692 | 1,859,797 | 1,666,772 | 2,299,961 |
| (ख) स्टाफ तथा अन्य | 3,219,827 | 2,594,671 | 1,320,097 | 1,045,777 | 486,574 | 376,486 | 1,413,156 | 1,172,408 |
| 11. पुस्तकालय अनुरक्षण | 418,714 | 319,648 | | | 104,679 | 79,912 | 314,035 | 239,736 |
| 12. विदेश संबंध | 4,055,050 | 4,356,994 | | | 4,005,050 | 4,356,994 | | |
| 13. व्यावसायिक शुल्क | 702,499 | 594,667 | 511,149 | 335,985 | 57,588 | 67,318 | 133,762 | 191,364 |
| 14. छात्र संघों को अनुदान एवं फीस | 93,114 | 83,362 | | | | | 93,114 | 83,362 |
| 15. कम्प्यूटर केन्द्रों के व्यय | 728,122 | 903,994 | | | 546,091 | 677,995 | 182,031 | 225,999 |
| 16. सेमीनार के व्यय | 11,410,324 | 17,715,087 | | | 11,348,979 | 17,705,087 | 61,345 | 10,000 |
| 17 अन्य व्यय (इसमें 30.69 रुपये के अप्रयुक्त स्टाफ/अन्य वसूली योग्य धन के लिए (पूर्व वर्ष का 1.29 लाख रु०) प्रावधान सम्मिलत है) | 6,322,614 | 4,179,510 | 1,032,291 | 2,483,255 | 2,183,291 | 762,685 | 3,107,032 | 933,570 |
| 18. अवक्षयण | 5,823,390 | 5,371,067 | 2,329,356 | 2,148,427 | 582,339 | 537,106 | 2,911,695 | 2,685,534 |
| अनुयोग | 173,505,932 | 143,033,243 | 30,032,608 | 26,561,242 | 49,564,010 | 44,021,039 | 93,909,314 | 72,450,962 |
| 19. पूर्व कालावधि के व्यय | 2,581,081 | 136,853 | 189,104 | | 138,655 | 48,100 | 2,253,322 | 88,753 |
| योग : | 176,087,013 | 143,170,096 | 30,221,712 | 26,561,242 | 49,702,665 | 44,069,139 | 96,162,636 | 72,539,715 |

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वित्तिय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(लाख रुपयों में)

| | 1995–96 | 1994–95 |
|---|---|---|
| निधि के स्रोत : | | |
| विनिधानों से शुद्ध आय | 9.98 | 11.46 |
| पूंजी प्राप्तियां | 18.91 | 14.69 |
| अग्रिम में प्राप्त शुल्क/आय | 20.63 | 5.57 |
| अनुयोग | 49.52 | 31.72 |
| आपरेशनल (परिचालन) अधिशेष– | (0.67) | 25.93 |
| योग : | 48.85 | 57.65 |
| निधियों का अनुप्रयोग : | | |
| कामकाज पूंजी में वृद्धि | 20.83 | 7.27 |
| स्थिर आस्तियों का अर्जन | 13.00 | 14.25 |
| विनिधानों का अर्जन | 15.02 | 36.13 |
| योग : | 48.85 | 57.65 |

कामकाज–पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(रुपये लाख में)

| | 1995–96 | 1994–95 |
|---|---|---|
| चालू आस्तियां : | | |
| (क) प्रकाशन, लेख, अध्ययन-सामग्री तथा लेखन सामग्री आदि | (0.09) | 4.50 |
| (ख) प्राप्य रकम : | | |
| (1) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज | 2.13 | 4.17 |
| (2) आवास उधारों, आदि पर ब्याज | 0.36 | 0.30 |
| (3) प्रतिभूति निक्षेप | 0.02 | 0.02 |
| (4) अन्य | 1.16 | 0.29 |
| (ग) उधार तथा अग्रिम | | |
| (1) स्टाफ को अग्रिम | (1.04) | 0.13 |
| (2) शाखा भवनों हेतु ब्रिज लोन | 0.30 | 0.10 |
| (3) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान | 1.09 | 1.05 |
| (घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष | 16.88 | 2.21 |
| योग : | 20.81 | 12.77 |
| चालू दायित्व : | | |
| (क) व्यय के लेनदार | (0.65) | 3.50 |
| (ख) अन्य दायित्व | 0.63 | 2.00 |
| योग : | (0.02) | 5.50 |
| कामकाज पूंजी में शुद्ध वृद्धि | 20.83 | 7.27 |

ए० के० मजुमदार
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 20 अगस्त 1996

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सं. 3-एस. सी. ए. (5)/8/95-96—इस संस्थान की अधिसूचना सं. 3-डब्ल्यू. सी. ए. (4)/2/95-96 दिनांक 13 मई, 1996 और 3-एन. सी. ए. (4)/2/95-96 दिनांक 7 मई, 1996, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

| क्रम सं. | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता, | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 7748 | श्री मीनाचिसुन्दरम के, सेक्रेटरी (एम एस), एल आई सी आफ इंडिया लि. जोनल आफिस पी बी नं. 2450, अन्ना सलाई, मद्रास-600002 । | 1-10-95 |
| 2. | 28985 | श्री वेंकटरामन एन एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज लि., मद्दुक्करई सीमेंट वर्क्स, कोयम्बटोर डिस्ट., मद्दुक्करई-641105 । | 1-10-95 |
| 3. | 46730 | श्री हेमांगी सचिन घोलकर 1541, फस्ट फ्लोर, 10 मैन फस्ट क्रॉस, हाल 3 स्टेज, बंगलोर-560008 । | 1-10-95 |
| 4. | 83319 | श्री नवनीत मोहन चोपड़ा, मैनेजर, कोरपोरेट बैंकिंग, दि हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कोरपोरेशन लि., 30, राजाजी सलाई, मद्रास-600001 | 1-10-95 |

ए. के. मजुमदार
सचिव

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता-700016, दिनांक 11 सितम्बर 1996

सं. 18-सी डब्ल्यू ए/9/96—दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1959 की धारा 18 की उप-धारा (5) का अनुसरण कर दी इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की परिषद ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और संस्था की लेखा परीक्षा किया हुआ लेखा जिसकी अवधि 31 मार्च 1996 को समाप्त होती है, सबकी सूचना के लिए प्रकाशित किया गया।

एस. आर. आचार्य
सचिव

------------

37वीं वार्षिक रिपोर्ट 1995-96

[दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स के अधिनियम 1959 की धारा (18) (5) के अधीन प्रकाशित]।

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट एवं

परीक्षित किया हुआ लेखा जिसकी अवधि 31 मार्च 1996 को समाप्त होती है प्रस्तुत करते हुए हर्ष होता है।

नये चुनाव :

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का चुनाव अप्रैल 1995 में हुए और चुनाव फल की घोषणा 2-5-95 को हुई। 13वीं परिषद जिसका गठन 22-7-95 को जिसकी अवधि 21-7-98 तक होगी।

परिषद जिसकी बैठक 22-7-95 को हुई थी हरिजीवन बनर्जी, बी ए., बी काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए को इस संस्था का अध्यक्ष तथा श्री एन. पी. सुकुमारन, बी ए सी, एफ आई सी डब्ल्यू को उपाध्यक्ष के रूप में इस वर्ष 1995-96 के लिए सर्व सम्मति से चुन लिया गया।

इस वर्ष 1995-96 के दौरान परिषद की 5 बार बैठकें हुई।

परिषद की समितियां

22 जुलाई 1995 को परिषद के विभिन्न समितियों का पुन: गठन हुआ इसका पूरा विवरण अनुबंध-1 में दिखाया गया है।

सभी पंजीकृत छात्र :—

वर्ष के दौरान संस्था ने 22813 छात्रों को पंजीकृत किया। गत वर्ष इनकी संख्या 31,205 थी। वर्ष के अन्त में पंजीकृत छात्रों की संख्या 1,90,746 होगी। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पंजीकृत छात्रों के क्षेत्र के अनुसार विभाजन नीचे दिया गया है।

| | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|
| पूर्वी | 9297 | 5204 |
| उत्तरीय | 6066 | 3677 |
| दक्षिणीय | 9023 | 7946 |
| पश्चिमीय | 5216 | 4343 |
| | 29600 | 21170 |
| इनोभो आदि | 1605 | 1643 |
| कुल | 31205 | 22813 |

| | पोस्ट द्वारा | | मौखिक | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1994-95 | 1995-96 | 1994-95 | 1995-96 | 1994-95 | 1995-96 |
| इन्टर पूर्वी | 7402 | 4090 | 6347 | 4984 | 13749 | 9074 |
| उत्तरीय | 5599 | 3956 | 3302 | 2147 | 8901 | 6103 |
| दक्षिणीय | 8086 | 6536 | 8374 | 6962 | 15602 | 13498 |
| पश्चिमीय | 1837 | 1521 | 6772 | 5323 | 10080 | 6844 |
| सब टोटल | 22924 | 16103 | 24952 | 19416 | 47876 | 35519 |
| फाइनल पूर्वी | 2627 | 2817 | 392 | 709 | 3019 | 3526 |
| उत्तरीय | 1858 | 1945 | 873 | 512 | 2731 | 2457 |
| दक्षिणीय | 2731 | 2551 | 207 | 1154 | 2998 | 3705 |
| पश्चिमीय | 1050 | 917 | 871 | 1016 | 1898 | 1933 |
| सब टोटल | 8266 | 8230 | 2343 | 3391 | 10609 | 11621 |
| कुल | 31192 | 24333 | 27295 | 22807 | 58485 | 47140 |

विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत पुराने और संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार वर्ष के दौरान क्षेत्रीय परिषदों द्वारा डाक [illegible] से छात्रों को [illegible], टेस्ट पेपर और [illegible] गये उत्तर लिये जा रहे हैं । संस्था की परीक्षाओं (इन्टर और फाइनल पुराने और नये पाठ्यक्रम के अनुसार) में पूछे गये प्रश्नों और संभावित उत्तरों का [illegible] शिक्षण के छात्रों की मांग के अनुसार [illegible] रहा है । [illegible] यह [illegible] है कि शैक्षणिक [illegible] की सहायता से संस्था की परीक्षा जो दिसम्बर 1995 को [illegible] में पूछे गये प्रश्नों के [illegible] उत्तर परीक्षा कक्ष प्रकाशन के पहले ही फरवरी के तीसरे सप्ताह के अन्दर निकल जायेंगे । इससे भी अधिक [illegible] संभव [illegible] है कि संस्था के फाउन्डेशन कोर्स के अनुमान किये [illegible] उत्तर (4 संकलित टर्म) निकल रहा है । इसके अलावा शैक्षणिक शाखा के सहयोगी [illegible] के लिये जून 1996 की परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के सुझाए गये उत्तर को भी जुलाई 1996 के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित करना भी संभव हुआ है ।

डाक द्वारा शिक्षण के अलावा संस्था अपने 106 केन्द्रों में जो देश के चारों ओर फैले हैं । मौखिक शिक्षण दे रही है । मौखिक शिक्षण केन्द्रों का क्षेत्रीय विभाजन नीचे दिया गया है ।

| | केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| क्षेत्र का नाम | 26 |
| पूर्वीय क्षेत्र | 25 |
| उत्तरीय क्षेत्र | 29 |
| दक्षिणीय | 26 |
| पश्चिमीय क्षेत्र | 106 |

शिक्षण समाप्ति के प्रमाण-पत्र का पुनः [illegible]

इस योजना के अधीन डाक तथा मौखिक शिक्षण के 5860 छात्रों को संबंधित टर्म की परीक्षाओं के तीन वर्ष पहले एक रिफ्रेशर शिक्षण के शिक्षण समाप्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना है ।

व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना :

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की पाठ्य पुस्तकों की सूची इस प्रकार बनायी गयी है जिससे कास्ट और प्रबन्ध एकाउन्टेन्सी का व्यावसायिक ज्ञान हो सके । इस इन्स्टीट्यूट की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की दक्षता इस प्रकार हो कि वे उद्योगों, वित्तीय निकायों आदि में अपनी प्रभावी सेवा दे सकें ।

[illegible] और [illegible] । कास्ट और मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी की दक्षता का प्रयोग विश्व व्यापकता के [illegible] और आगे [illegible] के लिये किया जा सकता है । इसके अलावा [illegible] के युग में सार्वजनिक [illegible] का [illegible] सरकार समय-समय परिभाषित की है । [illegible] मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी का [illegible] व्यवस्था की प्रगति के [illegible] किया जा सकता है ।

[illegible] संस्था [illegible] परिभाषित किया है । [illegible] कास्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी [illegible] के साथ [illegible] किया जा सकता है जो प्रबन्ध के निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी [illegible] सकता है । [illegible] एण्ड मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी सेवाओं का सबसे अच्छा उपयोग [illegible] बैंकों वित्तीय संस्थानों स्टाक मार्केटस में किया जा सकता है । [illegible] की शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन और यातायात [illegible] आदि के [illegible] निर्धारित करने के लिये कास्ट एण्ड मैनेजमेंट की [illegible] ली जा सकती है ।

लेखा परीक्षा के [illegible] क्षेत्र जो अभी तक अविकसित हैं [illegible] आडिट, वातावरण आडिट, प्रबन्ध आडिट आदि कास्ट एण्ड मैनेजमेंट [illegible] उत्पन्न कर सकते हैं ।

[illegible] प्रशिक्षण परियोजना का [illegible] किया गया है । [illegible] व्यवसाय और वाणिज्य के नायकों तथा अपने क्षेत्रीय परिषदों और [illegible] को भी भेजा गया है ।

प्रशिक्षण योजना [illegible] है और 1550 छात्रों को पंजीकृत किया गया है । 80 से अधिक संगठनों [illegible], और प्रबन्ध एकाउन्टींग के क्षेत्र में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये अभी तक पहल की है । क्षेत्रीय परिषदों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम छात्रों के इस क्षेत्र के व्यावहारिक दृष्टी प्रदान करने के लिये बनाये गये हैं । संस्था के द्वारा एच आर डी मंत्रालय को इस प्रकार के [illegible] प्रशिक्षण देने के लिये आवेदन पत्र दिया गया है और इस विषय का तेजी से [illegible] किया जा रहा है । इसे जान कर प्रसन्नता होती है कि [illegible] से प्रतिष्ठित संगठन जैसे ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, एन टी पी सी कास्ट के प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को अपने संगठन में कुछ साक्षात्कार के बाद रख लेते हैं ।

छात्रों के शिकायत दूर करने की शाखा :—विकेन्द्रीकरण योजना के अनुसार जिले परिषद पहले ही [illegible] कर चुकी हैं क्षेत्रीय परिषदों को डाक द्वारा शिक्षा के छात्रों को पंजीकरण, भर्ती, टेस्ट पेपर देना, टेस्ट पेपर के उत्तरों का मूल्यांकन और उससे सम्बन्धित कार्य, संस्था की ओर से मंत्रालय आदि के अनुमोदन से प्रशिक्षण समाप्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, [illegible] को प्रदान करना है । यह स्वाभाविक है कि [illegible] शिक्षण के समस्याओं से संस्था के पास हल के लिये जाते हैं । जैसा की संस्था का छात्रों की सहायता देने का नैतिक दायित्व है यह भरसक शीघ्र प्रयास किया जा रहा है सभी समस्याओं को ध्यान से सुनकर सहायता किया जाये । इस वर्ष के दौरान छात्रों के सभी पत्रों, शिकायतों का उत्तर उनके इस [illegible] पत्र मिलने के 7 दिनों के अन्दर दे दिया गया ।

निर्देशन शाखा की स्थापना :—

कास्ट और मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिये इस संस्था की स्थापना हुयी, और इस प्रकार प्रकृति के अनुसार यह एक शिक्षा संस्था है । प्रशिक्षण और ई. एफ. समीति एक निर्देशन शाखा और [illegible] शाखा की स्थापना करने की आवश्यकता का अनुभव किया [illegible] संस्था के छात्रों को जहां भी आवश्यक हो पुनः लिखकर और संशोधित कर अध्ययन नोटिस और [illegible] किये गये उत्तरों आदि [illegible] शिक्षा सम्बन्धी मार्ग दर्शन दें । परिषद 1993-94 से ही एक शिक्षा शाखा की स्थापना का विचार कर रही थीं ।

यह हर्ष का विषय है कि [illegible] शिक्षा शाखा के [illegible] । [illegible] नीटस तथा [illegible], [illegible] प्रोजेक्ट [illegible], आपरेशन मैनेजमेंट [illegible] मैनेजमेंट को संशोधित किया ।

कम्प्यूटराइजेशन :--

शिक्षण डाइरेक्टरेट को यह संभव हुआ है कि पी सी एस जो स्थापित किया गया है उसका प्रयोग छात्रों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर उन्हें अच्छी सेवा प्रदान की जाय ।

ऐसा अनुभव किया गया है कि संस्था की छवि ठीक तरीके से बनायी जाए और यह दो तरह से हो सकता है (1) ग्राहकों के लिये अपना छवि बनाना जैसे छात्रों और सदस्यों (2) आम जनता और खास तौर पर उद्योगों को छवि प्रस्तुत करना । सच्ची और ईमानदारी पूर्ण चेष्टा किया जा रहा है जिससे पहला उद्देश्य छात्रों और सदस्यों की बेहतर सेवा उपलब्ध प्रदान कर जिसके ऊपर संस्था की नींव खड़ी है सुधार किया जा सकता है । आम जनता और खासतौर पर उद्योगों के सम्मुख संस्था के छवि को निखारने के लिये पहले ही कदम उठाये गये हैं और इस उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रकार के तरीके जैसे प्रचार विभिन्न छोटे पुस्तकों का मुद्रण, उद्योग, व्यवसाय और वाणिज्य के साथ निकट का जन संपर्क स्थापित करना है ।

परीक्षा :--

परीक्षायें जो वर्ष में दो बार होती हैं संस्था की सबसे महत्वपूर्ण और वेदनशील कार्य हैं । सैकड़ों अनुसीमक प्रश्नकर्ता परीक्षक जो देश के विभिन्न ओर से आते हैं परीक्षा विभाग के कार्य में लगे रहते हैं । उनके पूर्ण सहयोग से अधिक हद तक संस्था की परीक्षा पद्धति, परीक्षा की गरुता तथा साख का प्रबन्ध कर सकते हैं । और इस तरह संस्था के परीक्षा पद्धति को रखते हैं । इस वर्ष के दौरान परीक्षा विभाग के कार्य का स्तर सबसे ऊंचा रहा क्योंकि सारे देश और विदेश में पुराने और नये प्रत्येक टर्म के पाठ्यक्रमों से 60,000 से भी अधिक परीक्षार्थी संस्था के परीक्षा में बैठे ।

संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से विभाग ने सफलता पूर्ण तथा अच्छी तरह से परीक्षा का संचालन किया । वर्ष के दौरान संतत कोन्द्र टिकट बना कर कम्प्यूटराइजेशन के काम में थोड़ी बढ़त हुयी । यह आशा की जाती है कि विभाग इसके सुधार करने में और सक्षम होगा ताकि संस्था के छात्र समुदाय को और भी अच्छी सेवा दी जाये ।

संस्था की परीक्षायें क्रम से जून और दिसम्बर 1995 में सारे देश में बिखरे हुये 62 परीक्षा केन्द्रों और विदेश में 8 परीक्षा केन्द्रों में संपन्न हुयी । एक सूची जो परीक्षा के सभी केन्द्रों का संकेत दे रहा है अनुबन्धक तीन में दिखाया गया है । परीक्षार्थियों को हिन्दी में भी लिखने की छूट है ।

वर्ष के दौरान संस्था के जून और दिसम्बर के फाईनल परीक्षाओं में 3535 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया । इन्टरमीडिएट तथा फाउन्डेशन कोर्स की परीक्षाओं में क्रमशः 5981 और 2489 छात्र उत्तीर्ण हुये । आई सी डब्ल्यू ए आई के सभी क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों का तथा परीक्षा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को गंभीर कृतज्ञता दिया जाता है जिनकी सहायता और अपरिमित सहयोग से ही संस्था परीक्षा को सुचारू रूप से चला सकी ।

सदस्यता :--

वर्ष के दौरान 1076 प्राथीयों को एसोसिएट सदस्य के रूप में और 159 एसोसिएट सदस्यों को फेलो सदस्य के रूप में लिया गया । 31 मार्च 1996 को कुल सदस्यों की संख्या 14740 थी । 1420 सदस्य प्रैक्टिस में हैं जब की गत वर्ष इनकी संख्या 1414 थीं । वर्ष के दौरान 1323 स्नातक सदस्यों को भर्ती किया गया । करीब 8500 ग्राड सी डब्ल्यू एस आवश्यक अनुभव तथा दूसरी शर्तें जो एसोसिएट सदस्य होने के लिये जरूरी हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

**श्रद्धांजलि**

संस्था को यह सूचित करते हुये दुःख हो रहा है कि निम्नलिखित संस्था के सदस्यों का वर्ष के दौरान जैसा की सूचना मिली निधन हो गया है ।

| क्रम सं० | नाम | सदस्यता सं० | निधन की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | टी०के० मेहता, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए | 8016 | 22–6–95 |
| 2. | एस एन सेन गुप्ता, बी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 8934 | 24–7–95 |
| 3. | बी० एन० वल्ल, बी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 2121 | 31–5–95 |
| 4. | प्रभात कुमार सिन्हा, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए | 2276 | 2–8–95 |
| 5. | एम० ए० सोमेश्वरा राव, बी काम, आई सी डब्ल्यू ए | 638 | 12–8–95 |
| 6. | के० वी० सुब्बाराव, बी काम, एल एल बी, एफ सी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 4572 | 14–8–95 |
| 7. | पी० आर० मेहरा, एफ सी ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए | 379 | 26–9–95 |
| 8. | आर० कुप्पास्वामी, बीए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 1002 | 2–6–94 |
| 9. | एस० पी० देशांवकर, बी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 14045 | 20–9–95 |
| 10. | के० एम० चन्द्रशेखरन, नम्बीयार, बी काम, ए आई सी डब्ल्यू ए | 2668 | 7–10–95 |
| 11. | ज्ञान प्रकाश गुप्ता, बी ए, ए आई सी डब्ल्यू ए | 1086 | 14–12–95 |
| 12. | ई० वी० मनी, बी ए, बी एल, एफ सी ए, एच डी, एफ आई सी डब्ल्यू ए | 1225 | 28–3–96 |
| 13. | बी० रामा राव, एम ए, एल एल बी, एफ सी एस, एफ आई सी डब्ल्यू ए | 76 | 29–3–96 |
| 14. | एम० पी० पंडित, बी ए, एम काम, एफ आई सी डब्ल्यू ए | 859 | 24–5–96 |

सदस्यों की सुविधाओं और सेवा में

सदस्य संस्था के आधार स्तम्भ हैं और सदस्यों को उचित सुविधायें और सेवायें को देना संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर समिति सेवाओं में सुधार करने और अधिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं।

समिति एक सही कम्प्यूटराईज्ड पद्धति तैयार करने का एक अभिज्ञ निर्णय लिया है और सदस्यों का एक डाटाबेस तैयार किया है जो सदस्यों को सही संचार सुविधायें प्रदान करेगी। संस्था के पास सदस्यों के जो अभिलेख तथा विवरण प्राप्त हैं उसे अद्यतन किया जा रहा है।

सदस्यों को उनके बकाये अंशदान तथा पत्ता परिवर्तन करने के अभिलेख को सही तथा ठीक समय पर सूचना प्रदान करने के लिये यह निर्णय कि प्रत्येक सदस्य को एक ठीक फार्म भेजा जाए जहां उसका/उसकी अंशदान की स्थिति तथा अभिलेख में उनका पत्ता, सदस्यों की सूची, तथा डाक द्वारा जर्नल भेजने दोनों के लिये है। यह फार्म पहली बार जुलाई 1996 में भेजा जा रहा है और इसके बाद प्रति वर्ष प्रति सदस्य को 31 मार्च तक भेज दिया जायेगा। सदस्यों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इस फार्म का उपयोग अंशदान के भुगतान तथा पत्ता के परिवर्तन के लिए करें।

वर्ष के दौरान समिति द्वारा दूसरे उठाये गये कदम ये हैं :--

1. संस्था के एसोसिएट/फेलो सदस्य के रूप में प्रवेश के मार्ग दर्शन के संशोधनों के लिये संस्तुति।
2. देश के विभिन्न भागों में सीधे परस्पर सम्बन्ध के कार्य के फलस्वरूप सदस्यों से प्राप्त सुझावों का पुनः अवलोकन।
3. ऐसे सदस्यों को अनुस्मारक देना जिसका अंशदान तीन वर्ष से अधिक तक देय है प्राप्त नहीं हुए हैं।
4. संस्था के नाम का सिल्ला सदस्यों के उपयोग के लिये बनाया गया है। इस वर्ष सदस्यों की संख्या बढ़ाने के विशेष अभियान के फलस्वरूप 1000 सदस्य जो कि एक रेकार्ड संख्या है, प्रवेश हुआ। फाइनल योग्यता प्राप्त और स्नातक सदस्यों को एसोसिएट सदस्य के रूप में भर्ती मूल्यांकन के कदम उठाये गये हैं।

समिति आशा करती है कि उठाये गये कदम से वास्तव में सदस्यों को अच्छी सेवा दिलायेगी और इसमें और सुधार लाने के लिये सदस्य बन्धुओं से सुझाव की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें हुयी।

जर्नल

नया "दि मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट" अपने बदलते हुए आनन्ददायक निबन्ध, सूचनायें की व्यूह रचना तथा आकर्षित रूप रेखा से व्यावसायिक केन्द्रों पर अपनी छाप जमा चुका है। इस वर्ष इसमें बहुत से ऐसे विषय छपी कि व्यवसायिक क्षेत्रों के बड़ी सीमा में उत्तेजना पैदा हो गयी। इस जर्नल में उद्योग और सेवा के क्षेत्रों में विशेष प्रकाश डाली है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा होगा। "दि इजक्यूटिव डाइजेस्ट" को पुनर्गठित किया गया है और विश्व के झलक से बहुत से पाठक इसके मित्र बन गये हैं।

जर्नल का परिचलन 45000 और 47000 के बीच चल रहा है। संस्था के अभिदान के ग्राफ की और बढ़ती रेखा यह साबित कर रही है कि इसकी ख्याति उद्योगों, व्यवसायों तथा शिक्षाविदों में है क्योंकि जर्नल की अनेक रूपता एक विशाल क्षेत्र में लगाव उत्पन्न किया है।

संचार की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये इस जर्नल को दो रंगों में किया जा रहा है, 1 मई 1996 में स्टील पर विशेष प्रकाशन पाठकों में एक लगाव उत्पन्न किया है और देश भर में इसे अधिक पढ़ा जा रहा है। अभी अभी इसके त्रैमासिक आधार पर एक कर के कालम का योग किया है और बहुत शीघ्र ही एक नये कालम स्ट्रेट ला योग किया जायेगा। आवश्यक कम्प्यूटर कार्यक्रम का विकास कर इसके ऊपर पेज की सुन्दरता की क्षति के तथा बिना मोड़े इसे भेजा जायेगा। कुछ दिनों में कुछ औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर जर्नल को बिना कुछ भुगतान किये लाइसेन्स पर भेजा जायेगा। इससे यह आशा की जाती है कि प्रतियों को शीघ्र भेजने की सुविधा होगी। जर्नल की समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि छात्रों की बन्धु मासिक जर्नल को प्रकाशित कर उन्हें क्षेत्रीय परिषदों और संघों द्वारा वितरित किया जाय।

कम्प्यूटराइजेशन के क्षेत्र में एक और कम्प्यूटर को लगाया गया है। दो कम्प्यूटर अभी काम कर रहे हैं और विभागीय कर्मी नये वातावरण तथा नये उत्साह से काम कर रहे हैं। इन हाउस पर एक नया विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम जर्नल विभाग के पाइप लाइन में है। कम्प्यूटर का स्तर ऊंचा किया गया है और नया साफ्टवायर पैकेट को लगाया गया है।

खोज और प्रकाशन

खोज और प्रकाशन समिति का 22 जुलाई 1995 को पुनर्गठित किया गया और संस्था के खोज निदेशालय को और शक्तिशाली करने के लिये सतत और लम्बी अवधि के आधार पर खोज कार्य को करने का प्रयास किया जा रहा है।

दि रिसर्च बुलेटिन 13, 1995 में प्रकाशित हुयी और व्यावसायिक तथा शिक्षावृन्दों के बड़े क्षेत्र में अपना जय-जय कार प्राप्त की है।

इसकी श्रेष्ठता के लिये प्रचेष्टा के प्रयास जारी है। इस वर्ष समिति एक ही वर्ष में तीन पुस्तकों का प्रकाशन कर एक अभिलेख कायम किया है जो संस्था के इतिहास में अतुलनीय है। ये पुस्तकें हैं :--

1. ए स्टडी आन प्रौफिट प्लानिंग
2. म्यूचुयल फान्ड इण्डिया
3. ह्यूमन रिसोर्स एकाउन्टींग

इन सभी पुस्तकों को बड़े क्षेत्र में स्वीकार किया है और द्वितीय परिधि में इसकी सराहना मिली है। म्यूचुयल फंड की 1000 प्रतियों की मांग ए सी एफ ए आई द्वारा अकेले ही अपने सदस्यों के लिये की गई है।

ए सी एफ ए आई के साथ मिलकर भारत के विभिन्न शहरों में एक संगोष्ठी चलाने का निर्णय लिया गया था। इस दिशा में

सबसे पहली संयुक्त संगोष्ठी आई सी एफ ए आई के साथ श्री महेश शाह के अधीन जो समिति के अध्यक्ष भी हैं "कैपिटल मार्केट एण्ड फाइनान्सियल सर्विस" के ऊपर आयोजित किया गया । इस संगोष्ठी को विभिन्न उद्योगों और विश्वविद्यालय के सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के बड़ी संख्या में भाग लेने से इसे बहुत सफलता मिली । "कास्ट आफ प्राइमरी इसुज" पर आई सी एफ ए आई के साथ संयुक्त खोज का काम अन्तिम चरण में है ।

"ग्लासरी आफ मैनेजमैन्ट एकाउन्टींग टर्मस" नामक (दूसरा संशोधित प्रकाश) का मसौदा प्रो. श्यामल बनर्जी को उनके विशेषज्ञ विचार के लिये सौंपा गया है । उनके पुन: आलोकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्लासरी का मुद्रण किया जायेगा । डा. ई. भी. मनी जो समिति के पूर्व अध्यक्ष थे, द्वारा आई सी डब्ल्यू ए आई के रिसर्च मैनुयल का मसौदा तैयार किया गया लेकिन उनके असमय निधन के कारण यह रुक गया ।

संघों, क्षेत्रीय परिषदों निकायों संस्थानों जैसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एस ई बी आई, सी बी डी से विचार और सुझाव विशेषज्ञ राय के रूप में मांगा गया है और उन्हें आपसी सहयोग के आधार पर भारत की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर खोज करने को कहा गया है ।

लगातार शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष के दौरान दि सी ई पी समिति ने देश के विभिन्न स्थानों पर 32 (बत्तीस) व्यावसायिक विकास सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है ।

वर्ष के दौरान इन हाउस कार्यक्रम आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि., नेशनल सिड्स कारपोरेशन लि., पावर फाइनान्स कारपोरेशन लि., सेन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथारिटी, रक्षा मंत्रालय और इन्डियन नेवी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

विषय जिसके लिए वर्ष के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया है । कास्ट मैनेजमेन्ट कास्ट एनलीसिस, फाइनान्सियल मैनेजमैन्ट एण्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टिंग प्रोजक्ट कास्ट एकाउन्टींग एण्ड कन्ट्रोल, एकाउन्टींग एण्ड आडिटिंग सिस्टमस, फाइनानसीयल आपरेशन एण्ड मैनेजमैन्ट फाइनान्स फार नन फाइनान्स एक्जीक्यूटिव्स, कस्टमस, एक्साइज एण्ड पोर्ट क्लियरेन्स आदि समेत अच्छे कार्यक्रम हैं ।

समिति भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों विभाग और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ भी संयुक्त कार्यक्रमों को आयोजित किया । इन कार्यक्रमों के विषय थे शेयरों का मूल्यांकन, साख दर, मैनेजमैन्ट आडिट एण्ड परफार्मेन्स ओप्टीमिसेशन, कास्ट इफेक्टीवनेस एण्ड सरप्लस ओप्टीमिसेशन, इन्टरनेशनल कन्ट्रक्टींग, फाइनान्सियल, इकोनामिक एण्ड लेबर पालिसीज आफ पी एस यू एस, रेजिंग रिसोर्सेज फ्राम फिनान्सियल इन्स्टीट्यूट्स आदि ।

समिति को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इन्डियन आयल कारपोरेशन लि. जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा संगठन है, उनके कार्यकारी प्रशिक्षण के लिए एक आनन्द कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था है और बाद में संगठन के बीच व्यावसायिक विकास के लिए आई सी डब्ल्यू ए के कोर्स में भाग ले रहे हैं जैसा कि आई टी पी कम्पनी लि. के कार्यकारियों के लिए किया था । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चार महानगरों यथा दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में आयोजित किया जा रहा है ।

वर्ष के दौरान समिति द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों, सरकारी विभागों, आटोनमस बाडिज, बैंकों, बीमा कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के कर्मचारियों ने भाग लिया ।

समिति को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष के दौरान आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों को इनमें भाग लेने वाले और विभिन्न संगठनों ने इसकी भूरी-भूरी सराहना की । इनमें से बहुत से संगठन आने वाले वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों में अपने कार्यकारियों को पुन: भेजेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचे स्तर के तथा कार्यकारियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं । समिति को यह भी सूचित करते हुए आनन्द हो रहा है कि बहुत से संगठन अपने कार्यकारियों द्वारा इस संस्था के कार्यकलापों को जाना और संस्था के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की बहुत ही सराहना की ।

समिति ने वर्ष 1996-97 के दौरान 40 कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बनाई है । ये कार्यक्रम स्वत: चालित कार्यक्रम आनन्द भीतरी कार्यक्रम, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों और सरकारी विभागों के लिए संयुक्त कार्यक्रम सार्वजनिक उद्यम विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ इण्डिया, इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेट्रीज आफ इण्डिया पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स, एफ आई सी सी आई, ए एस एस ओ सी एच ए एम और विभिन्न उद्योगों के लिए, संस्था के सैधारण सदस्यों के लिए कम खर्च का कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों के क्षेत्रीय परिषदों और संघों में निबन्ध कार्य के प्रैक्टिस की प्रकृति कार्यक्रम को चलाने की भी समिति ने योजना बनायी है ।

सी ई पी समिति द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए कार्यक्रमों के विवरणी को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इनमें विभिन्न प्रकार के विषय सहित यथा कार्य पर आधारित लागत और प्रबन्ध, वाणिज्यिक बैंकों में लागत और एम आई एस, लागत प्रबन्ध नीति, आर्थिक, उदारीकरण में वित्तीय प्रबन्ध, पूंजी बाजार आदि साधारण विषयों के अलावा हैं । समिति ने स्व-समर्थक आधार पर बाहर के कार्यक्रमों को चलाने की भी योजना बनाई है ।

प्रतिवर्ष संस्था के विभिन्न प्रकार से कार्यकलापों को और कास्ट एण्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टेंसी के संदेश को भी फैलाकर समिति संस्था की सार्वजनिक शाखा के रूप में काम कर रही है । समिति कास्ट एण्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टिंग के संदेश सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और विभिन्न उद्योगों में समय-समय पर फैलाने का जो प्रयास कर रही है जिसकी सरकार और अन्य दूसरे उद्योगों द्वारा सराहना की गई है ।

व्यवसायिक विकास, सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय मामले

व्यवसायिक विकास

कास्ट एण्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्ट्स के सामने नया क्षितिज खुला हुआ है । देश का वित्तीय क्षेत्र पहले से ही अनुकूल बन चुका है जो हमारे व्यावसायिकों के कार्यों का प्रधान क्षेत्र है । कुछ बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों को हमारे प्रमुख सदस्य चला रहे हैं । यह हर्ष का विषय है कि सिटी बैंक लागत प्रबन्ध और लागत प्रतियोगिता पूर्ण नीति की घोषणा की है । इसका प्रधान लक्ष्य सफलता पूर्ण कार्य स्थापित करना है । बड़े उद्योगपति कर तथा बीमा क्षेत्रों में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट को प्रभावी ढंग से लगाने का अनुभव कर रहे हैं । उत्पादन मूल्यांकन और उत्पादन लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, केन्द्रीय उत्पादन और साल्ट 1944 की धारा 14ए के योग होने से कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एका-

उन्टेन्ट्स को उत्पादन मूल्यांकन और उत्पादन लेखा परीक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा रहा है।

सहयोग :—

समिति हमारे व्यवसाय के विकास के लिए दूसरे व्यावसायिक संस्थानों का सहर्ष और प्रभावकारी सहयोग का बहुत महत्व अनुभव कर रही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर तीन संस्थानों-आई सी डब्ल्यू ए आई, आई सी ए आई और आई सी एस आई के साथ सभी व्यवसायों के प्रगति के लिए जितना संभव हो सके कुछ सामान्य नीति अपनायी जाए के लिए वर्ष के दौरान संयुक्त बैठकें हुई। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए तीनों संस्थानों के अधिकारियों की भी कई बार बैठकें इस विषय में एक विशेष रूप का निर्णय लेने के लिए हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय मामले :—

विश्व व्यापकता के संदर्भ में ऐसा अनुभव किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक से अधिक भाग लेना परम आवश्यक है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक से अधिक भाग लेना परम आवश्यक है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने संस्था तथा देश के विचारों को दृष्टि गोचर कराया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संस्था आई एफ ए सी, सी ए पी ए, एस ए एफ ए का प्रवर्तक सदस्य है और इन एकाउन्टेन्ट्स के अन्तर्राष्ट्रीय निकायों का निर्विघ्न सदस्यता बनाये हुए है और उनमें पूर्ण रूप से सहयोग देता है।

इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स (आई एफ ए सी) और दि इग्जूटीव कमेटी आफ दि कन्फेडरेशन आफ एशिया एण्ड पैसिफीक एकाउन्टेन्ट्स (सी. ए. पी. ए.) के वित्तीय प्रबन्ध एकाउन्टिंग समिति में संस्था भारत का प्रतिनिधित्व करती आ रही है। वर्ष के दौरान संस्था का अंशदान और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगति उल्लेखनीय थी।

सी ए पी ए और एस ए एफ ए द्वारा आई सी डब्ल्यू ए आई को सौंपे गए काम समाप्त कर दिए गए और संस्था द्वारा समय से सम्बन्धित संस्थानों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया। श्री ए. एन. रमन, आई सी डब्ल्यू ए आई के केन्द्रीय परिषद के सदस्य। अक्तूबर 95 में आई एफ ए सी एफ एम ए सी के मेलबोर्न आस्ट्रेलिया के बैठक में भाग लिए और श्री डी. सी. बजाज, आई सी डब्ल्यू ए आई के केन्द्रीय परिषद के सदस्य सी ए पी ए के कार्यकारी समिति के तेईसवें के बैठक में उपस्थित रहे। आई सी डब्ल्यू ए आई के अध्यक्ष श्री हरिजीवन बनर्जी तथा उपाध्यक्ष श्री एन. पी. सुकुमारन तथा एस ए एफ ए के अध्यक्ष श्री के. आर. एस. शास्त्री एस ए एफ ए के दूसरी कार्यकारी समिति की बैठक जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई भाग लिए। आई एफ ए सी—एफ एम ए सी एक परियोजना एन्टी डम्पींग प्रीमिजन्स आफ डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेन्ट'' आई सी डब्ल्यू ए आई को सुपुर्द किया। संस्था आई सी ए आई के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नवम्बर 95 में नई दिल्ली में आई एफ ए सी के अधीन आयोजित किया और संस्था के अध्यक्ष श्री हरिजीवन बनर्जी संगोष्ठी में एक कागजात एकाउन्टिंग प्रोफेसन 2000 ए डी, प्रस्तुत किए। एस ए एफ ए एसेम्बली के चार बैठकें वर्ष के दौरान हुई और संस्था सहर्ष सभी बैठकों में भाग लिया।

श्री के. आर. एस. शास्त्री आई सी डब्ल्यू ए आई के केन्द्रीय परिषद के सदस्य को एस ए एफ ए के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1996 के लिए चुनने पर संस्था को शानदार सफलता मिली। दि आई सी डब्ल्यू ए, आई सी ए आई के साथ संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजित एस ए एफ ए के अधीन विशाखापटनम में जनवरी 10-11-1996 में किया। दोनों संस्थान आई सी ए आई के साथ मिलकर 11वां एस ए एफ ए सम्मेलन 3-4 जून 1996 को कलकत्ता में ''स्ट्राटिजीन्स फार इकोनामिक ग्रोथ इन एस ए ए आर सी रिजन पाथ एहेड'' के विषय पर आयोजित किया गया। भारत तथा पड़ोसी देशों के बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भाग लेने और सम्मेलन के तकनीकी सभा में गुणवत्ता पूर्ण भाषण से सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। आई सी डब्ल्यू ए आई और आई सी ए आई द्वारा एस ए एफ ए एसेम्बली की दो बैठकें विजाग और कलकत्ता में क्रमशः जनवरी और जून 1996 में हुई।

व्यावसायिक विकास

(तकनीकी मामले)

वर्ष के दौरान व्यावसायिक विकास (तकनीकी मामले) की समिति की तीन बार बैठकें हुई। वर्ष के दौरान कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टिंग से सम्बन्धित क्षेत्र के तकनीकी गतिविधि को एक नया प्रकाश दिया गया। एक सबसे बड़ा क्षेत्र जहां ध्यान केन्द्रित किया गया वह है केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम के सेक्शन 14 ए से सम्बन्धित जिसे 1995 के वित्त बिल में रखा गया केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम में यह विशेष लेखा परीक्षा व्यवस्था हमारे व्यवसाय के लिए चुनौती का क्षेत्र है और आने वाले वर्षों में अत्यधिक कार्यक्षेत्र की संभावना है। सूचनाएं विस्तार के लिए स्पष्ट मसौदा का विकास किया गया, यह एक पहला कदम जो सेक्शन 14 ए से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का था। अक्तूबर 1995 में इस विषय पर पहली कार्यशाला विज्ञान भवन में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन भारत सरकार के रेवेन्यू सचिव श्री एम. आर. शिवरामन ने किया और इसमें सी बी ई सी के सदस्यों, प्रधान कमीशन और अन्य कमीशनों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संस्था द्वारा उठाए गए कदमों का रेवेन्यू सचिव जोर देकर कहा तथा इस विषय पर विशेष मार्ग दर्शन तैयार करने को कहा। इसके बाद समिति विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित करने की शुरूआत की। इसके फलस्वरूप 1 फरवरी 1996 को कलकत्ता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, और दूसरे का 6 जुलाई 1996 में मद्रास में। उद्योग कास्ट एकाउन्टिंग व्यवसाय और रेवेन्यू के प्रतिनिधियों का बंगाल चेम्बर आफ कामर्स के साथ 30 अप्रैल 1996 को एक गोल मेज बैठक का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। इस विषय पर आई सी डब्ल्यू ए आर के डब्ल्यू आई आर सी के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठीयों का आयोजन किया गया। सभी कार्यशालायों में भाग लेना पूर्ण रूप से सफल रहा और सभी को इससे बहुत लाभ हुआ। इन माहों के बीच ऐसे बहुत से कदम उठाए गए जिससे एक अद्यतन और स्पष्ट मसौदा का विकास किया जाए।

इस वर्ष हमारे व्यवसाय को सबसे बड़ी सफलता मिली अपने व्यवसायिक के अधिकारों को भारत सरकार के आयात-निर्यात के पद्धति में प्रमाणित करने की मंत्रियों सहित दूसरे प्राधिकारियों

से बहुत से बैठकों के बाद सफलता मिली जब सरकारी राज पत्र में अधिसूचना जारी किए गए कि आयात-निर्यात के पद्धति में कास्ट एकाउन्टेन्ट्स को प्रमाण पत्र देने को प्राधिकृत किया जाता है इस तरह की पुनः स्थापना से आशा किया जाता कि इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों को बहुत ही सहायता मिलेगी जो अपने व्यावसायिक आयात-निर्यात योग्यता को उस क्षेत्र में लगाएंगे । कास्ट आडिट (रिपोर्ट) रूल्स के सरलीकरण करने और कास्ट आडिट रिपोर्ट को छोटे रूप में देने का सुझाव सरकार को देने का काम गत वर्ष ही शुरू हो गया । पूरे विवेचना के बाद वर्तमान कास्ट आडिट (रिपोर्ट) रूल्स में संशोधन करने और कास्ट आडिट रिपोर्ट को छोटे रूप की शक्ल में तैयार किया गया है और भारत सरकार के कास्ट आडिट शाखा के निदेशक को प्रस्तुत किया गया । इसको प्रस्तुत करने के बाद लगातार सरकार से बातचीत चल रही है । जिससे संस्था द्वारा प्रस्तुत सुझाव को वैध रूप मिल सकें ।

आई सी डब्ल्यू ए आई के द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों को कास्ट एकाउन्टिंग रेकार्ड रूल्स के मार्ग दर्शन को पुनः निरीक्षण करने की आवश्यकता है । संस्था द्वारा प्रकाशित वर्तमान बुकलेट पुनरीक्षण के लिए कदम उठाया गया है ।

वर्ष के दौरान संस्था ने आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई द्वारा दूसरे रिफार्मस इन डाइरेक्ट टैक्सेस का सुझाव का एक ज्ञापन डाइरेक्ट टैक्सेस के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री एन. रंगाचारी को प्रस्तुत किया है ।

परामर्शी ग्रुप के अध्यक्ष श्री एस. राजरत्नम सी बी डी टी के पूर्व सदस्य और सर्व श्री ए. आर. राव उपाध्यक्ष आयकर निपटारा कमीशन, मद्रास, बी. एस. शिव सुब्रामनियम पूर्व मुख्य कमीशन आयकर मद्रास के साथ मिलकर सुझावों पर पूर्ण विवेचन के बाद लागू किया गया ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन किए गए :—

1. कास्ट एकाउन्टिंग बुकलेट आन इनभरामेन्टल आडिट एण्ड आन पैस्टिसाइडस ।
2. एक्सपोजर ड्राफ्टआन सेन्ट्रल एक्साइज मैलुएशन आडिट ।
3. ग्राइडन्स नोटस आन मैलुएशन अन्डर सेन्ट्रल एक्साइज लगाना ।

कार्य दल (टास्क फोर्स) :—

संस्था के परिषद ने विभिन्न मामले विशेषकर जन संपर्क, स्वरूप योजना, संस्था का प्रबन्ध लेखा परीक्षा और क्षेत्रीय परिषदों और संघों के साथ सहयोग के लिए एक कार्यबल का गठन किया है ।

प्रबन्ध लेखा परीक्षा :—

दक्षणीय भारत के क्षेत्रीय परिषद उत्तरीय भारत के क्षेत्रीय परिषद और संस्था का मुख्यालय के सम्बन्ध में कार्यदल अपनी रिपोर्ट पूरा कर चुका है । कार्यों के सुधार के सम्बन्ध में उठाये गये कार्य-दल के मुद्दों पर सही रूप से ध्यान दिया जा रहा है ।

जन सम्पर्क :—

संस्था इस वर्ष जन सम्पर्क पर जो दिया है । संस्था वृत्ति मेलायों में भाग लिया, पोस्टरों को छापा और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया और विशेष बुकलेटों को निकाला तथा वार्षिक डायरी का प्रकाशन किया और उन्हें व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग, बैंकों, वित्तीय संस्थानों के नेताओं और सरकार को भेजा । कास्ट एकाउन्टेन्टस की भूमिका पर जोर देते हुये पोस्टरों "इनफारमेशन आन इन्स्टिट्यूट एण्ड प्रोफेशन" "फिल्ड फार प्रैक्टिसींग कास्ट एकाउन्टेन्टस" उसके सार संग्रह सहित "ग्राइडन्स नोट आन सेन्ट्रल एक्साइज ला" आदि के शीर्षक बुकलेटस और डेमेलपिंग कास्ट रेकार्डस—"ए प्रैक्टिकल एप्रोच" नामक शीर्षक पर एक स्पष्ट मसौदा को भी प्रकाशित किया ।

वित्तीय संस्थानों एवं उद्योगों के साथ सहयोगिता :—

संस्था अपने गत 50 वर्षों की यात्रा में सही परिस्थितियों का सही विश्लेषण किया, और बदलते हुये आर्थिक चित्र को ध्यान में रखकर समय-समय पर अपने उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया है ।

लागत निर्णय, लागत नियंत्रण को पथ पर चलते हुए यात्रा के बाद संस्था अभी पूरे लागत प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रवेश किया है ।

अस्सीवां में संस्था के परिषद् की धारणा थी कि कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस में निपुण वित्तीय क्षेत्रो, बैंको आदि को किए गए सेवाओं की लागत, साध्यता का अध्ययन, अन्तरिक नियंत्रण पद्धति के दोषों को दूर करने, अग्रिम आदि का निवेश करने में एक बहुत ही प्रभावकारी भूमिका निभा सकते है । परिषद् का यह दृढ़ विश्वास कि उदारीकरण के लिए जल्दी बदलते हुए रास्ते के युग में यह और अधिक ही प्रासंगिक है । विकसित होते हुए उद्योगों में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस की सेवाओं के उपयोग के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे की बैंकों, एस इ बी आई के पास पहुंच की गयी । पाठ्यक्रमों की विवरण पुस्तिका जारी करते हुए यह भी जल दिया गया था कि कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस की सेवाओं का बहुत ही महत्व होगा जब विनियोक्ता की हित की रक्षा की जाएगी । जब किसी कम्पनी का दर किया जाता है तो ऐसा ही किया जाता है ।

आज के बहुत ही ऊंची गति परिवर्तन के संदर्भ में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट की सेवाओं का उपयोग एस इ बी आई द्वारा जारी लागत नियम को चालू करने में किया जा सकता है । यह भी ध्यान देने की बात है कि आज प्रचार माध्यमों में इसको समर्थन

करते हुए बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। अन्य वित्तीय संस्था जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट की सेवाओं को भिन्नवत लेने की भूमिका की प्रशंसा की है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है एक बहुराष्ट्रीय बैंक कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट की नीति को किसी संस्थान के शक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह सत्य कि यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं को वास्तव में कास्ट इफेक्टिव और कम्पटेटिव बनाना है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजिंग कमेटी में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस को भी रखना चाहिए? इस विषय में केन्द्रीय सरकार को पहले ही बताया जा चुका है और ऐसा समझा जाता है कि इस पर शीघ्र विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता :—

कार्य दल मैनेजमेन्ट एकाउन्टिंग में सहयोगिता से पी. एच. डी. स्तर के खोज के लिए आवश्यकता को चिन्हित किया है। तदनुसार करीब 141 विश्वविद्यालयों के पास पहुँच की गयी है कि वे अपने नियमों में कुछ आवश्यक व्यवस्था करें ताकि संस्था के योग्य सदस्यों को वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रबन्ध तथा दूसरे विषयों में पी. एच. डी. के उम्मीदवारों के रूप में भी किया जा सके। वर्ष के दौरान 9 विश्वविद्यालयों ने हमारी योग्यता को पी. एच. डी. के अध्ययन के लिये मान्यता दे चुकी है ये विश्वविद्यालय हैं :

नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपेन विश्वविद्यालय

अलागाप्पा विश्वविद्यालय

तेजपुर विश्वविद्यालय

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय

विक्रम विश्वविद्यालय

मनीपुर विश्वविद्यालय

पान्डिचेरी विश्वविद्यालय

पर्सपेक्टिव प्लानिंग :—

बदलती हुई परिस्थितियों में कार्य दल संस्था के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने में सतत् लगा हुआ है और इस दिशा में एक "एप्रोच पेपर" पहले ही तैयार कर चुका है। संस्था के परिषद् ने इस पर विवेचना कर चुकी है और यह आशा किया जाता है कि इस विषय में एक स्पष्ट और साफ कागजात संस्था द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

क्षेत्रीय परिषद् और संघ सहयोगिता :—

विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और संघों की अपना भी सहयोगिता को बहुत ही महत्व दिया गया है।

प्रत्येक संघों और क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों को समालोचनात्मक रूप: निरीक्षण किया गया ताकि संस्था के नीतियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके। परिषद् की राय है कि भौगोलिक प्रसार के बदले यह बहुत ही अच्छा होगा कि गुणवत्ता के विकास पर विशेष महत्व दिया जाए। क्षेत्रीय परिषदों के सिफारिशों के आधार पर क्षेत्र के सबसे अच्छे संघों का चयन किया गया है। इन संघों को रजत प्लेट और स्क्रोल आफ आनर से दिल्ली में 13—16 जून, 1996 में आयोजित कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस के 33वां राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया।

क्षेत्र अनुसार सबसे अच्छे चेप्टरस ये हैं :—

आसनसोल—ई आई आई सी

कोचीन—एस आई आर सी

नास्कि-ओझार—डब्ल्यू आई आर सी

कानपुर—एन आई आर सी

## साधारण

### सदस्यों का कल्याण कोष

वर्ष के दौरान दूसरा सदस्य कल्याण कोष के आजीवन सदस्य बनें। इस समय कल्याण कोष के 547 सदस्य हैं। इस कोष में करीब 378 लाख रुपए संचित है जिनका विनियोजन साख मान्यता प्राप्त सेक्यूरिटिज और बैंक में हुआ है परिषद् चाहती है कि संस्था के सभी सदस्य इस कल्याण कोष के सदस्य बनें।

आई सी डब्ल्यू ए आई के कर्मियों के लिए इन-हाउस सेवा प्रशिक्षण :—

वर्ष के दौरान संस्था द्वारा कई बार इन-हाउस सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था के कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किया गया। कुल 104 कर्मी और अधिकारी क्रमबद्ध रूप से ये प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किए।

### विशिष्ट सदस्यों को सम्मान

परिषद् संस्था के विशिष्ट सदस्यों को उनके प्रगति और व्यवसाय के विकास में योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। तदनुसार सर्वश्री पी. के. सेनगुप्ता, अध्यक्ष, कोल इण्डिया लि., ए. सुन्दरराजन, सी. एम. डी., भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सजीत चक्रवर्ती, सी. एम. डी., एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि., के. एन. घोष, सी. एम. डी., हिन्दुस्तान कापर्स लि., डी. एन. बनर्जी, सी. एम. डी., टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., अभिजीत सेन, सह-अध्यक्ष, निको लि., प्रहलाद बजाज, प्रबंध निर्देशक, इण्डिया फायलस लि., लि., प्रहलाद बजाज, प्रबंध निर्देशक, इण्डिया फायलस लि. और दिव्यजीत चौधरी, सी. ए. डी., यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को इस वर्ष आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. द्वारा कलकत्ता में पूर्ण रूप से सम्मानित किया गया। उसी प्रकार के सामान के लिए कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्षेत्रीय परिषदों द्वारा भी आयोजित किया गया।

लेखा :—

संस्था के वर्ष 1995-96 के लेखा परीक्षा किया हुआ लेखा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

अभिस्वीकरण और धन्यवाद :—

परिषद् व्यवसाय के प्रगति के लिए संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों और बहुत से सदस्यों के सहयोग की मान करती है परिषद् विभिन्न सरकारी विभागों के सचिवों और अधिकारियों विशेषकर उद्योग मंत्रालय, कानून, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कम्पनी मामले के विभाग को धन्यवाद अभिलेख में स्थान देती है जिन्होंने संस्था के परिषद् को अपनी सहायता और मार्ग दर्शन दिया । परिषद् की यही इच्छा है कि आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार की सहायता और सहयोग मिलता रहे जिससे इस व्यवसाय की और प्रगति हो ।

कलकत्ता
दिनांक : 21 जुलाई 1996

परिषद् की आज्ञानुसार
हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष

एम. आर. आचार्य
सचिव

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष का लेखा

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के साथ अनुलग्न आर्थिक चिट्ठे तथा अनुबंध किया हुआ आय-व्यय के लेखा की जैसे 31 मार्च 1996 को था जिस दिनांक को वर्ष की समाप्ति होती है मैंने लेखा परीक्षा की ।

लेखा परीक्षा हेतु जितनी भी सूचना और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी मेरा विश्वास है मैंने सबको प्राप्त किया ।

इस रिपोर्ट में जो आर्थिक चिट्ठा और आय-व्यय का लेखा है वे सब लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार है । कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम और विनियम 1959 के अनुसार मेरी राय में लेखा तथा नोटस जो लेखा के भाग है और लेखा बना रहे हैं रखा गया है तथा जो सूचनायें मुझे मिली और स्पष्टीकरण दिये गये उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि :

(1) आर्थिक चिट्ठा के मामले में 31 मार्च 1996 को जैसी स्थिति थी तथा

(2) आय-व्यय के लेखा के मामले में उस दिनांक को अन्त होने वाले वर्ष के अतिरिक्त के सम्बन्ध में यह विवरण सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते है ।

अमलेन्दु चटर्जी, एफ.सी.ए.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक

दिनांक—21 जून 1996
10, ओल्डपोष्ट आफिस स्ट्रीट
कलकत्ता

दी इंस्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया

31 मार्च, 1996 को आर्थिक चिट्ठा

| | अनुसूची सं० | रुपये | इस वर्ष 1995–96 | गत वर्ष 1994–95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| संस्था की निधियां | | | | |
| साधारण निधि | 1 | — | 63912669 | 58479224 |
| कर्मचारी उपदान निधि | 2 | | 4568410 | 4827623 |
| कर्मचारी हितकारी निधि | 3 | | 182872 | 171552 |
| | | | 68663951 | 63478399 |
| द्वारा प्रतिरूपित | | | | |
| स्थायी सम्पत्ति | 4 | | | |
| (ए) सकल रोध | | 28864726 | | 27351638 |
| (बी) कम-ह्रास | | 11360887 | | 9568876 |
| | | 17503839 | | 17782762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| (सी) शुद्ध लोक | | | 219359 | -- |
| (डी) पूंजीकाम प्रगति पर | | | 17723198 | 17782762 |
| विनियोजन | 5 | | | |
| (ए) कर्मचारी उपदान निधि | | 4433511 | | 3774511 |
| (बी) कर्मचारी कल्याण निधि | | 128118 | | 128118 |
| (सी) साधारण निधि | | 19793176 | | 17990676 |
| | | | 24354805 | 21893305 |
| (ए) चालू सम्पत्ति | 6 | 17760585 | | 13127183 |
| (बी) कर्ज तथा अग्रिम धन | 7 | 17738548 | | 17891498 |
| | | 35499133 | | 31018681 |
| (सी) कम : वर्तमान दायित्वायें एवं व्यवस्थायें | 8 | 8913185 | | 7216349 |
| | | | 26585948 | 23802332 |
| | | | 68663951 | 63478399 |

लेखों पर नोटस 17

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां जो लेखा का भाग बना रही है।

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से

हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य, सचिव

कलकत्ता

दिनांक : 21 जून, 1996

31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय का लेखा

| विवरण | अनुसूची सं० | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|
| आय | | | |
| वास्ते वार्षिक अंशदान | (9) | 4689126 | 5714910 |
| ,, परीक्षा शुल्क | (10) | 27511928 | 26113888 |
| ,, शिक्षण शुल्क | (11) | 22131283 | 21161342 |
| ,, ब्याज | | 2367642 | 1693406 |
| ,, जर्नल शुल्क विज्ञापन समेत) | | 452381 | 331569 |
| ,, व्यवसाय सम्बन्धी विकास कार्यक्रम | | 1508112 | 1049293 |
| ,, प्रकाशन | | 3248105 | 4395199 |
| ,, दान | | — | 5001 |
| | | 61908577 | 60464608 |

| | विवरण | अनुसूची सं० | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|---|
| व्यय | | | | |
| नामे | स्थापना | (12) | 17973651 | 18012532 |
| ,, | कार्यालय व्यय | (13) | 8871992 | 8136162 |
| ,, | विज्ञापन | | 307850 | 355164 |
| ,, | स्टेटुटरी लेखा परीक्षा शुल्क | | 30000 | 30000 |
| ,, | इन्टर्नल लेखा परीक्षा शुल्क | | 35000 | 35000 |
| ,, | यातायात | | 803445 | 880780 |
| ,, | कर्मचारी मनोरंजन क्लब को अंशदान | | 10000 | 80000 |
| ,, | क्षेत्रीय परिषदों का अंशदान | (14) | 3826970 | 3936750 |
| ,, | परीक्षा प्रभार | (15) | 10294882 | 8270680 |
| ,, | शिक्षकों को पारिश्रमिक | | 10190 | 34871 |
| ,, | परिषद एवं समिति बैठक खर्च | (16) | 2896555 | 2354283 |
| ,, | जर्नल व्यय | | 4643895 | 3834471 |
| ,, | संघों को अंशदान | | 202000 | 208500 |
| ,, | विदेशी अकायों को सदस्यता अभिदान | | 466301 | 488857 |
| ,, | अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक | | 328103 | 266832 |
| ,, | व्यवसाय सम्बन्धी विकास कार्यक्रम | | 1013804 | 747755 |
| ,, | संघों को विशेष अनुदान | | — | 5001 |
| ,, | कर्मी सहकारी समिति लि० को विशेष अनुदान | | 60000 | — |
| ,, | एम० एम० टी० सी० परियोजना | | — | 15911 |
| ,, | अध्ययन के समान व्यवहार किया गया | | 2988836 | 2777561 |
| ,, | प्रकाशन स्टाक व्यवहार किया गया | | 1064131 | 1865316 |
| ,, | ह्रास | | 1792011 | 1995854 |
| ,, | कर्मी सहकारी साख समिति लि० के हालीडे होम के लिए खुदरा व्यवस्था | | 25000 | 25000 |
| ,, | व्यवहार अयोग्य अध्ययन नोटस (पुराने पाठ्यक्रम) | | 389132 | 600000 |
| ,, | अभदायी तथा अनिश्चित देय व्यवस्था | | 44260 | — |
| | | | 58078008 | 54957280 |
| | वर्ष के लिए अतिरेक | | 3830569 | 5507328 |
| | | | 61908577 | 60464608 |

लेखा पर टिप्पणियां (17)

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लेखा का भाग बना रही हैं ।
मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 1

साधारण निधि 31 मार्च, 1996 को

| | इस वर्ष 1995–96 रु० | | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|
| गत लेखा के शेष के अनुसार | 58,479,224 | | 49,531,026 |
| कम : इस अवधि के दौरान प्राप्यपर्ण | — | | 9,007 |
| योग : पूर्व अवधि का समायोजन संघों के भूमि और | | | |
| 1. भवनों के मूल्यों का समामेलन | | 58,479,224 | 49,522,019 |
| 2. कार्यकारिणी समिति की वर्तमान निर्णय के अनुसार अपरिमाण जमा से हस्तान्तरण | 67,159 | | 1,248,572 |
| 3. गत वर्ष के निर्गमित चेकों को रद्द करना | 11,958 | | 19,002 |
| 4. अधिक व्यवस्था का अपलेखन | 37,670 | | 6,181 |
| 5. परिषद की 173 वीं बैठक जो अवधि 18–20 मई, 1996 में हुई निर्णय के अनुसार परीक्षा शुल्क जो पहले प्राप्त हुआ उसका अपलेखन | 40,370 | | 60,746 |
| 6. अन्यान्य | 230,311 | 387,468 | 9,470 |
| कम : पूर्व अवधि का समायोजन | | 58,866,692 | 50,865,990 |
| 1. क्षेत्रीय परिषदों तथा संघों का गत वर्ष से सम्बन्धी दावों का भुगतान/समायोजन | 191,746 | | 84,370 |
| 2. अन्यान्य | 513,810 | 705,556 | 112,431 |
| योग : प्रवेश शुल्क (सदस्यों) | | 58,161,136 | 50,669,189 |
| प्रवेश शुल्क (छात्रों) | 277,645 | | 318,675 |
| | 1,750,864 | 2,028,509 | 2,096,032 |
| कम : क्षेत्रीय परिषदों को पूंजी अनुदान | | 60,189,645 | 53,083,896 |
| पुस्तकालय के पुस्तकों तथा फर्नीचर के लिये | | 107,545 | 112,000 |
| | | 60,082,100 | 52,971,896 |
| योग : वर्ष के लिए अतिरेक | | 3,830,569 | 5,507,328 |
| | | 63,912,669 | 58,479,224 |

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष

एस० आर० आचार्य
सचिव

दिनांक : 21 जून, 1996
कलकत्ता :

अनुसूची सं० 2

कर्मचारी उपदान निधि 31 मार्च, 1996 के अनुसार

| | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|
| गत लेखा के अनुसार शेष | 4827623 | 3711684 |
| योग : वर्ष के लिए अंशदान | 161828 | 1654721 |
| योग : वर्ष के लिए निधि नियोजन पर ब्याज मिला | 425007 | 413300 |
| | 5414458 | 5779705 |
| कम : वर्ष के दौरान कर्मचारियों को उपदान दिया गया | 846048 | 952082 |
| | 4568410 | 4827623 |

अनुसूची सं० 3

कर्मचारियों का कल्याण कोष 31 मार्च, 1996 के अनुसार

| | | | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|---|
| शेष गत लेखा के अनुसार | | | 171552 | 156332 |
| योग : वर्ष के दौरान अंशदान | | | | |
| नियोक्ता का | 8828 | | | 9464 |
| कर्मचारियों का | 4414 | | | 4732 |
| | | | 13242 | 12812 |
| योग : वर्ष के लिए निधि के विनियोजन पर ब्याज मिला | | | 11040 | |
| | | | 195834 | 183340 |
| कम : वर्ष दौरान कर्मचारियों को भुगतान किया गया | | | 12962 | 11788 |
| | | | 182872 | 171552 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से

हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून, 1996

एस० आर० आचार्य
सचिव

अनुसूची सं० 4 : स्थायी सम्पति 31 मार्च, 1996 को

| सम्पति का विवरण | कुल उपरोध | | | ह्रास | | | शुद्ध अपरोध | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-4-95 को प्रारम्भिक लागत मूल्य | वर्ष के दौरान योग | 31-3-96 की कुल समायोजन | 1-4-96 तक | वर्ष के लिये | 31-3-96 तक | इस वर्ष 31-3-96 के अनुसार | गत वर्ष 31-3-95 के अनुसार |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| फी होल्ड भूमि तथा भवनें | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 987986 | — | 987986 | 514748 | 33324 | 548072 | 439914 | 473238 |
| क्षेत्रीय परिषद तथा संघ | 17175108 | 415400 | 17590508 | 4317697 | 1046694 | 5364391 | 12226117 | 12857411 |
| लीज होल्ड भूमि | | | | | | | | |
| क्षेत्रीय परिषद तथा संघ | 18220 | — | 18220 | — | — | — | 18220 | 18220 |
| (दुर्गापुर संघ उकुनागराम संघ) फरनीचर तथा फिटिंगस | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 1971425 | 29278 | 2000703 | 1155782 | 83942 | 1239724 | 760979 | 815843 |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 991774 | 170260 | 1162034 | 361725 | 78859 | 440584 | 721450 | 630049 |
| कार्यालय साज सामान : | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 2450323 | 27000 | 2477323 | 967337 | 148298 | 1115635 | 1361688 | 1482986 |
| जनरेटर | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 280545 | — | 280545 | 195148 | 21350 | 216498 | 64047 | 85397 |
| मोटर कार | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 261332 | — | 261332 | 181146 | 16037 | 197183 | 64149 | 80186 |
| कम्प्यूटर | | | | | | | | |
| मुख्यालय | 3214925 | 871150 | 4086075 | 1875293 | 363507 | 2238800 | 1847275 | 1339632 |
| | 27351638 | 1513088 | 28864726 | 9568876 | 1792011 | 11360887 | 17503839 | 17782762 |

पूंजी कार्य प्रगति पर

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 5

लागत पर विनियोजन 31 मार्च, 1996 को जैसा था

| विवरण | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|
| शेयर्स (सामान्य निधि) 5 शेयर्स प्रत्येक 100 रुपये के जय वृन्दावन प्रिमिसेस ट्रस्ट फण्ड बम्बई में | | 500 | 500 |
| बैंशों फिक्स डिपोजिटस | | | |
| (ए) कर्मचारी उपदान निधि | 4433511 | | 3774511 |
| (बी) कर्मचारी हितकारी निधि | 128118 | | 128118 |
| (सी) सामान्य निधि | 19792676 | | 17990176 |
| | | 24354305 | |
| | | 24354805 | 21893305 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से

हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष

एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 6 : चालू वर्ष सम्पत्ति 31 मार्च, 1996 को जैसा था

| विवरण | रु० | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रकाशन स्टाक (लागत पर) | | 2049314 | | 1372844 |
| पेपर स्टाक (लागत पर) | | 638208 | | 527565 |
| अध्ययन सामग्री स्टाक (लागत पर) | 4670825 | | | 2201709 |
| कम : अक्षय अध्ययन सामग्री के लिये व्यवस्था | 989132 | 3681693 | | 600000 |
| | | | 6419215 | 1601709 |
| सिल्क टाई स्टाक | | | 175 | 13125 |
| विनियोजन पर मिला ब्याज | | | | |
| विविध निधि | | 395196 | | 315003 |
| कर्मचारी उपदान निधि | | 51616 | | 47035 |
| कर्मचारी हितकारी निधि | | 28164 | | |
| | | | 474976 | 17123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| संघों को भवन आदि निर्माण हेतु दिये गये कर्ज पर मिला ब्याज | | | 497875 | 371565 |
| विविध कर्जदार | | | 2999738 | 2027451 |
| प्रोफ़ेशनल डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम | नामे | 142193 | | |
| विचाराधीन समायोजन | जमा | 62700 | 79493 | — |
| बकाया वार्षिक चन्दा (सदस्यों का) | | | 2500186 | 1867784 |
| रोकड़ और बैंक शेष : | | | | |
| हस्तगत (रोकड़, ड्राफ्ट और पोस्टेज स्टैम्प सहित) | | 148793 | | 143458 |
| बैंक में | | 4449182 | | 4652261 |
| पोस्ट आफिस में | | 195952 | | 170260 |
| | | | 4788927 | |
| | | | 17760585 | 13127183 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित ।

अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष

कलकत्ता
दिनांक, 21 जून, 1996

एस० आर० आचार्य
सचिव

अनुसूची सं० 7 : उधार और अग्रिम 31 मार्च, 1996 को जैसा था ।

| विवरण | | इस वर्ष 1995–96 रु० | | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| संघों को भवन कर्ज | (ए) | | | |
| 8% भवन कर्ज | | 2330000 | | 2410000 |
| 4% भवन कर्ज | | 308267 | 2638267 | 389010 |
| संघों को कम्प्यूटर कर्ज | (बी) | | 991084 | 1046734 |
| क्षेत्रीय परिषदों तथा संघों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम | (सी) | | 10868000 | 10868000 |
| कर्मचारियों को भवन हेतु अग्रिम | | | 670274 | 812040 |
| कर्मचारियों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम | | | 98770 | 150830 |
| दूसरे अग्रिम (रु०—25000) सहित केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को | | | 61842 | 197712 |
| विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान | | | 266432 | — |
| स्थायी सम्पत्ति के लिये अग्रिम | | | 42501 | — |
| कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम | | | 128106 | 134153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कर्मी पी०एफ० बकाये अंशदान के लिये अग्रिम (अदाय योग्य) | | 128403 | 128403 |
| कर्मचारियों का बाढ़ राहत अग्रिम | | --- | 6300 |
| पहले से दिया हुआ खर्च | | 201652 | 195899 |
| टेलेक्स के लिये जमा | | 29353 | 29353 |
| टेलीफोन के लिये जमा | | 70226 | 70226 |
| बिजली के लिये जमा | | 11500 | 11500 |
| अन्यान्य | | --- | 9200 |
| संघों को रजत जयन्ती पूंजी अनुदान (अग्रिम) । | | 1532138 | 1432138 |
| | | 17738548 | 17891498 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष

कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

एस० आर० आचार्य
सचिव

संघों को भवन कर्ज 31 मार्च, 1996 को जैसा था

अनुसूची सं० 7 (ए)

| क्र० सं० | संघ का नाम | इस वर्ष रु० | इस वर्ष रु० | गत वर्ष रु० | गत वर्ष रु० | रु० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | बंगलौर | | 150,000 | | 150,000 | |
| 2. | लखनऊ | | 100,000 | | 100,000 | |
| 3. | त्रिवेन्द्रम | 25,000 | | 25,000 | | |
| 4. | जयपुर | | 200,000 | | 200,000 | 5,763 |
| | | | | | | 75,000 |
| 5. | अहमदाबाद | 25,000 | | 25,000 | | |
| | | | | | | 80,743 |
| 6. | उदयपुर | | 200,000 | | 200,000 | |
| 7. | कल्याण अमरनाथ | 18,267 | | 18,267 | | 50,000 |
| 8. | विशाखापटनम | | 160,000 | | 160,000 | 30,000 |
| 9. | बड़ौदा | 50,000 | | 50,000 | | |
| 10. | हावड़ा | 90,000 | | 90,000 | | 80,000 |
| 11. | कोचीन | | 100,000 | | 100,000 | |
| 12. | पूने | | 200,000 | | 200,000 | |
| 13. | गोआ | 100,000 | | 100,000 | | |
| 14. | नागपुर | | | 5,743 | | |
| 15. | कोयम्बाटूर | | 200,000 | | 200,000 | |
| 16. | भोपाल | | | 75,000 | | |
| 17. | भिलाई | | 150,000 | | 200,000 | |
| 18. | उक्कनागराम | | 200,000 | | 200,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | दुर्गापुर | | 200,000 | | 200,000 | |
| 20. | कोल्हापुर–संघली | | 100,000 | | 100,000 | |
| 21. | बोकारो स्टील सिटी | | 200,000 | | 200,000 | |
| 12. | हैदराबाद | | 170,000 | | 200,000 | |
| | | 308,267 | 2,330,000 | 389,010 | 2,410,000 | |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून, 1996

संघों को कम्प्यूटर ऋण 31 मार्च 1996 को जैसा था

अनुसूची सं० 7 (बी)

| क्रम सं० | संघ का नाम | इस वर्ष रु० | गत वर्ष रु० | रु० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गंगलौर | 41,308 | 64,308 | |
| 2. | हावड़ा | 64,150 | 64,150 | |
| 3. | दुर्गापुर | 64,150 | 64,150 | |
| 4. | कटक भुवनेश्वर | 64,150 | 64,150 | |
| 5. | कोचीन | 64,150 | 64,150 | |
| 6. | पुने | 58,804 | 58,804 | |
| 7. | विशाखापटनम | 62,368 | 62,368 | |
| 8. | कोयम्बाटूर | 64,150 | 64,150 | |
| 9. | नेभेली | 64,150 | 64,150 | |
| 10. | त्रिवेन्द्रम | 64,150 | 64,150 | 55,650 |
| 11. | आसन सोल | 64,150 | 64,150 | |
| 12. | जयपुर | 58,804 | 58,804 | |
| 13. | उदयपुर | 64,150 | 64,150 | |
| 14. | बरोदा | 64,150 | 64,150 | |
| 15. | नासि–ओझार | — | 55,650 | |
| 16. | गोआ | 64,150 | 64,150 | |
| 17. | अहमदाबाद | 64,150 | 64,150 | |
| | | 991,084 | 1,046,734 | |
| | पुन भुगतान नासिक ओझार | 55,650 | | |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता
दिनांक:—21 जून, 1996

अनुसूची सं० 7(सी)

क्षेत्रीय परिषदों तथा संघों को भवन निर्माण हेतु अग्रिम जैसा 31 मार्च, 1996 को था

| क्रम सं० | क्षेत्रीय परिषदों/संघों का नाम | इस वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | एन० आई० आर० सी० | 3,618,000 | 3,618,000 |
| 2. | डब्ल्यू० आई० आर० सी० | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 3. | कोयम्बटूर | 300, 000 | 300,000 |
| 4. | भिलाई | 300,000 | 300,00 |
| 5. | कोचीन | 300,000 | 300,00 |
| 6. | पुने | 300,000 | 300,000 |
| 7. | उदयपुर | 300,000 | 300,000 |
| 8. | लखनऊ | 300,000 | 300,000 |
| 9. | विशाखापटनम् | 300,000 | 300,000 |
| 10. | नागपुर | 200,000 | 200,000 |
| 11. | नासिक ओझार | 200,000 | 200,000 |
| 12. | भोपाल | 200,000 | 200,000 |
| 13. | बंगलोर | 300,000 | 300,000 |
| 14. | जयपुर | 150.000 | 150,000 |
| 15. | दुर्गापुर | 300,000 | 300,000 |
| 16. | बोकारो | 300 000 | 300 000 |
| 17. | कोल्हापुर–सांगली | 200.000 | 200.000 |
| 18. | आसल सोल | 200,000 | 200,000 |
| 19. | कानपुर | 100.000 | 100,000 |
| 20. | हैदराबाद | 300,000 | 300,000 |
| | | 10,868,000 | 10,868,000 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमेलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष

एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता
दिनांक —21 जून, 1996

अनुसूची सं० 8, 31 मार्च, 1996 को वर्तमान दायिताएं और व्यवस्थाएं

| | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु०–000 | गत वर्ष 1994–95 रु०–000 |
|---|---|---|---|
| (क) वर्तमान दायिताएं | | | |
| पुस्तकालय का जमा | | 550221 | 494741 |
| अनिश्चित प्रकार के जमा (प्रत्यार्पण योग्य) | | 86228 | 140886 |
| मौखिक शिक्षांगण | | 82000 | 82000 |
| संस्थानों से प्रतिभूत जमा (प्रत्यार्पण योग्य) | | 47961 | 41161 |
| प्रतिभूत जमा पर बाकी ब्याज (मौखिक शिक्षा संस्थानों से) | | — | — |
| बयाना जमा | | 18000 | 5000 |
| एल्फिन्सन इनाम निधि | | 1650 | 1650 |
| सुल्तान चन्द इनाम निधि | — | — | 25000 |
| के० के० दत्त फाउन्डेशन इनाम निधि | | — | 12000 |
| मिसेस डी० गोयल इनाम कोष | | 21000 | — |
| केदारनाथ प्रहलाद सन धानूका पारितोषिक कोष | | — | 15000 |
| इनाम निधि पर ब्याज | | 62873 | 38625 |
| विविध लेनदार : | | | |
| मुख्यालय कार्यक्रम सहित | | 516233 | 2408506 |
| क्षेत्रीय परिषदों | | | |
| डब्ल्यू० आई० आर० सी० | 235224 | | 221729 |
| ई० आर० आर० सी० | 125760 | | 116000 |
| एन० आई० आर० सी० | 211390 | | 272711 |
| एस० आई० आर० सी० | 123592 | 696326 | 118566 |
| अन्य दायितायें | | 285444 | 46508 |
| कर्मचारी आय भविष्य निधि | | 1312 | 1312 |
| व्यवसायी विकास कार्यक्रम बाकी सेवायोजन | | — | 44056 |
| विदेशी आकायों का बाकी सदस्यता चन्दा | | 36175 | 79270 |
| पहले से ही सदस्यों से प्राप्त अंशदान तथा शुल्क | | 50184 | 49630 |
| आगे से ही जर्नल विज्ञापन के लिए प्राप्त | | 34200 | 15600 |
| परीक्षा शुल्क आगे से प्राप्त | | — | 40370 |
| छात्रों से वार्षिक चन्दा पहले से प्राप्त | | 19723 | 19643 |
| (बी) व्यवस्थाएं :— | | | |
| अनुबन्धक के अनुसार (बी) | | 1793655 | 2926385 |
| | | 8913185 | 7216349 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी—अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य—सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

अनुबन्धक (बी)

अनुसूची सं० 8 31 मार्च, 1996 को व्यवस्थाओं की अनुसूची

| | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु०–000 | गत वर्ष 1994–95 रु०–000 |
|---|---|---|---|
| दर तथा कर (गत लेखा अनुसार) | | 150000 | 150000 |
| संघों को भवन अनुदान (गत लेखा अनुसार) | | 100000 | 100000 |
| संघों को भवन कर्ज (गत लेखा अनुसार) | | 100000 | 100000 |
| आई० एफ० ए० सी० को अंशदान | | | |
| गत लेखा अनुसार | 250000 | | |
| कम वर्ष के दौरान उपयोग | 100000 | | |
| | | 150000 | 250000 |
| क्षेत्रीय परिषदों और संघों को स्वर्ण जयन्ती अंशदान | | | |
| गत लेखा अनुसार | 220000 | | |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 80000 | | |
| | | 140000 | 220000 |
| अनदायी तथा अनिश्चित देय | | | |
| गत लेखा अनुसार | 100000 | | |
| वर्ष के दौरान उपयोगकम : | 44260 | | |
| | 55740 | | |
| योग : वर्ष के लिए व्यवस्था | 44260 | 100000 | 100000 |
| कर्मचारी सहकारी साख समिति को हालीडे हओम के लिए अंशदान | | | |
| गत लेखानुसार | 25000 | | |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 25000 | | |
| | — | | |
| योग : वर्ष के लिए व्यवस्था | 25000 | 25000 | 25000 |
| संघों को रजत-जयन्ती पूंजी अनुदान | | | |
| गत लेखानुसार | 20000 | | |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 2000000 | — | 200000 |
| | — | | |
| विदेशी निकायों को सदस्यता शुल्क | | | |
| गत लेखानुसार | 146750 | | |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 146750 | — | 146750 |
| संघों को प्रारम्भ अनुदान | | | |
| गत लेखानुसार | 100000 | | 100000 |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 100000 | | |

| | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु०–000 | गत वर्ष 1994–95 रु०–000 |
|---|---|---|---|
| बकाये सदस्यता शुल्क | | | |
| गत लेखानुसार | 428655 | | |
| योग : वर्ष के लिए व्यवस्था | 600000 | 1028655 | 428655 |
| अध्ययन नोट्स की खपत | | | |
| गत लेखानुसार | 1105980 | | |
| कम : वर्ष के दौरान उपयोग | 1105980 | — | 1105980 |
| | | 1793655 | 2926385 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी—अध्यक्ष
सं० आर० आचार्य—सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 9 आय वार्षिक अंशदान और दूसरे शुल्क 31 मार्च, 1996 को

| विवरण | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु०-000 | गत वर्ष 1994–95 रु०-000 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| जमा वार्षिक सदस्यता शुल्क . . . . | 2245813 | 1645813 | 2603275 |
| ,, कम : बकाये ए० एम० शुल्क के लिए व्यवस्था . . | 600000 | | 428655 |
| | | | 2174620 |
| ,, छात्रों का वार्षिक अंशदान . . . . | | 2623741 | 2144048 |
| ,, सदस्यों का रिस्टोरेशन शुल्क . . . . | | 250 | 588 |
| ,, सदस्यों के प्रैक्टिस प्रमाण पत्र शुल्क . . . | | 140850 | 140955 |
| ,, ग्रेड सी० डब्ल्यू० ए० शुल्क . . . . | | 264738 | 220516 |
| ,, डी० नोमा फार्म फी . . . . . | | 13634 | 1123 |
| ,, सदस्यों के शिकायत शुल्क . . . | | 100 | 300 |
| ,, वाणिवेदन फी . . . . . | | 5090 | 22650 |
| | | 4689126 | 5714910 |

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है।

अनुसूची सं० 15 : परीक्षा खर्च 31 मार्च, 1996 को

| | इस वर्ष 1995–96 रु० | गत वर्ष 1994–95 रु० |
|---|---|---|
| परीक्षा खर्च | 10294882 | 8204111 |
| पारितोषिक तथा पारितोषिक खर्च | — | 66569 |
| | 10294882 | 8270680 |

अनुसूची सं० 16 : परिषद तथा समिति बैठक खर्च

| | | |
|---|---|---|
| परिषद तथा समिति बैठक खर्च | 2384789 | 2038548 |
| परिषद सदस्यों को यात्रा भत्ता | 511766 | 315735 |
| | 2896555 | 2354283 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जुलाई, 1996

दि इन्स्टीटयूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची सं० 17 : नोटस लेखा का भाग बना रहा है जो 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुआ।

ए. लेखांकन का अर्थपूर्ण विधान

1. स्थायी सम्पत्तियां :

लेखा में स्थायी सम्पत्तियां लागत मूल्य से आयकर अधिनियम जो समय समय से निर्धारित किया गया है; ह्रास दर कम करके दिखाया गया है।

2. आय एवं व्यय प्रतिपत्ति :

(1) ब्याज आय और सदस्यता का वार्षिक शुल्क जिसका लेखा व्यवसायी आधार पर है को छोड़कर लेखा में आय को साधारण तौर पर नकद प्राप्त राशि के आधार पर दिखाया गया है। किन्तु क्षेत्रीय परिषदों और संघों से सुझाये गये उत्तर, अध्ययन नोट्स, सेवा शुल्क आदि से सम्बन्धित बिक्री के लेनदेन को व्यवसायी आधार पर दिखाया गया है।

(2) सभी खर्चों का विचार व्यवसायी आधार पर किया गया है।

3. विनियोग :

सभी विनियोग लागत के आधार पर है।

4. इन्वेन्टरीज :

इन्वेन्टरीज के अन्तर्गत प्रकाशन पेपर्स और अध्ययन सामग्री का स्टाक है, जिनका मूल्यांकन लागत और दूसरे सम्बन्धी अनुषंगिक व्यय के आधार पर किया गया है।

5. कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा :

उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान का वास्तविक मूल्यांकन है जो लेखा में दिखाया गया है।

इस सम्बन्ध में संस्था के नियमों के अनुसार भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। नकद राशि के आधार पर सेवा निवृत्ति, छुट्टी भुनाने की सुविधा लेखा में दिखाया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

लेखा में रुपये का प्राप्त/भुगतान के आधार पर विदेशी मुद्रा का लेनदेन किया गया है; जैसे जब वह प्राप्त और खर्च रुपये के मूल्य में होता है।

7. पूर्व समय का आय-व्यय :

पूर्व समय का आय-व्यय साधारण निधि के साथ समायोजन किया गया है।

बी. नोट लेखा का भाग बना रहा है :—

(1) परिषद के निर्णय के अनुसार अकाये सदस्यता शुल्क के लिये वर्तमान रु० 4,28,655 की जगह इस वर्ष रु० 6,00,000 की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूची आय और व्यय का भाग बना रही है

अनुसूची सं० : 14 क्षेत्रीय परिषदों की मुद्रण और लेखन सामग्री आदि लेखा के व्यय अदायगी सहित आगमन अनुदान— 31 मार्च 1996 को

| | ई० आई० आर० सी० | एस० आई० आर० सी० | डब्ल्यू आई० आर० सी० | एन० आई० आर० सी० | इस वर्ष 1995–96 रु०—000 | गत वर्ष 1994–95 रु०—000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | | |
| (ए) वर्ष के दौरान निम्न लेखों में क्षेत्रीय परिषदों की धन प्रतिपूर्ति की गयी और ये आय-व्यय लेखा में मिल गया। | | | | | | |
| 1. डाक व्यय और तार खर्च विकेन्द्रीकरण के लिए | 37489 | — | 6828 | 16119 | 60436 | 6766 |
| 2. विकेन्द्रीकरण के लिये मुद्रण और लेखन सामग्री | — | 35378 | — | — | 35378 | — |
| 3. मरम्मत और रख रखाव | 3653 | 6715 | 6000 | 24176 | 40544 | — |
| 4. दर तथा कर | — | — | — | — | — | 22733 |
| कुल "ए" | 41142 | 42093 | 12828 | 40295 | 136358 | 29499 |
| (बी) आगम अनुदान | | | | | | |
| 1. टी० ए० आदि | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 244000 | 244000 |
| 2. संस्था की परिषद के 14–7–93 को आयोजित 157वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक छात्र ग्रुप के लिए रु० 125 की दर पर 1–4–93 से और प्रत्येक छात्र ग्रुप के लिये रु० 160 की दर पर 1–10–95 से आगम अनुदान जैसा कि 171वीं बैठक दिनांक 26/27–8–95 | 998035 | 1387755 | 368990 | 828190 | 3582970 | 3692750 |
| कुल 'बी' | 1059035 | 1448755 | 429990 | 889190 | 3826970 | 3936750 |
| कुल "ए"+"बी" | 1100177 | 1490848 | 442818 | 929485 | 3963328 | 3966249 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०@
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य, सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 12 : व्यय प्रतिष्ठापन व्यय 31 मार्च, 1996 को

| विवरण | इस वर्ष 1995-96 | गत वर्ष 1994-95 |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| वेतन और भत्ता | 14465340 | 13481195 |
| कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान | 1103996 | 1067183 |
| कर्मचारी अंशदान निधि में नियोक्ता का अंशदान | 161828 | 1654721 |
| कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान | 8828 | 9464 |
| कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा | 398575 | 484790 |
| कर्मचारियों की छुट्टी वाला भत्ता | 571515 | 135211 |
| कर्मचारियों को छुट्टी नगदी भुगतान | 1215916 | 1142741 |
| कर्मचारी ई० डी० एल० एस० में नियोक्ता का अंशदान | 38143 | 27317 |
| ई० डी० एल० आई० निरीक्षण व्यय | 375 | 358 |
| आर० पी० एफ० सी० को प्रशासनिक प्रभार | 9135 | 9552 |
| | 17973651 | 18012532 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी (अध्यक्ष)
एम० आर० आचार्य (सचिव)

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

अनुसूची सं० 13 व्यय कार्यालय खर्च 31 मार्च, 1996 को जैसा था ।

| विवरण | इस वर्ष 1995-96 | गत वर्ष 1995-96 |
|---|---|---|
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 2,017,626 | 1,758,625 |
| पोस्टेज तार दूरभाष टेलेक्स और फैक्स खर्च | 2,363,867 | 2,297,205 |
| विद्युत खर्च | 488,902 | 408,689 |
| जनरेटर खर्च | 9,666 | 4,948 |
| दर और कर | 47,706 | 669,220 |
| बीमा | 53,234 | 52,633 |
| मरम्मत और रख रखाव | 296,496 | 390,501 |
| मोटर गाड़ी खर्च | 315,578 | 171,054 |
| मौखिक शिक्षण संस्थानों से कैस मनी जमा पर ब्याज | 6,800 | 6,729 |
| अध्ययन सामग्री वितरण खर्च | 545,102 | 304,378 |
| कानूनी व्यय | 64,249 | 165,315 |
| बैंक व्यय | 35,634 | 42,063 |
| व्यावसायिक विकास खर्च | 628,272 | 99,814 |
| कम्प्यूटर खर्च | 401,634 | 280,527 |
| चुनाव खर्च | 591,324 | 585,760 |
| जन सम्पर्क खर्च | 189,525 | — |
| सुरक्षा खर्च | 30,649 | 29,387 |
| विविध खर्च | 785,728 | 869,314 |
| | 8,871,992 | 7,266,848 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक : 21 जून, 1996

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

अनुसूची सं० 10 आय परीक्षा एवं अन्य शुल्क 31 मार्च, 1996 को

| विवरण | रु० | इस वर्ष 1995–96 रु०–000 | गत वर्ष 1994–95 रु०–000 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| जमा परीक्षा शुल्क | | 25804105 | 24538302 |
| ,, उत्तर पुस्तिका जांच शुल्क | | 170483 | 220647 |
| ,, फाउन्डेशन परीक्षा फार्म की बिक्री | | 193850 | 288209 |
| ,, इन्टरमिडिएट फाइनल परीक्षा फार्मों की बिक्री | | 1262395 | 980341 |
| ,, विविध आय | | 81095 | 86389 |
| | | 27511928 | 261138 |

अनुसूची सं० 11 आय शिक्षण एवं अन्य शुल्क 31 मार्च, 1996 को

| | | | |
|---|---|---|---|
| जमा शिक्षण शुल्क | | 15332723 | 16696554 |
| ,, अभिस्वीकृती शुल्क | | — | 2600 |
| ,, वार्षिक आवर्ती शुल्क | | 43900 | 43000 |
| ,, सेवा शुल्क | | 3326290 | 3152304 |
| ,, स्टेडी नोटिस की बिक्री | | 2375416 | 657372 |
| ,, पुनः सप्रमाणता शिक्षा फार्म शुल्क बिक्री | | 53402 | 48813 |
| ,, पुनः वैधता शिक्षा समापन प्रमाण पत्र | | 999552 | 560698 |
| | | 22131283 | 21161342 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित

अभलेन्दु चटर्जी,
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से

हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष

एस० एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक 21 जून 1996

(2) परिषद की दिनांक 18/20-05-95 के 173वीं बैठक के निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान पुराने पाठ्यक्रम के बिना व्यवहार किये अध्ययन से नोट्स के लिये और अधिक रु० 3,89,132 की व्यवस्था की गयी है । इस मद की व्यवस्था को और बढ़ाकर रु० 9,89,132 किया गया है।

(3) परिषद की दिनांक 24-4-1988 के 126वीं बैठक के निर्णय और समय समय पर कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुसार पहले की तरह बैंक समाधान विवरण में दिखाये गए पुराने मद का समायोजन संस्था के बैंकों के लेखों में अपलेखन/प्रतिलेखन के द्वारा किया जायेगा । वर्तमान आय और व्यय लेखा पर कुल समाघात रु० 72,571 (जमा) है।

(4) कर्मी अनुग्रह निधि और उनके विनियोजन में रु० 83,283 का अन्तर है ।

(5) कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12-5-96 के 257वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रबन्ध विकास कार्यक्रम में वर्तमान देनदारों जो पांच वर्षों से अधिक है रु० 44,260 का अवलेखन वर्तमान अनिश्चित देय के व्यवस्था रु० 1,00,000 से किया गया। वर्ष के दौरान उस प्रकार के मदों के लिए दुबारा पूर्ति के लिये भी व्यवस्था है ।

(6) वर्ष के दौरान रु० 1,70,463/- जो आई०एफ०ए० सी० को दिया गया से वर्ष 1994 का यात्रा खर्च रु० 1,00,000 का वर्तमान व्यवस्थाओं से समायोजन किया गया जबकि शेष राशि का साधारण निधि लेखे को चार्ज किया गया।

(7) परिषद के अगस्त 1995 के निर्णय के अनुसार पुराने अग्रिम रु० 14,712 जो पूर्व केन्द्रीय परिषद सदस्यों द्वारा लिया गया था, साधारण निधि के साथ समायोजन किया गया।

(8) कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12 मई, 1996 के निर्णय के अनुसार प्रतिभूति जमा रु० 9,200 का साधारण निधि के साथ समायोजन किया गया ।

(9) अधिकारी और कर्मी संघों ने साथ चार वर्षों के चुक्ती के अन्तिम फैसला न होने के कारण इस विषय में 1995-96 के लिए समाघात का विचार इस लेखा में नहीं हुआ है।

(10) पहले वर्षों के अंकों का इस वर्ष के ग्रुपिंग के लिये जहां आवश्यक पड़ा है रिग्रुपिंग किया गया है ।

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार
हस्ताक्षरित
अमिलेन्दू चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद की आज्ञा से
हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

## पारितोषिक कोष

के० रामचन्द्रन मेमोरियल पारितोषिक कोष : जैसाकि 31-3-96

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम | शेष बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 6550.00 | जमा | जमा बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | | 6550.00 |
| ,, | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 327.50 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 655.00 | |
| ,, | संस्था से धनराशि प्राप्य | 1329.70 | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 327.50 | |
| | | | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 674.70 | |
| | | | | | | 1657.20 |
| | | 8207.20 | | | | 8207.20 |

भैजी राम जैन स्मारक पारितोषिक कोष : जैसे कि 31-3-96 को था ।

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 10,000.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | | 10,000.00 |
| ,, | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 500.00 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 1,000.00 | |
| ,, | संस्था से धन राशि प्राप्य | 2,508.00 | ,, | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 500.00 | |
| | | | ,, | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 1,508.00 | |
| | | | | | | 3,008.00 |
| | | 13008.00 | | | | 13,008.00 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षक

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

बी० सी० चक्रवर्ती स्मारक पारितोषिक कोष जैसा कि 31-3-96 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | 6000.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | | 6,000.00 |
| ,, | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 106.85 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 600.00 | |
| ,, | संस्था से धनराशि प्राप्य | 2244.70 | ,, | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 106.85 | |
| | | | | | 706.85 | |
| | | | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 1,644.70 | |
| | | | | | | 2,351.55 |
| | | 8351.55 | | | | 8,351.55 |

जे० एन० बोस स्मारक पारितोषिक कोष : जैसा कि 31-3-96 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 11,200.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान-नियतकालिक | | 11,200.00 |
| ,, | बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | 1,190.57 | | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 756.72 | |
| | | | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 1,190.57 | |
| | | | | | 1,947.29 | |
| | | | | कम : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम | 1,539.39 | |
| | | | | | 407.90 | |
| | | | | योग : वर्ष के लिए संस्था द्वारा अग्रिम | 782.67 | |
| | | | | | | 1,190.57 |
| | | 12,390.57 | | | | 12,390.57 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
लेखा परीक्षा

परिषद् की आज्ञा से
हरिजीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जून, 1996

डी० डी० कालरा स्मारक पारितोषिक कोष : जैसा कि 31-3-96 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 6,500.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | | 6,500.00 |
| ,, | बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | 276.03 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 4,87.50 | |
| ,, | संस्था से धनराशि प्राप्य | 3,975.05 | ,, | योग : 31-3-96 तक ब्याज | 276.03 | |
| | | | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 3,4487.55 | |
| | | | | | | 4,251.08 |
| | | 10,751.08 | | | | 10,751.08 |

पुने संघ का कास्ट एकाउन्टैन्टस रजत जयन्ती पारितोषिक कोष
जैसा कि 31-3-96 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 12000.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | | 12000.00 |
| ,, | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 51.29 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 1500.00 | |
| | | | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 51.29 | |
| ,, | संस्था धन राशि प्राप्य | 4200.00 | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 2700.00 | |
| | | | | | | 4251.29 |
| | | 16251.29 | | | | 16251.29 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

परिषद् की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

बी० एन० गांगुली स्मारक पारितोषिक कोष : जैसा कि 31-3-96 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | 3000.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | | 3000.00 |
| ,, | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 195.00 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 330.00 | |
| ,, | संस्था से धनराशि प्राप्य | 3302.70 | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 195.00 | |
| | | | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 2972.70 | |
| | | | | | | 3497.70 |
| | | 6497.70 | | | | 6497.70 |

जी० डी० मुन्धरा स्मारक पारितोषिक कोष
जैसा कि 31-3-1996 को था

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में उपनिधान नियत-कालिक | 12000.00 | जमा | शेष बैंक में उपनिधान नियतकालिक | | 12000.00 |
| ,, | बैंक से ब्याज प्राप्य | 430.27 | ,, | वर्ष के दौरान ब्याज | 1257.00 | |
| ,, | संस्था से धन राशि प्राप्य | 1121.31 | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 430.27 | |
| | | | | | 1687.27 | |
| | | | | कम : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 135.69 | |
| | | | | | | 1551.58 |
| | | 13551.58 | | | | 13551.58 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० एस०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

परिषद की आज्ञा से
अध्यक्ष
हरिजीवन बनर्जी
एस० आर० आचार्य
सचिव

यू० एन० सूर स्मारक पारितोषिक-कोष 31-3-96 को

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में नियत कालिक उप निधान | 10,000.00 | जमा | शेष बैंक में नियत उपनिधान | | 10,000.00 |
| | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 500.00 | | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 1,000.00 | |
| | संस्था से धनराशि प्राप्य | 5,336.50 | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 500.00 | |
| | | | | गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | 4,336.50 | 5,836.00 |
| | | 15,836.50 | | | | 15,836.50 |

सी० श्री निवासन स्मारक पारितोषिक कोष 31-3-96 को

| | | रु० पै० | | | रु० पै० | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामे | शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान | 12,000.00 | जमा | शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान | | 12,000.00 |
| | बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 430.00 | | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 1,260.00 | |
| | संस्था से धनराशि प्राप्य | 1,077.71 | | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 430.00 | |
| | | | | | 1,690.00 | |
| | | | | | 182.29 | |
| | | | | कम : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम | | 1,507.71 |
| | | 13,507.71 | | | | 13,507.71 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक 21 जून, 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

वाजीर देवी पुरी स्मारक पारितोषिक कोष 31-3-1996 को

| | रु० पै० | | | रु० पै० |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान रु० | 12,000.00 | जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान | | 12,000.00 |
| बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्त | 19.73 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | 1200.00 | |
| संस्था से प्राप्य | 1,007.19 | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | 19.73 | |
| | 13026.92 | | 1219.73 | |
| | | | 192.81 | |
| | | कम : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम | | 1,026.92 |
| | 13,026.92 | | | 13,026.92 |

जी० इन्दिरा देवी स्मारक पारितोषिक कोष 31-3-96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामेशेष बैंक नियतकालिक उपनिधान | रु० 15,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 15,000.00 |
| बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 825.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 1807.26 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | 2,114.54 | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | रु० 825.00 | |
| | | | रु० 2632.26 | |
| | | योग : गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य | रु० 307.19 | |
| | | | | रु० 2939.45 |
| | 17,939.45 | | | 17,939.45 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून, 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

पुष्पा रानी दे स्मारक पारितोषिक कोष : 31-3-96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 12,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 12,000.00 |
| बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 660.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 1320.00 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | 977.69 | योग 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | रु० 660.00 | |
| | | | रु० 1980.00 | |
| | | कम : गत लेखानुसार संस्था से अग्रिम | रु० 342.31 | रु० 1,637.69 |
| | 13,637.69 | | | 13,637.69 |

श्रीनिवासन जगन्नाथ स्मारक पारितोषिक कोष : 31-3-96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 20,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 20,000.00 |
| बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य | 843.84 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 2200.00 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | 3,549.96 | योग : 31-3-96 तक प्रोदभूत ब्याज | रु० 843.84 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | रु० 1349.96 | |
| | | | | 4,393.80 |
| | 24,393.80 | | | 24,393.80 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

मी० एल० नियतदास कुरी [illegible] पारितोषिक कोष 31—3—96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे [illegible] बैंक में [illegible] | रु० 12,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 12,000.00 |
| बैंक से [illegible] | रु० 55.23 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 1470.00 | |
| संस्था [illegible] | रु० 2,242.19 | योग : 31—3—96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 55.23 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | रु० 772.19 | |
| | | | | रु० 2,297.42 |
| | रु० 14,297.42 | | | रु० 14,297.42 |

ए० के० विश्वास फाउन्डेशन पारितोषिक कोष : 31—3—96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 22,017.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 22,017.00 |
| बैंक से ब्याज प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 271.44 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 2201.68 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | रु० 10,695.70 | योग : 31—3—96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 271.44 | |
| | | गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | रु० 8494.02 | |
| | | | | रु० 10,967.14 |
| | रु० 32,984.14 | | | रु० 32,984.14 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

दिनांक : 21 [illegible]

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

एन० सरकार स्मारक पारितोषिक कोष, जैसा कि 31–3–96 को था

| | | | |
|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 10,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 10,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 142.21 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला रु० 1000.00 | |
| संस्था से धनराशि प्राप्य | रु० 6,988.00 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज रु० 145321 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य रु० 5988.00 | |
| | | | रु० 7,133.21 |
| | रु० 17,133.21 | | रु० 17,133.21 |

सुभास एडो स्मारक पारितोषिक कोष, जैसा कि 31–3–96 को था

| | | | |
|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 5,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 50,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 120.55 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला रु० 500.00 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | रु० 2,540.50 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज रु० 120355 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य रु० 2040.50 | |
| | | | रु० 2,661.05 |
| | रु० 7,661.05 | | रु० 7,661.05 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक : 21 जून 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

सुल्तान चन्द्र पारितोषिक कोष जैसा कि 31–3–96 को था

| | | | |
|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 25,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 25,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 1,500.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला रु० 1,300.00 | |
| संस्था में धन राशि प्राप्य | रु० 1,300.00 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज रु० 1,500.00 | |
| | | | रु० 2,800.00 |
| | रु० 27,800.00 | | रु० 27,800.00 |

के० के० दत्ता पारितोषिक कोष जैसाकि 31–3–96 को था

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 12,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 12,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 720.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 623.00 | |
| संस्था में धनराशि प्राप्य | रु० 623.00 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 720.00 | |
| | | | | रु० 1,343.00 |
| | रु० 13,343.00 | | | रु० 13,343.00 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

केदार नाथ प्रहलाद राई धानुका स्मारक पारितोषिक कोष 31–3–96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 15,000.00 | जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 15,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 825.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 780.00 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | रु० 780 00 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 825.00 | |
| | | | | रु० 1,605.00 |
| | रु० 16,605.00 | | | रु० 16,605.00 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक

कलकत्ता
दिनांक : 21 जून 1996

परिषद की आज्ञा से
हरि जीवन बनर्जी
अध्यक्ष
एस० आर० आचार्य
सचिव

विक्रमजीत मजूमदार स्मारक पारितोषिक कोष जैसाकि 31–3–96 को था

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नामे शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान | रु० 5,000.00 | जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान | | रु० 5,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 109.59 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 500.00 | |
| संस्था से धनराशि प्राप्य | रु० 4,009.80 | योग : 31–3–96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 109.69 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य | रु० 3509.00 | |
| | | | | रु० 4,119.39 |
| | रु० 9,119.39 | | | रु० 9,119.39 |

श्रीमती रजमना और एम० आर० एस० इयेंगार स्मारक पारितोषिक कोष 31-3-96 को

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य बैंक से नियतकालिक उपनिधान | रु० 5,000.00 | सामान्य बैंक में नियतकालिक उपनिधान | | रु० 5,000.00 |
| बैंक से प्रोद्भूत ब्याज प्राप्य | रु० 250.00 | वर्ष के दौरान ब्याज मिला | रु० 500.00 | |
| संस्था से धन राशि प्राप्य | रु० 1,731.70 | योग : 31-3-96 तक प्रोद्भूत ब्याज | रु० 250.00 | |
| | | योग : गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्त | रु० 1,231.70 | |
| | | | | रु० 1,981.70 |
| | रु० 6,981.70 | | | रु० 6,981.70 |

मेरी रिपोर्ट के दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित
अमलेन्दु चटर्जी, एफ० सी० ए०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
लेखा परीक्षक
कलकत्ता
दिनांक : 21 जून 1996

परिषद की आज्ञा से
अरुणांशु बनर्जी
अध्यक्ष

एस० आर० आचार्य
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1996

सं. यू-16.(53)/87-चि.-2—गुजरात कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार दिये पारिश्रमिक पर 22-9-96 से 21-9-97 तक एक वर्ष के लिए या पूर्ण-कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) द्वारा निर्धारित अहमदाबाद क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

| क्रम संख्या डाक्टर का नाम, क्षेत्र का नाम |
|---|
| 1. डा. (श्रीमती) ए. जे. पटेल—जमालपुर स्थानीय कार्यालय, अहमदाबाद। |
| 2. डा. के. आर. असथेकर—खोखरा स्थानीय कार्यालय, अहमदाबाद। |
| 3. डा. एस. के. मजूमदार—असारवा स्थानीय कार्यालय, अहमदाबाद। |

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1996

सं. एन. 15/13/1/2/88-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-9-1996 एतद् द्वारा के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे। अर्थात :

1. जिला बस्ती में तहसील खलीलाबाद, परगना, मगहर पूर्व के राजस्व ग्राम खलीलाबाद, बौना, बंकवाजार भैंसहिया, भोरहगा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।
2. जिला बस्ती में तहसील-खलीलाबाद, परगना-मगहर पूर्व के अन्तर्गत खलीलाबाद नगर परिषद के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।
3. जिला बस्ती में तहसील-खलीलाबाद, परगना-मगहर पूर्व की मगहर शासित क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर कठार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 12th September 1996

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/47/96.—In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March, 1996 is hereby published for general information :—

(Please incorporate the material enclosed herewith).

A. K. MAJUMDAR, Secy.

## 47TH ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 1996

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has great pleasure in presenting its 47th Annual Report for the period 1st April 1995 to 31st March 1996. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The Report also covers the seminars and conferences organised, training programmes conducted, relevant statistics relating to members and students and also the accounts of the Institute for the year 1995-96. However, important activities of the Institute upto the end of August 1996 have been briefly mentioned.

### 1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various Committees

The Sixteenth Council composed of 24 elected members and 6 members nominated by the Central Government was constituted on 18th January, 1995 for a period of three years. The composition of the Sixteenth Council as on 31st March 1996 is given in APPENDIX I to this Report.

1.2 President and Vice-President

Shri Y. M. Kale, FCA and Shri T. S. Vishwanath, FCA continued to function as President and Vice-President respectively of the Institute till 17th January 1996. The Council wishes to place on record its gratitude and sincere appreciation of the valuable services rendered by both of them.

The Council at its 179th meeting held on 16th, 17th and 18th January, 1996 unanimously elected Shri T. S. Vishwanath, FCA as President and Shri M. M. Chitale, FCA as Vice-President of the Institute for a period of one year with effect from 18th January 1996.

1.3 Secretary

Shri A. K. Majumdar continued as Secretary of the Institute.

1.4 Committees of the Council

The Council at its 179th meeting held on 16th, 17th and 18th January 1996, constituted three Standing and various Non-Standing Committees to deal with various matters concerning the profession. A list of these Standing and Non-Standing Committees together with their composition is given in APPENDIX II to this Report.

1.5 Meetings of the Council

During the year ended 31st March 1996, the Council held 7 meetings.

1.6 Auditors

Shri K. S. V. S. Manian, FCA and Shri S. R. Khurana, FCA were the joint auditors for the year 1995-96. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

### 2. RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The Council continued to lay greater emphasis on research, professional development, continuing professional education of members and education and training of students through its various non-standing Committees. While a number of research activities have been undertaken/identified, a fairly good number of publications on accounting standards, auditing standards, expert opinions, background material for use in chain seminars, conferences and training programmes have also been brought out by the Institute through its various non-standing Committees during the period under Report. These activities inter alia include the following :—

(a) Accounting Standards

Recognising the increasing reliance placed on the Accounting Standards of recognised professional bodies worldwide in general and the Accounting Standards issued in India in particular, the Institute continued to play its role as the premier accounting body by ensuring that the accounting standards issued by it remained relevant, practical and useful. The Institute, through its Accounting Standards Board, continued its efforts to reduce the diversity in accounting practices and bringing out an over all improvement in accounting and disclosure by enterprises in India. These activities include—

(a) finalisation of the Exposure Draft on 'Cash Flow Statements' as an Accounting Standard on the basis of the comments/suggestions received from members and others on the aforesaid Exposure Draft;

(b) issue of an Exposure Draft of the revised Accounting Standard 5 on 'Net Profit or Loss for the Period and Changes in accounting Policies, inviting comments from members and others concerned;

(c) preparation of a Guidance Note on 'Earnings per Share'; and

(d) review of Accounting Standard 2 on 'Valuation of Inventories' and Accounting Standard 7 on 'Accounting for Construction Contracts'.

The Accounting Standards Board is in the process of developing a "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements". The Accounting Standards Board is also considering whether an accounting standard needs to be brought out on the subject accounting for leases on which a Guidance Note has been issued earlier. Study groups set up by the Accounting Standards Board are in the process of developing preliminary drafts of accounting standards on 'Financial Instruments', 'Borrowing Costs' and 'Accounting and Disclosure of Current Assets and Current Liabilities'. Accounting Standards to remain relevant to the changing social milieu, need to be reviewed periodically. The Accounting Standards Board has taken note of the extensive changes in the International Accounting Standards in the recent past and is taking such changes into account, while reviewing four Accounting Standards so that the same are in tandem with the International Standards.

(b) Auditing Standards

As in the past, the Institute has accorded priority to the tasks of formulation and upgradation of auditing standards and of providing necessary guidance to members so as to assist them in the performance of their attest function in a more effective manner. To this end the Institute, through its Auditing Practices Committee, undertook the task of issuing Statements on Standard Auditing Practices (SAPs) seeking codification of existing auditing practices in the country and wherever necessary, to upgrade them in the context of the changing scenario. As a part of this process, the Committee has issued another SAP viz., SAP 11 on 'Representations by Management'. The Committee is in the process of issuing two more SAPs dealing with 'Audit Materiality' and 'Responsibility of Joint Auditors'. With a view to assisting the statutory auditors engaged in the verification of cash flow statements which is required to be published as a part of Annual Reports of listed companies, the Committee has published a recommended Format of Auditor's Report. The Committee has also issued three Guidance Notes namely, 'Audit of Cash and Bank Balances' 'Audit of Miscellaneous Expenditure shown in Balance Sheet' and 'Audit of Liabilities'. The Exposure Draft of a proposed Guidance Note on 'Audit of Revenue' has also been issued inviting comments from members and others concerned.

While a Study on 'Auditing in an EDP Environment' is under preparation, the Committee is actively engaged in developing drafts of SAPs on 'Risk Assessment and Internal Control', 'Subsequent Events', 'Audit of Accounting Estimates', 'Audit Sampling', 'Going Concern' and 'Analytical Procedures'. The Committee is also engaged in the preparation of preliminary drafts of proposed Guidance Notes on 'Audit of Expenses' and 'Audit of Capital and Reserves'.

(c) Other Research Studies

Recognising the fact that development of a profession is largely dependent on how effectively it responds to the challenges of the Society and comes up with logical, objective and research based authoritative pronouncements, the Institute, through its Research Committee, continued its efforts to achieve excellence in carrying on research contributing to the conceptual knowledge of accounting, auditing, corporate laws, fiscal laws and allied areas. During the period under Report, the Research Committee has released the revised editions of 'Compendium of Statements and Standards on Accounting' and 'Compendium of Statements and Standards on Auditing'. A Guidance Note on 'Auditor's Report/Certificate on Financial Information in Offer Documents' has been finalised on the basis of clarifications issued by SEBI regarding guidelines on disclosures and investors' protection and the same would be released soon. Other publications likely to be released shortly include 'Management Control Systems in Non-Profit-Organisations with Special Reference to Hospitals'. 'Guidelines on Internal Audit on Enterprises Carrying on Advertising and Publicity Business', 'Guidelines on Internal Audit-Tyre Industry', and 'Interim Financial Reporting: A Comparative Study of USA, UK, France and India'. Apart from the above, seven publications are under finalisation and another seven are under active consideration. About fifty research projects on varied subjects are at various stages of completion. The Shield Panel—a sub-committee of the Research Committee—is in the process of finalising the awards for various categories—companies/corporations, banks/financial institutions etc.—in respect of the Annual Best Presented Accounts Competition for the year 1994-95.

In the field of corporate laws, apart from responding to a number of technical issues, by way of forwarding comments/views/suggestions and holding discussions, on reference from various regulatory bodies/agencies/authorities such as Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI), Comptroller & Auditor General of India (C&AG) etc. the Institute, through its Corporate Laws Committee, constantly remained in touch with the Deparment of Company Affairs with regard to matters relating to modifications in the newly introduced Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956 and recast of Schedule XII to the Companies Bill, 1993. Responding instantly to the announcement made by the Hon'ble Minister of Finance and Company Affairs, five regional groups have been set up to specifically go into the technical issues relating to assigned segments of company law. It is proposed to hold a high level Workshop whereat a consolidated report prepared on the basis of the study made by the aforementioned regional groups would be discussed and tangible suggestions would be forwarded thereafter to the Hon'ble Minister.

In the area of taxation, the Institute continued to interact closely with the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and Finance Ministry, through its Fiscal Laws Committee. The view points of the Institute in pre-budget and post-budget memoranda found the usual support with the authorities and a number of views/suggestions made by the Institute have been enthusiastically received. A high level Workshop on Union Budget-1996 was organised at New Delhi in which eminent professionals and senior officials from CBDT, Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Income-tax department were participants. With a view to providing a forum for generating constructive and positive suggestions on simplification of tax laws and their administration and to make it more responsive to the tax payers while minimising losses to the exchequer, five half-day Seminars were organised at major metros and Kanpur. The Fiscal Laws Committee is actively engaged in revising four of its publications.

(d) Expert Opinions

As in the past, a large number of queries received from members on diverse subjects were considered and opinions issued by the Expert Advisory Committee of the Institute. The Volume XV of the 'Compendium of Opinions' containing opinions issued between January 1995 and January 1996 has been released.

(e) Continuing Professional Education

The Institute recognises the fact that ultimately it is members who must maintain the standard and quality of their professional activities. The role of the Institute is to provide them with the support and resources to make their task easier. By protecting and enhancing standards, the Institute ensures that its members have all the skills and qualities that are needed for the effective discharge of the responsibilities assigned to them. Realising the above fact, the Institute, through its Continuing Professional Education Committee, continued its effort to impart education to the members on topics/areas of current relevance and importance. Continuing professional education programmes were conducted on Bank Audit, Accounting and Auditing Standards, Code of Conduct and Indirect Taxes (Central Sales Tax, Taxation of Deemed Sale Transactions and Central Excise) throughout the country on the basis of uniform background material provided.

A Seminar on FERA, Foreign Collaboration and Joint Ventures was organised at Bangalore. Joint Seminars in association with the Institute of Cost and Works Accountants of India on Aspects of Management Accounting and with the Institute of Company Secretaries of India on Corporate Finance and Law were held at Pune and Chandigarh respectively. Continuing professional education programmes in the fields of Direct Taxes, Internal Audit, Revenue Audit and Concurrent Audit and Project Finance are to be organised soon covering the length and breadth of the country. Similarly, Seminars in the areas of EDP Audit and Corporate Restructuring are to be held soon.

The Committee continued to hold post-qualification examinations for members. Appropriate measures have been taken to popularise these courses. All the computer centres of the Institute continued to provide computer education to members and students through specially designed courses.

(f) Professional Development

The Institute continued to play a very crucial role in various segments of economic framework and in particular, in laws relating to taxation, companies and the like. The Institute also played its role in providing necessary inputs to the Trade Policy Division, Ministry of Commerce, Govt. of India enabling the latter to take part in a more effective manner in the negotiations/discussions being held with the Working Party on Accountancy Sector set up under the WTO. The Institute continued to maintain a close contact with the RBI, SEBI, C&AG and similar other regulatory bodies from whom it received references for technical advices.

The Insurance Regulatory Authority has invited the institute to take up the matter of redesigning of the format of accounts of insurance companies both in the life and non-life sectors having regard to the international practices as regards measurement, disclosure and presentation aspects.

The Institute, through its Professional Development Committee, carried out a review of the norms for empanelment of statutory central auditors of banks and on that basis suggested certain modifications in the norms which were intended to improve the effectiveness of bank audits and they have been generally accepted by the RBI. The Committee also made certain suggestions regarding criteria for allotment of statute branch audit of public sector banks with a view to ensuring a more rational and equitable distribution of work among the members of the profession. Suggestions have also been made to the C&AG regarding norms for empanelment of statutory auditors of public sector undertakings. A Joint Group comprising representatives of the Institute and the C&AG reviewed the directions issued by the C&AG in the context of the recent changes in economic scenario and the resultant need for a shift of emphasis in the audit of public sector undertakings. Suggestions made by this Group were accepted and the revised directions have been issued. Similarly, another Joint Group comprising representatives of the Institute, C&AG and of general insurance companies made suggestions for changes in the directions issued by the C&AG in respect

of general insurance companies. These have been incorporated and the revised directions have been issued. A Joint Group comprising representatives of the Institute and those of the Indian Banks' Association (IBA) has been constituted to examine the various issues relating to concurrent audit.

(g) Activities undertaken by Non-standing Committees

The details of important activities undertaken by some of the non-standing Committees including those mentioned in the preceding paragraphs are given in APPENDIX III to this Report.

## 3. INTERNATIONAL RELATIONS

The Institute continued its active association with various international bodies of professional accountants. A brief report on the role of the Institute and its relations with such bodies is given in APPENDIX IV to this Report.

## 4. OTHER ACTIVITIES UNDERTAKEN

### 4.1 Issues Relating to Foreign Firms and Reciprocity

The Special Committee called "Study Team on Issues Relating to Foreign Bodies/Firms" which was constituted last year has since submitted its report. The report is divided into four Chapters. The issues dealt with the recommendations made by the Study Team relating to the regulations governing the approval of trade/firm name, attempts/activities of foreign accounting firms and reciprocity with overseas professional accounting bodies for recognising each other's qualifications and practice rights. While Chapters 1, 2 and 3 of the Report have already been considered and all the recommendations of the Study Team accepted by the Council, the remaining Chapter on Reciprocity is under the active consideration of the Council. Besides the specific terms of references assigned to it, the Study Team was also assigned the task of formulating its views/response to the various documents received by the Institute from the Trade Policy Division, Ministry of Commerce, Govt. of India in the course of Government's on-going negotiations under Article VI of General Agreement on Trade in Services (GATS) with other member-bodies of the World Trade Organisation (WTO). The views/response of the Study Team were considered and after approval of the Council, the Institute's inputs were given for use by the Government in the aforementioned negotiations.

### 4.2 Review of Education and Training

The Composition of the Committee for Review of Education and Training (CRET) constituted last year has undergone a change with the inclusion of the Vice-President, Shri M. M. Chitale, as Co-Chairman and change in the co-option. The composition of the Committee as obtaining now is given in APPENDIX II to this Report.

In order to elicit relevant information from a wide cross section of the Society, the Committee issued 4 separate questionnaires to (1) Students of the C.A. Course; (2) Members of the profession; (3) Users of services of the members of the profession and (4) Academicians associated with the Institute. About 16,000 questionnaires were sent covering the aforesaid categories.

The questionnaires were also sent to the Regional Councils of the Institute and their Branches. An announcement along with the questionnaires meant for members and students has also been published in the July, 1996 issued of the Journal.

The Committee has constituted four Regional Study Groups to prepare concept papers on different aspects of its terms of reference, such as 'Theoretical Education', 'Syllabus and Examinations for the C. A. Course' 'Entry Requirement and other related Aspects', 'Practical Training including Industrial Training' and 'Post-qualification Courses'. The concept papers prepared by the Study Groups will be considered by the Committee. The Committee has also proposes to record oral evidence from selected persons at different centres before formulating its thoughts and finalising its recommendations

### 4.3 14th All India Conference of Chartered Accountants

The 14th All India Conference of Chartered Accountants which was originally scheduled to be held in December, 1995 at Jaipur was postponed owing to unavoidable reasons. The said Conference will now be held on 26th, 27th and 28th December, 1996 in "B. M. Birla Auditorium" at Jaipur. The theme of the Conference is "Professional Ethos in the New Milieu". Twelve papers on current topics, contributed by eminent personalities from the profession, will be discussed in four Technical Sessions. The Conference is expected to be attended by a large number of members of the profession besides delegates from professional bodies in India and abroad The Conference Committee, constituted last year for the smooth conduct of this important event, has undergone a change with the inclusion of the Vice-President, Shri M. M. Chitale as Co-Chairman and others. The composition of the Conference Committee as obtaining now is given in APPENDIX II to this Report.

### 4.4 Placement Facilitation

Placement facilitation, popularly known as "Campus Interviews" was introduced for the first time in September, 1995 with a view to providing an opportunity both to employing-organisations as well as the young professionals to meet and explore the possibility of taking up positions in industry. Overwhelmed by the response received, it is proposed to increase the number of campus interview centres in a phased manner based on the cluster of young members obtaining in various cities/towns. This scheme has been discussed separately in para 5.1 of APPENDIX III to this Report.

## 5. OTHER MATTERS

### 5.1 Annual Function of the Institute

The 46th Annual Function of the Institute was held on 16th January, 1996 at New Delhi. Hon'ble Shri H. R. Bhardwaj, the Union Minister of State for Law, Justice and Company Affairs was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the Institute's prestigious awards for the best presented accounts and distributed prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute. The Hon'ble Chief Guest also gave away prizes for the best articles published in the Institute's Journal and presented shieds and certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branch of the Institute. The function was attended by a large number of invitees including members, students and officers and staff of the Institute.

### 5.2 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations, 1988

A. Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

As mentioned in the last Report, the Council of the Institute submitted a consolidated proposal for amendments to the Chartered Accountants Act, 1949, taking into account the changing needs and present policy of liberalisation of the Central Government. The amendments are under the active consideration of the Central Government.

B. Amendments in the Chartered Accountants Regualtions, 1988

The Government approved in March, 1996 the amendments in Regulation 6 relating to membership and certificate of practice fees payable by members. The revised rates of fee payable by members have been brought into force with effect from 1st April, 1996. As mentioned in the last Report, with a view to simplify and rationalise the provisions of Chartered Accountants Regulations, the Institute has proposed a number of amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988 concerning members, examinations, articles/audit clerks, elections and others. These amendments are under the active consideration of the Central Government

### 5.3 Central Council Library

The Central Council Library provides books, journals and newspaper facilities to the members and students of the Institute. The Library also provides the articles collected from various journals and newspapers, a list of which is published periodically in the Institute's Journal under the title. Professional News and Views Published Elsewhere". A Reference Service is also being provided to the Researchers and Foundation Course students as a special case.

In addition, library facilities are also provided at the Regional Centres and Branches throughout the country. Grants are given to Associations and Study Circles recognised by the Institute for development of Libraries.

5.4 Journal

The Institute's monthly Journal 'The Chartered Accountant' continued to maintain high professional standards and was well received throughout the period under Report, with the circulation figure crossing 1,00,000. As the Journal continued to be our ambassador, every effort is taken to further enhance readability with different types of layout, visuals, etc.

As in the past, Prizes will be awarded to the authors of the best articles published in the Journal during the period July 1995 to June 1996 at the Annual Function of the Institute.

5.5 Chartered Accountants Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents. The assistance is provided for maintenance of the dependents, their educational needs, meeting medical expenses etc. The number of life members of the Fund increased from 11,162 as on 31-8-1995 to 12,564 as on 31-8-1996. A sum of Rs. 5,20,550 was disbursed during the year ended 31st March, 1996 to deserving persons. The balance in the Fund as on 31-3-96 was Rs. 90,02,883 as against a sum of Rs. 79,48,853 as on 31-3-1995.

5.6 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March 1996, 45 scholarships of the value of Rs. 100/- each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the Fund was 210 as on 31st August 1996. The balance in the credit of the Fund was Rs. 1,39,183 as on 31-3-1996 as against Rs. 1,32,902 as on 31-3-1995.

5.7 Recognition of CA Course

The Institute has been in touch with the Universities to get the Chartered Accountancy Course recognised for Ph.D. programme. During the period under report, one more University i.e., Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal accorded recognition to C.A. Course for the purpose of Ph.D programme. Thus, at present a total of 42 Universities besides the Association of Indian Universities and Indian Institutes of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise the C.A. Course as equivalent to M. Com. for registration for Ph.D. programme. A list of Association/Institutes/Universities which have recognised the C.A. Course for the purpose is given in para 11.6 of APPENDIX III to this Report.

## 6. MEMBERS

6.1 Membership

During the year ended 31st March, 1996, 4326 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 74,352 as on 1-4-1996.

During the year ended 31st March, 1996, 2700 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 2843 in the previous year.

**Statistics of members as on 1-4-1996**

| Category of Members | Fellows (1) | Associates (2) | Total of Columns (1) & (2) |
|---|---|---|---|
| In Fulltime practice | 29,137 | 16,085 | 45,222 |
| In part time practice | 2,402 | 5,083 | 7,485 |
| Not in practice | 3,432 | 18,213 | 21,645 |
| Grand Total | 34,971 | 39,381 | 74,352 |

6.2 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri P. R. Mehra and Shri D. Rangaswamy, Past members of the Council. The Council also records with a deep sense of sorrow the passing away of several other members. The names of the members whose names stand deleted from the Register of Members on account of death during the year ended 31st March 1996 are given in APPENDIX V to this report.

6.3 Disciplinary Committee

The details of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1-4-1995 to 31-3-1996 are given below:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | (a) Number of cases considered by the Council under Section 21 for it's prima facie opinion as to whether the case warranted reference to Disciplinary Committee or not. | 75 |
| | (b) Out of the above number of cases referred by the Council to Disciplinary Committee for enquiry. | |
| 2. | Number of cases heard by the Disciplinary Committee during the above period (out of the total pending cases with the Committee for enquiry). | 11 |
| 3. | Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases which were heard during the earlier years). | |
| 4. | Out of the above : | |
| | (a) Number of cases in which respondents have been found guilty under the First Schedule for affording a hearing before the Council for passing order under section 21(4). | 18 |
| | (b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct, to be referred to High Courts under Section 21 (5). | 05 |
| | (c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct. | 03 |
| | (d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry. | 02 |
| | (e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct. | 22 |
| 5. | Cases heard under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule. | 03 |
| 6. | Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6). | 01 |

## 7. STUDENTS

7.1 The Board of Studies (Board) continued its activities of preparing and providing coaching materials to the students of pre-professional Foundation Course and the students of the professional course of Chartered Accountancy (Intermediate and Final). During the year ended 31st March, 1996, the

study materials for Foundation, Intermediate and Final Courses were updated and revised, wherever necessary, and released.

7.2 The total number of students registered for Foundation Course during the year ended 31st March, 1996 in different regions was 29015. The region-wise break-up is given in APPENDIX VI to this Report.

7.3 The number of students enrolled for the Intermediate and Final Courses during the years ended 31st March, 1995 and 31st March, 1996 are as under :—

| Course | 1995-96 | 1994-95 |
|---|---|---|
| Intermediate . . . . . | 19288 | 18531 |
| Final . . . . . | 8675 | 5770 |

7.4 The total number of students on the rolls of Board of Studies as on 31st March, 1996 (excluding those students who are registered for the Foundation Course) was 134876 as against 120756 as on 31st March 1995. The details are given in APPENDIX VII to this Report.

7.5 During the year ended 31st March, 1996, accreditation has been granted to 29 institutions for organising classes for Foundation Course students. The number of accredited institutions for Foundation Course as on 31st March, 1996 was 248. On a review of the performance of the accredited institutions, the names of 36 institutions were deleted from the list as they were not holding classes for a continuous period of 2 years. Classes for the benefit of November, 1995 and May, 1996 batches of students were organised by 50 (including 2 Regional Councils and 8 Branches) and 98 (including 1 Regional Council and 8 Branches) accredited institutions respectively.

7.6 During the year ended 31st March, 1996, accreditation was granted to 12 institutions for organising classes for the benefit of Intermediate students. As on 31st March, 1996 there were 42 accredited institutions for the purpose of Intermediate (35 colleges 6 branches of the Regional Councils and 1 Regional Council). Classes for the benefit of November 1995 and May, 1996 batches of Intermediate students were organised by 6 (including 1 branch of regional council) accredited institutions.

7.7 Regional Monitoring Committees set up at different regions for monitoring the performance of accredited institutions met regularly to consider requests for accreditation and allied matters. As part of the review of the accreditation scheme, a questionnaire was sent to all the accredited institutions eliciting feed back regarding classes and other related matters.

7.8 The monthly feature in the Journal—'Quiz Contest for Students'—covering the different subjects of C.A. Curriculum continued to evoke good response from the students. Three prizes (a first prize of Rs. 500/-, a second prize of Rs. 400/- and a third prize of Rs. 300/-) are being awarded to the top three scorers. During the year ended 31st March, 1996, 285 students participated in the 8 Quiz Contests.

7.9 The Board had framed a scheme for holding series of Elocution Contests at Branch level Regional level and National level for inculcating better communication skills in the students. Under this scheme Elocution Contests were organised by 14 Branches of the SIRC as well as the SIRC (Madras), 4 Branches of WIRC and the WIRC (Bombay), the CIRC (Kanpur) and the NIRC (New Delhi). Final Contests at Regional level were also organised at Madras, Bombay and Kanpur.

The All India Final Elocution Contest was organised at New Delhi on 16th September 1995. 21 Winners from the regional level contests were invited to the Final Contest out of which 12 participated in the contest. In addition to the 3 prizes awarded to the best speakers as originally announced, 2 consolation prizes were also awarded.

7.10 One day Seminars for the students were organised by the Salem, Madurai, Ernakulam, Hubli and Vellore Branches of SIRC and Lucknow Branch of CIRC.

7.11 The Board has decided to continue the operation of the scheme for Elocution Contests as well as One Day Seminars for students during 1996 also. A special scheme for organising classes for Indirect Taxes at the Regional and Branch levels for the benefit of Final Students has also been introduced.

7.12 The 10th All India C.A. Students Conference was organised at Calcutta on 5th and 6th January 1996, with 'Accountancy in the New Millennium' as its theme. It was attended by 480 delegates (including 221 outstation delegates). The Conference was inaugurated by Shri K. P. Singh, Chief Commissioner of Income Tax, West Bengal. The Inaugural Session was addressed by Hon'ble Shri Saral Deb, Minister In-charge of Co-operation, Government of West Bengal and Shri T. S. Vishwanath, the then Vice-President.

7.13 The Ahmedabad Branch of Western India Chartered Accountants Students' Association organised a Regional C.A. Students' Conference at Ahmedabad on 19th and 20th August 1995. 197 students from Western Region participated in the Conference.

7.14 During the year ended 31st March 1996, scholarships were granted to 239 students from out of the funds of the Institute (Need Based Scholarships 190 partial free ships 5, Merit Scholarships 24 and Merit-cum-Need Scholarships 20) and 32 out of the income from various endowments created for the purpose.

7.15 Compilations of Questions and Answers in the subject of Costing for Intermediate Course and Quantitative Techniques for Final Course were released.

7.16 The Suggested Answers Volumes for Foundation, Intermediate and Final Examinations held in May 1995 and November 1995 as well as the Hindi Suggested Answers Volume for Foundation Course were released.

## 8. EXAMINATIONS

8.1 The Chartered Accountants Final and Intermediate Examinations were held in May 1995 and November 1995 in 50 Centres. The Foundation Examination was held in May, 1995 and November 1995 in 48 Centres.

82. The total number of candidates who appeared in the Final, Intermediate and Foundation Examinations held in May 1995 were 15967, 34219 and 12972 and in November 1995 were 16177, 38168 and 10774 respectively. A summary of results of these examinations indicating the number of candidates appeared in the said examinations and the number of candidates declared successful is given in APPENDIX VIII to this Report.

8.3 The names of the candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May/November, 1995 are given in APPENDIX IX to the Report.

## 9. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

### 9.1 Regional Councils and their Branches

The Institute has five Regional Councils namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council having their headquarters at Mumbai, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of Branches of Regional Councils throughout the country stood at 81. A list of Branches is given in APPENDIX X to this Report.

### 9.2 Buildings

During the period under Report, certain branches of Regional Councils continued their interest in having their own buildings. While Quilon Branch has completed its building project, the Ahmedabad, Palghat, Madurai, Ghaziabad and Raipur Branches are in the process of construction/completion of their respective branch premises.

### 9.3 Rotating Shields for the Best Regional Council and Best Branch of Regional Councils

Since 1986-87 the Institute awards each year a Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance of the Regional Council.

Similarly, a separate Rotating Shield is also awarded to the Best Branch each year. This award is given on the basis of established norms. For the year 1996, these Shields will be awarded at the Annual Function.

### 10. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as at 31st March, 1996 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

### 11. APPRECIATION

11.1 The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members on the Institute's Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 1995-96 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

11.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Government and its nominees on the Council during the year 1995-96.

11.3 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 1995-96 by all officers and staff of the Institute.

## APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

### APPENDIX I

**(Ref. Para 1.1 of the Report)**

***Members of the Sixteenth Council* (as on 31st March 1996)**

| | |
|---|---|
| Shri Agrawal, R.K. | Calcutta |
| Smt. Bhansali, Priya | Coimbatore |
| Shri Bupathy, R. | Madras |
| Shri Chakraborty, A.K. | Calcutta |
| Shri Chandak, A.K. | Nagpur |
| Shri Chhajed, S.P. | Mumbai |
| Shri Chitale, M.M. | Mumbai |
| *Shri Darak, V.C. | Mumbai |
| Shri Doshi, G.B. | Mumbai |
| Shri Goyal, Sunil | Jaipur |
| *Shri Gupta, K.D. (w.e.f. 20-7-95) | New Delhi |
| Shri Gupta, N.D. | New Delhi |
| Shri Gupta, N.K. | Kanpur |
| Shri Iyer, N.V. | Mumbai |
| *Dr. Jain, B.C. | Kanpur |
| *Shri Joshi, R.D. | New Delhi |
| Shri Kaley, M. | Mumbai |
| Shri Khanna, M.M. | New Delhi |
| *Shri Mathur, B.P. (w.e.f. 15-1-96) | New Delhi |
| Shri Mehta, K.S. | New Delhi |
| Shri Motiwalla, H.N. | Mumbai |
| Shri Narayanan, N. | Bangalore |
| Shri Rao, S.S.R. Koteswara | Hyderabad |
| Shri Roy, Rahul | Calcutta |
| Shri Shah, A.C. | Ahmedabad |
| Shri Singh, Ashwajit | New Delhi |
| Shri Sitharaman, G. | Madras |
| Shri Upadhyay, P.P. Gururaja | Madras |
| *Shri Vasudeva, S.C. | New Delhi |
| Shri Vishwanath, T.S. | New Delhi |

*Members nominated by the Central Government

### APPENDIX II

**(Ref. Para 1.4 of the Report)**

**Composition of the Standing and Non-Standing Committees for the year 1996-97**

#### A. STANDING COMMITTEES

**EXECUTIVE COMMITTEE**

| | |
|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, President | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President | Mumbai |
| Shri S.S.R. Koteswara Rao | Hyderabad |
| Shri Rahul Roy | Calcutta |
| Shri A.C.Shah | Ahmedabad |

**EXAMINATION COMMITTEE**

| | |
|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, President | New Delhi |
| Shri M.M.Chitatle, Vice-President | Mumbai |
| Shri R.K. Agrawal | Culcutta |
| Shri N.D. Gupta | New Delhi |
| Shri N. Nityananda | Bangalore |

**DISCIPLINARY COMMITTEE**

| | |
|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, President | New Delhi |
| Shri M.M.Chitale , Vice-President | Mumbai |
| Shri S.P. Chhajed | Mumbai |
| Shri R.D.Joshi | New Delhi |
| Shri G. Sitharaman | Madras |

**B. NON-STANDING COMMITTEES**

**ACCOUNTING STANDARDS BOARD**

| | | |
|---|---|---|
| Shri M.M. Khanna, Chairman | | New Delhi |
| Shri N.V. Iyer, Vice-Chairman. | | Mumbai |
| Shri T.S. Vishwanth, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Shri R.K. Agrawal | | Calcutta |
| Shri R. Bupathy | | Madras |
| Shri K.D. Gupta | | New Delhi |
| Shri R.D. Joshi | | New Delhi |
| Shri B.P. Mathur | | New Delhi |
| Shri G. Narayanan | Co-opted | Hyderabad |
| Shri Y.H. Malegam | Co-opted | Mumbai |
| Shri Amitav Kothari | Co-opted | Calcutta |
| Shri Aditya V. Lodha | Co-opted | Calcutta |
| Shri Kunal Banerjee | Co-opted | Calcutta |

**AUDITING PRACTICES COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri N.V. Iyer, Chairman | | Mumbai |
| Shri A.C. Shah, Vice-Chairman | | Ahmedabad |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Shri R.K. Agrawal | | Calcutta |
| Shri B.P. Mathur | | New Delhi |
| Shri N. Nityananda | | Bangalore |
| Shri B.R. Vaithiswaran | Co-opted | Madras |
| Shri P.R. Ramesh | Co-opted | Calcutta |
| Shri Tridibes Basu | Co-opted | New Delhi |

**CONTINUING PROFESSIONAL, EDUCATION COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri Sunil Goyal, Chairman | | Jaipur |
| Shri K.S. Mehta, Vice-Chairman | | New Delhi |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri M. M. Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Shri A.K. Chandak | | Nagpur |
| Shri S.S.R. Koteswara Rao | | Hyderabad |
| Smt. Priya Bhansali | | Coimbatore |
| Shri Vijayakant Jain | Co-opted | Jaipur |
| Shri K.N. Gupta | Co-opted | New Delhi |
| Smt. Bhavana Doshi | Co-opted | Mumbai |

**COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY**

| | | |
|---|---|---|
| Shri A K. Chandak, Chairman | | Nagpur |
| Shri Rahul Roy, Vice-Chairman | | Calcutta |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President (Ex-Officio) | | Mumbai |
| Shri V.C. Darak | | Mumbai |
| Shri N.D. Gupta | | New Delhi |
| Shri N. Nityananda | | Bangalore |
| Shri Ramesh D. Chandak | Co-opted | Mumbai |
| Shri Rakesh Khanna | Co-opted | Ludhiana |
| Shri R. Balakrishnan | Co-opted | Madras |

**FISCAL LAWS COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri R. Bupathy, Chairman | | Madras |
| Shri G. Sitharaman, Vice-Chairman | | Madras |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri G.B. Doshi | | Mumbai |
| Shri K.D. Gupta | | New Delhi |
| Shri Suni Goyal | | Jaipur |
| Shri S.C. Vasudeva | | New Delhi |
| Shri T.N. Manoharan | Co-opted | Madras |
| Shri Vinay Sethi | Co-opted | New Delhi |
| Shri Nirmal Kumar Poddar | Co-opted | Calcutta |

**CORPORATE LAWS COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri S.C. Vasudeva, Chairman | | New Delhi |
| Shri A.K. Chakraborty, Vice-Chairman | | Calcutta |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President (Ex-Officio) | | Mumbai |
| Shri N.K. Gupta | | Kanpur |
| Shri R.D. Joshi | | New Delhi |
| Shri S.S.R. Koteswara Rao | | Hyderabad |
| Shri K.S. Mehta | | New Delhi |
| Shri R.N. Bansal | Co-opted | New Delhi |
| Shri Anil Bhalla | Co-opted | New Delhi |
| Shri Uday Madhav Chitale | Co-opted | Mumbai |

**COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS & UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS**

| | | |
|---|---|---|
| Shri N.K. Gupta, Chairman | | Kanpur |
| Shri G.B. Doshi, Vice-Chairman | | Mumbai |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri A.K. Chandak | | Nagpur |
| Shri S.P. Chhajed | | Mumbai |
| Shri P.P. Gururaja Upadhyaya | | Madras |
| Shri P.N. Shah | Co-opted | Mumbai |
| Shri D. Seetharamaiah | Co-opted | Hyderabad |
| Shri Pradeep Seth | Co-opted | Kanpur |

**EXPERT ADVISORY COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri P.P. Gururaja Upadhyaya, Chairman | | Madras |
| Shri N. Nityananda, Vice-Chairman | | Bangalore |
| Shri M.M. Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Shri Ashwajit Singh | | New Delhi |
| Shri N.D. Gupta | | New Delhi |
| Dr. B.C. Jain | | Kanpur |
| Shri Y.M. Kale | | Mumbai |
| Shri Venugopal C. Govind | Co-opted | Ernakulam |
| Shri V. Rethinam | Co-opted | New Delhi |
| Shri S.K. Ganguly | Co-opted | New Delhi |

**BOARD OF STUDIES**

| | |
|---|---|
| Shri G.B.Doshi, Chairman | Mumbai |
| Shri N.K.Gupta, Vice –Chairman | Kanpur |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice President (Ex-officio) | Mumbai |

| | | |
|---|---|---|
| Shri R. Bupathy | | Madras |
| Shri P.P Gururaja Upadhyaya | | Madras |
| Shri S.C.Vasudeva | | New Delhi |
| Shri Sudhakar Narayan Kulkarni | Co-opted | Nashik |
| Shri Pradeep Sevantilal Shah | —Do.— | Mumbai |
| Shri Subrata Ghosh | —Do.— | Calcutta |

**UNIVERSITY & HIGHER SECONDARY BOARDS LIAISON COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri H.N. Motiwalla, Chairman | | Mumbai |
| Dr. B C Jain, Vice-Chairman | | Kanpur |
| Shri M.M.Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Smt. Priya Bhansali | | Coimbatore |
| Shri K. S. Mehta | | New Delhi |
| Shri A.C. Shah | | Ahmedabad |
| Shri Sunil Goyal | | Jaipur |
| Shri Pankaj Chimanlal Ghadiali | Co-opted | Mumbai |
| Shri O.V. Gadag | —Do.— | Hubli |
| Shri Kanhaiyalal R. Agarwal | —Do.— | Indore |

**PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri A.K. Chakraborty, Chairman | | Calcutta |
| Shri N.D. Gupta, Vice-Chairman | | New Delhi |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice- President (Ex- officio) | | Mumbai |
| Shri V.C. Darak | | Mumbai |
| Shri N.K. Gupta | | Kanpur |
| Shri H.N. Motiwalla | | Mumbai |
| Shri I.C. Jain | Co-opted | Mumbai |
| Shri P.K. Choudhury | —Do.— | New Delhi |
| Shri Kul Bhushan Kapur | —Do.— | New Delhi |

**PUBLIC RELATION COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Smt. Priya Bhansali, Chair-Person | | Coimbatore |
| Shri R.K. Agrawal, Vice-Chairman | | Calcutta |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri M.M.Chitale, Vice-President (Ex-officio) | | Mumbai |
| Shri Ashwajit Singh | | New Delhi |
| Shri R. Bupathy | | Madras |
| Shri R.K. Kumar | Co-opted | Madras |
| Shri Kamal Faruqui | —Do.— | New Delhi |
| Shri Anil Shankarrao Dani | —Do.— | Nagpur |

**RESEARCH COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri K.S. Mehta, Chairman | | New Delhi |
| Shri M.M. Khanna, Vice-Chairman | | New Delhi |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri G.B. Doshi | | Mumbai |
| Dr. B.C. Jain | | Kanpur |
| Shri Y.M. Kale | | Mumbai |
| Shri G. Sitharaman | | Madras |
| Shri Ketan Arvind Dalal | Co-opted | Mumbai |
| Shri V. Rajaraman | —Do— | New Delhi |
| Shri Dipankar Chatterji | —Do.— | Calcutta |
| Dr. S.M. Dagar | —Do.— | New Delhi |

**INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, Chairman | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-Chairman | | Mumbai |
| Shri A.K. Chakraborty | | Calcutta |
| Shri M.V. Iyer | | Mumbai |
| Shri M.M. Khanna | | New Delhi |
| Shri G. Sitharaman | | Madras |
| Shri Amal Ganguly | Co-opted | New Delhi |
| Shri N.C. Sundararajan | —Do.— | Madras |
| Shri K.M. Agarwal | —Do.— | New Delhi |

**ICAI-ICWAI-ICSI COORDINATION COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, Leader | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Deputy Leader | | Mumbai |
| Shri S.P. Chhajed | | Mumbai |
| Shri V.C. Darak | | Mumbai |
| Shri Y.M. Kale | | Mumbai |

**EDITORIAL BOARD**

| | | |
|---|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, Editor-in-Chief | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Joint-Editor | | Mumbai |
| Shri Ashwajit Singh | | New Delhi |
| Shri V.C. Darak | | Mumbai |
| Shri H.N. Motiwalla | | Mumbai |
| Shri Rahul Roy | | Calcutta |
| Shri Sunil Goyal | | Jaipur |
| Shri Harish Gambhir | Co-opted | New Delhi |
| Shri Laxminiwas Sharma | —Do.— | Hyderabad |
| Shri S.K. Bansal | —Do.— | New Delhi |

**GENERAL PURPOSES COMMITTEE**

| | |
|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, Chairman | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-Chairman | Mumbai |
| Shri S.S.R. Koteswara Rao | Hyderabad |
| Shri Rahul Roy | Calcutta |
| Shri A.C. Shah | Ahmedabad |

**COMMITTEE ON CAPITAL MARKET & INVESTORS' PROTECTION**

| | | |
|---|---|---|
| Shri Ashwajit Singh, Chairman | | New Delhi |
| Shri S.P. Chhajed, Vice-Chairman | | Mumbai |
| Shri T.S. Vishwanath, President (Ex-officio) | | New Delhi |
| Shri A.K. Chandak | | Nagpur |
| Smt. Priya Bhansali | | Coimbatore |
| Shri S.C. Vasudeva | | New Delhi |
| Shri Satvinder Jeet Singh Sodhi | Co-opted | New Delhi |
| Shri Bhaskar Banerjee | —Do.— | Calcutta |
| Shri Anand Kishore Rathi | —Do.— | Mumbai |
| Shri Dhananjay Narendra Mungale | —Do.— | Mumbai |

**NATIONAL ACADEMY COMMITTEE**

| | | |
|---|---|---|
| Shri T.S. Vishwanath, Chairman | | New Delhi |
| Shri M.M. Chitale, Vice-Chairman | | Mumbai |
| Shri A.K. Chakraborty | | Calcutta |
| Shri P.P. Gururaja Upadhyaya | | Madras |
| Shri N.V. Iyer | | Mumbai |
| Dr. B.C. Jain | | Kanpur |
| Shri Y.M. Kale | | Mumbai |
| Shri M.L. Khanna | | New Delhi |
| Shri H.N. Motiwalla | | Mumbai |
| Shri M.V. Shirvangi | Co-opted | Belgaum |
| Shri Charulatta Rajarampant Sagdeo | —Do.— | Nagpur |
| Shri Prakash Chandra | —Do.— | Udaipur |
| Shri Sunil Kumar Gulati | —Do.— | New Delhi |

## C. OTHER COMMITTEES

**COMMITTEE FOR REVIEW OF EDUCATION AND TRAINING**

| | |
|---|---|
| Shri Y.M. Kale, Chairman | Mumbai |
| Shri M.M. Chitale, Co-Chairman | Mumbai |
| Shri T.S. Vishwanath, President | New Delhi |
| Shri R.K. Agrawal | Calcutta |
| Shri R. Bupathy | Madras |
| Shri V.C. Darak | Mumbai |
| Shri G.B. Doshi | Mumbai |

| | | |
|---|---|---|
| Shri Sunil Goyal | | Jaipur |
| Shri K.S. Mehta | | New Delhi |
| Shri N. Nityananda | | Bangalore. |
| Shri N. Rangachary | Co-opted | New Delhi |
| Shri S. Soundarajan | | Bangalore |
| Shri K.G. Somani | | New Delhi |
| Shri G. Narayanaswamy | | Madras |
| Shri Vijay Raj Tater | | Mumbai |
| Shri P.S. Billimoria | | New Delhi |

14 THE ALL INDIA CONFERANCE COMMITTEE

| | | |
|---|---|---|
| Shri Y.M. Kale, Chairman | | Mumbai |
| Shri M.M. Chitale, Co-Chairman | | Mumbai |
| Shri T.S. Viswanath, President | | New Delhi |
| Shri N.D. Gupta | | New Delhi |
| Shri N.K. Gupta | | Kanpur |
| Shri Sunil Goyal | | Jaipur |
| Dr. B.C. Jain | | Kanpur |
| Shri S.S.R. Koteswara Rao | | Hyderabad |
| Shri Rahul Roy | | Calcutta |
| Shri A.C. Shah | | Ahemdabad |
| Shri S.L. Gangwal | | Jaipur |
| Shri Manoj Fadnis | | Indore |
| Shri Akshay Gupta | | Kanpur |
| Shri S.C. Bapna | | Jaipur |
| Shri S.K. Bhargava | Co-opted | Lucknow |
| Shri Pradeep Jain | | Jaipur |
| Shri Anil Kumar Gupta | | Jaipur |
| Shri G.R. Mahajot | | Jaipur |
| Shri Rajesh Mangal | | Jaipur |

## APPENDIX III

(Ref. Para 2 of the Report)

Given below is a resume of activities of some of the Non-Standing Committees of the Council :—

### 1. ACCOUNTING STANDARD BOARD

The Accounting Standards Board continued its efforts for reducing the diversity in accounting practices and bringing out overall improvement in accounting and disclosure by enterprises in India.

1. Realising the importance of the information relating to earnings per share as an input in the process of investment decisions and also considering the recent requirement for disclosure of this information, introduced in Schedule VI to the Companies Act, 1956, the Board undertook the task of preparing a Guidance Note on this subject.

2. Recognising the increasing significance of Cash Flow Statement as a source of information for performance evaluation and decision making, the Board had earlier brought out a discussion paper on this subject. Based on the response to the discussion paper, the Board issued an Exposure Draft which is now being finalised as an Accounting Standard in the light of the comments received from various quarters.

3. As a part of its policy of periodic review of accounting standards, the Board issued the exposure draft of revised Accounting Standard 5 for public comment.

4. The Board is carrying out a review of AS 2, Valuation of Inventories, and AS 7, Accounting for Construction Contracts.

5. The Board is developing a Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.

6. As at present, a guidance note issued by the Institute deals with the issues relating to accounting for leases. The Board is considering whether an accounting standard needs to be brought out on the subject.

7. The Board has set up study groups to develop preliminary drafts of accounting Standards dealing with Financial Instruments, Borrowing Costs, and Accounting and Disclosure of Current Assets and Current Liabilities.

### 2. AUDITING PRACTICES COMMITTEE

1. The Committee has undertaken the task of issuing Statements on Standard Auditing Practices which seek to codify the existing auditing practices in India and, where necessary, to upgrade them in the context of the changing scenario. As a part of this process, the Committee issued another Statement on Standard Auditing Practices (SAP) viz., SAP 11, Representations by Management. The Committee would shortly issue two other Statements on Standard Auditing Practices, dealing with Audit Materiality and Responsibility of Joint Auditors.

2. The Committee issued three guidance notes, i.e., Audit of Cash and Bank Balances, Audit of Miscellaneous Expenditure Shown in Balance Sheet, and Audit of Liabilities.

3. The Exposure Draft of a proposed guidance note on Audit of Revenue was released by the Committee for comments.

4. Listed companies have recently been required to publish a cash flow statement as a part of their annual report. The cash flow statement is required to be verified by the statutory auditors of the company. With a view to bringing about uniformity in this regard, the Committee published a recommended format of the auditor's report to be issued in pursuance of this requirement.

5. The Committee is also developing drafts of SAPs on Risk Assessment and Internal Control, Subsequent Events, Audit of Accounting Estimates, Audit Sampling, Going Concern and Analytical Procedures. Similarly, preliminary drafts

of proposed Guidance Notes on Audit of Expenses and Audit of Capital and Reserves are also being developed. A study on Auditing in an EDP Environment is also under preparation.

3. RESEARCH COMMITTEE

A. Publications on Compendium of Statements and Standards-Accounting and Compendium of Statements and Standards-Auditing were released.

B. Proposed Guidance Note on Auditors' Report/Certificate on Financial Information Contained in Offer Documents.

The Guidance Note on the above subject, pursuant to the requirements of clarifications XIII and XIV issued by SEBI, has been finalised which is likely to be released shortly.

C. Publications being processed for printing

(i) Management Control Systems in Non-profit Organisations with special reference to Hospitals (under Research Fellowship Scheme which was granted to commemorate 40th Anniversary of India's Independence).

(ii) Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry.

(iii) Study on Anti-Dumping Law and Procedures.

(iv) Interim Financial Reporting: A Comparative Study of 'India and France' under the P.G. Bhagwat Research Fellowship Scheme.

(v) Accountant's Guide to Law of Central Excises—Revised Edition.

(vi) Computer Based Budgeting System.

(vii) Guidelines on Internal Audit of Enterprises carrying on Advertising and Publicity Business.

D. Publications under finalisation by the experts concerned, as per directions of the Committee.

(i) Accounting for Chit Funds.

(ii) Revision of the Trends in Published Accounts.

(iii) Accounting for Forestries.

(iv) Revised Guidance Note on Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges.

E. Research Studies/Guidance Notes/Technical Guides under consideration of the Committee.

(i) Internal Control Questionnaire in Banks.

(ii) Accounting and Auditing Technical Guide on Automobile Industry.

(iii) Guidelines on Internal Audit in Organizations Carrying on Foodgrains Trading Activities.

(iv) Accounting in Film Industry.

(v) Inspection Audit in Banks.

(vi) Accounting for Factored Debts.

(vii) Accounting and Auditing in Non-Government Organisations/Private Development Agencies.

F. Existing Publication Under Revision

(i) Technical Guide for Audit of Co-operative Societies.

G. Project in Progress.

(1) Management/operations audit emphasis to the existing and new internal audit publications of the Institute.

(a) Revision of General Guidelines on Internal Audit (with special emphasis on Management Audit).

(b) Revision of Guidelines on Internal Audit—Jute Industry.

(c) Revision of Guidelines on Internal Audit—Tea Industry.

(d) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry.

(e) Guidelines on Internal Audit—Electronics Industry.

(f) Guidelines on Internal Audit—Fertilizer Industry.

(g) Guidelines on Internal Audit—Steel Industry.

(h) Guidelines on Internal Audit—Aluminium Industry.

(i) Guidelines on Internal Audit—Excise Records.

(j) Guidelines on Internal Audit—Coal Mining Industry.

(k) Guidelines on Internal Audit—Sugar Industry.

(2) Accounting and Auditing for Infrastructure Industry.

(a) Accounting in Telecommunications Industry.

(b) Accounting for Ports' Operations.

(c) Study on Accounting and Auditing in Power Sector (both generation as well as distribution).

(d) Accounting and Auditing for Construction of Roads and Operation of Toll Roads.

(3) Financial Services Area.

(a) Study on Euro-issues.

(b) Issues involved in drafting a prospectus.

(c) Study on Joint Ventures abroad.

(d) Foreign Currency Exposure Risk Management.

(e) Glossary of Emerging terms in the Financial Sector.

(f) Checklist for making a public issue of shares.

(g) Study on Futures and Options.

(h) Fundamental and Technical Analysis.

(i) Role of Chartered Accountants as advisors to the issues [as Merchant Bankers, Category IV].

(4) Others areas :

(a) Accounting for Oil and Gas Producing Enterprises.

(b) Accounting for Software (Producers and users).

(c) Accounting for Value Added Tax (proposed).

(d) Accounting for Off-Balance Sheet Items.

(e) Working Capital Management and cost of capital.

(f) Financial Strategies: Long Term Funds Management.

(g) Study on Winding-up.

(h) Technical Guide to Accounting & Auditing in Civil Aviation Industry.

(i) Study on Audit of Entities Carrying on Newspapers Publishing Activity.

(j) Study on Current Audit.

(k) Study on Computer and Auditor.

(l) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry.

(m) Accounting and Auditing Technical Guide: Drugs & Pharmaceuticals Industry.

(n) Research Project on the Accountability of Public Expenditure in Government Departments and Similar Non-profit Institutions.

(o) Accounting and Audit of Provident Funds.

(p) Introduction of Commercial Accounting in Municipal Corporations.

(q) Study on Reporting Segment-wise Information.

(r) Technical Guide on Accounting and Auditing of Entities Carrying on Acquaculture/Pisciculture/Marine Culture.

(5) New projects recently undertaken.

(a) Guidance Note on Accounting for Securitisation.

(b) Study on Capital Restructuring.

(c) Study on Audit of Incomplete Records.

(d) Study on Business Restructuring.

(e) Study on Brand Valuation.

## 4. PROFESSIONAL DEVELOPMENT COMMITTEE

1. As in previous years, the Committee invited applications from members/firms for empanelment of statutory branch auditors of 27 public sector banks and statutory central auditors and branch auditors of regional rural banks for the year 1995-96. Based on the applications received, a panel was prepared and submitted to the authorities to facilitate appointment of auditors by various banks. The Committee has also invited applications for empanelment for the year 1996-97.

2. At the behest of the Reserve Bank of India, the Committee carried out a review of the norms for empanelment of statutory central auditors of banks. Based on this review, the Committee suggested certain modifications in the norms. These modifications, which are intended to improve the effectiveness of bank audits, have been generally accepted by the Reserve Bank of India and the revised norms laid down by the Reserve Bank have been published. The Committee has also made certain suggestions regarding the criteria for allotment of statutory branch audit of public sector banks with a view to ensuring a more rational and equitable distribution of work among the members.

3. The Committee made certain suggestions to the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the norms for empanelment of statutory auditors of public sector undertakings. These suggestions are under consideration of the Comptroller and Auditor General.

4. The Reserve Bank of India some time back decided to introduce a system of concurrent audit. Based on the suggestions of the Committee a joint group comprising the representatives of the Indian Banks' Association and Govt. of the Institute has been constituted to examine various issues relating to concurrent audit.

5. A joint group consisting of the representatives of the Institute and the C&AG reviewed the directions issued by the C&AG under section 619(3) of the Companies Act, 1956 in the context of the recent changes in the economic scenario and the resultant need for a shift of emphasis in the audit of public sector undertakings. Based on the discussions certain suggestions for changes in the directions were made. These have been accepted by the C&AG and the revised directions were made. These have been accepted by the C&AG and the revised directions incorporating these changes have been issued. Similarly, a joint group consisting of the representatives of the Institute, senior officers of the office of the C&AG and senior officers of general insurance companies has made suggestions for changes in the directions of the C&AG under section 619(3) of the Companies Act, 1956 in respect of general insurance companies. These recommendations have been incorporated in the revised directions issued by the C&AG.

## 5. COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY

1. In its efforts to enhance the role of members in industry, the following activities were taken by the Committee during the year. A scheme of campus interviews of newly qualified Chartered Accountants was introduced to provide prospective employers and young members an opportunity to interact and explore the possibility of taking up employment in various organisations. Two series of interviews during the year ended 31st March, 1996 received an overwhelming response both from the employers as well as young members as is evident from the fact that in all 97 teams of employers looked into the bio-data of about 1800 young members. Enthused with the success of the concept it has been decided to extend the scheme to more centres in the coming year.

2. A three-day residential programme on Accounting Standards for Executives of Indian Oil Corporation was held at the Indian Oil Institute of Petroleum Management, Gurgaon (Harvana) on 20—22 September 1995, 40 finance and accounts executives attended the programme.

3. A programme on Accounting Standards for SAIL Executives was held on 5—7 February 1996 at the Management Training Institute, SAIL, Ranchi. 44 executives of SAIL, drawn from its various plants and offices attended the programme.

4. A Conference on "Hospitality and Tourism Industry" (Financial and Taxation Aspects) was organised in collaboration with Western India Regional Council on 25——27 July 1996, at Hotel Retreat, Mumbai. This Conference was the first in the series of specific Conferences planned by the Committee for different industries. Similar Conferences for construction, insurance, coal and IT industries are being planned.

5. The Committee has been in touch with various authorities on various issues relating to members employed in industry.

## 6. CORPORATE LAWS COMMITTEE

1. The Committee remained constantly in touch with the Department of Company Affairs and responded to a number of technical issues on reference from the Department. A detailed note was sent to the Department regarding modifications in the newly introduced Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956. Thereafter, discussions were held with the authorities on the same. Discussions were also held with the authorities regarding the revised version of Schedule XII to the Companies Bill, 1993 in the light of recent developments.

2 In view of the recent announcement by the Hon'ble Minister for Finance and Company Affairs that a detailed exercise to draft a new Companies Bill was under way, the Committee has set up five groups (one in each region) to specifically go into the various technical issues relating to the assigned segments of the company law, so that a consolidated report can be prepared and discussed at a high level workshop and thereafter tangible suggestions made to the Government.

3. The Committee submitted its views on various technical issues to RBI, SEBI etc.

4. The issue of low audit fees of public sector undertakings has been engaging the attention of the Committee and detailed discussions were held with the authorities on the matter. A study was conducted on this subject and on the basis of the results thereof, certain suggestions were made to the authorities.

## 7. FISCAL LAWS COMMITTEE

### A. Central Budget

The Institute submitted its Pre Budget Memorandum - 1996 to the Union Finance Minister, CBDT and other relevant authorities. The Institute also submitted to the aforesaid authorities, the Post-Budget Memorandum containing comments and suggestions on the Finance Bill 1996. A number of meetings were held with senior officers of Finance Ministry and CBDT with reference to Pre-Budget Memorandum and Post-Budget Memorandum. The Institute also organised a high level workshop on Union Budget - 1996, in which eminent professionals from all over the country and senior officials of CBEC, CBDT, Income-tax Department were the participants.

### B. Representations to Government

A number of meetings were held with the Chairman, CBDT and with other members on various issues relating to taxation laws. In particular detailed discussions were held on the accounting standards proposed to be issued by the CBDT under section 145 of the Income-tax Act, 1961. After detailed discussions, the CBDT finalised two Accounting Standards and issued them under the aforesaid section. Another draft accounting standard is under discussion. A number of representations were made in respect of other issues relating to tax laws. A detailed paper containing suggestion for the consideration of the Review Group for examining functioning of Settlement Commission (IT/WT) was submitted.

### C. Simplification of Tax Procedures

Five half-day Seminars were held by the Committee in Delhi, Bombay, Calcutta, Kanpur and Madras during the year.

The main objective of these seminars was to provide a forum for generating constructive and positive suggestions for simplification of tax laws and their administration and to make it more responsive to the tax payer while minmising losses to the exchequer. At each seminar two experts from the profession made parctical suggestions for rationalisation on specified topics, followed by considerable interaction between our members and senior personnel from CBDT.

5. Publications

The following publications are under revision :

(i) Tax Audit under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961.

(ii) Taxation of Non-Residents.

(iii) Guide to Audit of Public Trusts under the Income-tax Act

(iv) Taxation of Charitable and Religious Trusts and Institutions.

8. CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE

The Institute continued its efforts to impart education to the members on the topics of current relevance and immense importance through its Continuing Professional Education Programmes. The Institute lays great emphasis on continuing education. CPE Directorate was strengthened during the period under Report to meet the new challenges. During 1995-96, continuing professional education programmes were conducted on Bank Audit, Accounting and Auditing Standards and Code of Conduct and Indirect Taxes (Central Sales Tax, Taxation of Deemed Sale Transactions and Central Excise) throughout the country.

The following background materials were published during the year 1995-96 for the aforesaid CEPs :—

— Accounting and Auditing Standards and Code of Conduct - 1995 edition.

— Central Excise

— Taxation of Deemed Sale Transactions

— Central Sales Tax

— Bank Audit, 1996 edition

— Accounting and Auditing Standards and Code of Conduct - 1996 edition.

It is also proposed to conduct continuing education programmes in the field of Direct Taxes Internal Audit, Revenue Audit and Concurrent Audit and Project Finance in subsequent quarter. Seminar on FERA, Foreign Collaboration and Joint Ventures was organised at Bangalore. The Directorate is also planning to hold seminars in the field of EDP Audit, Corporate Restructuring.

A Joint ICAI-ICWAI seminar was held on the topic of 'Aspects of Management Accounting' at Pune. A Joint ICAI & ICSI seminar was also held on the topic of 'Corporate Finance and Law' at Chandigarh.

A number of other programmes were also organised during the year to provide a forum for exchange of views and sharing of experiences among the members.

Two special programmes for officers and managers of Govt. & public sector undertakings on 'Financial Management and Management Accounting' and 'Corporate Finance - Emerging Trends' were conducted.

The Committee continued to hold post-qualification courses examinations for members. Appropriate measures have been taken to popularise these courses. All the computer centres of the Institute continued to provide computer education to members and students through specially designed courses. Delhi Computer Training Centre also organised two in-house training programmes on' Computer Applications' for the benefit of the staff.

9. EXPERT ADVISORY COMMITTEE

The Expert Advisory Committee considered a large number of queries received from the members of the Institute on diverse subjects and issued opinions thereon. Volume XV of the Compendium of Opinions, containing opinions issued by the Committee between January 1995 and January 1996 was printed and released.

10. COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS AND UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS

As usual, the Committee examined and disposed of a large number of queries relating to professional conduct of the members and the allegations of unjustified removal of auditors within the parameters laid down by the Council.

The Committee had examined the requirement of State Government undertaking for empanelment of chartered accountants by paying registration fee/refundable security deposit. It has come to the conclusion that while applying for empanelment is permitted under the circumstances mentioned in the Code of Conduct, it would not be permissible for any member under Clause (6) of Part I off the First Scheudle to the Chartered Accountants Act, 1949 to pay any registration or other fee and/or security deposit whether refundable or not for obtaining professional work. An announcement in this regard was also published in the Journal.

Shri N. K. Gupta, Chairman of the Committee, participated on behalf of the Institute in IFAC Ethics Forum Meet held in March, 1996 at Paris. The issues relating to Independence—Provision of other services to an Audit Client, Second and Other Opinions (Opinion Shopping), Professional Fees, Applicability of Code to Employed Accountants and Reporting on Frauds and other Similar Acts, were discussed at the meet.

The updation of the "Code of Conduct" and "Professional Ethics" is under process and substantial progress is expected by the end of the year 1996.

Based on the recommendations of the Committee, the Council finalised its guidelines on the following subjects :—

(1) Emphasising that adoption of indirect methods by members about advertising their professional practice with a view to gain publicity and thereby soliciting clients or professional work could involve violation of provisions of Clauses (5), (6) and (7) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and result in invoking disciplinary action.

(2) Permission to memebrs in practice for being a Director, Managing Director, Promoter/Promoter-Director etc. and other related issues.

(3) Use of logo by members in practice/firms of Chartered Accountants on their letter-heads, Visiting cards etc.

(4) Exercising care on a Bank informing the Incoming Auditor about his appointment in place of the auditor whose appointment had been cancelled.

The detailed guidelines on all the above subjects have been published in October, 1995 issue of the Journal at Pages 64, 65, 66 & 67 respectively.

11. UNIVERSITY & HIGHER SECONDARY BOARDS LIAISON COMMITTEE

1. Joint Seminars with Universities

In its efforts of strengthening coordination of the Institute with various universities and Higher Secondary Boards in the country, the Committee organised seminars jointly with the following universities :

(i) University of Madras on "Accounting Education in 21st Century" on 21st December, 1995 at Madras.

(ii) Bharathiar University on "Emerging Trends in Accounting Education and Research" on 26th July, 1996 at Coimbatore.

(iii) Devi Ahilya University, Indore on "Emerging Trends in Accounting Standards in India" on 31st July, 1996 at Indore.

(iv) Few more Joint Seminars are likely to be held, one in each region in the coming year.

2. Popularisation of C.A. Course

Copies of the Borchure "Career as a Chartered Accountant" have been sent to the Chairman of the Regional Councils and Branches for distribution to colleges and schools to provide necessary career counselling to the students by visiting a few schools/colleges in their region. Copies of the Brochoure were also distributed at the Instiute's stall at the 'World Book Fair' held from 3-2-96 to 11-2-96 at Pragati Maidan, New Delhi. The Committee has decided that advertisement about C.A. Course be given in the newspapers every months, particularly regional newspapers.

3. Meeting with the Chair-person, University Grants Commission (U.G.C.) and the Secretary, Association of Indian Universities (A.I.U.)

The Committee has been making efforts with the U.G.C. and A.I.U. for the following :

(i) Recognition of Continuing Professional Education Programmes of the Institute as equivalent to Refresher Courses/Summer Institutes in case of our members engaged in teaching profession.

(ii) Recognition of Post Qualification Courses of the Institute as equivalent to Ph.D.

(iii) Inclusion of representative of the Institute on Senates/Board of Studies of Commerce and Accounting Facilities of the Universities.

4. National Scholarships of Government of India

The Committee is making efforts for extending the benefits of various merit scholarship schemes for higher studies to the students of chartered accountancy course.

5. Award of ICAI Prize/Gold Medal by Universities

The Institute has created endowments in 25 universities for awarding ICAI Gold Medal/Prize to the students securing the highest marks in Accountancy at B.Com. examination. A list of universities having endowment from the Institute is given below :

| Sl. No. | Nameof the University | Nature of Prize |
|---|---|---|
| 1. | Allahabad University | Prize |
| 2. | Banaras Hindu University | Prize |
| 3. | Bangalore University | Gold Medal |
| 4. | Bombay University | Gold Medal |
| 5. | Calcutta University | Prize |
| 6. | Calicut University | Prize |
| 7. | Delhi University | Prize |
| 8. | Gujarat University, Ahemdabad | Prize |
| 9. | Guru Nanak Dev University, Amritsar | Prize |
| 10. | Jammu University | Prize |
| 11. | Jodhpur University | Prize |
| 12. | Kurukshetra University | Prize |
| 13. | Lucknow University | Prize |
| 14. | Madras University | Gold Medal |
| 15. | Maharshi Dayanand University. Rohtak | Prize |
| 16. | Marathwada University, Aurangabad | Prize |
| 17. | Mohanlal Sukhadia University, Udaipur | Prize |
| 18. | Nagarjuna University. Guntur | Gold Medal |
| 19. | North Bengal University. Raja Rammohanpur (Darjeeling) | Prize |
| 20. | Osmania University, Hyderabad | Gold Medal |
| 21. | Poona University | Prize |
| 22. | Punjab University, Chandigarh | Prize |
| 23. | Ravishankar University, Rajpur | Prize |
| 24. | Shivaji University, Kolhapur | Prize |
| 25. | Vikram University, Ujjain | Prize |

6. Recognition of CA Course—List of Association/Institutes/Universities

A list of Association/Institutes/Universities which have so far recognised the C.A. Course for the purpose of Ph.D. course is given hereunder :—

I. Association

1. Association of Indian Universities, New Delhi.

II. Institutes

1. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
2. Indian Institute of Management, Calcutta.

III. Universities

1. Agra University, Agra.
2. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi.

3. Aligarh Muslim University, Aligarh.
4. Banaras Hindu University, Varanasi.
5. Bangalore University, Bangalore.
6. Bharathidasan University, Tiruchirapalli.
7. Bombay University, Mumbai.
8. Calicut University, Calicut.
9. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.
10. Gandhiji University, Kottayam.
11. Gujarat University, Ahmedabad.
12. Himachal Pradesh University, Simla.
13. Jiwaji University, Gwalior.
14. Kanpur University, Kanpur.
15. Kashmir University, Srinagar.
16. Kerala University, Thiruvanthapuram.
17. Kurukshetra University, Kurukshetra.
18. Lucknow University, Lucknow.
19. M. S. University of Baroda, Baroda.
20. Maharshi Dayanand University, Rohtak.
21. Mangalore University, Mangalore.
22. Marathwada University, Aurangabad.
23. Meerut University, Meerut.
24. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur.
25. Mysore University, Mysore.
26. North Bengal University, Raja Rammohanpur Darjeeling).
27. Osmania University, Hyderabad.
28. Pondicherry University, Pondicherry.
29. Poona University, Pune.
30. Punjab University, Chandigarh.
31. Punjabi University, Patiala.
32. Ranchi University, Ranchi.
33. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar.
34. Saurashtra University, Rajkot.
35. Shivaji University, Kolhapur.
36. Sri Venkateshwara University, Tirupati.
37. Vikram University, Ujjain.
38. Kashi Vidyapith, Varanasi.
39. Karnataka University, Dharwad.
40. Jai Narayan Vyas University, Jodhpur.
41. North Maharashtra University, Jalgaon.
42. Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal.

## 12. COMMITTEE ON CAPITAL MARKET & INVESTORS' PROTECTION.

The Committee continued its efforts to achieve its twin objectives of educating the members/public at large in the area of capital market and to interact with SEBI and other appropriate authorities with a view to explore new avenues in this sector for chartered accountants and present our views on various matters pertaining to the capital market. Towards this end, Seminars were organised on the broad theme of Capital Market at Bombay, Calcutta, Delhi, Indore, Nagpur and Chandigarh. Study-groups were constituted to conduct indepth study and make recommendations on specific topics for consideration of regulatory authorities. To make the Committee broad-based and to ensure direct and active interaction with regulatory and other authorities in the field of capital market, special invitees have been invited on the Committee from the SEB, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Some branches of the Institute also organised workshops in the field of Capital Market for the benefit of members at large. Seminars on Capital Market are likely to be held in Madras, Coimbatore and Kanpur in the near future.

## APPENDIX IV

(Ref. Para 3 of the Report)

### INTERNATIONAL RELATIONS

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has played a significant role in various Regional and International apex forums of professional accountants. In particular, the mention of the following bodies can be made where the Institute is a member right from the inception of the respective bodies, viz., International Federation of Accountants (IFAC) since 1977, Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) since 1976, and South Asian Federation of Accountants (SAFA) since 1984. India was an associate member of the International Accounting Standards Committee (IASC) set up in 1973 and currently it is a full member of IASC.

(1) International Federation of Accountants (IFAC).

Shri B. P. Rao, Past President of the Institute continued to represent the Institute on the Council of IFAC. The Council of the International Federation of Accountants met at New Delhi between November 6—10, 1995. ICAI and ICWAI jointly hosted an International Seminar on November 7, 1995 to synchronize with the IFAC meetings in India. The theme of the Seminar was "The WTO and Accountancy Profession". The Seminar was also attended by Shri Juan R. Herrera, President, IFAC and other dignitaries from IFAC. Another IFAC Council meeting was held in May 1996 at Toronto.

A meeting of the International Auditing Practices Committee (IAPC) was held between October 29 and November 3, 1995 at New Delhi under the Chairmanship of Shri Robert S. Roussey. The Chairman and the Vice-Chairman of the Auditing Practices Committee of our Institute and the Secretary of that Committee held an informal meeting with the IAPC Planning Sub-Committee.

(2) Board of International Accounting Standards Committee (IASC).

Shri Y. M. Kale, Past President of the Institute continued to represent the Institute on the Board of International Accounting Standards Committee. Three meetings of IASC Board were held at Sydney, Brussels and Stockholm in November 1995, March 1996 and June 1996, respectively.

(3) Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

Shri Soon Kwai Choy was elected as CAPA President for the period April 1995 to October 1996 at the 43rd CAPA Excom meeting held on April 21—25, 1995 at Bangkok Thailand. The 44th CAPA Excom meeting was held on November 3-4, 1995 at Taipei, Taiwan. The 45th CAPA Excom meeting was held on April 26-27, 1996 at Bhurban, Pakistan.

(4) South Asian Federation of Accountants (SAFA)

The Permanent Secretariat of SAFA continues to be located at New Delhi. The 26th SAFA Assembly meeting and the SAFA regional Seminar on "Accountancy Profession in the SAARC Region towards a New Frontier" were held on July 4th & 5th, 1995 at Colombo, Sri Lanka. The Seminar was hosted by the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Sri A. K. Chakraborty, Council Member of the Institute presented a paper on "Emerging Trends in Financial Reporting" in the Seminar. Shri A. K. Majumdar, Permanent Secretary, SAFA attended the Assembly meeting and the Seminar.

The 27th SAFA Assembly meeting was held on November 20, 1995 at New Delhi in the premises of the Institute. A Workshop on WTO was held immediately after the Assembly meeting and Discussion Papers were presented by the member-bodies. Shri A. K. Chakraborty, Council Member, presented a paper on Reciprocity. Shri Y. M. Kale, the then President, Shri T. S. Vishwanath, the then Vice President, Shri A. K. Chakraborty and Shri A. K. Majumdar, Secretary also attended the meeting.

The 28th SAFA Assembly meeting was held on January 10, 1996 at Visakhapatnam. At the Assembly meeting, Shri K. R. S. Sastry of ICWA India was elected as the SAFA President for the year 1996. Dr. Khawaja Amjad Saeed of

ICMA Pakistan was elected as SAFA, Vice-President for the year 1996. Shri Jamal Uddin Ahmed of Bangladesh (ICAB), immediate Past President was elected to be the Advisor to SAFA for 1996. Shri A. K. Chakraborty, Shri G. Sitharaman and Shri S. S. R. Koteshwara Rao, Central Council Members represented the Institute at the meeting.

The 29th SAFA Assembly meeting and SAFA International Seminar were held on April 25, 1996 at Bburban, Pakistan. The Institute was represented by the President, Shri T. S. Vishwanath, the Vice-President, Shri M. M. Chitale and the Secretary Shri A. K. Majumdar. Shri Bansi S. Mehta, Past President addressed the SAFA seminar on the topic "Impact of WTO on Accounting and Financial Services in Developed and Developing Countries". The address was highly appreciated.

The 11th SAFA Conference was held on June 3-4, 1996 at Calcutta. The theme of the Conference was 'The Strategies for Economic Growth in SAARC Region—Path Ahead'. Shri Rahul Roy, Council Member presented a paper on the topic 'Accounting Profession in the Emerging Scenario' and the same was highly appreciated. The Conference was jointly organised by ICAI and ICWAI. The President, the Vice-President and the Secretary of the Institute also attended the Conference. The President, Shri T. S. Vishwanath, chaired the technical session on 'Liberalised Economy in SAARC Countries—Appraisal and Vision'. Before the SAFA Conference, the 30th SAFA Assembly meeting was also held which was attended by Shri T. S. Vishwanath, President, Shri M. M. Chitale, Vice-President and Shri A. K. Chakraborty, Council Member. Shri A. K. Majumdar, Secretary of the Institute and the Permanent Secretary, SAFA was also present.

---

## APPENDIX V

(Ref. Para 6.2 of the Report)

List of Names deleted from the Register of Members on account of Death during the year ended 31st March 1996

| S. No., | M. No. | and Name |
|---|---|---|
| 1. | 15 | P. R. Mehra. |
| 2. | 216 | S. L. Khindaria. |
| 3. | 433 | K. Venkataraman. |
| 4. | 736 | R. C. Das. |
| 5. | 918 | C. P. Mukherjee. |
| 6. | 1082 | S. N. Mehrotra. |
| 7. | 1594 | R. S. Dani. |
| 8. | 1668 | P. C. Madan. |
| 9. | 1716 | N. N. Banerjee. |
| 10. | 1854 | A. K. Bhatt. |
| 11. | 1863 | D. Rangaswamy. |
| 12. | 1934 | K. V. Subba Rao. |
| 13. | 2348 | Durgadas Raha. |
| 14. | 2381 | M. R. Garge. |
| 15. | 2447 | K. V. Subba Rao. |
| 16. | 2945 | M. Kuppusamy. |
| 17. | 2978 | Ashok Sanyal. |
| 18. | 2993 | A. Murugan. |
| 19. | 3098 | S. R. Kapur. |
| 20. | 3305 | B. K. Som. |
| 21. | 3667 | H. D. Patel. |
| 22. | 4234 | H. S. Pujary. |
| 23. | 4322 | B. K. Bhattacharyya. |
| 24. | 4453 | S. Rajnarayan. |
| 25. | 4731 | M. P. Agrawal. |
| 26. | 4779 | C. S. Krishnamurthi. |
| 27. | 5016 | C. H. Seshadri Nathan |
| 28. | 5051 | C. V. Sivajee Rao. |
| 29. | 5453 | D. Ram Mohan Rao. |
| 30. | 5689 | Biswanath Mohanty. |
| 31. | 5798 | D. H. Hukeri. |
| 32. | 5838 | M. N. Subramanya. |
| 33. | 5949 | C. K. Philipose. |
| 34. | 6561 | H. Venkateswaran. |
| 35. | 6734 | K. Venkata Krishna Rao. |
| 36. | 6894 | T. T. Krishna Swami. |
| 37. | 7121 | H. T. Parekh. |
| 38. | 7223 | Syed Faruq Ali. |
| 39. | 7485 | Y. S. Apte. |
| 40. | 7863 | H. V. Shah. |
| 41. | 8662 | V. C. Srinivasa Rengan. |
| 42. | 8859 | R. C. Gupta. |
| 43. | 9378 | M. C. Pal. |
| 44. | 11101 | P. G. Menon Kutty. |
| 45. | 11577 | R. L. Mehta. |
| 46. | 11807 | Mahensaria Shashi Kant. |
| 47. | 11912 | A. K. Banerjee. |
| 48. | 12396 | B. K. Ghosh. |
| 49. | 13423 | T. R. Sriraman. |
| 50. | 13440 | S. P. Ghosh. |
| 51. | 14342 | D. Bhadrajee. |
| 52. | 15192 | K. V. Subramanian. |
| 53. | 17761 | S. K. Jain. |
| 54. | 18605 | R. Irudayaraj. |
| 55. | 19349 | Nichala K. Ramananda Swami. |
| 56. | 19720 | M. S. Gopalakrishnan. |
| 57. | 19892 | A. Venugopalan. |
| 58. | 21631 | S. P. Prabhu. |
| 59. | 22003 | T. K. S. Nair. |
| 60. | 22250 | D. S. Lodha. |
| 61. | 22619 | V. Lakshminarayanan. |
| 62. | 23929 | J. Ramadurai. |
| 63. | 25330 | K. Rama. |
| 64. | 32089 | V. Nagarajan. |
| 65. | 32773 | K. V. R. S. Murthy. |
| 66. | 38201 | M. D. Kulkarni. |
| 67. | 39401 | A. V. Ajmera. |
| 68. | 40192 | A. Ananthakrishnan. |
| 69. | 42354 | M. P. Contractor. |
| 70. | 70014 | Ashok Sachdeva. |
| 71. | 71056 | S. B. Sharma. |
| 72. | 72145 | P. K. Agrawal. |
| 73. | 75383 | Alok Singhal. |
| 74. | 81410 | Prasada Rao Mathi Samuel. |
| 75 | 84762 | R. K. Arora. |
| 76. | 203075 | Ms. Vandana Suryanarayan. |

APPENDIX VI

(Ref. Para 7-2 of the Report)

Region-wise Number of Students. Registered for Foundation Course during the year 1995-96

| | |
|---|---|
| Western India Region | 8700 |
| Southern India Region | 4028 |
| Eastern India Region | 5633 |
| Central India Region | 5283 |
| Northern India Region | 5371 |
| Total | 29015 |

APPENDIX VII

(Ref. Para 7-4 of the Report)

Number of Students on Rolls for Intermediate and Final Cources

| | Inter | Final | Total |
|---|---|---|---|
| No. of students who were enrolled as on 1-4-1995 | 98667 | 22089 | 120756 |
| Add | | | |
| Enrolled during the year 1995-96 | 19288 | 8675 | 27963 |
| | 117955 | 30764 | 148719 |
| Less | | | |
| No. of students who have passed Intermediate/Final Examination in the year (May. 1995 & Nov.. 1995) | 9175 | 4668 | 13843 |
| | 108780 | 26096 | 134o76 |

APPENDIX VIII

(Ref. Para 8.2 of the Report)

Statistics of students appeared, passed in the examinations of the Institute held in 1995

Intermediate and Final Examination—1995

| Group/Unit | INTERMEDIATE May | INTERMEDIATE November | FINAL May | FINAL November |
|---|---|---|---|---|
| GROUP I | | | | |
| No. of candidates appeared | 21866 | 26376 | 10017 | 9265 |
| No. of candidates declared successful | 3639 | 6008 | 4784 | 2256 |
| GROUP II | | | | |
| No. of candidates appeared | 14616 | 19348 | 10531 | 11128 |
| No. of candidates declared successful | 2750 | 3726 | 2723 | 1789 |
| BOTH GROUPS | | | | |
| No. of candidates appeared | 9644 | 12412 | 4581 | 4216 |
| No. of candidates declared successful | 1223 | 1891 | 922 | 269 |
| UNIT | | | | |
| No. of candidates appeared | 7381 | 4856 | — | — |
| No. of candidates declared successful | 2247 | 1017 | — | — |

FOUNDATION EXAMINATION-1995

| Month and year of examination | No. of candidates appeared | No. of candidates declared successful |
|---|---|---|
| MAY 1995 | 12972 | 2683 |
| NEVEMBER 1995 | 10774 | 2o27 |

## APPENDIX IX

(Ref. Para 8.3 of the Report)

The names of Prize Winners in the Institute's Examinations held in May and November 1995.

### FINAL EXAMINATION : MAY, 1995

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 6221 | SANDEEP GUPTA (592 marks out of 800) |
| II | 3318 | TARAPORE FARROKH PHEROZE (566 marks out of 800) |
| III | 5489 | TIBREWALA SANJAYKUMAR OMPRAKASH (565 marks out of 800) |

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal to the best candidate was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best candidate was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221.

4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the Second best candidate was awarded to Tarapore Farrokh Pheroze, Roll No. 3318.

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate was awarded to Aarti Bagri, Roll No. 10801 (541 marks out of 800) jointly with Sujatha Ganapathiraman, Roll No. 14692.

6. The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221 (308 marks out of 400).

7. The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II was awarded to Tibrewala Sanjaykumar Omprakash, Roll No. 5489 (291 marks out of 400).

8. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accounting (paper 1 & 2) was awarded to Sunil Puri, Roll No. 15604 (177 marks out of 200).

9. The K. C. Khana Prize for the best paper on Advanced Accounting (paper 1) was awarded to Tarapore Farokh Pheroze, Roll No. 3318 (94 marks out of 100).

10. The J. K. Doshi Prize for the best paper on Management Accounting was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221 (92 marks out of 100).

11. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing was awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221 (80 marks out of 100).

12. The Sukh Nandan Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing was awarded to Ms. Mody Mukti Arvind, Roll No. 5546 (79 marks out of 100).

13. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law was awarded to Girish Paman Vanvari, Roll No. 3438 (78 marks out of 100).

14. The N. M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws was awarded to Jignesh Ramesh Shah, Roll No. 3948 (74 marks out of 100).

15. The Manish Gupta Memorial Prize for the best paper on Operations Research and Statistical Analysis was awarded to Vardhman Jain, Roll No. 8117 (90 marks out of 100).

16. The T. R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis and Data Processing was awarded to Jain Samir Prempal, Roll No. 3326 (90 marks out of 100).

17. The R. V. K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Systems and Cost Control was awarded to Khare Shailesh Narahar, Roll No. 14682 (83 marks out of 100).

18. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics and National Accounting was awarded to Ms. V. Lakshmi Kumarappa, Roll No. 2996 (51 marks out of 100).

### INTERMEDIATE EXAMINATION : MAY 1995

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 11638 | K.B. KUMAR (426 marks out of 600) |
| II | 26315 | TUSHAR SURENDRA KUMAR DESAI (419 marks out of 600) |
| III | 28275 | KANHAIYALAL B. AGARWAL (418 marks out of 600) |

1. The G. P. Kapadia First President Prize to the best student was awarded to K. B. Kumar, Roll No. 11638.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best student was awarded to K. B. Kumar, Roll No. 11638.

3. The Shailesh Kapadia Award for the second best student was awarded to Tushar Surendrakumar Desai, Roll No. 26315.

4. Prof. T. S. Grewal Award for the best paper on Advanced Accounting was awarded jointly to Rajesh Vasantrai Shah, Roll No. 26941 and Kanodia Mohit Krishan Kumar, Roll No. 270228 (90 marks out of 100).

5. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Income Tax and Central Sales Tax was awarded to Arvind Gupta, Roll No. 11874 (88 marks out of 100).

6. The Dinesh Himatlal Shah Prize and The K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing was awarded to Balwalli Samith Nandan, Roll No. 25481 (76 marks out of 100).

7. The Suresh C Mathur Prize for the best paper on Corporate and Other Laws was awarded to R. Srivatsan, Roll No. 13325 (85 marks out of 100).

8. The Sudershan Kumar Balasaria Memorial Prize to the best lady candidate was awarded to Ms. Anita Ladha, Roll No. 3109 (416 marks out of 600).

FOUNDATION EXAMINATION : MAY 1995

The following candidates will be awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 6896 | NAVIN KILLA (333 marks out of 400) |
| II | 9352 | VIVEK GUPTA (329 marks out of 400) |
| III | 1818 | Ms. SALIGRAM CHITRA PRABHAKAR (325 marks out of 400) |

1. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the best candidate was awarded to Navin Killa, Roll No. 6896.

2. S. R. Batliboi Prize for the best candiate was awarded to Navin Killa, Roll No. 6896.

3. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the second best candidate was awarded to Vivek Gupta, Roll No. 9352.

4. Chandulal Kapuri Devi Charitable Trust Prize for the third best candidate was awarded to Ms. Saligram Chitra Prabhakar, Roll No. 1818.

5. P. N. Shah Prize for the best lady candidate was awarded to Ms. Saligram Chitra Prabhakar, Roll No. 1818 (325 marks out of 400).

6. K. V. Chandramouli Memorial Prize for the best paper on Mathematics (paper 3 section 'A') was awarded to K. Harikishan, Roll No. 632 jointly with Ms. Fernandes Jean Mavis A.., Roll No 2544, Sanjay Choudhury, Roll No. 5080, Adrash Agarwal Roll No. 5119, Deepak Choudhary, Roll No. 5168, Kaushik Kumar Nath, Roll No. 5263, Bhartendu Agarwal, Roll No. 6406, Subhash Kumar Kotriwala, Roll 6652, Saurabh Tibrewal, Roll No. 6959, Anand Jalan, Roll No. 6961, Ravi Agarwal, Roll No. 6972, Vivek Agarwal, Roll No. 7398, Jatin Mohan, Roll No. 8132, Sudhir Garg, Roll No. 8393, Vivek Gupta, Roll No. 9352, Ms.. Richa Mittal, Roll No. 9639, Ms. Tejal G. Shukla, Roll No. 9728, Bharat Kumar, Roll No. 10309, G. Chittaranjan, Roll No. 10459, Ms. Deepali Gupta, Roll No. 10800, B. Saravana Prasath, Roll No. 11657, V. J. Shivaraman, Roll No. 11702, Kaushal Prakash Mahaseth, Roll No. 12588, Ms. Deshpande Savani Anil, Roll No. 12790 Ms. Gauri Devidas Bhide Roll No. 12913, Dhananjay Vyankat Gundre, Roll No. 12959, Ms. Mantri Meenal Shiv Prasad, Roll No. 13018, Ms. Thatte Saili Vijay, Roll No. 13033, Vora Karan Ashok, Roll No. 13223, Sreeram Nagendra, Roll No. 13703 and Nitin Aggarwal, Roll No. 13857 (50 marks out of 50).

7. Ganeshmal Patni Memorial Prize for the best paper on Statistics (Paper 3 Section 'B') was awarded to Parikh Rahul Harshad, Roll No. 802, jointly with Lalit Kathuria, Roll No. 8151 (50 marks out of 50).

FINAL EXAMINATION-NOVEMBER 1995

The following candidates will be awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 16378 | GURCHARAN GROVER (533 marks out of 800) |
| II | 4204 | DEEPAK JALAN (527 marks out of 800) |
| III | 4394 | ANUP KUMAR AGARWAL (516 marks out of 800) |

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal for the best candidate will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378.

4. The Saradamba Vishweswaraiya Prize for the best candidate will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378.

5. The G. Basu Foundation Award for the best student of the year 1995 will be awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221 May 1995 Examination (592 marks out of 800).

6. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Kalpana Swaminathan, Roll No. 2917 (473 marks out of 800).

7. The S. Viswanathan Memorial Prize for the best lady candidate of the year 1995 will be awarded to Ms. Aarti Bagri, Roll No. 10801 jointly with Ms. Sujatha Ganapthiraman, Roll No. 14692, May, 1995 Examination (541 marks out of 800).

8. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to Deepak Jalan, Roll No. 4204.

9. The Shailesh Kapadia Aaward for the best student among the second best students of the year 1995 will be awarded to Tarapore Farrokh Pheroze, Roll No. 3318, May, 1995 Examination (566 marks out of 800).

10. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group-I will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378 (272 marks out of 400).

11. The N. N. Das Prize for the best student of the year 1995 in Group-I will be awarded to Sandeep Gupta, Roll No. 6221, May 1995 examination (308 marks out of 400).

12. The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group-II will be awarded to Talathi Neelesh Prakash, Roll No. 1593 (269 marks out of 400).

13. The Balachander Memorial Prize for the best student of the year 1995 in Group II will be awarded to Tibrewala Sanjay Kumar Omprakash, Roll 5489, May 1995 examination (291 marks out of 400).

14. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper I) will be awarded to Pramod Rajgaria, Roll No. 5165 (86 marks out of 100).

15. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (papers 1 & 2) will be awarded to Ms. Saloni Sinha, Roll No. 14734 (149 marks out of 200).

16. The J. K. Doshi Prize for the best paper on Management Accounting (Paper 2) will be awarded to Deepak Jalan, Roll No. 4204 (85 marks out of 100).

17. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing (Paper 3) will be awarded to Clement George Paul Pinto, Roll No. 2919 (75 marks out of 100).

18. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in Auditing (Paper 3) will be awarded to Miss Akhila Subramanian, Roll No. 2160 (72 marks out of 100).

19. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law (Paper 4) will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378 (69 marks out of 100).

20. The N. M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah Amita Memorial Prize for the best paper on Director Tax Laws (Paper 5) will be awarded to Gurcharan Grover, Roll No. 16378 (80 marks out of 100).

21. The Manish Gupta Memorial Prize for the best paper on Operations Research and Statistical Analysis (Paper 6) will be awarded to Shah Ravshu Vinod Bhai, Roll No. 1543 (84 marks out of 100).

22. The T. R. Chadha Prize for the best paper on Systems Analysis and Data Processing (Paper 7) will be awarded to Sudhir Kumar Kedia, Roll No. 3549 (85 marks out of 100).

23. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting (Paper 8) will be awarded jointly to Dinesh Yashwant Supekar, Roll No. 2138, Arvind Chokhany, Roll No. 4425 and Udhoji Yogesh Ratnakar, No. Roll No. 2738 (71 marks out of 100).

24. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economic and National Accounting will be awarded to Maddula Venu, Roll No. 6563 (56 marks out of 100).

## INTERMEDIATE EXAMINATION-NOVEMBER 1995

The following candidates will be awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 9921 | HIRAN H. SANGHVI (436 marks out of 600) |
| II | 8228 | KRISHANAN B.V. (431 marks out of 600) |
| II | 10622 | PATEL PRANAV PRAKASH (431 marks out of 600) |
| II | 31927 | MALVIKA GOYAL (431 marks out of 600) |
| III | 11452 | HULYALKAR HARISHMOHAN (427 marks out of 600) |

1. The G. P. Kapadia First President Prize to the best student will be awarded to Hiran H. Sanghvi, Roll No. 9921.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best student will be awarded to Hiran H. Sanghvi, Roll No. 9921.

3. The Suri Memorial Prize to the best student of the year 1995 will be awarded to Hiran H. Sanghvi, Roll No. 9921.

4. The Shailesh Kapadia Award for the second best students will be awarded jointly to Krishnan B. V. Roll No. 8228, Patel Pranav Prakash Roll No. 10622 and Ms. Malvika Goyal, Roll No. 31927.

5. Prof. T. S. Grewal Award for the best paper on Advanced Accounting will be awarded to Ms. G. Sujatha, Roll No. 8351 (88 marks out of 100).

6. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Income Tax and Central Sales Tax will be awarded to Ms. R. Sukanya, Roll No. 8313 (90 marks out of 100).

7. The Dinesh Himatlal Shah Prize and The K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Mrinal Agarwal, Roll No. 30052 (84 marks out of 100).

8. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Corporate and other laws will be awarded to Arora Amarjeet Singh G. S. Roll No. 11611 (82 marks out of 100).

9. The Sudershan Kumar Balasaria Memorial Prize to the best lady candidate will be awarded to Ms. Malvika Goyal, Roll No. 31927 (431 marks out of 600).

## FOUNDATION EXAMINATION - NOVEMBER 1995

The following candidates will be awarded Certificates of Merit :

| Rank | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| I | 12784 | VIJAY GUPTA (315 marks out of 400) |
| II | 09872 | ANAND KUMAR KALRA (306 marks out of 400) |
| III | 12910 | SANJAY KUMAR AGARWAL (304 marks out of 400) |

1. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the best candidate will be awarded to Vijay Gupta, Roll No. 12784.

2. S. R. Batliboi Prize for the best candidate will be awarded to Vijay Gupta, Roll No. 12784.

3. Shri Sultan Chand Memorial Prize for the second best candidate will be awarded to Anand Kumar Kalra, Roll No. 9872.

4. Chandulal Kapuri Devi Charitable Trust Prize for the third best candidate will be awarded to Sanjay Kumar Agarwal, Roll No. 12910.

5. Mahaveer Raj Bhandari Prize for the best student of the year 1995 will be awarded to Navin Killa, May, 1995 examination, Roll No. 6496 (333 marks out of 400).

6. P. N. Shah Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Surbhi Sen Jindal, Roll No. 9514 (302 marks out of 400).

7. K. V. Chandramouli Memorial Prize for the best paper on Mathematics (Paper 3 Section 'A') will be awarded to Praneet Jain, Roll No. 1178 jointly with Pratap Kanti Ghosh, Roll No. 5142 and Sumit Goel, Roll No. 10234 (50 marks out of 50).

8. Ganeshmal Patni Memorial Prize for the best paper on Statistics (Paper 3 Section 'B') will be awarded to Ms. Shah Sonali Ravindra, Roll No. 4168 jointly with Ms. Sanyrati Gupta, Roll No. 8562 (50 marks out of 50).

APPENDIX X

(Ref. Para 9.1 of the Report)

LIST OF BRANCHES OF REGIONAL COUNCIL

Western India Regional Council :

1. Ahmedabad
2. Anand
3. Aurangabad
4. Baroda
5. Goa
6. Jalgaon
7. Kolhapur
8. Nagpur
9. Nashik
10. Pune
11. Rajkot
12. Sangli
13. Sholapur
14. Surat

Southern India Regional Council :

1. Alleppey
2. Bangalore
3. Belgaum
4. Calicut
5. Coimbatore
6. Ernakulam
7. Erode
8. Guntur
9. Hubli
10. Hyderabad
11. Kottayam
12. Kumbakonam
13. Madurai
14. Manglore
15. Mysore
16. Palghat
17. Pondicherry
18. Quilon
19. Salem
20. Tiruchirapalli
21. Tirunelveli
22. Tirupur
23. Trichur
24. Trivandrum
25. Tuticorin
26. Vellore
27. Vijayawada
28. Visakhapatnam

Eastern India Regional Council :

1. Asansol
2. Bhubaneswar
3. Cuttack
4. Durgapur
5. Guwahati
6. Siliguri

Central India Regional Council :

1. Agra
2. Ajmer
3. Allahabad
4. Alwar
5. Bareilly
6. Bhilwara
7. Bhopal
8. Dehradun
9. Dhanbad
10. Ghaziabad
11. Gwalior
12. Indore
13. Jaipur
14. Jamshedpur
15. Jodhpur
16. Kota
17. Lucknow
18. Meerut
19. Noida
20. Patna
21. Raipur
22. Ranchi
23. Udaipur
24. Varanasi

Northern India Regional Council :

1. Amritsar
2. Chandigarh
3. Faridabad
4. Himachal Pradesh (Shimla)
5. Hissar
6. Jalandhar
7. Jammu & Kashmir (Jammu)
8. Ludhiana
9. Yamunanagar

S. R. KHURANA
Chartered Accountant
K-43, Connaught Circus
New Delhi-110 001

K. S. V. S. Manian
Chartered Accountant
B 9, Mezzanie Floor
Ranjit Nagar
Commercial Complex
New Delhi-110 008

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March 1996 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's Office, Regional Council and their Branches audited by other auditors and report that :

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement together with the schedules attached and read with Accounting Policies and Notes give a true and fair view :

(i) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1996; and

(ii) in the case of the Income & Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

Sd/- Sd/-

S. R. KHURANA K. S. V. S. MANIAN

Chartered Accountant Chartered Accountant

New Delhi

Date the 4th September, 1996.

---

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NEW DELHI

*Accounting Policies*

SCHEDULE—A

1. The Accounts are drawn up on historical cost basis.

2. The admission fee from fellow members and 2/3rd portion of the entrance fee from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is trasferred to Education Fund and to the exetnt this fund is utilised on fixed assets in preceding year, transferred to Capital Reserves.

3. Inventories of paper and publications are valued at lower of cost or net realisable value and study materials are valued at cost. For this purpose, cost is ascertained on the basis of direct cost method.

4. Investments are carried at cost.

5. Fixed Assets and Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on written down value method. Library books have been depreciated on the straightline method. Depreciation rates applied are as considered appropriate. Depreciation on additions is charged for full year.

6. Grants and fees paid to the Students' Associations and their branches are treated as revenue expenses and the accounts for the same are not incorporated.

*Notes Forming part of the Accounts*

SCHEDULE—B

1. No provision for taxation has been made in view of the entitlement to exemption under Section 10(23C) (iv) of the Income-Tax Act, 1961. Such exemption has been granted upto the assessment year 1992-93 and applications for subsequent years are pending with the authorities.

2. Reconciliation Statements/Balance confirmations could not be obtained in respect of certain Advances/Creditors accounts.

3. Previous year figures have been regrouped and/or recast wherever considered necessary.

4. Figures in bracket represent deductions.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1996 Page-1

| | Schedule | | 31-3-96 | | 31-3-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| **SOURCES OF FUNDS :** | | | | | |
| Capital Reserves | C | | 82,736,689 | | 69,298,017 |
| Other Reserves | D | | 78,846,168 | | 83,915,843 |
| Earmarked Funds | E | | 67,315,916 | | 53,337,601 |
| TOTAL | | | 228,948,773 | | 206,551,461 |
| **APPLICATION OF FUNDS :** | | | | | |
| Fixed Assets: | | | | | |
| Gross Block | | 108,905,336 | | 94,163,153 | |
| Less: Depreciation | | (43,379,087) | | (37,244,450) | |
| Net Block | F | | 65,526,249 | | 56,918,703 |
| Capital Work in Progress | | | 16,830,284 | | 18,256,667 |
| Earmarked Investments | G | | 67,315,916 | | 53,337,601 |
| Other Investments: | | | | | |
| (a) Fixed Deposits with Banks | | 27,788,404 | | 24,869,864 | |
| (b) Bonds of Public Sector Undertakings | | 1,438,850 | | 3,316,649 | |
| (c) Units of U.T.I. | | 45,048,126 | | 45,048,126 | |
| | | | 74,275,380 | | 73,234,639 |
| Current Assets, Loans & Advances | H | 83,063,831 | | 62,258,322 | |
| Less: Current Liabilities & Provisions | | (14,002,087) | | (14,027,691) | |
| Net Current Assets | | 69,061,744 | | 48,230,631 | |
| Less: Fees/Income Received in Advance | | (64,060,800) | 5,000,944 | (43,426,780) | 4,803,851 |
| TOTAL: | | | 228,948,773 | | 206,551,461 |

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| H. GHOSH | A.K. MAJUMDAR | M.M. CHITALE | T.S. VISHWANATH |
| Asst. Dir of Studies | Secretary | Vice-President | President |

Schedules 'A' to 'J' form an integral part of Accounts:
As per our Report of even date attached

| Sd/- | Sd/- |
|---|---|
| S.R. KHURANA | K.S.V.S. MANIAN |
| Chartered Accountant | Chartered Accountant |

New Delhi
Dated: 4th September '96

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1996

| | SCHEDULE | 1995-96 Rs. | 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|
| INCOME | | | |
| (a) Members | I | 65,022,624 | 71,301,705 |
| (b) Students | | 114,556,884 | 103,883,931 |
| TOTAL: | | 179,579,508 | 175,185,636 |
| EXPENDITURE | J | | |
| (a) Members | | 79,924,377 | 70,630,381 |
| (b) Students | | 96,162,636 | 72,539,715 |
| TOTAL: | | 176,087,013 | 143,170,069 |
| SURPLUS FOR THE YEAR | | 3,492,495 | 32,015,540 |
| **Allocations/Appropriations** | | | |
| (i) Transferred from/to General Reserve | D | 5,704,630 | (16,343,432) |
| (ii) Transferred to Education Fund | E | (9,197,125) | (15,672,108) |

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| H. GHOSH | A.K. MAJUMDAR | M.M. CHITALE | T.S. VISHWANATH |
| Asst. Dir of Studies | Secretary | Vice-President | President |

Schedules 'A' to 'J' form an integral part of Accounts:
As per our Report of even date attached

| Sd/- | Sd/- |
|---|---|
| S.R. KHURANA | K.S.V.S. MANIAN |
| Chartered Accountant | Chartered Accountant |

New Delhi:
Dated: 4th September '96

SCHEDULE 'C'—CAPITAL RESERVES

(Amount in Rupees)

| Particulars | | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | General: | | | | |
| | Balance as per last account | | 44,770,323 | | 40,520,854 |
| | Add: Admission Fees & Allocated Entrance Fee | 1,413,100 | | 1,132,400 | |
| | Add: Donations for Buildings | 2,573,613 | | 3,117,069 | |
| | Add: Transferred from General Reserve | 10,000 | | | |
| | | | 3,996,713 | | 4,249,469 |
| | TOTAL (A): | | 48,767,036 | | 44,770,323 |
| (B) | Education: | | | | |
| | Balance as per last account | | 24,527,694 | | 21,508,043 |
| | Add: Transferred from Education Fund | | 9,491,959 | | 3,019,651 |
| | TOTAL (B): | | 34,019,653 | | 24,527,694 |
| | GRAND TOTAL (A)+(B) | | 82,786,689 | | 69,298,017 |

## SCHEDULE 'D'—OTHER RESERVES

| Particulars | | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | General Reserve: | | | | |
| | Balance as per last account | | 79,937,227 | | 63,900,983 |
| | Less: Deficit/Surplus from Income and Expenditure Account | | (5,704,630) | | 16,343,432 |
| | Less: Amount transferred to/from Other Reserve | (35,435) | | 21,012 | |
| | Less: Amount transferred to/from Capital Reserve | (10,000) | | | |
| | Less: Amount transferred to Earmarked Funds | (31,866) | (77,301) | (328,200) | (307,188) |
| | TOTAL (A) | | 74,155,296 | | 79,937,227 |
| (B) | Others (For Regional Councils & Branches only) | | | | |
| | Balance as per last account | | 3,978,616 | | 3,254,365 |
| | Add: Net Accretion/Adjustments during the year | 676,821 | | 668,906 | |
| | Add: Amount transferred from Earmarked Funds | — | | 76,357 | |
| | Add: Amount transferred from/to General Reserve | 35,435 | | (21,012) | |
| | | | 712,256 | | 724,251 |
| | TOTAL (B) | | 4,690,872 | | 3,978,616 |
| | GRAND TOTAL (A)+(B) | | 78,846,168 | | 83,915,834 |

## SCHEDULE 'E'—EARMARKED FUNDS

(Amount in Rupees)

| Particulars | | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Education Fund; | | | | |
| | Balance as per last account | | 31,955,106 | | 17,547,863 |
| | Transferred from Income & Expenditure Account | 9,197,125 | | 15,672,108 | |
| | Interest earned during the year | 3,834,613 | | 1,754,786 | |
| | Recovery of Loan Scholarship against old w/o | 200 | | — | |
| | | | 13,031,938 | | 17,426,894 |
| | Less: Transferred to Capital Reserve | | (9,491,959) | | (3,019,651) |
| | TOTAL (A) | | 35,495,085 | | 31,955,106 |
| (2) | Research Funds: | | | | |
| | Balance as per last account | | 6,674,230 | | 1,641,618 |
| | Additions during the year | 4,174,920 | | 4,962,451 | |
| | Income earned during the year | 81,811 | | 70,161 | |
| | | | 4,256,731 | | 5,032,612 |
| | | | 10,930,961 | | 6,674,230 |
| (3) | Medals & Prizes Fund: | | | | |
| | Balance as per last account | | 1,437,756 | | 1,169,797 |
| | Additions during the year | 309,560 | | 231,619 | |
| | Add: Income earned during the year | 172,146 | | 142,557 | |
| | | | 481,706 | | 374,176 |
| | Less: Cost of Medals & Prizes awarded | | (126,253) | | (126,217) |
| | | | 1,793,209 | | 1,437,756 |
| (4) | Pension Fund; | | | | |
| | Balance as per last account | | 9,510,073 | | 7,500,000 |
| | Additions during the year | 5,000,000 | | 2,000,000 | |
| | Add: Income earned during the year | 1,140,000 | 6,140,000 | 950,000 | 2,950,000 |
| | Less: Expenditure during the year | | (1,054,491) | | (939,927) |
| | | | 14,595,582 | | 9,510,073 |
| (5) | Others Funds: | | | | |
| | Balance as per last account | | 3,760,436 | | 2,776,418 |
| | Additions during the year | 864,713 | | 747,331 | |
| | Add: Transferred from General Reserve | 31,866 | | 322,200 | |
| | Add: Income earned during the year | 344,421 | | 268,282 | |
| | | | 1,241,500 | | 1,343,813 |
| | Less: Transferred to Other Reserves | — | | (76,357) | |
| | Less: Adjustments | (260,396) | | (130,742) | |
| | Less: Expenditure during the year | (239,961) | (500,357) | (152,696) | (359,795) |
| | | | 4,501,079 | | 3,760,436 |
| | TOTAL (B) | | 31,820,831 | | 21,382,495 |
| | GRAND TOTAL (A)+(B) | | 67,315,916 | | 53,337,601 |

## SCHEDULE 'F'—FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

| ASSETS | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cost as at 1-4-1995 | Adjustment/ Transfers/ Sale | Additions during the year | Cost as at 31-3-1996 | As at 1-4-1995 | Adjustment/ Transfers | During the year | As at 31-3-1996 | W.D.V. as at 31-3-1996 | W.D.V. as at 31-3-1995 |
| 1. Land (includes Rs. 12,59,839 lease hold) | 6,055,104 | (32,043) | 578,134 | 6,601,195 | | | | | 6,601,195 | 6,055,104 |
| 2. Buildings | 40,936,161 | 1,892,796 | 6,520,988 | 49,349,945 | 9,266,003 | 357,200 | 1,986,431 | 11,609,634 | 37,740,311 | 31,670,158 |
| 3. Electric Installations & Fittings | 4,769,090 | 2,168 | 727,594 | 5,498,852 | 2,480,074 | (506) | 293,308 | 2,772,876 | 2,725,976 | 2,289,016 |
| 4. Air Conditioners | 3,523,858 | (50,905) | 1,436,030 | 4,908,983 | 2,509,302 | 133,147) | 364,077 | 2,840,232 | 2,068,751 | 1,014,556 |
| 5. Furniture & Fixtures | 11,495,947 | (3,617) | 1,571,279 | 13,063,609 | 5,517,308 | 3,725 | 705,135 | 6,226,168 | 6,837,441 | 5,978,639 |
| 6. Lifts | 309,911 | | | 309,911 | 252,655 | | 5,726 | 258,381 | 51,530 | 57,256 |
| 7. Office Equipments | 6,059,322 | 10,308 | 491,470 | 6,561,100 | 3,400,540 | 1,729 | 462,100 | 3,865,369 | 2,695,731 | 2,658,782 |
| 8. Vehicles | 851,401 | | 2,630 | 854,031 | 382,794 | | 93,894 | 476,688 | 377,343 | 468,607 |
| 9. Library Books | 8,476,407 | (25,047) | 913,310 | 9,364,670 | 7,019,463 | (17,754) | 716,373 | 7,718,082 | 1,646,588 | 1,456,944 |
| 10. Computers | 11,685,952 | | 707,088 | 12,393,040 | 6,416,311 | | 1,195,346 | 7,611,657 | 4,781,383 | 5,269,641 |
| TOTAL | 94,163,153 | 1,793,660 | 12,948,523 | 108,965,336 | 37,244,450 | 311,247 | 5,823,390 | 43,379,087 | 65,526,249 | 56,918,703 |
| Previous year | 75,179,234 | (149,409) | 19,133,328 | 94,163,153 | 31,934,805 | (61,422) | 5,371,067 | 37,244,450 | 56,918,703 | |

**Notes :** (i) Estimated amount of capital commitment not provided for (Net of advance) Rs. 16,36,592.

(ii) In respect of land at Hubli amounting to Rs. 2,62,061/-, there is a stay order by the Hon'ble Karnataka High Court with regard to the allotment made in favour of the Institute by HAUDA and in respect of land at Ranchi amounting to Rs. 1,60,289/-title deed is pending execution.

## SCHEDULE 'G'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

| EARMARKED FUND | Fixed Deposits with Banks/ Bonds/Units | | Interest Accrued | | Balance in Bank Accounts | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTMENTS | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 |
| 1. Education Fund | 35,495,085 | 31,955,106 | | | | | 35,495,085 | 31,955,106 |
| TOTAL (A) | 35,495,085 | 31,955,106 | — | — | 0 | 0 | 35,495,085 | 31,955,106 |
| 2. Research Funds | 10,609,413 | 6,434,493 | 15,405 | 12,579 | 306,143 | 227,158 | 10,930,961 | 6,674,230 |
| 3. Medals and Prizes Fund | 1,565,753 | 1,248,090 | 148,671 | 66,027 | 78,785 | 123,639 | 1,793,209 | 1,437,756 |
| 4. Pension Fund | 14,500,000 | 9,500,000 | | | 95,582 | 10,073 | 14,595,582 | 9,510,073 |
| 5. Other Funds | 3,640,764 | 3,193,990 | 498,389 | 119,437 | 361,926 | 447,009 | 4,501,079 | 3,760,436 |
| TOTAL (B) | 30,315,930 | 20,376,573 | 662,465 | 198,043 | 842,436 | 807,879 | 31,820,831 | 21,382,495 |
| TOTAL (A+B) | 65,811,015 | 52,331,679 | 662,465 | 198,043 | 842,436 | 807,879 | 67,315,916 | 53,337,601 |

SCHEDULE 'H'—NET CURRENT ASSETS

(Amount in Rupees)

| Particulars | | 31-3-1996 | | 31-3-1995 |
|---|---|---|---|---|
| Current Assets | | | | |
| (a) Stock of Publications, Study Materials Stationery and Paper [includes paper stock Rs. 23.80 lakhs (prev. yr Rs. 17.14 lakhs) with printers] (As certified by the management) | 13,336,781 | | 10,932,418 | |
| Less: Provision for obsolete stock | (2,500,000) | | — | |
| | | 10,836,781 | | 10,932,418 |
| (b) Amounts Receivable: | | | | |
| (i) Interest Accrued on Investments | 10,583,857 | | 8,452,565 | |
| (ii) Interest on Housing & Vehicle Loans | 3,017,237 | | 2,653,956 | |
| (iii) Security Deposits | 446,219 | | 431,219 | |
| (iv) Other Receivables [includes Rs. 6.98 lacks (pre yr Rs. 2 95 lakhs) considered doubtful and provided for] | 4,177,270 | 18,224,583 | 3,015,195 | 14,552,935 |
| (c) Loans & Advances: | | | | |
| (i) Advances to Staff (Housing, Vehicle & Other Loans) | 8,479,145 | | 9,517,397 | |
| (ii) Bridge Loans for Branch Bldgs | 400,000 | | 100,000 | |
| (iii) Advances & Prepayments | 4,887,336 | | 3,797,331 | |
| | | 13,766,481 | | 13,414,728 |
| (d) Cash & Bank Balances | | 40,235,986 | | 23,358,241 |
| TOTAL | | 83,063,831 | | 62,258,322 |
| Less: Current Liabilities & Provisions: | | | | |
| (a) Creditors for Expenses | | 8,155,919 | | 8,811,222 |
| (b) Other Liabilities | | 5,846,168 | | 5,216,469 |
| TOTAL | | 14,002,087 | | 14,027,691 |
| Net Current Assets | | 69,061,744 | | 48,230,631 |

*SCHEDULE 'I'*

## ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1996

(Amount in Rupees)

| INCOME | TOTAL | | MEMBERS | | | | STUDENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Regulatory | | Professional Development & Research | | | |
| | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 |
| 1. Entrance Fee (Allocated) . . | 421,400 | 284,300 | 421,400 | 284,300 | | | | |
| 2. Membership Fee . . . . | 41,213,841 | 39,445,767 | 41,213,841 | 39,445,767 | | | | |
| 3. Students' Registration Fee . | 2,215,410 | 2,082,720 | | | | | 2,215,410 | 2,082,720 |
| 4. Students' Association Fee . . | 482,200 | 452,400 | | | | | 482,200 | 452,400 |
| 5. Coaching Fee . . . . | 49,198,878 | 46,866,265 | | | | | 49,198,878 | 46,866,265 |
| 6. Examination Fee . . . . | 39,917,891 | 35,564,728 | | | | | 39,917,891 | 35,564,728 |
| 7. Journal & News Letters . . | 4,072,208 | 3,642,348 | | | 1,555,810 | 1,543,250 | 2,516,298 | 2,099,098 |
| 8. Sale of Publications . . . | 15,020,090 | 12,161,945 | | | 3,470,733 | 3,971,800 | 11,549,357 | 8,190,145 |
| 9. Computer Centres' Income . . | 1,986,505 | 2,149,849 | | | 1,489,879 | 1,612,387 | 496,626 | 537,462 |
| 10. Seminars' Income . . . . | 10,841,980 | 17,638,746 | | | 10,841,980 | 17,638,746 | | |
| 11. Other Income . . . . | 4,205,838 | 2,912,584 | 354,386 | 149,214 | 1,583,724 | 1,200,212 | 2,267,728 | 1, 63,158 |
| SUB-TOTAL . . . . | 169,576,241 | 163,201,652 | 41,989,627 | 39,879,281 | 18,942,126 | 25,966,395 | 108,644,488 | 97,355,976 |
| 12. Interest on Investments . . . | 9,981,343 | 11,456,702 | 2,906,677 | 4,551,022 | 1,173,232 | 872,929 | 5,901,434 | 6,032,751 |
| SUB-TOTAL . . . . | 179,557,584 | 174,658,354 | 44,896,304 | 44,430,303 | 20,115,358 | 26,839,324 | 114,545,922 | 103,388,727 |
| 13. Prior Period Income . . . | 21,924 | 527,282 | | 1,863 | 10,962 | 30,215 | 10,962 | 495,204 |
| TOTAL . . . . . | 179,579,508 | 175,185,636 | 44,896,304 | 44,432,166 | 20,126,320 | 26,869,539 | 114,556,884 | 103,883,931 |

*SCHEDULE "J"*

## ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1996

(Amount in Rupees)

| EXPENDITURE | TOTAL | | MEMBERS | | | | STUDENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Regulatory | | Professional Development & Research | | | |
| | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 | 31-3-1996 | 31-3-1995 |
| 1. Salaries & Staff Expenses . . | 51,115,536 | 42,478,893 | 15,630,293 | 12,575,676 | 7,648,069 | 6,425,060 | 27,836,974 | 23,478,157 |
| 2. Printing & Stationery . . . | 4,455,268 | 3,187,991 | 1,773,608 | 1,269,961 | 799,760 | 583,075 | 1,881,900 | 1,334,955 |
| 3. Publications . . . . . | 5,665,735 | 3,218,763 | 876,320 | 636,583 | 1,418,116 | 799,321 | 3,371,299 | 2,082,856 |
| 4. Journal & News Letters | 20,459,960 | 11,114,778 | | | 16,367,968 | 8,891,790 | 4,091,992 | 2,222,948 |
| 5. Coaching Expenses . . . | 17,125,482 | 11,891,538 | | | | | 17,125,482 | 11,891,538 |
| 6. Examinations Expenses . . . | 23,189,649 | 18,606,499 | | | | | 23,189,649 | 18,606,499 |
| 7. Postage, Telephones & Teleg . . | 5,162,688 | 5,036,027 | 2,065,075 | 2,014,411 | 514,269 | 503,602 | 2,581,344 | 2,518,014 |
| 8. Rent, Rates & Taxes | 5,375,030 | 4,880,863 | 2,150,012 | 1,952,345 | 537,503 | 488,086 | 2,687,515 | 2,440,432 |
| 9. Repairs & Maintenance . . | 2,520,433 | 2,067,257 | 1,008,174 | 826,903 | 252,042 | 206,725 | 1,260,217 | 1,033,629 |
| 10. **Travelling & Conveyance :** | | | | | | | | |
| (a) Council Members . . . | 5,712,697 | 4,431,674 | 1,336,233 | 1,271,916 | 2,709,692 | 1,859,797 | 1,666,772 | 1,299,961 |
| (b) Staff & Others . . . | 3,219,827 | 2,594,671 | 1,320,097 | 1,045,777 | 486,574 | 376,486 | 1,413,156 | 1,172,408 |
| 11. Library Maintenance | 418,714 | 319,648 | | | 104,679 | 79,912 | 314,035 | 239,736 |
| 12. Overseas Relations . . . | 4,005,050 | 4,356,994 | | | 4,005,050 | 4,356,994 | | |
| 13. Professional Fees . . . . | 702,499 | 594,667 | 511,149 | 335,985 | 57,588 | 67,318 | 133,762 | 191,364 |
| 14. Grants & Fees to Stds. Assns. | 93,114 | 83,362 | | | | | 93,114 | 83,362 |
| 15. Computer Centres' Expenses . . | 728,122 | 903,994 | | | 546,091 | 677,995 | 182,031 | 225,999 |
| 16. Seminars' Expenses . . . | 11,410,324 | 17,715,087 | | | 11,348,979 | 17,705,087 | 61,345 | 10,000 |
| 17. Other Expenditures (inculuding provision for obsolete stocks/other recoverable Rs. 30.69 lacs (pre year Rs. 1.29 lakhs) . . . . | 6,322,614 | 4,179,510 | 1,032,291 | 2,483,255 | 2,183,291 | 762,685 | 3,107,032 | 933,570 |
| 18. Depreciation . . . . | 5,873,390 | 5,371,067 | 2,329,356 | 2,148,427 | 582,339 | 537,106 | 2,911,695 | 2,685,54 |
| SUB-TOTAL . . . . | 173,505,932 | 143,033,243 | 30,032,608 | 26,561,242 | 49,764,010 | 44,021,039 | 93,909,314 | 72,450,562 |
| 19. Prior Period Expenditure . . | 2,581,081 | 136,853 | 189,104 | | 138,655 | 48,100 | 2,253,322 | 88,755 |
| TOTAL . . . . . | 176,007,013 | 143,170,096 | 30,221,712 | 26,561,242 | 49,702,665 | 44,069,139 | 96,162,636 | 72,539,715 |

## STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1996

(Rupees in millions)

| | | 1995-96 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| **SOURCES OF FUNDS :** | | | |
| Net Income from Investments | | 9.98 | 11.46 |
| Capital Receipts | | 18.91 | 14.69 |
| Fees/Income Received in Advance | | 20.63 | 5.57 |
| | SUB-TOTAL | 49.52 | 31.72 |
| Operational Surplus | | (0.67) | 25.93 |
| | TOTAL | 48.85 | 57.65 |
| **APPLICATION OF FUNDS :** | | | |
| Increase in working Capital | | 20.83 | 7.27 |
| Acquisition of Fixed Assets | | 13.00 | 14.25 |
| Acquisition of Investments | | 15.02 | 36.13 |
| | TOTAL | 48.85 | 57.65 |

## STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL

(Rupees in millions)

| | | 1995-96 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS : | | | |
| (a) Publications, Papers, Study Materials & Stationery etc. | | (0.09) | 4.50 |
| (b) Amount Receivable : | | | |
| (i) Interest accrued on Investments | | 2.13 | 4.17 |
| (ii) Interest on Housing Loans etc. | | 0.36 | 0.30 |
| (iii) Security Deposits | | 0.02 | 0.02 |
| (iv) Others | | 1.16 | 0.29 |
| (c) Loans & Advances : | | | |
| (i) Advance to Staff | | (1.04) | 0.13 |
| (ii) Bridge Loan for Branch Bldgs. | | 0.30 | 0.00 |
| (iii) Advances & Prepayments | | 1.09 | 1.85 |
| (d) Cash & Bank Balances | | 16.88 | 2.21 |
| | TOTAL | 20.81 | 12.77 |
| CURRENT LIABILITIES : | | | |
| (a) Creditors for Expenses | | (0.65 | 3.50 |
| (b) Other Liabilities | | 0.63 | 2.00 |
| | TOTAL | (0.02) | 5.50 |
| Increase in working Capital | | 20.83 | 7.27 |

A. K. MAZUMDAR
Secretary

Madras-600 034 the 20th August 1996

(Chartered Accountants)

No. 3SCA(5)/8/95-96.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3WCA (4)/2/95-96 dated 13th May 1996 and 3NCA(4)/2/95-96 dated 7th May 1996 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons :

| S. No., | MRN, | Member & Address | Rest Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 007748 | Mr. Meenachisundaram K.<br>Secretary (Ms),<br>L I C of India Zonal Office,<br>P B No. 2450,<br>Anna Salai,<br>Madras-600 002. | 01/10/95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 028985 | Mr. Venkataraman N., Associated Cement Companies Ltd. Madukkarai Cement Works., Coimbatore District, Madukkarai-641 105. | 01/10/95 |
| 3 | 046730 | Mr. Hemangi Sachin Ghanekar, 1541, First Floor, 10th. Main First Cross, Hal. III Stage, Bangalore-560 008. | 01/10/95 |
| 4 | 083319 | Mr. Navneet Mohan Chopra, Manager Corporate Banking. The Hongkhong and Shanghai Banking Corpn. Ltd. 30, Rajaji Salai, Madars-600 001. | 01/10//95 |

A. K. MAJUMDAR
Secretary.

---

THE INSTITUTE OF

COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 11th September 1996

No. 18-CWA/9/96.—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Ciuncil of the Institute of Cost and Works Accountants of India and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 1996 are hereby published for general information.

S. R. ACHARYYA
Secretary

THE INSTITUTE OF

COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

37TH ANNUAL REPORT 1995-96

(Issue under Section 18(5) of the Cost and Works Accountants Act, 1959)

The Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has pleasure in presenting hereunder the Annual Report and Audited Accounts of the ICWAI pertaining to thre year ended 31st March, 1996.

FRESH ELECTIONS

The Elections of the Central and Regional Councils of the Institute were held in the month of April, 1995 and the results declared on 2nd May, 1995. The 13th Council, constituted on 22-7-95, will have its term up to 21-7-98.

The Council at its meeting held on 22-7-95 unanimously elected Shri Harijiban Banerjee, B.A.,B.Com., FICWA as President and Shri N. P. Sukumaran, B.Sc., FICWA as Vice-President of the Institute for the year 1995-96.

The Council met five times during the year 1995-96.

COMMITTEES OF THE COUNCIL

Council re-constituted various Committees on 22nd July, 1995 as per details appended in Annexure-I.

REGISTERED STUDENTS

During the year 22813 students were registered with the Institute. In the previous year the number was 31,205. The number of registered students at the end of the year stood at 1,90,746.

The regionwise breakup of the students registered during the years 1994-95 and 1995-96 is given below :

| | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|
| EASTERN | 9997 | 5284 |
| NORTHERN | 5365 | 3577 |
| SOUTHERN | 9022 | 7966 |
| WESTERN | 5216 | 4343 |
| | 29600 | 31170 |
| DENOVO ETC | 1605 | 1643 |
| TOTAL | 31205 | 22813 |

COACHING

During the year 47140 number of students-groups (39,147 no. of students) were enrolled for coaching. The region-wise breakup is given below :

| | POSTAL | | ORAL | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1994-95 | 1995-96 | 1994-95 | 1995-96 | 1994-95 | 1995-96 |
| INTER :EASTERN | 7402 | 4090 | 6347 | 4984 | 13749 | 9074 |
| NORTHERN | 5599 | 3956 | 3302 | 2147 | 8901 | 6103 |
| SOUTHERN | 8086 | 6536 | 8531 | 6962 | 16617 | 13498 |
| WESTERN | 1837 | 1521 | 6772 | 5323 | 8609 | 6844 |
| SUB-TOTAL | 22924 | 16103 | 24952 | 19416 | 47876 | 35519 |
| FINAL : EASTERN | 2627 | 2817 | 392 | 709 | 3019 | 3526 |
| NORTHERN | 1858 | 1945 | 873 | 512 | 2731 | 2457 |
| SOUTHERN | 2731 | 2551 | 207 | 1154 | 2938 | 3705 |
| WESTERN | 1050 | 917 | 871 | 1016 | 1921 | 1933 |
| SUB-TOTAL | 8266 | 8230 | 2343 | 3391 | 10609 | 11621 |
| GRAND TOTAL | 31190 | 24333 | 27295 | 22807 | 58485 | 47140 |

Facilities for Postal Coaching in the form of supply of Study Notes, Test Papers and Suggested Answers through Regional Councils as per Decentralisation Scheme continue to be provided to the students during the year under the Old as well as Revised Syllabi. Publication of Suggested Answers to the questions set at Institute's examinations (Inter and Final both under Old and Revised Syllabi) is continued to meet the demands of studests undergoing ostal and Oral Coaching. For the first time it has been made possible with the assistance of the Academic Wing to bring out Suggested Answers to the questions set at the Instiute's examinations held in December, 1995 within 3rd week of February, 1996, even before publication of the Results. Moreover it has also been possible for the first time to bring out Suggested Answers of the Foundation Course of the Institute (4 terms combined) Added to these it has also been possible for the Coordinating Body of the Academic Wing to publish Suggested Answers to the questions set at June 1996 examinations in the third week of July' 96.

In addition to Postal Coaching the Institute through its 106 Centres Spread all over the country, continue to provide Oral Coaching to the studnts. The regionwise distribution of the Oral Coaching Centres is given below :

| Name of the Region | No. of Oral Coaching Centres |
|---|---|
| Eastern Region . . . . | 26 |
| Northern Region . . . . | 25 |
| Southern Region . . . . | 29 |
| Western Region . . . . | 26 |
| | 106 |

## REVALIDATION OF COACHING COMPLETION CERTIFICATES

Under this Scheme a refresher form of coaching has been provided to 5,860 students of Postal and Oral Coaching to obtain Coaching Completion Certificates before three years of the relevant term of examinations.

## PRACTICAL TRAINING SCHEME

The curriculam of the Institute of Cost and Works Accountants of India is designed to impact professional knowledge of cost and management accountancy. The expertise of the students qualifying in the Institute's examinations are suited to render effective services to Industries, Financial bodies etc.

Completion is the hallmark of liberalisation and globalisation. The expertise of Cost & Management Accountants can be used in furtherance of the obective of globalisation. Besides, in the era of pragmatic privatisation, keeping in view the public interest as defined by the Government from time to time, services of Cost & Management Accountants can be effectively used to put the economy on the wheels of progress.

The Institute continuously redefines its objectives in the changing environment. Today Cost & Management Accountants can safely be called economic analysts who can render effective assistance to the management in the decision making process. In the era decontrol and deregulation, the services of Cost & Management Accountants can best be used in service Industries like Banks, Financial Institutions, Stock Markets. Even in determining the cost of education, health, tourism and transport etc. the services of cost and management accountants can be of immense help.

In respect of unconventional areas of audit which are still unexplored, e.g. energy audit, environment audit, management audit etc. Cost and Management Accountants can produce meaningful results.

Keeping in view the above aspects the Training Scheme has been revised and sent to the captains of the Industry, Trade and Commerce and also to our Regional Councils and Chapters. The Training Scheme continues to operate and number of students empanelled is over 1550. Over 80 organisations have so far responded for providing practical training to students in Costing, Finance and Management Accounting areas. Different programmes were undertaken by Regional Councils to provide the students a practical insight in the said areas. Application to Ministry of HRD for statutory training has also been submitted by the Institute and the matter is being persued vigorously. It is heartening to note that many organisations of repute like Transport Corporation of India, NTPC are deploying Cost Trainees in their organisations through Campus Interview.

## STUDENTS COMPLAINT SETTLEMENT WING

As per Decentralisation Scheme earlier passed by the Council, the Regional Councils are required to render necessary services to the postal students in regard to registration, enrolment, providing the Test Papers etc., valuation of answers to the Test Papers and allied jobs, issue of coaching completion certificates with the approval of Headquarters etc. on behalf of the Institute. It is quite natural that the students may sometimes approach the Institute for solution of the problems faced by them in respect of coaching. As the Institute is under moral obligation to help the students, efforts are being made to attend to all the queries of the students as promptly as posible. During the year under review all the letters/complaints of the students were responded within 7 days from the receipt of such letters.

## ESTABLISHMENT OF AN ACADEMIC WING

The Institute was established to impart Coaching and Training in Cost and Management Accountancy. And hence this is an academic institution by its nature. The Trg. & E. F. Committee realised the need for establishment of one Academic Wing and a Coordinating Body to the same to provide necessary academic guidelines to the students of this Institute by way of continuous updating and re-writing of Study Notes, Suggested Answers etc. wherever necessary. The idea of establishment of an Academic Wing had been conceived by the Council since 1983-84. It is heartening to note that in the year under review it has been possible by utilising the expertise of the Academic Wing to revise 6 Study Notes namely—Auditing, Corporate Laws & Secretarial Practice, Indirect Taxation, Project Management & Control, Operations Management & Control, Advanced Financial Management.

## COMPUTERISATION

It has been possible for the Coaching Directorate to make use of the PCs installed for carrying out various activities related to the students so that efficient services could be provided to them.

It has been felt that the image of the Institute be built up appropriately and this can be done by two ways—(i) image building to its clientele i.e. Students and Members and (ii) image building to the public and industries at large. Sincere and honest effort has been made so that the first objective of improving the services to the students and members could be improved as they are the base on which the structure of the Institute rests. Action has already been taken for building up of the image of the Institute before the public and industries at large and for this purpose various measures namely—publicity, printing of various booklets, maintaining close liaison with the Industry, Trade and Commerce have been taken.

## EXAMINATION

Examinations which are conducted twice in a year are the most important and sensitive activities of the Institute. Hundreds of moderators, paper-setters and examiners coming from various parts of the country are involved in the activities of the examination department. With their full support it has been possible to a great extent to maintain the credibility and sanctity of the examination system of the Institute. The level of the activity in the examination department was the highest during the year since more than 60,000 examinees appeared for the Institute's examinations all over India and abroad both under Old and New Syllabi in each term.

The department successfully and smoothly conducted the examination with the co-operation of the officers and employees of the Institute. The degree of computerisation has been marginally increased in order to ensure continuous

issue of hall tickets during the year. It is hoped that the department will be able to improve further to provide better services to the student population of the Institute.

Institute's examinations were held in June and December 1995 respecively at 62 examination centres scattered all over India and at 8 Overseas centres. A list indicating all the examination centres is furnished in Annexure III. Examinees are also allowed to write the examination in Hindi.

During the year 3535 students were declared passed in the June and December Final examisations of the Institute. In the Intermediate and Foundation Course examinations number of students passed were 5981 and 2489 respectively. Deep gratitude is extended to all Regional Councils and Chapters of ICWAI and Officers in charge of examination centres for their help and unstinted co-operation which enabled the Institute to conduct the examination smoothly.

## MEMBERSHIP

During the year, 1076 candidates were admitted as Associate Members and 159 Associate Members were elevated as Fellow Members. An on 31st March, 1996, number of the total members was 14740. 1420 members were in practice as against 1414 in the previous year. The number of Graduate Members enrolled during the year was 1323. About 8500 Grad CWAs are awaiting completion of requisite experience and other conditions to become Associate Members.

## HOMAGE

The Institute regrets to report the sad demise of the following members of the Institute as per information received during the year :

| Sl. No. | Name | Membership No. | Date of Death |
|---|---|---|---|
| 1. | T. K. Mehta. *B. COM., AICWA* | 8016 | 22-6-95 |
| 2. | S. N. Sengupta. *B.A., AICWA* | 8934 | 24-7-95 |
| 3. | B. N. Datta. *B.A.. AICWA* | 2121 | 31-5-95 |
| 4. | Prabhat Kumar Sinha. *B.COM., AICWA* | 2276 | 2-8-95 |
| 5. | M. A. Someswara Rao. *B. COM., FICWA,* | 638 | 12-8-95 |
| 6. | K. V. Subba Rao. *B.COM., LLB.,FCA., AICWA* | 4572 | 14-8-95 |
| 7. | P. R. Mehra. *FCA., FICWA* | 379 | 26-9-95 |
| 8. | R. Kuppaswami. *B. A., AICWA.* | 1002 | 2-6-94 |
| 9. | S. P. Degaonkar. *B.A., AICWA.* | 14045 | 20-9-95 |
| 10. | K. M. Chandrasekharan Nambiar. *B. COM., AICWA.* | 2668 | 7-10-95 |
| 11. | Gyan Prakash Gupta *B.A., AICWA.* | 1086 | 14-12-95 |
| 12. | E. V. Mani. *B.A..B.L., FCA, PHD.,FICWA.* | 1225 | 28-3-96 |
| 13. | V. Rama Rao. *M.A., LLB., FCS., FICWA.* | 76 | 29-3-96 |
| 14. | M. P. Pandit. *B.A., M. COM., FICWA* | 859 | 24-5-96 |

## MEMBERS FACILITIES AND SERVICES

The members are the backbone of the Institute and providing proper facilities and service to the members is one of the most important activities of the institute. With this objective in veiw, the Committee took certain steps for improving services and extending more facilities to the members.

The Committee took a conscious decision to design a proper computerised system and prepare a Members' database which would facilitate proper communication with the members. The record and particulars of each member available with the Institute is in the process of updation. The subscription paid by the members are also being computerised.

In order to give proper and timely information to the members regarding their arrears of subscription as well as proper recording of address changes, it has been decided to send each member a composite form indicating therein his/her subscription position, the address on record-both for List of Members and for mailing of Journals. This form is being mailed during July 1996 for the first time and thereafter it would be sent to each member by 31st March each year. The members are being requested to use this form for payment of subscription as well as for communicating the change of address.

Other steps taken by the Committee during the year are :

1. Recommendation for amendments to the guidelines for admission as an Associate/Fellow Member of the Institute.
2. Reviewing suggestions of the Members received as a result of direct interaction with them at different parts of the country.
3. Issue of reminders to such members whose subscription has fallen due for more than three years.
4. Lapel badges have been made with the logo of the Intitute for use by the members.

As a result of the special drive for increasing the number of members during the year, more than 1000 members, which is a record number, have been admitted during the year. Steps have also been taken to apprise the final qualified and Graduate members to enrol as Associate Members.

The Committee hopes that the steps taken would definitely give better service to the members and look forward to suggestions for further improvement from the membership fraternity.

During the period, the Committee met thrice.

## JOURNAL

The new look "The Management Accountant" has already made a dent in the professional arena with its ever changing array of interesting articles and information and attractive design. In the present year many topical issues were dealt with in the pages of the journal which provoked wider debate among the professionals. The journal has started with

special focus on industries and services and this will continue in the coming year also. The Executive Digest has been revamped and made more reader friendly for taking a glimpse of the world.

The circulation of the journal is hovering between 45,000 and 47,000 per month. Institutional subscription graph is also upward moving which proves its popularity among the readers from industries and profession and academicians since the journal has diversified into wider areas of interest.

The journal is going bicolour very soon to enhance its communication capability. In May 1996 a special issue was brought on Steel which evoked keen interest among readers and received rave review throughout the country. Recently, a Tax Update Column has been added as a quarterly feature and a new column on State Laws is being added shortly. Necessary computer programme is being developed to send the journal without folding to keep the beauty of the cover page unspoilt. Once the necessary computer programme for new wrapper is developed, journal will be sent in unfolded form. Similarly, after completion of formalities in a few days' time, journal will be sent under licence to post without pre-payment. This is expected to speed up the delivery of the copy. The Journal Committee has also decided to bring out a student friendly monthly journal to be distributed through Regional Councils/Chapters.

On the computerisation front, one more computer has been installed in the department. The two computers have been networked and departmental staff are working in thw new environment with renewed zeal. Another advanced training programme on inhouse computer of the Journal Department is in the pipeline. The computer has been upgraded and new software packages have been installed.

## RESEARCH & PUBLICATIONS

The Research & Publication Committee was reconstituted on the 22nd of July 1995 and has endeavoured to strengthen the Research Directorate of the institute by taking up various new research work on a regular and long term basis.

The Research Bulletin XIII was published in September 1995 and has received wide acclaim from professionals and academicians.

By continuous endeavour to strive for excellence, this year the committee has created a record of sorts, publishing three books in the same year, an achievement which is unparalleled in the history of the Institute. These books are :

(i) A study on Profit Planning

(ii) Mutual Funds in India

(iii) Human Resource Accounting

All these books have received wide acceptance and appreciation from financial circles. 1000 copies of "Mutual Funds" have been requisitioned by ICFAI alone for their members and students.

A joint decision was taken with the ICFAI to conduct a series of seminars in various cities of India. In this direction the first ever joint seminar was organised with the "ICFAI on Capital Market and Financial Services" under the directorship of Shri Mahesh Shah, Chairman of the Committee. This seminar was a huge success with participants ranging from representatives from various industries & government departments to those of Universities. A joint research with the ICFAI is being finalised on "Cost of Primary issues".

A draft titled "Glossary of Management Accounting Terms" (2nd revised edition) has been assigned to Prof. Shyamal Banerjee for expert review. The glossary will be printed on receipt of this review report. The draft of the Research Manual of the ICWAI was prepared by Dr. E. V. Man', former Chairman of the committee, but the matter was stalled due to his untimely demise.

Expert opinion has been invited in the form of advice and suggestions form the Chapters, Regional Councils, and regulatory bodies and institutions such as the Reserve Bank of India, SEBI, CBDT, to carry on research on a mutual basis on the various factors affecting the Indian Economy.

## CONTINUING EDUCATION PROGRAMME

The CEP Committee has organised 32 (thirty two) Professional Development Continuing Education Programmes during the year at different places throughout India.

The in-house programmes were organised during the year for Oil and Natural Gas Commission, National Seeds Corporation Limited, Power Finance Corporation Limited, Central Electricity Authority, Ministry of Defence and also for Indian Navy.

The topics for the programmes organised during the year include exclusive programme on 'Cost Management', cost Analysis, Financial Management and Management Accounting, Project Cost Accounting and Control, Accounting and Auditing Systems, Financial Operations and Management, Finance for Non Finance Executives, Customs, Excise and Port Clearance etc.

The Committee also organised joint programmes with the Department of Public Enterprises, Government of India and also with the Department of Personnel & Training, Government of India. The topics of these programmes were on Valuation of Shares, Credit Rating, Management Audit and Performance Optimisation, Cost Effectiveness and Surplus Optimisation, International Contracting, Financial, Economic and Labour Policies of PSUs, Raising Resources from Financial Institutions etc.

The Committee is happy to inform that it is planned to organise an exclusive programme for the Executives of the Indian Oil Corporation Ltd. a leading Public Sector organisation by sending their executives for training and later on, they are joining the ICWA course by way of developing the professionals within the organisations as done for the executives of IBP Co. Ltd. These training programmes are being organised at all the four metropolitan cities viz. Delhi, Calcutta, Mumbai & Madras.

The participants in all the programmes organised by the Committee during the year were for senior and middle level managers from various public sector organisations, Government departments, autonomous bodies, banks, insurance companies and financial institutions. They also include executives from various industries from the private sector.

The Committee is glad to inform that all programmes held during the year were appreciated greatly by the participants as well as by the various organisations. Most of the organisations repeating the programmes for those executives again during the coming year as the programmes held were of high standard and very useful to their executives. The Committee is also glad to inform that most of the organisations are aware about the activities of the Institute through their executive who have been nominated and appreciated the Professional Development Programmes of the Institute.

The Committee has planed to organise 40 programmes during the year 1996-97. These programmes are in the nature of self-run programmes, exclusive in-house programmes for various public sector organisations and Government Departments, Joint programmes with the Department of Public Enterprises, Department of Personnel & Training, Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, PHD Chamber of Commerce, FICCI, ASSOCHAM and various Industries/associations. The Commitee also plans to conduct exclusive low cost programmes for members of the Institute in service and practice to be held at different parts of the country with the network of Regional Councils and Chapters.

The calendar of the programmes for the year 1996-97 is being finalised by the CEP Committee which would include the various topics like Activity Based Costing and Management, Costing and MIS in Commercial Banks, Strategic Cost Management, Financial Management under Economic Liberalisation, Capital Markets etc. in addition to the usual topics The Committee has also planned to conduct two programmes abroad on self-supporting basis.

The Committee is acting as a marketing wing of the Institute by spreading the message of Cost and Management

According and also the various activities of the Institute through the programmes organised every year. The efforts made by the Committee from time to time to spread the message of Cost and Management Accounting to the Government Departments, Public Sector Organisations and various Industries is well-appreciated by the Government and other various industries.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-ORDINATION AND INTERNATIONAL MATTERS

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

New horizon has opened up before the Cost and Management Accountants. The finance sector of the country has already become the favourite area, often the principal area of activity for many of our professionals. Some major nationalised banks are being under the able stewardship of our eminent members. It is heartening to note that Citi Bank has declared Strategic Cost Management and Cost Competitiveness, the principal focus around which their successful operation are built. Large industrial houses are realising that cost and management accountants can operate very effectively in the areas of Taxation and Insurance also.

Another very significant development has taken place in Excise Valuation and Excise Audit. Because of incorporation of Section 14A of the Central Excise and Salt Act 1944, Cost and Management Accountants are now being called upon to play a major role in the matter of Excise Valuation and Excise Audit.

CO-ORDINATION

The Committee felt that active and effective co-ordination with other professional institutes is of great importance for the development of our profession. With this end in view, joint meetings of three institutes—ICWAI, ICAI & ICSI were held during the year to draw certain common strategies as far as possible for harmonised growth of all the professions. To implement the decisions taken in the above meetings, officials of three institutes also met several times to determine the modalities in this regard.

INTERNATIONAL MATTERS

In the context of globalisation it has been felt that more and more participation in the international forum is absolutely necessary so that the presence of our Institute as also our country is visualised in the international arena. Needless to mention that the Institute is a founder member of IFAC, CAPA & SAFA and has been continuing its uninterrupted membership with these international bodies of accountants with active involvement.

Institute has been continuing to represent India in the Financial Management Accounting Committee of International Federation of Accountants (IFAC) and the Executive Committee of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA). The Institute's contribution and achievements in the international field during the year were remarkable.

All the assignments allotted to ICWAI by the CAPA and SAFA were completed and the report submitted to the respective bodies by the Institute in time. Shri A. N. Raman Central Council Member of ICWAI attended the IFAC-FMAC meeting at Melbourne, Australia during October '95 and Shri D. C. Bajaj, Central Council Member of ICWAI attended the CAPA Executive Committee Meeting at Taipei. Shri Haribhan Banerjee President Shri N. P. Sukumaran Vice-President of ICWAI and Shri K. R. S. Sastry, President, SAFA attended the other Executive Committee Meeting of CAPA, held at Islamabad Pakistan. The IFAC-FMAC assigned a project to the ICWAI on "Anti Dumping Provisions of WTO Agreement". The Institute jointly with ICAI organised an International Seminar under the banner of IFAC in New Delhi during November '95 and the President of the Institute Shri Haribhan Banerjee presented a paper on 'Accounting Profession 2000 AD' in this Seminar. Four meetings of SAFA Assembly were held during the year and the Institute actively participated in all those meetings.

The glorious achievement of the Institute was the election of Shri K. R. S. Sastry, a Central Council Member of ICWAI as the President of SAFA for the year 1996. The ICWAI jointly with the ICAI hosted an International Seminar under the banner of SAFA at Visakhapatnam on January 10-11, 1996. The Institute jointly with ICAI hosted the 11th SAFA Conference at Calcutta on June 3-4, 1996 on the theme "STRATEGIES FOR ECONOMIC GROWTH IN SAARC REGION_PATH AHEAD" which was a grand success in terms of participation of delegates both from India and the neighbouring countries in a large number as also the qualitative deliberations in the Technical Sessions of the Conference. Two meetings of the SAFA Assembly were also hosted by the ICWAI and ICAI at Vizag and Calcutta during the month of January and June 1996 respectively.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

(TECHNICAL AFFAIRS)

Professional Development (Technical Affairs) Committee met thrice during the year. The Technical Activities pertaining to the area of Cost and Management Accounting was given a new pump during the year. One of the major areas where the focus was given was in relation to Section 14A of the Central Excise Act which was introduced in the Finance Bill, 1995. This special audit provision under the Central Excise Act is the challenging area for the profession with tremendous scope in the coming years. As a first step towards dissemination of information, an exposure draft was developed giving various issues pertaining to section 14A. In the month of October, 1995, the first workshop on the subject was organised at Vigyan Bhavan which was inaugurated by Mr. M R. Sivaraman, Revenue Secretary, Government of India and was attended by senior officials including members of CBEC, Principal Commissioner and Commissioners. The Revenue Secretary lauded the steps taken by the Institute to come out with special guidelines on the issue. Subsequently the Committee initiated the steps to organise the Workshops at various places. A workshop was organised at Calcutta on February 1, 1996 and another at Madras on July 6, 1996. A round table meeting among the representatives of the industry, the cost accounting profession and the revenue department was organised jointly with Bengal Chamber of Commerce at Calcutta on April, 30, 1996. Workshops/Seminars on the subject were also organised by WIRC of ICWAI at various places in western region. Participation in all the workshops were quite fruitful and provided lots of input to all the concerned. During the intervening months various steps were taken to update and improve upon the exposure draft.

This year the biggest achievement for our profession was restoring our professional right of certifying under Import Export Procedure of the Government of India. After series of meetings with the authorities, including the Minister the result was achieved when the Government issued Gazette Notification that Cost Accountants may be authorised to certify under the Import and Export Procedures. This restoration, it is hoped, would help practising members in exercising their professional ability in the area of export and import.

The process of simplifying the Cost Audit (Report) Rules and to suggest short form of Cost Audit Report to the Government was started in the last year. After a detailed deliberation, amendments to the existing Cost Audit (Report) Rules and a format of short form of Cost Audit Report was prepared and submitted to the Director, Cost Audit Branch, Government of India. Subsequent to its submission a consistent dialogue has been maintained with the Government to give statutory form to the suggestions submitted by the Institute.

Cost Accounting Records Rules guidelines prepared by the ICWAI pertaining to various products needs a revision. Steps have been taken to revise the existing booklet published by the Institute.

During the year the Institute also submitted a Memorandum on "The Suggestions For REFORMS IN DIRECT TAXES by ICWAI" to Mr. N. Rangachari, Chairman, Central Board of Direct Taxes. The suggestions were compiled after detailed deliberations by an Advisory group headed by Mr S. Rajaratnam, former Member, CBDT and consisting of S/Shri A. R. Rao, Vice-Chairman of Income-tax Settlement Commission, Madras, V. M. Sivasubramaniam, formerly Chief Commissioner of Income-tax, Madras.

The following publications were made during the year :

1. Cost Accounting Booklet on Environmental Audit and on 'Pesticides'.
2. Exposure draft on 'Central Excise Valuation Audit'.
3. Guidance notes on Valuation under Central Excise Law.

TASK FORCE

The Council of the Institute formed a Task Force for various matters particularly Public Relations, Perspective Planning, Management Audit of the Institute and Co-ordination with the Regional Councils and Chapters.

MANAGEMENT AUDIT

The Task Force has completed its report in respect of the Southern India Regional Council, Northern India Regional Council and Institute Headquarters. The points raised by the Task Force for improving the performance had duly been taken care of.

PUBLIC RELATIONS

This year, the Institute emphasised on Public Relations. The Institute participated in the Career Fairs, published Posters, gave newspaper advertisements and brought out special booklets and Annual Diary was published and sent to the Leaders of Trade, Commerce, Industry, Banks, Financial Institutions and the Government. It also published posters emphasizing the role of Cost Accountants, Booklets styled "Information on Institute and Profession", "Fields for Practising Cost Accountants" including its compendium, "Guidance Note on Central Excise Law" etc. and an Exposure Draft styled "Developing Cost Records—a Practical Approach".

COORDINATION WITH FINANCIAL INSTITUTIONS AND INDUSTRIES

In its journey for the last 50 years Institute has made concrete analysis of concrete situations and redefined its objective from time to time in view of the changing economic senario. After traversing through the path of Cost Determination, Cost Control, the Institute has now entered into an era of Total Cost Management.

In the eighties the Council of the Institute conceived that the expertise of Cost and Management Accountants could play a very effective role in Financial sectors, Banks etc. in respect of the costing of the services rendered, feasibility study plugging the loop-holes in the internal control system, monitoring of the advances etc. This conviction of the Council has become much more relevant in the era of accelerating changes paving the way for liberalisation. So far as the utilisation of the services of Cost and Management Accountants in the Sun-rise industries is concerned, different financial institutions, such as Banks, SEBI were approached. It was also emphasized while issuing Prospectus, the services of the Cost and Management Accountants would be of immense importance so that the investors' interest is protected. Similar is the case while Rating a Company.

The service of Cost and Management Accountants could be utilised for introduction of Costing Norms in Issues by SEBI in the present day context of very high-speed changes. It is also heartening to note that different articles have been published in the media supporting the above. Other financial institutions like different naitonalised banks have appreciated the role of Cost and Management Accountants in making their services user-friendly. It is also heartening to note that one of the multinational bank has prescribed Strategic Cost Management as one of the five Performance Parameters for evaluating the health of an organisation. It is a fact that in order to make the services offered by the natoinalised banks cost effective and competitive, Cost and Management Accountants should be included in the Managing Committees of the nationalised banks. Representation has already been made in this regard to the Central Govt. and it is understood that the matter is under active consideration.

RECOGNITION BY UNIVERSITIES

The Task Force identified the need for Ph.D. level research in Management Accounting in co-operation with the Universities. Accordingly, about 141 Universities have been approached to make necessary provisions in their Rules whereby qualified Members of the Institute can be enrolled as Ph.D. candidates in Commerce, Economics, Management and allied disciplines. During the year 9 Universities have recognised our qualification as sufficient for purchasing Ph.D. Studies. These Universities are :

North Maharashtra University
Yashwant Rao Chavan Maharashtra Open University
Alagappa University
Tejpur University
Guru Ghasidas University
North Gujarat University
Vikram University
Manipur University
Pondicherry University

PERSPECTIVE PLANNING

As a continuous process of redefining the objectives of the Institute in the changing scenario, the Task Force has already prepared an "Approach Paper" on Perspective Planning. The Council of the Institute deliberated on it and it is expected that a comprehensive document in this regard would soon be released by the Institute.

REGIONAL COUNCIL & CHAPTER COORDINATION

Coordination amongst the various Regional Councils and Chapters has been given prime importance. Critical review of performance of each Chapter and Regional Councils have been undertaken to ensure that the policies of the Institute could effectively be implemented. The Council is of the opinion that instead of geographical expansion, it would be better to give more importance on qualitative development. Based on the recommendations of the Regional Councils, Best Chapters on regional basis have been selected. These Chapters were honoured with Silver Plate and Scroll of Honour during the 38th National Convention of Cost and Management Accountants held on 14-16th June, 1996 at Delhi. Region-wise best chapters are :

ASANSOL—EIRC
COCHIN—SIRC
NASIK-OJHAR—WIRC
KANPUR—NIRC

MEMBERS' BENEVOLENT FUND

During the year ten members became Life Members of the Benevolent Fund. The total number of Members of the Fund has become 547. The accumulated fund is around Rs 3.78 lakhs which has been lying invested/credit in the approved Securities and in Bank. The Council would like all the members of the Institute to be the members of the Benevolent Fund.

IN-HOUSE SERVICE TRAINING FOR THE OFFICIALS OF ICWAI

During the year a number of in-house Training Programmes were organised by the Institute for the employees of the Institute as part of Human Resource Development Programme. Total 104 staff and officers have successfully undergone the said Training in phases.

FELICITATION OF EMINENT MEMBERS

The Council decided to felicitate the outsanding members of the Institute for their achievement and contribution for the development of the profession. Accordingly, S/Shri P. K. Sengupta, Chairman, Coal India Ltd; U. Sundaralan CMD Bharat Petroleum Corporation Ltd; Sujit Chakraborty, CMD, Andrew Yule & Co. Ltd; K. N. Ghosh, CMD, Hindustan Coppers Ltd.; D. N. Banerjee, CMD, Tyre Corporation of India Ltd.; Abhijit Sen, Co-Chairman, NICCO Ltd; Prahlad Balai, Managing Director, India Foils Ltd. and Biswajit Choudhury, CMD, United Bank of India were given warm felicitation of behalf of the

ICWAI at Calcutta during the year. Similar felicitation programmes were also held in the different regions by the respective Regional Councils.

## ACCOUNTS

The Audited Accounts of the Institute for the year 1995-96 with Audit Report thereon are annexed with this Report.

## APPRECIATION AND THANKS

The Council appreciated the co-operation extended by the officers and staff as well as the members at large of the Institute for furthering the cause of the profession. The Council also placed on record its sincere thanks to the Secretaries and Officers of the Government Departments specially the Ministry of Industry, Ministry of Law, Justice, and Company Affairs, Ministry of Finance and Department of Company Affairs for the help and guidance extended to the Council during the year under report. The Council desires to receive similar help and co-operation continuously in the future also.

By order of the Council
Haripada Banerjee
President
S. R. Acharya
Secretary

Calcutta
Dated : 21st July, 1996

## AUDITOR'S REPORT

### ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1996

I have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Cost and Works Accountants of India as at 31st March 1996 and the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

I have obtained all the information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of my audit.

The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by the Report are in agreement with the books of Accounts.

In my opinion, the accounts read together with notes thereon forming part of Accounts are maintained in conformity with the requirements of the Cost and Works Accountants Act and Regulations 1959 and to the best of my information and according to the explanations given to me, the statements of accounts give a true and fair view :

(i) in the case of Balance Sheet of the State of Affiars as on 31st March 1996 and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

AMALENDU CHATTERJEE F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor

Dated 21st June 1996
10, Old Post Office Street,
Calcutta

## BALANCE SHEET
### As at 31st March 1996

| | Schedule No. | Rs. | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTE FUNDS :** | | | | |
| 1. General Fund | (1) | | 6,39,12,669 | 5,84,79,224 |
| 2. Employees' Gratuity Fund | (2) | | 45,68,410 | 46,27,623 |
| 3. Employees' Benevolent Fund | (3) | | 1,82,872 | 1,71,552 |
| | | | 6,86,63,951 | 6,34,78,399 |
| **REPRESENTED BY :** | | | | |
| 1. **Fixed Assets** | (4) | | | |
| (a) Gross Block | | 2,88,64,726 | | 2,73,51,638 |
| (b) Less Depreciation : | | 1,13,60,887 | | 95,68,876 |
| (c) Net Block | | 1,75,03,839 | | 1,77,82,762 |
| (d) Capital Work-in-progress | | 2,19,359 | | — |
| | | | 1,77,23,198 | 1,77,82,762 |
| 2. **Investments :** | (5) | | | |
| (a) Employees' Gratuity Fund | | 44,33,511 | | 37,74,511 |
| (b) Employees' Benevolent Fund | | 1,28,118 | | 1,28,118 |
| (c) General Fund | | 1,97,93,176 | | 1,79,90,676 |
| | | | 2,43,54,805 | 2,18,93,305 |
| 3. (a) Current Assets | (6) | 1,77,60,585 | | 1,31,27,183 |
| (b) Loans & Advances | (7) | 1,77,38,548 | | 1,78,91,498 |
| | | 3,54,99,133 | | 3,10,18,681 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (c) Less : Current Liabilites & Provisions | (8) | 89.13.185 | | 72.16.349 |
| | | | 2.65.85.948 | 2.38.02.332 |
| | | | 6.86.63.951 | 6.34.78.399 |

Notes on accounts . . . . . (17)

The Schedules referred to above form part of the Accounts.

Signed in terms of my report of even date.

AMALENDU CHATTERJEE, FCA
*Chartered Accountant*
*Auditor*

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
*President*

S. R. ACHARYA
*Secretary*

Calcutta
Dated 21st June, 1996

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1996

| | Schedule No. | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|
| **INCOME** | | | |
| By Annual Subscription | (9) | 46,89,126 | 57,14,910 |
| ,, Examination Fees | (10) | 2,75,11,928 | 2,61,13,888 |
| ,, Tuition Fee | (11) | 2,21,31,283 | 2,11,61,342 |
| ,, Interest | | 23,76,642 | 16,93,406 |
| ,, Journal Fee (including Advt.) | | 4,52,381 | 3,21,569 |
| ,, Professional Development Programme | | 15,08,112 | 10,49,293 |
| ,, Publication | | 32,48,105 | 43,95,199 |
| ,, Donation | | — | 5,001 |
| | | 6,19,08,577 | 6,04,64,608 |
| **EXPENDITURE** | | | |
| To Establishment | (12) | 1,79,73,651 | 1,80,12,532 |
| ,, Office Expenses | (13) | 88,71,992 | 81,36,162 |
| ,, Advertisement | | 3,07,850 | 3,55,164 |
| ,, Statutory Audit Fee | | 30,000 | 30,000 |
| ,, Internal Audit Fee | | 35,000 | 35,000 |
| ,, Travelling & Conveyance | | 8,03,445 | 8,80,780 |
| ,, Contribution to Employees' Recreation Club | | 10,000 | 80,000 |
| ,, Contribution to Regional Councils | (14) | 38,26,970 | 39,36,750 |
| ,, Examination Charges | (15) | 1,02,94,882 | 82,70,680 |
| ,, Tutor's Remuneration | | 10,190 | 34,871 |
| ,, Council & Committee Meeting Expenses | (16) | 28,96,555 | 23,54,283 |
| ,, Journal Expenses | | 46,43,895 | 38,34,471 |
| ,, Chapters' Grant | | 2,02,000 | 2,08,500 |
| ,, Membership Subscription to Foreign Bodies | | 4,66,301 | 4,88,857 |
| ,, Conference & Meeting—International | | 3,28,103 | 2,66,832 |
| ,, Professional Development Programme | | 10,13,804 | 7,47,755 |
| ,, Special Grants to Chapters | | — | 5,001 |
| ,, Special Grant to Employees' Co-operative Credit Society Ltd. | | 60,000 | — |
| ,, M.M.T.C. Project | | — | 15,911 |
| ,, Study Materials Consumed | | 29,88,836 | 27,77,561 |
| ,, Publication Stock Consumed | | 19,64,131 | 18,65,316 |
| ,, Depreciation | | 17,92,011 | 19,95,854 |
| ,, Provision for Cont. to Employees' Co-operative Credit Society Ltd. for Holiday Home | | 25,000 | 25,000 |

| | | |
|---|---|---|
| To Provision for Unconsumable Study Notes (Old Syllabus) | 3,89,132 | 6,00,000 |
| ,, Provision for Bad & Doubtful Debts | 44,260 | — |
| | 5,80,78,008 | 5,49,57,280 |
| SURPLUS for the year | 38,30,569 | 55,07,328 |
| | 6,19,08,577 | 6,04,64,608 |

Notes on accounts (17)

The Schedules referred to above form part of the Accounts.

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor
Calcutta
Dated 21st June, 1996

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
President
S.R ACHARYYA
Secretary

## SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

GENERAL FUND
as at 31st March 1996

SCHEDULE NO. 1

| | Rs. | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|
| Balance as per last account | 5,84,79,224 | | 4,95,31,026 |
| Less: Refund during the period | — | | 9,007 |
| | | 5,84,79,224 | 4,95,22,019 |
| Add : Prior Period Adjustments: | | | |
| (i) Incorporation of value of Land & Buildings of Chapters | — | | 12,48,572 |
| (ii) Transfer from Non-specific Deposits etc. as per prevalent decision of Executive Committee | 67,159 | | 19,002 |
| (iii) Cancellation of cheques issued in the previous year | 11,958 | | 9,181 |
| (iv) Excess provision written back | 37,670 | | 60,746 |
| (v) Examination Fee received in advance written back as per decision of 173rd Meeting of the Council held during 18-20th May, 1996 | 40,370 | | — |
| (vi) Others | 2,30,311 | | 9,470 |
| | | 3,87,468 | |
| | | 5,88,66,692 | 5,08,65,990 |
| Less: Prior Period Adjustments: | | | |
| (i) Payments/Adjustment of Claims of Regional Councils & Chapters pertaining to previous year. | 1,91,746 | | 84,370 |
| (ii) Others | 5,13,810 | | 1,12,431 |
| | | 7,05,556 | |
| | | 5,81,61,136 | 5,07,69,189 |
| Add: Entrance Fee (Member) | 2,77,645 | | 3,18,675 |
| Entrance Fee (Student) | 17,50,864 | | 20,96,032 |
| | | 20,28,509 | |
| | | 6,01,89,645 | 5,30,83,896 |
| Less: Capital Grant to Regional Councils: For Library Books & Furniture. | | 1,07,545 | 1,12,000 |
| | | 6,00,82,100 | 5,29,71,691 |
| Add: Surplus for the year | | 38,30,569 | 55,07,328 |
| | | 6,39,12,669 | 5,84,79,224 |

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor
Calcutta
Dated 21st June, 1996

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
President
S.R. ACHARYYA
Secretary

SCHEDULE NO. 2
EMPLOYEES, GRATUITY FUND
as at 31st March, 1996

| | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|
| Balance as per last account | 48,27,623 | 37,11,684 |
| Add : Contribution for the year | 1,61,828 | 16.54.721 |
| Add : Interest earned on Investment of fund for the year | 4,25,0000 | 4,13,300 |
| | 54,14,458 | 57,79,705 |
| Less : Gratuity paid to Employees during the year | 8,48.048 | 9,52,082 |
| | 45,68,410 | 48,27,623 |

SCHEDULE NO. 3
EMPLOYEES' BENEVOLENT FUND
as at 31st March 1996

| | | | |
|---|---|---|---|
| Balance as per last account | | 1,71,552 | 1.56.332 |
| Add : Contribution during the year | | | |
| Employer's | Rs. 8,828 | | 9,464 |
| Employees' | Rs. 4,414 | | 4,732 |
| | | 13,242 | |
| Add : Interest earned on Investment of fund for the year | | 11,040 | 12,812 |
| | | 1,95,834 | 1,83,340 |
| Less : Paid to Employees during the year | | 12,962 | 11,788 |
| | | 1,82,872 | 1,71,552 |

Signed in terms of my report of even date.

AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
*Chartered Accountant*
*Auditor*

Calcutta,
Dated 21st June, 1996.

By order of the Council

HARIJIBAN BANERJEE
*President*

S.R. ACHARYYA
*Secretary*

SCHEDULE NO. 4
**FIXED ASSETS**
**as at 31st March, 1996**

| Description of Assets | GROSS BLOCK | | |
|---|---|---|---|
| | Opening Cost as at 1-4-95 Rs | Additional Adjustment during the year Rs. | Total as at 31-3-96 Rs. |
| FREEHOLD LAND & BUILDINGS | | | |
| Headquarters | 9,87,986 | — | 9,87,986 |
| Regional Council & chapters | 1,71,75,108 | 4,15,400 | 1,75,90,508 |
| LEASEHOLD LAND | | | |
| Regional Councils & Chapters (Durgapur Chapter & Ukkunagaram Chapter) | 18,220 | — | 18,200 |
| FURNITURE & FITTINGS | | | |
| Headquarters | 19,71,425 | 29,278 | 20,00,703 |
| LIBRARY BOOKS | | | |
| Headquarters | 9,91,774 | 1,70,260 | 11,62,034 |
| OFFICE EQUIPMENTS | | | |
| Headquarters | 24,50,323 | 27,000 | 24,77,323 |
| GENERATORS | | | |
| Headquarters | 2,80,545 | — | 2,80,545 |
| MOTOR CAR | | | |
| Headquarters | 2,61,332 | — | 2,61,332 |
| COMPUTERS | | | |
| Headquarters | 32,14,925 | 8,71,150 | 40,86,075 |
| | 2,73,51,638 | 15,13,088 | 2,88,64,726 |
| Capital Work-in-Progress | — | — | — |

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
*Chartered Accountant*
*Auditor.*
Calcutta.
Dated 21st June, 1996.

| DEPRECIATION | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|
| Upto 1-4-95 Rs. | For the year Rs. | Upto 31-3-96 Rs. | As at 31-3-96 (This year) Rs. | As at 31-3-95 (Last year) Rs. |
| 5,14,748 | 33,324 | 5,48,072 | 4,39,914 | 4,73,238 |
| 43,17,897 | 10,46,694 | 53,64,391 | 1,22,26,117 | 1,28,57,411 |
| — | — | — | 18,220 | 18,220 |
| 11,55,782 | 83,942 | 12,39,724 | 7,60,979 | 8,15,643 |
| 3,61,725 | 78,859 | 4,40,584 | 7,21,450 | 6,30,049 |
| 9,67,337 | 1,48,298 | 11,15,635 | 13,61,688 | 14,82,986 |
| 1,95,148 | 21,350 | 2,16,498 | 64,047 | 85,397 |
| 1,81,146 | 16,037 | 1,97,183 | 64,149 | 80,186 |
| 18,75,293 | 3,63,507 | 22,38,800 | 18,47,275 | 13,39,632 |
| 95,68,876 | 17,92,011 | 1,13,60,887 | 1,75,03,839 | 1,778,2,762 |
| — | — | — | 2,19,359 | — |

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
*President*
S. R. ACHARYYA
*Secretary*

| | Rs. | Rs. | This year 1995–96 Rs. | Last year 1994–95 Rs. |
|---|---|---|---|---|
| SCHEDULE NO. 5 | | | | |
| **INVESTMENTS AT COST** | | | | |
| as at 31st March, 1996 | | | | |
| SHARES (GENERAL FUND) : | | | | |
| 5 Shares of Rs. 100/- each in Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay | | | 500 | 500 |
| FIXED DEPOSIT WITH BANKS : | | | | |
| A) Employees' Gratuity Fund | | 44,33,511 | | 37,74,511 |
| B) Employees' Benevolent Fund | | 1,28,118 | | 1,28,118 |
| C) General Fund (Institute) | | 1,97,92,676 | | 1,79,90,176 |
| | | | 2,43,54,305 | |
| | | | 2,43,54,805 | 2,18,93,305 |
| SCHEDULE NO. 6 | | | | |
| **CURRENT ASSETS** | | | | |
| as at 31st March, 1996 | | | | |
| Publication Stock (at cost) | | 20,49,314 | | 13,72,844 |
| Paper Stock (at cost) | | 6,88,208 | | 5,27,565 |
| Study Material Stock (at cost) | 46,70,825 | | | 22,01,709 |
| Less : Provision for Unconsumable Study Materials | 9,89,132 | | | 6,00,000 |
| | | 36,81,693 | | 16,01,709 |
| | | | 64,19,215 | |
| Stock—Silk Ties | | | 175 | 13,125 |
| INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS : | | | | |
| Miscellaneous Fund | | 3,95,196 | | 3,15,003 |
| Employees' Gratuity Fund | | 51,616 | | 47,035 |
| Employees' Benevolent Fund | | 28,164 | | 17,12 |
| | | | 4,74,976 | |
| Accrued Interest on Loan to Chapters for construction of Building etc. | | | 4,97,875 | 3,71,565 |
| Sundry Debtors | | | 29,99,738 | 20,27,451 |
| Professional Development Programme | Dr. 1,42,193 | | | |
| —Pending Adjustment | Cr. 62,700 | | | |
| Arrear Annual Subscription (Members) | | | 79,493 | |
| CASH AND BANK BALANCES : | | | 25,00,186 | 18,67,784 |
| In hand (including Cash Drafts and Postage Stamps) | | 1,43,793 | | 1,43,458 |
| At Bank | | 44,49,182 | | 46,52,261 |
| At Post Office | | 1,95,952 | | 1,70,260 |
| | | | 47,88,927 | |
| | | | 1,77,60,585 | 1,31,27,183 |

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
*Chartered Accountant*
*Auditor*

Calcutta,
Dated 21st June, 1996.

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
*President*

S. R. ACHARYYA
Secretary

SCHEDULE NO. 7

**LOANS AND ADVANCES**

**as at 31st March, 1996**

| | Ref. No. | Rs. | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|---|
| Building Loan to Chapters | (A) | | | |
| 8% Building Loan | | 23,30,000 | | 24,10,000 |
| 4% Building Loan | | 3,08,267 | | 3,89,010 |
| | | | 26,38,267 | |
| Computer Loan to Chapters | (B) | | 9,91,084 | 10,46,734 |
| Advance to Regional Councils and Chapters for construction of Building | (C) | | 1,08,68,000 | 1,08,68,000 |
| Building Advances to Employees | | | 6,70,274 | 8,12,040 |
| Vehicle Purchase Advance to Employees | | | 98,770 | 1,50,630 |
| Other Advances (including Rs. 25000/- to Central Council Member) | | | 61,842 | 1,97,712 |
| Advance Membership Subscription to Foreign Bodies | | | 2,66,432 | — |
| Advance for Fixed Assets | | | 42,501 | — |
| Festival Advance to Employees | | | 1,28,106 | 1,34,153 |
| Advance to Employees' P.F. on account of Arrear subscription recoverable | | | 1,28,403 | 1,28,403 |
| Flood Relief Advance to Employees | | | — | 6,300 |
| Prepaid Expenses | | | 2,01,652 | 1,95,899 |
| Telex Deposit | | | 29,353 | 29,353 |
| Telephone Deposit | | | 70,226 | 70,226 |
| Electric Deposit | | | 11,500 | 11,500 |
| Others | | | — | 9,200 |
| Silver Jubilee Capital Grants (Advance) to Chapters | | | 15,32,138 | 14,32,138 |
| | | | 1,77,38,548 | 1,78,91,498 |

SCHEDULE NO. 7(A)

**BUILDING LOAN TO CHAPTERS**

**as at 31st March, 1996**

| Sl. No. | Name of the Chapter | This year 1995-96 4% Loan Rs. | This year 1995-96 8% Loan Rs. | Last year 1994-95 4% Loan Rs. | Last year 1994-95 8% Loan Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bangalore | | 1,50,000 | | 1,50,000 |
| 2. | Lucknow | | 1,00,000 | | 1,00,000 |
| 3. | Trivandrum | 25,000 | | 25,000 | |
| 4. | Jaipur | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 5. | Ahmedabad | 25,000 | | 25,00 | |
| 6. | Udaipur | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 7. | Kalyan-Ambernath | 18,267 | | 18,267 | |
| 8. | Visakhapatnam | | 1,60,000 | | 1,60,000 |
| 9. | Baroda | 50,000 | | 50,000 | |
| 10. | Howrah | 90,000 | | 90,00 | |
| 11. | Cochin | | 1,00,000 | | 1,00,000 |
| 12. | Pune | | 2,0,000 | | 2,00,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Goa | 1,00,000 | | 1,00,000 | |
| 14. | Nagpur | | | 5,743 | |
| 15. | Coimbatore | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 16 | Bhopal | | | 75,000 | |
| 17. | Bhilai | | 1,50,000 | | 2,00,000 |
| 18. | Ukkunagaram | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 19. | Durgapur | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 20. | Kolhapur-Sangli | | 1,00,000 | | 1,00,000 |
| 21. | Bokaro Steel City | | 2,00,000 | | 2,00,000 |
| 22. | Hyderabad | | 1,70,000 | | 2,00,000 |
| | | 3,08,267 | 23,30,000 | 3,89,010 | 24,10,000 |
| | Repayment | | | | |
| 1. | Nagpur | 5,746 | | | |
| 2. | Bhopal | 75,000 | | | |
| 3. | Bhilai | | 50,000 | | |
| 4. | Hyderabad | | 30,000 | | |
| | | 80,743 | 80,000 | | |

**SCHEDULE NO. 7(B)**
**COMPUTER LOAN TO CHAPTERS**
as at 31st March, 1996

| Sl. No. | Name of the Chapter | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangalore | 41,308 | 41,308 |
| 2. | Howrah | 64,150 | 64,150 |
| 3. | Durgapur | 64,150 | 64,150 |
| 4. | Cuttack-Bhubaneswar | 64,150 | 64,150 |
| 5. | Cochin | 64,150 | 64,150 |
| 6. | Pune | 58,804 | 58,804 |
| 7. | Visakhapatnam | 62,368 | 62,386 |
| 8. | Coimbatore | 64,150 | 64,150 |
| 9. | Neyveli | 64,150 | 64,150 |
| 10. | Trivandrum | 64,150 | 64,150 |
| 11. | Asansol | 64,150 | 64,150 |
| 12. | Jaipur | 58,804 | 58,804 |
| 13. | Udaipur | 64,150 | 64,150 |
| 14. | Baroda | 64,150 | 64,150 |
| 15. | Nasik-Ojhar | — | 55,650 |
| 16. | Goa | 64,150 | 64,150 |
| 17. | Ahmedabad | 64,150 | 64,150 |
| | | 9,91,084 | 10,46,734 |
| | Repayment : | | |
| | Nasik-Ojhar | 55,650 | |

**SCHEDULE NO. 7(C)**
**ADVANCE TO REGIONAL COUNCILS/CHAPTERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS**
as at 31st March, 1996

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | N.I.R.C. | 36,18,000 | 36,16,000 |
| 2. | W.I.R.C. | 7,00,000 | 27,00,000 |
| 3. | Coimbatore | 3,00,000 | 3,00,000 |

| | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|
| 4. Bhilai | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 5. Cochin | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 6. Pune | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 7. Udaipur | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 8. Lucknow | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 9. Visakhapatnam | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 10. Nagpur | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 11. Nasik—Ojhar | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 12. Bhopal | 2,00,000 | 3,00,000 |
| 13. Bangalore | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 14. Jaipur | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 15. Durgapur | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 16. Bokaro | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 17. Kolhapur-Sangli | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 18. Asansol | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 19. Kanpur | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 20. Hyderabad | 3,00,000 | 3,00,000 |
| | 1,08,68,000 | 1,08,62,000 |

SCHEDULE NO. 8

CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS
as at 31st March 1996

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) | CURRENT LIABILITIES : | | | |
| | Library Deposit | | 5,50,221 | 4,94,741 |
| | Non-specific Deposit (Refundable) | | 86,228 | 1,40,886 |
| | Caution Money Deposit from Oral Coaching Institutions (Refundable) | | 82,000 | 82,000 |
| | Outstanding interest on Caution Money Deposit (Oral Coaching Institutions) | | 47,961 | 41,161 |
| | Earnest Money Deposit | | 18,000 | 5,000 |
| | Atkinson Prize Fund | | 1,650 | 1,650 |
| | Sultan Chand Prize Fund | | — | 25,000 |
| | K.K. Dutta Foundation Prize Fund | | — | 12,000 |
| | Mrs. D. Goel Prize Fund | | 21,000 | — |
| | Kedarnath Prahladrai Dhanuka Memorial Prize Fund | | — | 15,000 |
| | Interest on Prize Fund | | 62,873 | 38,625 |
| | SUNDRY CREDITORS : | | | |
| | Headquarters including Programme | | 51,26,233 | 24,08,506 |
| | Regional Councils : | | | |
| | W.I.R.C. | 2,35,224 | | 2,21,729 |
| | E.I.R.C. | 1,25,760 | | 1,16,000 |
| | N.I.R.C. | 2,11,390 | | 2,72,711 |
| | S.I.R.C. | 1,23,952 | | 1,18,566 |
| | | | 6,96,326 | |
| | Other Liabilities | | 2,85,444 | 46,508 |
| | Employees' Public Provident Fund | | 1,312 | 1,312 |
| | Professional Development Programme Pending Adjustment | | — | 44,056 |
| | Outstanding Membership Fee to Foreign Bodies (IFAC) | | 36,175 | 79,270 |
| | Subscription & Fees received from Members in Advance | | 50,184 | 49,630 |
| | Journal Advertisement received in Advance | | 34,200 | 15,600 |
| | Examination Fees Received in Advance | | — | 40,370 |
| | Annual Subscription Received from Students in Advance | | 19,723 | 19,643 |
| B) | PROVISIONS : | | | |
| | As per Annexure | | 17,93,655 | 29,26,385 |
| | | | 89,13,185 | 72,16,349 |

| | Rs. | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|---|
| ANNEXURE TO SCHEDULE NO. | | | |
| **SCHEDULE OF PROVISION** | | | |
| as at 31st March, 1996 | | | |
| Rates & Taxes (as per last account) | | 1,50,000 | 1,50,000 |
| Building Grants to Chapters (as per last account) | | 1,00,000 | 1,00,000 |
| Building Loan to Chapters (as per last account) | | 1,00,000 | 1,00,000 |
| Contribution to IFAC: | | | |
| As per last account | 2,50,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 1,00,000 | | |
| | | 1,50,000 | 2,50,000 |
| Golden Jubilee Contribution to Regional Councils & Chapters: | | | |
| As per last account | 2,20,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 80,000 | | |
| | | 1,40,000 | 2,20,000 |
| Bad & Doubtful Debts: | | | |
| As per last account | 1,00,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 44,260 | | |
| | 55,740 | | |
| Add: Provision for the year | 44,260 | | |
| | | 1,00,000 | 1,00,000 |
| Contribution to Employees Co-op. Cr. Soc. for Holiday Homes: | | | |
| As per last account | 25,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 25,000 | | |
| Add: Provision for the year | 25,000 | | |
| | | 25,000 | 25,000 |
| Silver Jubilee Capital Grants to Chapters : | | | |
| As per last account | 2,00,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 2,00,000 | | |
| | | — | 2,00,000 |
| Membership Fees to Foreign Bodies: | | | |
| As per last account | 1,46,750 | | |
| Less: Utilised during the year | 1,46,750 | | |
| | | — | 1,46,750 |
| Revenue Grants to Chapters: | | | |
| As per last account | 1,00,000 | | |
| Less: Utilised during the year | 1,00,000 | | |
| | | — | 1,00,000 |
| Membership Fees in Arrear: | | | |
| As per last account | 4,28,655 | | |
| Add: Provision for the year | 6,00,000 | | |
| | | 10,28,655 | 4,28,655 |
| Consumption of Study Notes: | | | |
| As per last account | 11,05,980 | | |
| Less: Utilised during the year | 11,05,980 | — | 11,05,980 |
| | | 17,93,655 | 29,26,385 |
| SCHEDULE NO. 9 | | | |
| **INCOME:** | | | |
| ANNUAL SUBSCRIPTION AND OTHER FEES | | | |
| as at 31st March, 1996 | | | |
| Annual Membership Fees | 22,45,813 | | 26,03,275 |
| Less: Provision for A.M. Fee in Arrear | 6,00,000 | | 4,28,655 |
| | | 16,45,813 | 21,74,062 |
| Students Annual Subscription | | 26,33,741 | 31,44,048 |
| Members Restoration Fees | | 250 | 588 |
| Members Certificate of Practice Fees | | 1,40,850 | 1,40,955 |
| Grad. C.W.A. Fees | | 2,64,738 | 2,20,516 |
| De-Novo Forms Fees | | 13,634 | 11,233 |
| Members Complaint Fees | | 100 | 300 |
| Nomination Fees | | — | 22,650 |
| | | 46,89,126 | 57,14,910 |

| | This year 1995-96 Rs. | Last year 1994-95 Rs. |
|---|---|---|
| SCHEDULE NO. 10 | | |
| **INCOME :** | | |
| EXAMINATION AND OTHER FEES | | |
| as at 31st March, 1996 | | |
| Examination Fees | 2,58,04,105 | 2,45,38,302 |
| Verification of Answer Paper Fees | 1,70,483 | 2,20,647 |
| Sale of Foundation Examination Forms | 1,93,850 | 2,88,209 |
| Sale of Inter/Final Forms | 12,62,395 | 9,80,341 |
| Sundry Income | 81,095 | 86,389 |
| | 2,75,11,928 | 2,61,13,888 |
| SCHEDULE NO. 11 | | |
| **INCOME :** | | |
| TUTION AND OTHER FEES | | |
| as at 31st March, 1996 | | |
| Tution Fees | 1,53,32,723 | 1,66,96,554 |
| Recognition Fees | — | 2,600 |
| Recurring Annual Fees | 43,900 | 42,000 |
| Service Fees | 33,26,290 | 31,52,304 |
| Sale of Study Notes | 23,75,416 | 6,57,373 |
| Sale of Coaching Revalidation Forms | 53,402 | 48,813 |
| Revalidation of Coaching Completion Certificates | 9,99,552 | 5,60,698 |
| | 2,21,31,283 | 2,11,61,342 |
| SCHEDULE NO. 12 | | |
| **EXPENDITURE :** | | |
| ESTABLISHMENT | | |
| as at 31st March, 1996 | | |
| Salaries & Allowances | 1,44,65,340 | 1,34,81,195 |
| Employer's Contribution to Employees' P.F. & F.P.F. | 11,03,996 | 10,67,183 |
| Employer's Contribution to Employees' Gratuity Fund | 1,61,828 | 16,54,721 |
| Employer's Contribution to Employees' Benevolent Fund | 8,828 | 9,464 |
| Medical Benefit to Employees | 3,98,575 | 4,84,790 |
| Leave Travel Allowance to Employees | 5,71,515 | 1,35,211 |
| Leave Encashment to Employees | 12,15,916 | 11,42,741 |
| Employer's Contribution to Employees' E.D.L.I Scheme | 38,143 | 27,317 |
| E.D.L.I. Inspection Charges | 375 | 358 |
| Administrative Charges to R.P.F.C. | 9,135 | 9,552 |
| | 1,79,73,651 | 1,80,12,532 |
| SCHEDULE NO. 13 | | |
| **EXPENDITURE :** | | |
| OFFICE EXPENSES | | |
| as at 31st March, 1996 | | |
| Printing & Stationery | 26,17,626 | 17,58,625 |
| Postage, Telegrams, Telephones, Telex and Fax Charges | 23,63,867 | 22,97,205 |
| Electricity Charges | 4,88,902 | 4,08,689 |
| Generator Expenses | 9,666 | 4,948 |
| Rates & Taxes | 47,706 | 6,69,220 |
| Insurance | 53,234 | 52,633 |
| Repairs & Maintenance | 2,96,496 | 3,90,501 |
| Car Expenses | 3,15,578 | 1,71,054 |
| Interest on Caution Money Deposit from Oral Coaching Institutions | 6,800 | 6,729 |
| Study Material Distribution Expenses | 5,45,102 | 3,04,38 |
| Legal Charges | 64,249 | 1,65,315 |
| Bank Charges | 35,634 | 42,063 |
| Professional Development Expenses | 6,28,272 | 99,814 |

| | This year 1995–96 Rs. | Last year 1994–95 Rs. |
|---|---|---|
| Computer Expenses | 4,01,634 | 3.80.527 |
| Election Expenses | 5,91,324 | 5.85.760 |
| Public Relation Expenses | 1,89,525 | — |
| Watch & Ward Expenses | 30,649 | 29.387 |
| Sundry Expenses | 7,85,728 | 8.69.314 |
| | 86.71.992 | 81.36.162 |

SCHEDULE NO. 14

REVENUE GRANTS TO REGIONAL COUNCILS INCLUDING REIMBURSEMENT OF EXPENSES ON ACCOUNT OF PRINTING & STATIONERY ETC.
as at 31st March 1996

(A) Amount reimbursed to the Regional Councils during the year on following accounts and merged with Income & Expenditure Account;

| | E.I.R.C. Rs. | S.I.R.C. Rs. | W.I.R.C. Rs. | N.I.R.C. Rs. | This year 1995–96 Rs. | Last year 1994–95 Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Postage & Telegrams Charges for decentralisation | 37,489 | — | 6,828 | 16,119 | 60,436 | 6,766 |
| 2. Printing & Stationery for decentralisation | — | 35,378 | — | — | 35,378 | — |
| 3. Repairs & Maintenance | 3,653 | 6,715 | 6,000 | 24,176 | 40,544 | — |
| 4. Rates & Taxes | — | — | — | — | — | 22,733 |
| Total A: | 41,142 | 42,093 | 12,828 | 40,2,95 | 1,36,358 | 29,499 |
| (B) Revenue Grants; | | | | | | |
| 1. T. A. etc. | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 2,44,000 | 2,44,000 |
| 3. Revenue Grants @ Rs. 125/-per Student-Group w.e.f. 1-4-93 and @ Rs. 160/- per Student-Group w.e.f. 1-10-95 in terms of the decision of 157th & 171st meetings of the Council of the Institute held on 14-7-93 & 26—27-8-95 respectively. | 9,98,035 | 13,87,755 | 3,68,990 | 8,28.190 | 35,82.970 | 36,92,750 |
| Total—B | 10,59,035 | 14,48,755 | 4,29,990 | 8,89,190 | 38.26,970 | 39,36,750 |
| Total—A+B; | 11,00,177 | 14,90,848 | 4,42,818 | 9,29,485 | 39,63,328 | 39,66,249 |

SCHEDULE No. 15
EXAMINATION CHARGES
as at 31st March 1996

| | | |
|---|---|---|
| Examination Charges | 1,02,94,882 | 82,04,111 |
| Prize & Prize Distribution Expenses | — | 66,569 |
| | 1,02,94,882 | 82,70,680 |

SCHEDULE NO. 16

COUNCIL & COMMITTEE MEETING CHARGES
as at 31st March 1996

| | | |
|---|---|---|
| Council & Committee Meeting Charges | 23,84,789 | 20,38,548 |
| Travelling Allowance to Council Members | 5,11,766 | 3,15,735 |
| | 28,96,555 | 23,54,283 |

Signed in terms of my report of even date.
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor.

Calcutta
Dated 21st June, 1996

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
President

S. R. ACHARYYA
Secretary

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1996

SCHEDULE NO. 17

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1. Fixed Assets :

Fixed Assets are stated in the accounts at cost less depreciation provided at the rate prescribed under Income Tax Rules from time to time.

2. Income and Expendiutre Recognition :

(i) Incomes are normally treated in the accounts on Cash basis except Interest Income and Annual Membership fees which are accounted for on Mercantile basis. However, transactions with Regional Councils and Chapters in respect of sale of Suggested Answer, Study Notes, Service Fee etc. are also treated on Mercantile basis.

(ii) Expenditure are considered on Mercant'le basis.

3. Investments :

Investments are stated at cost.

4. Inventories :

Inventories are comprised of publication, papers and study materials stock which have been valued on cost of purchase plus other related incidental charges.

5. Employees Retirement Benefit :

Gratuities are provided in the Accounts on the basis of actuarial valuation in accordance with payment of Gratuity Act, 1972.

Provident Funds are being paid as per the Institute Rules in this regard.

Leave encashment benefit on retirement is accounted for on Cash basis.

6. Foreign Currency Transaction :

Foreign currency transactions are accounted for in the accounts on Collection/Payment in rupee, i.e. when it is received and incurred in rupee value.

7. Prior-period Income/Expenditure :

Prior-period Income/Expenditure are adjusted with the General Fund.

B. NOTE FORMING PART OF ACCOUNTS

1. In-persuance of decision of the Council, a Provision of Rs. 6,00,000/ has been made during the year towards outstanding Membership Fee over and above existing provision of Rs. 4,28,655/-.

2. In persuance of decision of 173rd Meeting of the Council dated 18-20-05-96, further provision of Rs. 3,89,132/ has been made during the year on account of unconsumable Study Notes under Old Syllabus raising the provision under this head to Rs. 9,89,132/-.

3. As per earlier practice, adjustments of old items appearing in the Bank Reconciliation Statements of different bank accounts of the Institute have been effected by way of write off/write back on the strength of the decision of the 126th Meeting of the Council held on 24-04-1988 and as well as decisions of the Executive Committee from time to time. The total impact on current Income & Expenditure Account is Rs. 8,257/-(Cr.).

4. There exists a difference of Rs. 83,283/- between the Employees' Gratuity Fund and its investment thereof.

5. A sum of Rs. 44,260/- has been written off out existing debtors over five years on account of various Management Development Programmes organised by the Institute in the past in persuance of decision of the Executive Committee in its 257th Meeting dated 12-05-96 from existing provision of Doubtful Debts of Rs. 1,00,000/-. A provision of similar sum has also been made during the year towards replenishment.

6. Out of Rs. 1,70,463/- paid to I.F.A.C. during the year on account of share of travel cost for the year 1994, a sum of Rs. 1,00,000/- has been adjusted to existing provision in this regard while the balance amount has been charged to General Fund Account.

7. Old advance of Rs. 14,712/- drawn by the past Central Council Members has been adjusted to General Fund Account as per decision of the Council in August, 1995.

8. Security Deposit of Rs. 9,200/- has been adjusted to General Fund Account as per decision of the Executive Committee dated 12th May, 1996.

9. Pending finalisation of four-yearly agreement with Officers' and Employees' Associations the financial impact for 1995-96 on above subject have not been considered in the Account.

10. Previous year's figures have been regrouped wherever found necessary to conform this year's groupings.

Signed in terms of my report of even date.

AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
Chartered Accountant
Auditor

Calcutta
Dated 21st June, 1996

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
President
S. R. ACHARYYA
Secretary

## PRIZE FUND

### K. RAMACHANDRAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 6, 550.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 6,550.00 |
| ,, Accrued interest due from Bank | 327.50 | ,, | Interest received during the year | 655.00 | |
| ,, Amount due from the institute | 1,329.70 | Add : | Interest accrued upto 31-3-96 | 327.50 | |
| | | Add : | Due from the institute as per last Account | 674.70 | |
| | | | | | 1,657.20 |
| | 8,207.20 | | | | 8,207.20 |

### MAUJI RAM JAIN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 10,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 10,000.00 |
| ,, Accrued interest due from Bank | 500.00 | ,, | Interest received during the year | 1,000.00 | |
| ,, Amount due from the institute | 2,508.00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 500.00 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 1,508.00 | |
| | | | | | 3,008.00 |
| | 13,008.00 | | | | 13,008.00 |

### B.C. CHAKRABORTY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 6,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 6,000.00 |
| ,, Accrued interest due from Bank | 106.85 | ,, | Interest received during the year | 600.00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 2,244.70 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 106.85 | |
| | | | | 706.85 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 1,644.70 | |
| | | | | | 2,351.55 |
| | 8,351.55 | | | | 8,351.55 |

### J.N. BOSE MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 11,200.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 11,200.00 |
| ,, Accrued interest due from Bank | 1,190.57 | ,, | Interest received during the year | 756.72 | |
| | | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 1,190.57 | |
| | | | | 1,947.29 | |
| | | Less : | Advance from the Institute as per last account | 1,539.39 | |
| | | | | 407.90 | |
| | | Add : | Advance by the Institute for the year | 782.67 | |
| | | | | | 1,190.57 |
| | 12,390.57 | | | | 12,390.57 |

ALRA MEMORIAL PRIZE FUND
31st March 1996

| | | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Balance in Fixed Deposit with Bank | 6,500.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 6,500 00 |
| ,, | Accrued interest due from Bank | 276.03 | ,, | Interest received during the year | 487.50 | |
| ,, | Amount due from the Institute | 3,975.05 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 276.03 | |
| | | | Add : | Due from the Institute as per last account | 3,487.55 | |
| | | | | | | 4,251.08 |
| | | 10,751.08 | | | | 10,751.08 |

PUNE CHAPTER OF COST ACCOUNTANTS SILVER JUBILEE PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| ,, | Accrued interest due from Bank | 51.29 | ,, | Interest received during the year | 1,500.00 | |
| ,, | Amount due from the Institute | 4,200.00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 51.29 | |
| | | | Add : | Due from the Institute as per last account | 2,700.00 | |
| | | | | | | 4,251.29 |
| | | 16,251.29 | | | | 16,251.29 |

B.N. GANGULY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Balance in Fixed Deposit with Bank | 3,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 3,000.00 |
| " | Accrued interest due from Bank | 195.00 | " | Interest received during the year | 330.00 | |
| " | Amount due from the institute | 3,302.70 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 195.00 | |
| | | | Add : | Due from the institute as per last account | 2,972.70 | |
| | | | | | | 3,497.70 |
| | | 6,497.70 | | | | 6,497.70 |

G.D. MUNDHRA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31 st March 1996

| | | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| " | Accrued Interest due from Bank | 430.27 | " | Interest received during the year | 1,257.00 | |
| " | Amount due from the Institute | 1,121.31 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 430.27 | |
| | | | | | 1,687.27 | |
| | | | Less : | Advance from the Institute as per Last account | 135.69 | |
| | | | | | | 1,551.58 |
| | | 13,551.58 | | | | 13,551.58 |

U.N. SUR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To | Balance in Fixed Deposit with Bank | 10,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 10,000.00 |
| " | Accrued interest due from Bank | 500.00 | " | Interest received during the year | 17.000.00 | |
| " | Amount due from the Instrument | 5,336.50 | Add : | Interest accured upto 31-03-96 | 500.00 | |
| | | | Add : | Due from the Institute as per last account | 4,336.50 | |
| | | | | | | 5,836.50 |
| | | 15,836.50 | | | | 15,836.50 |

V. SRINIVASAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| " Accrued interest due from Bank | 430.00 | " | Interest received during the year | 1,260-00 | |
| " Amount due from the Institute | 1,077.71 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 430-00 | |
| | | | | 1,690-00 | |
| | | Less : | Advance from the Institute as per last account | 182-29 | |
| | | | | | 1,507-71 |
| | 13,507.71 | | | | 13,507-71 |

WAZIR DEB. PURI MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31 st March 1996

| | Rs | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 19.73 | | Interest received during the year | 1,200.00 | |
| " Amount due from the Institute | 1,007.19 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 19.73 | |
| | | | | 1,219.73 | |
| | | Less : | Advance from the Institute as per last account | 192.81 | |
| | | | | | 1,026.92 |
| | 13,026.92 | | | | 13,026-92 |

G. INDIRA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31 st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 15,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 15,000-00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 825.00 | " | Interest received during the year | 1,807.26 | |
| " Amount due from the Institute | 2,114.45 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 825.00 | |
| | | | | 2,632.26 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 307.19 | |
| | | | | | 2,939.45 |
| | 17,939.45 | | | | 17,939.45 |

PUSPA RANI DEY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| " Accrued interest due from Bank | 660.00 | " | Interest received during the year | 1,320.00 | |
| " Amount due from the Institute | 977.69 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 660.00 | |
| | | | | 1,980.00 | |
| | | Less : | Advance from the Institute as per last account | 342.31 | |
| | | | | | 1,637.69 |
| | 13,637,69 | | | | 13,637.69 |

SAN JAGANNATHAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 20,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 20,000.00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 843.84 | " | Interest received during the year | 2,200.00 | |
| " Amount due from the Institute | 3,549.93 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 843.84 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 1,349.96 | |
| | | | | | 4,393.80 |
| | 24,393.80 | | | | 24,393.80 |

CH. BISHAN DASS PURI MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31 st March. 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Balance in fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 55.23 | " | Interest received during the year | 1,470.00 | |
| " Amount due from the Institute | 2,242.19 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 55.23 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 772.19 | |
| | | | | | 2,297.42 |
| | 14,297.42 | | | | 14,297.42 |

A. K. BISWAS FOUNDATION PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 22,017.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 22,017.00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 271.44 | " | Interest received during the year | 2,201.68 | |
| " Amount due from the Institute | 10,695.70 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 271.44 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 8,494.02 | |
| | | | | | 10,967.14 |
| | 32,984.14 | | | | 32,984.14 |

N. SARKAR MEMERIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 10,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 10,000.00 |
| " Accrued Interest due from Bank | 142.21 | | Interest received during the year | 1,000.00 | |
| " Amount due from the Institute | 6,988.00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 145.21 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 5,988.00 | |
| | | | | | 7,133.21 |
| | 17,133.21 | | | | 17,133.21 |

SUBHASH ADDY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 5,000.00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | 5,000.00 | |
| " Accrued Interest due from Bank | 120.55 | " | Interest received during the year | 500.00 | |
| " Amount due from the Institute | 2,540.50 | Add : | Interest accrued upto 31-3-96 | 120.00 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 2,040.50 | |
| | 7,661 05 | | | | 2,661.05 |
| | | | | | 7,661 05 |

SULTANCHAND PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 25,000.00 | By | Investment in Fixed Deposit with Bank | | 25,000.00 |
| ,, Accrued Interest due from Bank | 1,500.00 | ,, | Interest received during the year | 1,300.00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 1,300.00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 1,500.00 | |
| | | | | | 2,800.00 |
| | 27,800.00 | | | | 27,800.00 |

K.K. DUTTA FOUNDATION PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 12,000.00 | By | Investment in Fixed Deposit with Bank | | 12,000.00 |
| ,, Accrued Interest due from Bank | 720·00 | ,, | Interest received during the year | 623.00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 623·00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 720.00 | |
| | | | | | 1,343.00 |
| | 13,343·00 | | | | 13,343.00 |

KEDARNATH PRALHADRAI DHANUKA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 15,000.00 | By | Investment in Fixed Deposit with Bank | | 15,000·00 |
| ,, Accrued Interest due from Bank | 825·00 | ,, | Interest received during the year | 780·00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 780·00 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 825.00 | |
| | | | | | 1,605.00 |
| | 16,605.00 | | | | 16,605.00 |

BIKRAMJIT MAJUMDAR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March, 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 5,000·00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 5,000.00 |
| ,, Accrued Interest due from Bank | 109·59 | ,, | Interest received during the year | 500.00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 4,009·80 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 109.59 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 3,509.80 | |
| | | | | | 4,119.39 |
| | 9,119·39 | | | | 9,119.39 |

SMT. RAJAMMA & M.R.S. IYENGER MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1996

| | Rs. | | | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| To Balance in Fixed Deposit with Bank | 5,000-00 | By | Balance in Fixed Deposit with Bank | | 5,000-00 |
| ,, Accrued Interest due from Bank | 250.00 | ,, | Interest received during the year | 500-00 | |
| ,, Amount due from the Institute | 1,731-70 | Add : | Interest accrued upto 31-03-96 | 250.00 | |
| | | Add : | Due from the Institute as per last account | 1,231-70 | 1,981.70 |
| | 6,981-70 | | | | 6,981-70 |

Signed in terms of my report of even date
AMALENDU CHATTERJEE, F.C.A.
*Chartered Accountant*
*Auditor*

Calcutta
Dated 21st June, 1996

By order of the Council
HARIJIBAN BANERJEE
*President*

S.R. ACHARYYA
*Secretary*

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd September 1996

No. U-16/53/87-M.(Guj.).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950, I hereby authorise the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneraion in accordance with the norms w.e.f. 22-9-96 to 21-9-97 for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Sl. No., Name of doctors & Name of Centre

1. Dr. (Mrs.) A. J. Patel, P.T.M.R.—Jamalpur Local Office, Ahmedabad.
2. Dr. K. R. Asthekar, P.T.M.R.—Khokhara, Local Office, Ahmedabad.
3. Dr. S. K. Majumdar, P.T.M.R.—Asarweda, Local Office, Ahmedabad.

S. K. SHARMA
Director General.

New Delhi, the 12th September 1996

No. N-15/13/13/2/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-9-1996 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely :—

1. Revenue Villages—Khalilabad, Digha, Welbatia, Bhainsahia, Dhaurahara, falling in Pargana Maghar East Tahsil-Khalilabad, District-Basti.

2. Area falling within the Municipal Limits of Khalilabad, Pargana-Maghar East, Tahsil-Khalilabad, District-Basti.

3. Areas falling within the Revenue Village Mohammadpur Kachhar in the Maghar notified area, Pargana-Maghar Tahsil Khalilabad District-Basti (U.P.).

L. K. PATTANAIK
Jt. Director (P&D)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996